राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के तृतीय सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

मंगलवार,

दिनांक 15 सितम्बर, 1981

[विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।]

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर, तोपदड़ा रेलवे लाइनों के ऊपर ऊपरी पुल का निर्माण

31. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में तोपदड़ा, रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है? क्या यह भी सही है कि रेलवे विभाग इस ओवर ब्रिज के निर्माण में 50 प्रतिशत खर्च वहन करने को तैयार है और इस बारे में उन्होंने राज्य सरकार को भी लिखा है?

(2) क्या राज्य सरकार नागरिकों की सुविधा को देखते हुए यह ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) तोपदड़ा, रेलवे लाइन के ऊपर नगर परिषद अजमेर की सड़क तोपदड़ा के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने हेतु मांग समय-समय पर उठती रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को ऐसी कोई सूचना रेलवे विभाग से प्राप्त नहीं हुई कि रेलवे विभाग 50 प्रतिशत खर्च वहन करने को तैयार है।

(2) रेलवे लाइन पर समपारों की व्यवस्था, सड़कों का एक दूसरे से जुड़ा होना एवं रेलवे यातायात और सड़क यातायात को देखते हुए ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।

(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 1962 में राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से रेलवे बोर्ड को लिखा था कि यहां पर एक ओवरब्रिज बनाया जाना आवश्यक है और वे कौन से कारण थे, जिनकी वजह से यह पत्र लिखा?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम श्री किशन गोपाल, अजमेर ने इस तरह की मांग उठायी थी। उन्होंने तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़िया जी के सामने यह प्रस्ताव लिखित में रखा था। उसके बाद में इसकी जांच करायी,

(श्री चेतराम मीणा)

लेकिन यह पाया गया कि प्राथमिकता को देखते हुए इस स्थान पर ब्रिज बनाया जाना वांछित नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल था कि 1962 में राज्य सरकार ने रेलवे को यह लिखा कि नहीं कि तोपदड़ा अजमेर में यह पुल बनाया जाना चाहिए था? क्या यह बनाये जाने के लिए लिखा था? सरकार की ओर से जो पत्र की प्रतिलिपि दी गयी है उसमें स्पष्ट लिखा है "राजस्थान राज्य सरकार ने पहले पहल सन् 1962 में तोपदड़ा की ओर जाने वाले सम्पार फाटक नं.48 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया था।" मैं यह पूछ रहा हूं कि यह प्रस्ताव किया कि नहीं और किन कारणों के आधार पर?

श्री चेतराम मीणा : जैसा मैंने निवेदन किया, सर्वप्रथम पी. डब्ल्यू. डी. को 1971 में ही एक मांग प्रस्तुत की गयी थी। 1962 में कैसी मांग रखी गयी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह प्रति आपकी तरफ से मुझे दी गयी है? अगर नहीं, तो क्या आपने इसको पढ़ा है या नहीं? इसमें यह तथ्य है, जो सरकार ने मुझे दी है। यह एक प्रूफ है, यह इस प्रश्न के साथ राज्य सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखी गयी है। इसे आप देखिये। इसमें 1962 का तथ्य दे दिया है। क्या यह प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया था और किन कारणों पर?

श्री चेतराम मीणा : मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्बोधित किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को सर्वप्रथम जो मांग आयी वह 1971 में आयी थी, 1962 के जिस पत्र का हवाला माननीय सदस्य दे रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अगर यह पत्र सरकार की ओर से रखा गया है, तो मानिये या फिर नकार जायें कि नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मूल रूप में यहां नहीं दिया गया। एक दूसरा पत्र है, जिसमें हवाला दिया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : सदन के पटल पर रखा है, उसकी जानकारी है। उसके बारे में सहमति या असहमति हो, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। राजस्थान सरकार के आगे भी कई मसले खड़े होते हैं। 2-3 बार इस ओवर ब्रिज के बारे में लिखा गया है। पेज 2 के दूसरे पैराग्राफ पर एक तथ्य आया है और मुझे यह जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है। मैं पूछ रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने 1962 में पहली बार जो प्रस्ताव किया था, इसका क्या आधार था? और क्या औचित्य था जिसके आधार पर लिखा? 1962 से आज तक तोपदड़ा क्षेत्र पहले से 2-3 गुणा हो गया है। उस समय के आधार पर आज राजस्थान सरकार विचार करने के लिए तैयार है या नहीं?

(व्यवधान)

Page No 3

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : इस प्रश्न के साथ एक और कड़ी जुड़ी हुई है। क्या यह सही है कि आपने 1971 में जो उत्तर दिया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग इस पुल की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। इसकी मान्यता इसलिए है कि नवा सागर चैनल 20 फीट का है, वह यहां 4 फीट का रह जाता है और पूरा तोपदड़ा इसी के कारण बाढ़ में डूब जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस कारण को सदा के लिए मिटाने के लिए क्यों नहीं पुलिया बनाते हैं?

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य ने कहा कि यहां पर यातायात बढ़ रहा है, इस बारे में निवेदन करूंगा कि रेलवे ने 1965 में एक रेलवे बाई-पास बनाया था, जो अहमदाबाद की तरफ से आने वाली गाड़ियां थीं उनको अजमेर जंक्शन न जाने दिया जाय। उसके लिए बाई-पास बनाया था जिससे गाड़ियां बीजी स्टेशन से मदार स्टेशन पहुंच जावें और दूसरा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की ओर से आने वाली गाड़ियां अजमेर न जायें और एक क्रासिंग बनाकर वे गाड़ियां डायरेक्ट मदार स्टेशन निकाल दीं। इसलिए रेलवे का ट्रैफिक कम हो गया है। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि जो समपार 48 नम्बर का फाटक है, इस पर पुल बनाने की जो मांग आ गयी तो एक वहां से 30 गज की दूरी पर अण्डर-ग्राउण्ड पुल नं. 346 में से ट्रैफिक खोल दिया जिससे तांगा, रिक्शा, जीप-कार आते जाते हैं उससे आवागमन कम हो गया और उसी स्थान पर एक अलग पैदल चलने वालों के लिए पैदल पार पुल (फुट ब्रिज) बना दिया गया है। इसके अलावा जिस स्थान पर पुल का रास्ता था, वहां पर एक किलोमीटर की दूरी पर एक पुल मार्टिण्डल है, उसको सड़कों से जोड़ा गया है। इसलिए हम समझते हैं कि पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पानी आकर बाढ़ आने का प्रश्न है, तो जो ओवर ब्रिज बनेगा, वह तो रेलवे ब्रिज को बचायेगा और आवागमन को बचायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो अण्डर-ग्राउण्ड पुल बना है, वही पानी को रोकता है, अगर आप अण्डरग्राउण्ड को समाप्त करके पुलिया ऊपर बना दें, तो वह पानी से बच सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

जयपुर से फागी रूट पर सिटी बसों को चलाना

32. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-फागी एवं फागी से जयपुर के लिए सिटी बसेज चलाने हेतु वहां की जनता पिछले काफी समय से मांग करती आ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार अब शीघ्र ही उक्त रूट पर सिटी बसेज चलाने के आदेश प्रदान करेगी, ताकि जयपुर से जाने वाली फागी एवं उसके आसपास के स्कूलों की अध्यापिकाओं एवं फागी से आने वाली जनता को भी सुविधा मिल सके?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(2) क्या सरकार जनता की सुविधार्थ फागी होकर जयपुर आने वाली लम्बी दूरी की बसों का स्टाप फागी में रखने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं। जयपुर से फागी जाने व फागी से जयपुर आने वाले यात्रियों के लिये पर्याप्त संख्या में वाहन सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

(2) फागी होकर जयपुर आने वाली लम्बी दूरी की बसों के लिए फागी, पूर्व से ही ठहराव स्थल घोषित किया हुआ है।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, फागी से नमरा, रेनवाड़ आने वाले यात्रियों के लिये बस वाले बसों को अधिकतर रोकते नहीं हैं। वे बसों को सीधे रवाना कर देते हैं। इसलिए यहां से जयपुर के लिए काफी संख्या में बसों की कमी बताई जा रही है फलस्वरूप इनको बड़ी भारी तकलीफ होती है। आपके विभाग के सारे आफिसर्स देखते होंगे कि वहां पर बजरी से भरे ट्रकों पर महिलाएं तक सफर करती हैं। पिछले काफी लम्बे अर्से से फागी और रेनवाड़ के लिए सीधी बसों की मांग जनता की ओर से की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर रही। केवल फागी के लिए ही आपने अभी फरमाया है कि बसें रुकती हैं। यह केवल फागी का ही सवाल नहीं है, इसके अलावा और भी जगहों पर बसें रुकेंगी क्या इस पर ध्यान दिया जायेगा ? कुछ बसें फागी पर भी नहीं रुकती हैं और सीधी ही चली जाती हैं। वहां पर रोके बिना उनको सीधी ही पास कर देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे आश्वासन दें कि यह तकलीफ दूर करेंगे। आप कोई भी अधिकारी लगा दें। ट्रकों पर देखिये कि दस-दस, बीस-बीस महिलायें बैठ कर यात्रायें करती हैं। यह बड़े शर्म की बात है। मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि इस तकलीफ को दूर करेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जयपुर से फागी 25 बसों का और इनके अलावा सीधी आने वाली बसों का भी वहां पर ठहराव होता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सी बसें रास्ते में नहीं ठहरती हैं। माननीय सदस्य ने रास्ते का मुझ से कोई प्रश्न नहीं किया था परन्तु मैं उनसे यह कहूंगा कि मैं इसकी जानकारी कर लूंगा और जहां पर भी बसेज ठहराने की जरूरत होगी, वहां बसों को ठहराने की व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री दाऊदयाल जोशी।

चम्बल विकास विभाग द्वारा खेत सुधार कार्यक्रम

33. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा में चम्बल विकास विभाग द्वारा खेत सुधार कार्यक्रम के तहत कहां-कहां, कितनी भूमि पर कार्य चल रहा है ? अब तक कार्य प्रारम्भ होने से लेकर 31 अगस्त, 1981 तक कुल कितनी भूमि पर कार्य हो चुका है तथा उस पर कितना व्यय हुआ है ?

(2) माह मई, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक कौन-कौन सी मशीनों के लिए

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कितना–कितना डीजल कहां-कहां कार्य करने हेतु विभाग द्वारा दिया गया ? उसका अनुमानित मूल्य क्या है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) 31-8-81 को जिला कोटा में 21 कैचमेंट में 9,252 हैक्टेयर क्षेत्र में और बूंदी जिले के 9 कैचमेंट में 2,967 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य चल रहा था। वर्ष 1974 में कार्य प्रारम्भ होने से लेकर 31-8-81 तक कुल 26,205 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया, जिस पर कुल रु. 4,24,43,445) का खर्चा हुआ।

(2) माह मई, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक भूमि विकास कार्यों में कार्यरत बुलडोजर, एलीवेटिंग स्क्रेपर, मोटर ग्रेडर, ट्रैक्टर और एस्कैवेटर मशीनों को कुल 3,05,862 लीटर डीजल कीमत 8,86,999·80 रु. दिया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने सूची सदन के पटल पर मांगी थी, वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। क्या सदन के पटल पर सूची रख दी गई है ?नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसमें सूची मांगी गई है माननीय सदस्य के द्वारा कि कितना-कितना डीजल कहां–कहां पर, किस–किस कार्य हेतु विभाग द्वारा उपयोग में लिया गया। इसकी डिटेलवाइज जानकारी कि किस फार्म पर, किस मशीन ने काम किया और कितना डीजल उसने लिया, अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या 15 मई····

श्री अध्यक्ष : कोई जल्दी नहीं है, धीरे-धीरे प्रश्न पूछिए।

श्री दाऊदयाल जोशी: 15 मई, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक राजस्थान में बरसात नहीं हुई। साथ ही कोटा जिले के उन सारे क्षेत्रों में जहां–जहां कार्य चल रहा है जैसे–कोटा में, बूंदी में, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। आज कोटा में 8 लाख रुपयों का डीजल खर्च होना बताया है, वह किस–किस जगह पर खर्च किया गया है ? इसीलिए मैंने डिटेल्ड सूचना मांगी थी कि आखिर यह डीजल कहां-कहां खर्च किया गया ? जहां पर खेतों में पानी भरा हुआ है, मंत्री महोदय आपने स्वयं देखा है कि सुल्तानपुरा में इन मशीनों का अम्बार लगा हुआ है, तो मई से अगस्त तक डीजल कैसे खर्च हुआ ? यह बताने की कृपा करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, कौन कौन सी मशीने कहां–कहां काम किया और उस मशीन ने किस–किस पीरियड में कितना–कितना डीजल लिया, यह सूचना मैं कलेक्ट करवा रही हूं। इस प्रश्न के आने तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि आपने 31 अगस्त, 1981 तक की सूचना मांगी थी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जैसा मैंने आपको ब्यौरा दिया; इस पीरियड के अन्दर इतनी-इतनी जगहों पर, इतने-इतने कैचमेंट एरिया में

(श्रीमती कमला)

कार्य किया गया था और मशीनें वहां पर कार्यरत थीं, उनके अन्दर डीजल का उपयोग हुआ है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, अभियांत्रिकी संघ ने यह आरोप लगाया है कि जो मशीनें कार्यरत नहीं हैं, बेकार खड़ी हैं, उनके नाम पर भी डीजल इश्व हुआ है। इसलिए हमने अलग-अलग मशीनों के बारे में सूचना मांगी थीं। जो मशीनें कार्यरत नहीं थी, उनके नाम पर भी डीजल का खर्चा दिखा कर, किसानों के नाम पर खर्चा लिखा गया है। इसलिए अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जावे।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा······

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी अभी उस एरिया में जाकर आई हूं और खेतों में मौके पर गई हूं, किसानों से मिली हूं और जगह जगह पर बैठ कर गांवों में समस्यायें सुनी हैं। जो शिकायत आपने की हैं, वैसी ही शिकायत गांव के लोगों ने मुझे की, कि बहुत सा डीजल नाजायज उठाया गया है। मैंने अपने स्तर पर अलग से जांच के आदेश दिये हैं। आपने जो डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, मैं उसको एकत्रित करवा रही हूं और उसके आते ही जरूरी कार्यवाही करूंगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री, श्री वृजसुन्दरजी शर्मा ने आज से दस दिन पहले ही कोटा की आम सभा में इस बात को कहा था कि इसमें घोटाला हुआ है, अनियमिततायें हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। इसमें सूचना पूरी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब सूचना आ जावे, उस वक्त माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर आगे कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सारे मामले को दबाना चाहते है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : क्या इसको स्थगित कर दिया जावे ?

श्रीमती कमला : 31 अगस्त, 1981 तक की सूचना मांगी गई है। इस पीरियड में, चार दिन के अन्दर सूचना मिलना सम्भव नहीं था। इस आधार पर अगर दुबारा सूचना आने तक स्थगित करें, तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कराना चाहते हैं, तो इसको स्थगित कर दिया जावे।

(व्यवधान)

स्थगित किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी सत्र में वापस आ जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में आएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसी सत्र में जवाब आ जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में जवाब दिलाया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : कोशिश यही रहेगी कि इसी सत्र में जवाब आ जावे।

(व्यवधान)

पहले मुझे नाम पुकारने दीजिए।

श्री बालचन्द आर्य, श्री अनंगकुमार।

कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष न्यायालय

34. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचारों और ज्यादतियों की रोकथाम और जांच के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की सरकार ने घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कितने न्यायालय स्थापित किये गये और उनके पास कितने मामले पेश हुए ? यदि न्यायालय स्थापित नहीं किये गये, तो क्यों ?

(3) क्या जिला झालावाड़ में इस प्रकार के विशेष न्यायालय स्थापित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

विधि मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सुगमता से न्याय उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र के अनुरोध पर राज्य में विशेष न्यायालय अवश्य स्थापित किये गये हैं।

(2) तीन विशेष न्यायालय क्रमश: कोटा, अलवर एवं नागौर में स्थापित हैं। अन्य स्थानों पर ऐसे मुकदमों की संख्या कम होने से न्यायालय स्थापित नहीं किये गये। इन तीनों न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की संख्या 1-9-1981 को निम्न प्रकार से है :—

कोटा	4112
नागौर	553
अलवर	1356

(3) न्यायालय स्थापित करने के लिए मुकदमों की संख्या, भौगोलिक स्थिति, आवागमन आदि के साधन एवं निकटवर्ती स्थानों पर चल रहे न्यायालयों आदि को दृष्टिगत रख कर उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात औचित्य होने पर ही न्यायालय स्थापित किया जाता है। झालावाड़ में फिलहाल विशिष्ट न्यायालय स्थापित करना विचाराधीन नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो न्यायालय स्थापित किये, उनमें कितने केस निपटा दिए गए और कितने केस पेंडिंग हैं ? पहला।

(श्री बाजचन्द आर्यवीर)

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय स्थापित किये गये हैं, क्या उचित स्थानों पर स्थापित किये गये हैं, जहां पर कि गरीबों को पूर्ण न्याय मिलता है ? क्या वहां दिक्कतें नहीं आती हैं ? तीसरा पिछले विधान सभा सत्र में आश्वासन दिया गया था, घोषणा की गई थी कि जो न्यायालय स्थापित किये गये हैं, उनके ऊपर पुनर्विचार किया जायगा। जहां पर गरीब व्यक्तियों को न्याय मिल सके ऐसे स्थानों पर न्यायालय स्थापित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): पिछले विधान सभा सत्र में यह प्रश्न उठाया था, कोटा में जो अदालत है, पहले बारां में थी, अब कोटा में स्थापित है, तो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी स्पेशल कोर्ट के लिये कोटा आ सकते हैं ? इस पर आश्वासन दिया था कि यह दिक्कत की बात है, इस पर विचार कर रहे हैं। लोगों को विशेष अदालत में आने में दिक्कत होती है। वे आ नहीं सकते हैं और इस प्रकार उनके साथ अन्याय हुआ है। पिछले विधान सभा सत्र के आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण के सम्बन्ध में मैंने स्वयं विचार किया है। यह बिलकुल ठीक है कोटा में एक ही न्यायालय होने के कारण बहुत दूर-दूर से जिले के लोगों को इस स्थान पर आना पड़ता है और उससे उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। इस सम्बन्ध में मैंने हाई कोर्ट से सलाह मशविरा किया है कि क्यों नहीं जहां-जहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में हैं, वह उन मुकदमों को प्रायोरिटी के आधार पर कोई दिन मुकर्रर करके देखें। हाई कोर्ट से सलाह आने पर इस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): पिछले विधान सभा सत्र में हमने यह प्रश्न उठाया था। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कोटा जिले के गांवों में रहते हैं, वह मीलों से चल कर कोटा आते हैं, गांवों में इटावा, सांगोद, छबड़ा, बारां, रामगंज मण्डी में अदालतें हैं। अब उन्हें कोटा आना पड़ता है। बहुत दिनों से वे परेशान हो रहे हैं। पिछली बार हमने मांग की थी, उस पर आश्वासन दिया था कि इस पर विचार कर रहे है। कितने दिनों तक विचार करते रहेंगे ? हमारे आदिवासी, गरीब लोग जिनको तुरन्त राहत की आवश्यकता है, वह परेशान हो रहे हैं, दुःखी हैं। आप तुरन्त ही फैसला क्यों नहीं कर सके ? आप विचार करके जल्दी निर्णय करें, ताकि उन्हें सुविधा मिल सकें।

श्री अनंगकुमार जैन: क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि नये न्यायालय खोल सके ? इन विशिष्ट न्यायालयों के कारण, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार इन विशिष्ट न्यायालयों को समाप्त करने का इरादा रखती है ? जो केसेज इन न्यायालयों में चल रहे हैं, उनको दूसरे स्थानीय न्यायालयों में भेजने का विचार भी सरकार रखती है ?

पिछले विधान सभा सत्र में इस सदन में विधि मन्त्री जी ने कहा था कि अतिशीघ्र इनके बारे में निर्णय लिया जायगा और इस

Page No 9

(9)

(श्री अनंगकुमार जैन)

मुकदमों को स्थानीय न्यायालयों में भेज दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री जी मौजूद हैं, उस समय अक्षम सरकार थी, इस सक्षम सरकार के मन्त्री हैं, तो उनको क्या दिक्कत आ रही है? अब तो मन्त्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी?

श्री अनंगकुमार जैन: अध्यक्ष महोदय, 6 माह में यह निर्णय नहीं ले सके, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राहत नहीं पहुंचा सके, इसका स्पष्ट उत्तर विधि मन्त्री महोदय से दिलाया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि कोटा में 4132 केस हैं। मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों को कोटा आना पड़ता है? केसेज का निपटारा कैसे हो रहा है, कैसे गरीब आदमी के साथ मखौल हो रहा है? इस पर माननीय मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर्ता हूं। एक प्रश्न करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय विधि मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं। क्या आप जब तक यह सत्र चलेगा उसके अंतिम समय तक इस प्रकार का आश्वासन देंगे?

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: सत्र पूर्ण होने तक?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं इसकी जानकारी कर ली है। हाई कोर्ट से सलाह मशविरा करने की स्थिति में हूं। अभी भारत सरकार के सामने भी यह प्रश्न आया था। एक्सपेरीमेंटल बेसेज पर यह अदालतें कायम की है। हमने यह अनुरोध किया है कि मजिस्ट्रेट मोबाइल कोर्ट गांव-गांव में जाकर इन मुकदमों की सुनवाई करें, अन्यथा ऐसी स्थिति में नहीं हैं, तो मेरी निश्चित राय है कि इन अदालतों से कोई फायदा नहीं है, इनको बन्द कर दिया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन अदालतों की स्थापना के कारण इन व्यक्तियों को कितनी दूर आना पड़ता है? पहले जो अदालतें थी और अब जो अदालतें हैं, उनका अन्तर कितना होगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: पहले जो अदालतें बनी हुई हैं, उसमें सिर्फ यह था कि उनको डायरेक्शन्स नहीं थीं और उसकी वजह से कोई ध्यान नहीं देता था कि प्रायोरिटी देकर के उनको निपटायें। अब मैं हाई कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि ऐसे मुकदमों के लिये जो मजिस्ट्रेट है, जहां-जहां पर हैं, उनका निश्चित रूप से कोई दिन मुकर्रर कर दिया जाये कि उस दिन वही मुकदमें लिये जायें और प्रायोरिटी दी जाये, जिससे लोगों की परेशानी कम हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिये जो पहले अदालतें थीं, उनमें जाने के लिये और अब जो अदालतें है, उनमें जाने के लिये कितनी अधिक डिस्टेंस तय करनी पड़ती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डिस्टेंस तो है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिये इन न्यायालयों का निर्माण किया गया था। जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि सचमुच इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या जब तक हाई कोर्ट से सलाह मशविरा करके वहां के न्यायालयों को काम नहीं दिया जाता, तब तक कमजोर वर्ग के लोगों को आने-जाने का खर्च क्या सरकार देने का विचार रखती है, ताकि जो नुकसान हो रहा है, उसका भरण पोषण हो सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो वित्त मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह जो बीस सूत्री संकल्प में रखा है कि गरीबों को न्याय दिलायेंगे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

राज्य सरकार पर ओवर ड्राफ्ट की राशि

35. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पर इस समय कितना ओवर ड्राफ्ट है ? पिछले चार वित्तीय वर्षों में क्रमशः कितना-कितना ओवर ड्राफ्ट रहा ?

(2) पिछले चार वित्तीय वर्षों में अनुमानित बजट घाटे एवं वास्तविक बजट में कितना फर्क रहा ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य के ओवर ड्राफ्ट को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना मे केन्द्र से मिलने वाली सहायता को राज्य के ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिये रिजर्व बैंक को देने का निर्णय लिया है और इस प्रकार राज्य की विकास योजनाओं के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : राजस्थान पर दिनांक 11-9-81 को 90·37 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था। पिछले चार वित्तीय वर्षों के अन्त में रहे ओवर ड्राफ्ट से संबंधित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

अनेक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें शेम की क्या बात है ?

एक माननीय सदस्य : डूब मरने की बात है।

श्री चन्दनमल बैद : हमको तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : (2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पिछली सरकार पहाड़िया सरकार थी, उस समय ओवर ड्राफ्ट लिया गया था। नयी सरकार, क्या एफीसियेन्सी दिखाने के लिये ओवर ड्राफ्ट कम कर रही है ? एडवांस प्लान असिस्टेन्स का 80 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में जमा कराया, इस कारण विकास काम बन्द हो गये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य की गैर जानकारी है। यह स्टेण्डर्ड तरीका है कि 28-29 जून को सारे प्रदेश का जो ओवर ड्राफ्ट होता है, उसको एडवान्स वेज एण्ड मीन्स देकर या सेन्ट्रल से स्टेट को उनको सैन्ट्रल के टैक्स में हिस्सा मिलता है। 29-30 तारीख के आसपास उसको बराबर कर दिया जाता है। इस तरीके के अनुसार इस साल ही नहीं हर साल ऐसा किया जाता रहा है, चाहे इधर बैठने वाली सरकार हो, या उधर बैठने वाली सरकार हो, चाहे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो या बिहार की हो। इसी तरीके से राजस्थान का भी किया गया। हमको सैंट्रल टैक्सेज में जो हिस्सा मिलने वाला था, वह हमने ओवर ड्राफ्ट क्लियर करने में लगा दिया। अब 29-30 जून के बाद की स्थिति आपको बता रहा हूं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो एडवांस प्लान का पैसा था, उससे ओवर ड्राफ्ट क्यों चुकाया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब पिछले साल 64.76 करोड़ का घाटा था, तो फिर वास्तविक घाटा 155.27 करोड़ का क्यों हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मैंने बता दिया है कि इतना घाटा हुआ। क्यों हुआ यह तो मैं समझता हूं ....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केन्द्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि आप वेज एण्ड मीन्स को मोबिलाइज नहीं कर सकते। राज्य सरकार की अक्षमता के कारण यह घाटा हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा नहीं है। जब प्लानिंग कमीशन में इस बारे में डिस्कशन हुआ, तो प्लानिंग कमीशन के यह निर्देश थे कि साढ़े सात करोड़ के रिसोर्सेज राजस्थान सरकार को करने हैं। उसके अगेन्स्ट में राजस्थान सरकार ने पौने छः करोड़ के रिसोर्सेज करके दिये। यह मैं समझता हूं, पूरे हिन्दुस्तान में रिकार्ड है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपने (क) प्रश्न का उत्तर दिया है कि 1977-78 में 14.79 करोड़ का घाटा था। 1978-79 में 5.66 करोड़ का फायदा था। 1979-80 में 34.10 करोड़ का घाटा और 1980-81 में 155.27 करोड़ का घाटा है, यह कांग्रेस सरकार के आने के बाद हुआ। जनता पार्टी की सरकार के जाने के बाद इन्होंने दिवालिया बना दिया सरकार को।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, हम चार सौ करोड़ का प्लान इस साल पूरा करने वाले हैं। अगर यह प्लान पूरा नहीं करें तो हम भी दो सौ करोड़ का मुनाफा दिखा सकते हैं।

(व्यवधान)

जब कोई विकास के काम ही नहीं किये,

(श्री चन्दनमल बैद)

नये काम ही नहीं किये तो फिर मुनाफा ही मुनाफा है। जब आप काम करेंगे तो घाटा भी देखना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि भूतपूर्व माननीय राज्यपाल, श्री रघुकुल तिलक ने केन्द्र सरकार को यह रिपोर्ट भेजी थी कि राज्य सरकार दिवालिया हो गई है, इस कारण से उसको हटा दिया गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : विकास के नाम पर डेढ़ सौ करोड़ का घाटा हुआ। क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि पिछले एक साल में राजस्थान में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं हुई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री मानसिंह। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

केवल एक प्रश्न। श्री चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या इस प्रकार आप बजट मे आंकड़े बढ़ा कर इस घाटे को 400 करोड़ करना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : हम तो अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना चाहते हैं। हम जितने भी साधन जुटा सकते है, जुटाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम विकास के कामों को और तेज करना चाहते हैं। इस बात को भी देखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, अब प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

जवाई बांध से जोधपुर तक पीने के पानी की पाइप लाइन

36. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जवाई बांध से जोधपुर तक पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य करने जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) :(1) जी हां, राज्य सरकार विश्व बैंक परियोजना के तहत जवाई से साण्डेराव व साण्डेराव से हेमावास तक नहर की ऊंचाई बढ़ाने व मरम्मत का कार्य करने एवं हेमावास से कुड़ी (70 कि.मी.) तक 2000 कि.मी. व्यास की आर. सी. सी. पाइप लाइन (30 इंच) बिछाने का कार्य करने जा रही है। इस कार्य के वर्ष 1981-82 में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस पर 34 करोड़ 64 लाख 22 हजार की लागत आयेगी।

श्री मानसिंह देवड़ा : इसे कार्य रूप में परिणत करने के टेण्डर हो चुके हैं क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जी हां। इस कार्य के लिये आर. सी. सी. पाइप लाइन बिछाने के कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

श्री मानसिंह देवड़ा : यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह बता दिया था, 1981–82 में कार्य शुरू हो जाने की संभावना है और यह पाइप लाइन हेमावास से कुड़ी तक बिछाई जायेगी।

श्री मंहसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो योजना जोधपुर शहर को पानी देने की है और यहां जो पाइप लाइन देना चाहते हैं, इन दोनों में अलग-अलग कौन-सी ज्यादा लाभप्रद योजना है और किस में कितना अर्थ लाभ है ? क्या इस योजना को बन्द करने के लिये भी जनता की ओर से कोई ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था ? यदि हुआ, तो उस पर क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि इस योजना को हाथ में न लिया जाकर राजस्थान कैनाल से पीने के पानी की योजना बनाई जाय। क्योंकि हमने इरिगेशन का कमांण्ड एरिया डवलप किया है, उसमें इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हेमावास में जो पानी का स्टोरेज है, वह कम रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है या नहीं ?

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि रास्ते में जो गांव आए गे ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दिया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं कि राजस्थान में और विशेष कर जोधपुर जिले के अन्दर अकाल की भयंकर स्थिति है। पीने के पानी की समस्या को देख कर इस कार्य को युद्ध स्तर पर करने के लिये कोई योजना बन रही है या नहीं ? यदि समय पर यह काम नहीं हुआ, तो क्या इसकी पूर्ति जल्दी करायेंगे ताकि पी. एच. ई.डी. का रुपया भी इससे बच सके ? क्या इसको अतिशीघ्र पूरा करने के लिये कोई नई योजना बन रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : हेमावास को पाइप लाइन से और जोधपुर को पानी मिलने के लिये जो फेज्ड प्रोग्राम है, वह 1981–82 का है। इसलिये इतने बड़े कार्य को किसी प्रकार से युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया जाना संभव नहीं है। जोधपुर के लिए एक इमर्जेन्सी प्लान तैयार करके पीने के पानी का जो संकट है, वह हल किया जा रहा है। इसलिए जोधपुर में पीने के पानी का जो संकट है, उसकी पूर्ति के लिए जहां तक संभव है, पूरा करने का प्रयास करेंगे।

(19)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पैसा राजस्थान कैनाल पर डाइवर्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि जो काम दस साल में पूरा हो, वह जल्दी हो सके और जल्दी से जल्दी जोधपुर को राजस्थान कैनाल का पानी मिल जाये, क्योंकि बाद में यह पैसा खर्च किया जायगा वह वेस्ट जायेगा। जोधपुर में राजस्थान कैनाल का पानी पांच दस साल में आयेगा और जो पैसा नई पाइप लाइन पर खर्च होगा बाद मे उस पाइप लाइन की कोई उपयोगिता नहीं होगी। मेरा यह निवेदन है कि यह पैसा राजस्थान कैनाल की तरफ डाइवर्ट करके राजस्थान कैनाल को युद्ध स्तर पर पूरा करें। फेमिन का काम है उसका पैसा भी राजस्थान कैनाल पर युद्ध स्तर पर लगावें त कि जोधपुर को पानी मिल सके। जंवाई का जो पानी है, वह वहां के आस-पास के गांवों के लिये रहने दिया जाये। वहां पर भी पानी की कमी हो रही है और पीने का पानी नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि उस पानी को वहां के लिये रिजर्व रखा जाये। जोधपुर को पानी और जगह से दिया जाये ताकि हमको भी कहने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जंवाई के बांध में 1147 एम. सी. एफटी. पानी एकत्रित हुआ है। इसी प्रकार हेमावास में 1434 एम. सी. एफटी. पानी कलेक्ट हुआ है। क्योंकि पानी की कमी है। जोधपुर में जो पीने के पानी की आवश्यकता है और जो उपलब्ध सोर्स है, उसमें भी इतना पानी स्टोरेज नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रश्न के संदर्भ में राज्य सरकार इस पर जल्दी विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया है, दूसरी कोई योजना हाथ में ली गई है। मार्च, 1980 में इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि योजना दोषपूर्ण है। फिर एक वर्ष क्यों खराब किया गया है। इसके लिये दोषी कौन है?

श्री परसराम मदेरणा : 1979 में एक वर्ष ऐसा रहा कि जिस साल जंवाई का पानी 847 एम. सी. एफटी. इकट्ठा हो पाया। इसके बाद में जो पानी कलेक्ट हुआ है, वह दो, तीन हजार एम. सी. एफटी. से ज्यादा नहीं हो पाया है। हमारी जो योजना बनायी गयी थी वह साढ़े चार हजार एम. सी. एफटी. की बनायी गई थी और वर्ल्ड बैंक को यह एश्योरेन्स दिया गया था कि 2500 एम. सी. एफटी. पानी जोधपुर के लिये रिजर्व रखा जायगा। उसी को आधार मान कर यह योजना बनायी गयी थी। यह जो स्थिति पैदा हुई है, यह एक महीने में बरसात की कमी के कारण हुई है। जो योजना बनी है, वह आज के डेटा के आधार पर कम से कम 2500 एम. सी. एफटी. पानी जंवाई में आयेगा। इसी प्रकार कम से कम, 100 एम. सी. एफटी. पानी के आस पास हेमावास में आयेगा। जोधपुर के लिये वहां पर्याप्त पानी नहीं है। यह स्थिति बरसात नहीं होने के कारण हुई है। बदली हुई स्थिति में इस पर दुबारा विचार किया जायेगा।

श्री माधवसिंह दीवान : क्या यह सही है कि पाली और जोधपुर जिले के बीच जो नहर चलती है, उससे कम से कम पचास गांव पीने का पानी लेते हैं ? पानी की पाइप लाइन बिछ जाने के बाद वह पानी लेने से वंचित रह जाएंगे। उन गांवों का क्या हाल होगा ? क्या मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करेंगे ? पाली जिले में भी भयंकर अकाल है। वहां पीने के पानी की भारी समस्या है। ग्रामीण जनता को पेयजल न देकर, शहरी जनता को पानी देने में प्रायोरिटी कैसे तय करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : पानी की जो स्थिति है, हेमावास और जंवाई में जो पानी एकत्रित हुआ है, वह काफी कम है। एक चौथाई पानी ही वहां पर एकत्रित हो पाया है : जोधपुर के लिए वह रखा जा रहा है। दूसरे, जंवाई से लेकर कुड़ी तक जिस पानी की आवश्यकता है, उसके लिये कई स्कीम्स बनी हुई हैं। पानी के जो स्रोत हैं, उनसे पानी लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह। प्रश्न संख्या 37

धर्मार्थ ट्रस्ट्स का रजिस्ट्रेशन

37. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में करोड़ों रुपये मूल्य के धर्मार्थ ट्रस्ट्स का देवस्थान विभाग ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ?

(2) क्या देवस्थान विभाग ने इस प्रकार के बिना रजिस्ट्रेशन कराये हुये, ट्रस्ट्स का तथा उनकी सम्पत्ति का सर्वेक्षण कराया है ?

(3) राज्य के विभिन्न देवस्थान निरीक्षकों द्वारा वार्षिक औसतन कितने धर्मार्थ ट्रस्ट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता रहा है ? क्या देवस्थान विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिये कोई संख्या निरीक्षकों के लिये सालाना तय की है ? तय शुदा संख्या से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, देवस्थान विभाग (श्री घासीराम यादव) : (1) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा 1338 सार्वजनिक प्रन्यासों का पंजीयन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा चुका है।

(2) अपंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यासों का सर्वेक्षण का कार्य जारी है।

(3) देवस्थान विभाग के निरीक्षकों को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास, अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन योग्य राजकीय सार्वजनिक प्रन्यासों का पंजीयन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पंजीयन का कार्य सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा किया जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास के तहत 30 हजार से ऊपर जो प्रोपर्टी है, उसका पंजीयन होना और जांच कराना देवस्थान विभाग का कार्य है ? इस प्रकार के जो पंजीकृत प्रन्यास है....

Page No 16

(१६)

श्री अध्यक्ष : 1959 के तीस हजार रुपये या आज के ?

एक माननीय सदस्य : जैसे कि नियम देवस्थान विभाग के हैं उसके तहत तीस हजार से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है, जिसके तहत ट्रस्ट बनाये गये हैं, उसकी जांच के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही करती है ? कृपया अवगत करावें ।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तीस हजार रुपये की जिनकी सम्पत्ति है, तीस हजार रुपया किराया है, ऐसे संस्थानों की एप्लीकेशन देवस्थान विभाग के पास आती है। उनको रजिस्टर किया जाता है । जो लोग एप्लाई करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है । ऐसी संस्थाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। देवस्थान विभाग के लिये यह संभव नहीं है और यह आसान बात भी नहीं है । इसका गजट नोटिफिकेशन करना होता है। यह कोई तहसील की रजिस्ट्री नहीं है। दो महीने के अन्दर इसका आब्जेक्शन पेश करना होता है। साल में 24 और महीने में दो बार यह काम देवस्थान विभाग कर सकता है। इसलिए ऐसी संस्थाओं की संख्या बहुत बड़ी है और सभी की जांच कर सकना संभव नहीं है । फिर भी माननीय सदस्य बताएं, या किसी ने अप्लाई किया है तो उसको करवा देंगे ।। यह बहुत अधिक संख्या है ।

श्री देवीसिंह भाटी : देवस्थान विभाग ने अपनी प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े देकर यह बताया है कि ऐसी 60,000 के करीब संस्थाएं हैं, जो अपंजीकृत हैं । मेरा प्रश्न करने का मुख्य कारण यह है कि लोग ऐसे ट्रस्ट बना रहे हैं और राज्य सरकार से ट्रस्ट द्वारा अपना निजी फायदा, जमीन उपलब्ध कराने का उठा रहे हैं । इन प्रन्यास को जो छूट दी जाती हैं, वह छूट लेकर फायदा ले रहे हैं । इस प्रकार मेरा यह प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि जो निजी प्रन्यास हैं, उन्होंने काफी प्रापर्टी इस तरह से इकट्ठी कर ली है और यह बता दिया है कि उनके प्रन्यास का रजिस्ट्रेशन राजस्थान स्टेट के बाहर है । क्या इसकी जानकारी विभाग को है ? अगर नहीं है, तो इस बारे में विभाग क्या कर रहा है ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जिस किसी प्रन्यास ने अप्लाई नहीं किया और अगर उसकी माननीय सदस्य को जानकारी है, तो मुझे बतायें, मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। हम उसको नोटिस देकर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया ही नहीं है । माननीय मन्त्री महोदय, माननीय सदस्य की भावना तो समझे नहीं हैं····

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य यही तो कह रहे हैं कि 30 हजार से ऊपर··

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह: वह यह नहीं कह रहे हैं । वह तो यह कह कह रहे हैं कि अगर कोई संस्थान राजस्थान के बाहर रजिस्ट्रेशन करवा ले इसका भी पता नहीं केवल वह यह कहें तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : कौनसा है ? उसका नाम बतायें ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो आपके विभाग का काम है कि पता लगायें । यह आपके विभाग का दायित्व है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि उनकी अनआफिसियल जानकारी के अनुसार, उनके अनुमान के अनुसार 60 हजार से ऊपर ट्रस्ट हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो 60 हजार से ऊपर की जानकारी एक ही प्रश्न में तो आ नहीं सकती है । एक जवाब में उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है । यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा हो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो और वह गड़बड़ी कर रहा हो, तो आप उसका नाम बता दें । उसके संबंध में कार्यवाही कर लेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय मैं एक उदाहरण बीकानेर का देना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : बाद में देना । अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : आश्वासन तो दे देते हैं, पर उसके बाद में जब कार्यवाही करने को लिखते हैं, तो कोई जवाब नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : लिखित रूप में सूचना दे देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते है । इसलिये हमारा यह जवाब यहां पर ही आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 38

श्री गोपाल पचेरवाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल आर्य व श्री दाऊदयाल जोशी ।

कन्दरा सुधार योजना

39. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग पीपल्दा, सुलतानपुर व सांगोद क्षेत्र में अभी कंदरा सुधार कार्य कर रहा है ?

यदि हां, तो सम्पूर्ण योजना कितने की है तथा अभी तक इस पर कुल कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में भूतपूर्व महाराजाओं के वक्त मिट्टी के बंध कटाव रोकने हेतु बांधे गये थे ? क्या ढोवरी (काली सिंध), विनायका में स्कूल के पीछे नोनेरा तथा खरवन के बीच, फतेहपुर, बांगरोद, इटावा तथा गनेशगंज आदि स्थानों पर तालाब टूट गये हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या कन्दरा सुधार कार्यक्रम में इनकी मरम्मत की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बंधों की मरम्मत प्राथमिकता पर कराने के आदेश प्रदान करेगी ?

Page No 18

(18)

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): जी, हां। यह सही है कि वन विभाग पीपल्दा एवं सुल्तानपुरा क्षेत्र में अभी भी कन्दरा स्थिरीकरण योजना के तहत कार्य कर रहा है। सांगोद इस योजना में शामिल नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिए····

श्री बाऊदयाल जोशी : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : पहले इनका गला ठीक करवा दें जिससे कि हम सुन सकें।

श्री हीरालाल आर्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : सुनाई देगा, आप शांत होकर सुनते रहें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

दुबारा बोल दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं दुबारा बोल रहा हूं।

(1) जी हां। यह सही है कि वन विभाग पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में अभी भी कन्दरा स्थिरीकरण योजना के तहत कार्य कर रहा है। सांगोद इस योजना में शामिल नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये का ··.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान है क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान है। सुल्तानपुर एवं पीपल्दा क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत निम्न व्यय हुआ है:—

(अ) पांचवी पंचवर्षीय योजना में किए गए कार्यों पर व्यय—89,55,300 रुपये।

(ब) वर्ष 1979-80 एवं छठी पंचवर्षीय योजना में अगस्त, 1981 तक के लिये कार्यों पर व्यय—64,17,072 रुपये।

(2) यह सही है कि इस क्षेत्र में पूर्व में बंधे बनाए गए थे। इनमें से अधिकांश बंध आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

(3) इनकी मरम्मत का कार्य वर्तमान में क्रियान्वित एवं स्वीकृत कन्दरा सुधार योजना में सम्मिलित नहीं है तथा उनकी मरम्मत अभी सम्भव नहीं है। लेकिन राज्य सरकार उक्त बंधों का सर्वे करवाकर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यदि आवश्यक एवं सम्भव हुआ, तो उनकी मरम्मत कराने की कार्यवाही करेगी।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका है जिसमें कि कंदरा सुधार का काम चल रहा है, सब ओर नदियों से घिरा हुआ है। उसमें जो बन्धे बनाये गये हैं वह टूट गए हैं। अगर उनकी थोड़ी सी मरम्मत कर दी जाय, तो जो खराब हो रहे हैं, वह बच जायेंगे। जो जिक्र कर रहे हैं नये बांध का, उसके बजाय तो जो पुराने बांध हैं और जो टूट गये हैं, उनको प्राथमिकता से ठीक कराने की आज्ञा प्रदान करें, मंत्री महोदय, तो बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि कोई योजना नहीं है, तो तुरन्त योजना बनाकर आज्ञा दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने भाग (3) में निवेदन किया कि उनका सर्वे करवा कर शीघ्रता से जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी। परन्तु इसमें एक प्रश्न जटिल है कि ये बांध राजा-महाराजाओं के जमाने के बने हुए हैं। अतः उनकी जो पाल है वह तो सिवाय चक में है और जो डूब की जमीन है, वह व्यक्तिगत खातेदारी में है। इसलिये भी समस्या आती है। फिर भी जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री दाऊदयाल जोशी। प्रश्नकर्त्ता पहले।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसका सर्वे कब तक हो जायेगा? निश्चित तारीख व समय बतावें। क्या कन्दरा सुधार विभाग का केन्द्रीय कार्यालय राजस्थान भर का पहले कोटा में था? यदि हां तो, क्या अब हटा लिया गया है? यदि हां, तो क्यों हटा लिया गया गया है? ..

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, आप कंदराओं के बारे में पूछ लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या यह सही है कि राजा-महाराजाओं के जमाने में जो बंधों का काम हुआ था, वह आज चालीस साल के बाद भी उसी तरह से है, जब कि पिछले साल कंदरा सुधार विभाग के तत्वावधान में जो कार्य हुए थे, वे समाप्त हो गये हैं?

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): राजा महाराजाओं की तरफदारी कर रहे हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : नैतिक चरित्र की बात कर रहा हूं। आज भ्रष्टाचार की क्या हालत है वह बता रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पहले प्रश्न के संबंध में तो यह कहना है कि जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उस पर तो अभी कोई बात नहीं कहनी है, क्योंकि मेरे पास अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित कर दूंगा।

दूसरा, आपने यह बताया कि राजा-महाराजाओं के जो बांध थे वह तो अभी तक बरकरार हैं और अभी नये बनाये गये हैं वह टूट गये हैं। इसके संबंध में भी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करके ही कह सकता हूं। लेकिन एक जानकारी है मेरे पास कि जो बांध राजा-महाराजाओं के जमाने में बने हुए थे, उनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं। उनका इसी साल सर्वे करा के उनको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। यह सरकार की योजना भी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न! श्री नंदलाल मीणा।

जनजाति उपयोजना में आदिवासियों के उत्थान की नई योजनाएं

40 श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी? आवंटित

Page No 20

(२०)

(श्री मन्दलाल मीणा)

राशि में से कितनी राशि व्यय हुई ? कृपया वर्षवार एवं तहसील वार ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) तहसील वार राशि आवंटन का आधार क्या है ? क्या विभाग ने राशि आवंटन के लिए कोई आधार निश्चित कर रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) उपयोजना क्षेत्र के लिये वर्ष 1980-81 से क्या कोई नयी योजना आदिवासियों के उत्थान के लिए ली है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री चेनराम मीणा) : (1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक का वर्षवार आवंटन एवं व्यय इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1975-76	1209.18	1187.86	98.24
1976-77	1365.56	1344.99	98 49
1977-78	1516.04	1497.18	98.76
1978-79	3486.03	3328.59	95.48
1979-80	4083.41	3645.53	89.28
1980-81	4147.68	3355.43	80.92

विभिन्न योजनाओं का वर्षवार आवंटन एवं व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है [परिशिष्ट-1]।

(2) जनजाति उपयोजना में जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु जनजाति विकास क्षेत्र को राशि आवंटन की जाती है, तहसीलवार नहीं।

(3) हां, वर्ष 1980-81 में जो नई योजनायें आदिवासियों के उत्थान के लिये ली गई हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है [परिशिष्ट-11]।

[सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें]

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में यह बताया है कि वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक इस प्रकार से आवंटन हुआ और इस प्रकार व्यय हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1975-76 से 1980-81 तक 4147.68 की तुलना में 3355.43 व्यय बताया है, मीन्स 75% व्यय हुआ। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? जबकि इससे पूर्व के वर्षों में जनता शासन के समय 90 प्रतिशत तक खर्च हुआ। क्या मैं यह मान लूं कि कांग्रेस की सरकार ने जनजाति क्षेत्र के विकास की ओर से आंखें मूंद रखी हैं?

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में अगस्त माह में उप मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास ने वक्तव्य दिया था कि राजस्थान सरकार आदिवासियों की भावनाओं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास नहीं कर रही है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से वार्ता करना चाहता हूं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम आपकी गिरफ्त में नहीं है, तो आप इस्तीफा दे दें।

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय 1980-81 में 75 प्रतिशत न होकर 80.92 प्रतिशत व्यय हुआ है। इस वर्ष माही योजना प्रगति पर है। 20 करोड़ में से तीन करोड़ कम व्यय हुआ है, इसलिए प्रतिशत कम है। माननीय उप मन्त्रीजी के बारे में जो माननीय सदस्य ने बात कही है, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह बात माननीय सदस्य की बनाई हुई है, मन्त्री महोदय ने कोई ऐसी बात नहीं कही।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय मन्त्री जी ने वर्ष 1980-81 में क्या योजना बनाई? यह सवाल किया उसके उत्तर में बताया कि छात्रों की उपस्थिति के लिए 5 रु० मासिक दिया जाता है। यह इनकी योजना है। मैं पूछना चाहता हूं 1980-81 में इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हुए? यह कोई योजना नहीं है, केवल सरकार का आदेश है। 1980-81 में, जनता सरकार के जाने के पश्चात् आदिवासियों के विकास के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, क्या यह सही है? यदि सही नहीं है तो यह बतावें कि क्या योजना बनाई गई?

श्री चेतराम मीणा : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो सूची सदन के पटल पर रखी गई है, शायद उन्होंने उसको पढ़ने का कष्ट नहीं किया। मैं सर्व प्रथम यह निवेदन करूंगा, आपने 5 रुपये माहवार प्रोत्साहन राशि के बारे में कहा था। यह उन छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि है जिनकी उपस्थिति 60 प्रतिशत से अधिक है और पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ती हैं।

[व्यवधान]

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर आदिवासियों की भयंकर समस्या है, बन्धुआ मजदूरों की भयंकर समस्या है। आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। आप 5 पर्सेन्ट रुपये देकर उनसे छूटना चाहते हैं–

[व्यवधान]

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, पांच रुपये के हिसाब से–

[व्यवधान]

Page No 22

(22)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या यह सही है कि कांग्रेस [आई] के ...

(व्यवधान)

बन्धुआ मजदूर पकड़े गये, आदिवासियों को पकड़ा गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें ।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकार एवं सुविधायें

38. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को कब मनोनीत किया गया और मनोनीत अध्यक्ष ने अपना कार्य भार कब संभाला ?

(2) बैंक के अध्यक्ष को क्या क्या अधिकार एव सुविधाएं उपलब्ध हैं ? क्या अध्यक्ष ने इन अधिकारों एवं सुविधाओं का उपयोग किया है ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

उत्तर

(1) बून्दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री कल्याण मल चन्देल को आज्ञा संख्या प. 4 (5) सह/ 81, दिनांक 17 जून, 81 के द्वारा मनोनीत किया गया था । श्री कल्याणमल चन्देल ने इस पद का कार्यभार दिनांक 22-6-81 को संभाला ।

(2) अध्यक्ष को बैंक का कारोबार बैंक की निर्धारित रीति के अनुसार सुचारू रूप से चलाने का अधिकार है । आवश्यकता के समय उसे संचालक मण्डल के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं । वह बैंक की समस्त सभाओं का सभापतित्व करते हैं । अध्यक्ष को बैंक के कार्यों के सम्पादन के लिये कोई विशिष्ट सुविधायें प्रदान नही की गई हैं परन्तु सामान्य प्रचलन के अनुसार वह आवश्यकतावश टेलीफोन, वाहन आदि की सुविधायें ले सकते हैं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोजपुर (अलवर) में भवन निर्माण हेतु छात्रों से अंशदान लिया जाना

11. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोजपुर (अलवर) में भवन निर्माण हेतु छात्रों से प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र से दान के रूप में धन लिया जाता है ?

(2) क्या निर्माण कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दान स्वरूप एकत्रित की जाने वाली रकम की रसीद जारी की गई है ?

(3) गत दस वर्षों में उक्त कमेटी द्वारा कितनी रकम वसूल की गई एवं कितनी खर्च की गई ? कृपया वर्षवार आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) निर्माण समिति माध्यमिक विद्यालय, भोजपुर छात्रों के अभिभावकों से अवश्य धनराशि एकत्र करती है। जिसकी रसीद पर समिति के कोषाध्यक्ष एवं मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं।

(3) दस वर्षों में 1975-76 तथा 76-77 तक का अभिलेख (हिसाब) जो निर्माण समिति ने उस विद्यालय को सम्भलवाया है वह शाला में मौजूद है और शेष धनराशि इस निर्माण समिति ने रु. 169-04 दिनांक 2-7-78 को तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री गणेश नारायण शर्मा को विधिवत सम्भलवा दी है जो विद्यालय कोष के विकास फण्ड में जमा है। उसके पश्चात् सत्र 1977-78, 78-79, 79-80 तथा 80-81 में कोई धनराशि किसी भी अभिभावक से उपलब्ध नहीं हुई है। 1975-76 से पूर्व का कोई अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध नहीं है।

वर्षानुसार आय–व्यय का विवरण

सत्र	आय	व्यय	शेष
1975-76	2508-00	2427-60	80-40
1976-77	1981-50	1892-86	88-64
	4489-50	4320-46	169-04

(विशेष :—शेष धनराशि विद्यालय कोष के विकास फण्ड में जमा करा दी गई)

1981-82	2780-50	17-50	2763-00
बैंक में		बैंक में	2000-00
कोषाध्यक्ष के पास नकद		नकद	763-00

श्री कल्याण कालेज सीकर में कमरों की कमी

12. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण कॉलेज, सीकर में छात्रों की संख्या को देखते हुये कमरों की बहुत कमी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तीन पारियों में कक्षायें लगाने के बावजूद भी कमरों की कमी रहती है ? यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्तमान में छठी पंचवर्षीय योजना के पथ प्रदर्शन सिद्धान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से प्राप्त हो चुके हैं। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर अनुदान आयोग से कमरों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे।

Page No 24

(24)

राज्य में खोले गए स्कूल व कॉलेजेज

13. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में सन् 1978-79 तथा 1979-80 एवं 1980-81 में कितने स्कूल, कॉलेज खोले गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

राज्य में सन् 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में खोले गये स्कूलों की जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखदी गयी है। उक्त अवधि में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कॉलेज नहीं खोला गया ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

समय सारिणी एवं समयानुसार बसें चलाना

14. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा तथा बारां से खातौली, गैतां, पीपल्दा गुढ़ला तथा लुहांवद के लिए किस किस समय बसें चलती हैं ? कृपया समय सारिणी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जुलाई, 1980 से जून, 1981 तक समयानुसार कितनी बसें नहीं चलीं तथा समय पर बसें नहीं चलने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा बसें समय सारिणी के अनुसार चलें इस हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध करादी गई है। कोटा-सुल्तानपुर-इटावा खातौली राष्ट्रीयकृत मार्ग पर इटावा से पीपल्दा, इटावा से गैंता, खातोली से गुडला व गणेशगंज से लुहावद मार्ग पर राष्ट्रीयकृत मार्ग के भाग नहीं हैं।

(2) जुलाई, 80 से जून, 81 तक उक्त मार्गों पर समयानुसार नहीं चली वाहनों से संबंधित सूचना संलग्न परिशिष्ट में उपलब्ध करा दी गई है। इन सेवाओं के समय पर नहीं चलने के प्रमुख कारण—

1. यांत्रिक दोष
2. स्पेयर पार्ट्स की कमी
3. वर्षाकाल में मार्ग अवरुद्ध हो जाना आदि रहे हैं।

वाहनें समय सारिणी के अनुसार चलें इसके लिए कोटा स्थित स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार हैं लेकिन इन वाहनों के समय पर नहीं चलने के अपरिहार्य कारण रहे हैं। इन अधिकारियों को समय पर वाहनों के संचालन हेतु पुनः निर्दिष्ट कर दिया गया है।

निगम का बारां में भी एक आगार स्थापित करने की योजना है जिसके क्रियान्वित हो जाने पर इन सेवाओं के समय पर संचालन में नियमितता लाना संभव हो सकेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

झालावाड़ जिले में पथ परिवहन निगम का डिपो खोलना

15. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं ?

(2) क्या यात्रियों की संख्या व कठिनाई को देखते हुए भवानी मंडी में राज्य सरकार राज्य पथ परिवहन निगम का सब–डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में राज्य परिवहन निगम की निम्न बसें संचालित की जा रही हैं:—

क्र.सं.	नाम आगार	वाहन	संचालित की जा रही एकल सेवायें
1.	झालावाड़	50	152
2.	निगम के अन्य आगार	16	29
	कुल	66	181

(2) जी नहीं। भवानी मंडी से केवल दो सेवाएं ही प्रारम्भ होती है तथा 16 एकल सेवायें भवानी मंडी होकर संचालित किये जाने हेतु निर्धारित हैं जिनका नियंत्रण झालावाड़ आगार से होता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी भी स्थान पर आगार खोलने के लिये 15 से अधिक सेवायें आरम्भ होना आवश्यक है। भवानी मंडी से अन्य मार्गों पर सेवायें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है अतः वहां पर सब-डिपो खोलना अनार्थिक है।

अणु बिजली घर की इकाइयों के बंद होने की जांच

16. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अणु बिजलीघर की दोनों इकाइयां 9 अप्रेल, 1980 से 31 अगस्त, 1981 तक कितने दिन बंद रहीं ?

(2) इनके बंद रहने से कितनी यूनिट बिजली की सप्लाई कम रही ?

(3) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करके विशेष तकनीकी समिति से इसके बार बार बन्द होने की जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) अणु बिजलीघर की प्रथम एवं दूसरी इकाई 9 अप्रेल, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक की अवधि में क्रमशः 66-1/2 दिन एवं 37-1/2 दिन बन्द रही।

(2) इनके बन्द रहने से 114.52 एम.यू. (मिलियन यूनिट) की कमी रही।

(3) प्रस्तावित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन सन्तोषजनक रहने से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

टोंक जिले में चरागाह की भूमि से अतिक्रमण को हटाना

17. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में चरागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु राज्य सरकार क्या प्रभावी कदम उठाना चाहती है या क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि 569 व्यक्तियों ने चरागाह पर अतिक्रमण किया है।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही तहसील स्तर से जारी है।

ग्राम पंचायतों से आबादी हेतु निःशुल्क जमीन अलॉट करना

18. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों से आबादी हेतु आवंटित की जाने वाली जमीन के पैसे लिए जाते हैं जिससे कई गरीब ग्राम पंचायतें आबादी हेतु जमीन अलॉट कराने से महरूम रह जाती है, जिससे गांवों में आबादी विस्तार की समस्या बनी हुई है ?

(2) क्या सरकार गांवों की इस समस्या को दूर करने हेतु ग्राम पंचायतों को आबादी हेतु निःशुल्क जमीन अलॉट करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों को जब आबादी के विस्तार के लिए राजकीय भूमि उपलब्ध की जाती है तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6(42) राज/बी/58/ग्रुप-1 दिनांक 20-4-1961 के अनुसार ऐसी भूमियों के लिए जिनका लगान तय है, भू-राजस्व की राशि की बीस गुना राशि पूंजीकृत मूल्य के रूप में ली जाती है। जिन भूमियों का भू-राजस्व तय न हो उनके लिए आसपड़ोस की बारानी भूमि के लिए स्वीकृत न्यूनतम लगान की बीस गुना राशि पूंजीकृत राशि के रूप में ली जाती है। यह राशि इतनी कम है कि इसके कारण आबादी विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती।

(2) उपरोक्त को देखते हुए निःशुल्क आवंटन का कोई औचित्य नहीं है।

शहरों के पास कृषि भूमि का छोटे प्लाटों में विक्रय एवं रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबन्ध

19. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शहरों के पास कृषि भूमि का छोटे प्लाटों में विक्रय एवं रजिस्ट्रेशन पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब से लागू है एवं इससे कितनी स्टाम्प ड्यूटी की हानि हो रही है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या राज्य सरकार शहरों के आस-पास 2 किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रतिबन्ध को उठाने का विचार कर रही है ताकि किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके एवं स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान नहीं हो ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रतिबन्ध से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(क) में एक खसरा नम्बर के विखण्डन के बाबत रोक है परन्तु यह व्यवस्था है कि अकृषि प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की आज्ञा से ऐसे प्रतिबन्ध से विखण्डन को छूट दे सकता है। छूट का यह प्रावधान दिनांक 12-7-78 से लागू था, जब अध्यादेश जारी करके यह व्यवस्था की गई थी। अब दिनांक 4-9-81 को एक अध्यादेश जारी करके छूट देने के इस प्रावधान को पूर्वगामी प्रभाव से लागू कर दिया गया है। फलतः यदि किसी खसरा नम्बर का बेचान छोटे टुकड़ों में गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जावे तो उसके लिए राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति जरूरी है। इसके बिना किया गया ऐसा बेचान, जिसमें विखण्डन हुआ हो, गैर कानूनी है।

वित्त विभाग ने अधिसूचना संख्या एफ 1 (21) एफ डी/ग्रुप–4/80 दिनांक 27-12-80 जारी करके यह व्यवस्था कर दी है कि यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत हस्तान्तरण करने का कोई दस्तावेज पेश हो तो उसे पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। प्रकट है कि पंजीकरण पर यह रोक 27-12-80 से लागू है।

प्रतिबन्ध के कारण स्टाम्प ड्यूटी की हानि का प्रश्न इस सीमा तक उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि सद्भावी हस्तान्तरणों के मामलों में राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधीशगण छूट की स्वीकृति दे सकते हैं।

(2) इस प्रतिबन्ध को हटाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। प्रतिबन्ध को हटाने से किसानों का कोई हित नहीं होगा।

(3) जी नहीं।

पीपल्दा तहसील की नोनेरा लिफ्ट सिंचाई नहर को आगे बढ़ाना

20. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील की नोनेरा पंचायत को सिंचित करने हेतु नोनेरा लिफ्ट सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसे अधूरा छोड़ देने से खेड़ली, खरवन तथा रनोदिया की तरफ के खेतों में सिंचाई नहीं हो रही है जबकि इन खेतों में नहर को आगे बढ़ाने से फ्लो द्वारा ही सिंचाई हो सकती है।

(3) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए उक्त नहर को आगे बढ़ाने के आदेश प्रदान करेगी।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना का निर्माण पूर्ण कर लिया गया हैं। खेड़ली, खरवन तथा रनोदिया की तरफ के खेत इसके कमाण्ड क्षेत्र में नहीं आते हैं। नहर आगे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

(3) आगे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

खुर्रमपुर कैनाल का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु

21. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि, नदबई तहसील में खुर्रमपुर कैनाल का एस्टीमेट सम्बन्धित अधिकारियों को पेश किया जा चुका है ? यदि हां, तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कार्य के जल्दी पूरा हो जाने से बाढ़ नियंत्रण में सुविधा होगी ? यदि हां, तो कार्य युद्ध स्तर पर क्यों नहीं चलाया जा रहा है ? क्या भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाकर गरीबों को राहत दिये जाने की दिशा में पहल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

योजना के आंकलन की जांच की जा रही है। योजना तकनीकी एवं व्यावहारिक दृष्टि से लाभप्रद पाई जाने एवं आवश्यक राशि उपलब्ध होने पर निर्माण प्रारम्भ कराने का निर्णय लिया जावेगा।

(2) जी हां।

यह सही है कि इस योजना से बाढ़ नियंत्रण में सुविधा होगी। कार्य आरम्भ योजना की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर ही सम्भव होगा।

टोंक जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित मीटर एवं मोटर स्टार्टर

22. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) टोंक जिले में अतिवृष्टि के कारण कितने मीटर, मोटर्स व स्टार्टर खराब हुए ? इनमें से विभाग ने सरकारी खर्च पर कितने बदल दिये व कितने बदलने शेष हैं ? शेष को कब तक बदल दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ लोगों से पैसा चार्ज कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिन लोगों के मीटर, मोटर्स व स्टार्टर आदि खराब हुए हैं, कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण 502 इलेक्ट्रिक मीटर व 45 पम्प सैट (मोटर स्टार्टर) क्षतिग्रस्त हुए। विद्युत विभाग ने राजकीय खर्चे पर अब तक 266 मीटर बदले हैं। विद्युत विभाग

(राहत मंत्री)

द्वारा पम्प सेट (मोटर स्टार्टर) नहीं बदले गये। शेष 206 मीटर विद्युत विभाग द्वारा बदलने की कार्यवाही जारी है।

(2) हां। विद्युत विभाग द्वारा 12 व्यक्तियों से मीटर मूल्य प्राप्त किया गया है परन्तु राज्यादेश दिनांक 1.8 के उपरान्त अब वसूल नहीं किये जा रहे हैं। जिन 12 व्यक्तियों से मूल्य वसूल किया गया है, उसका समायोजन सितम्बर के विद्युत बिल में कर लिया जावेगा। परिशिष्ट-1

(3) 441 व्यक्तियों की सूची जिनके मीटर क्षतिग्रस्त हुए परिशिष्ट-2 में है। शेष 62 व्यक्तियों की सूची, जो अधिशासी अभियन्ता, राज. राज्य विद्युत मण्डल टोंक द्वारा तैयार की जा रही है, पृथक से प्रेषित की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला बूंदी में अकाल राहत कार्य

23. श्री गोपाल पचेरवाला (पाटन) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला बूंदी में अकाल राहत के दौरान 1979-80 एवं 1980-81 में कितने कार्य प्रारम्भ किये गये थे ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूरे किये गये तथा प्रत्येक कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई ? कितने कार्य अधूरे हैं तथा इन अधूरे कार्यों को पूरा कराने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 (सं. 2036) की अभाव स्थिति में 82 राहत कार्य एवं वर्ष 1980-81 में 305 राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे। जिनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सं. 2036 में केवल 0 राहत कार्य पूर्ण किये गये, सम्वत् 2037 में केवल 120 कार्य पूर्ण किये गये। पूरे किये गये कार्यों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न सूची में प्रेषित है। जिन पूर्ण कार्यों का कुल व्यय अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त नहीं हो पाया है उनसे प्राप्त किया जा रहा है। सरकार की नीति हमेशा अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की रही है। आवश्यकतानुसार भविष्य में अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करा दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

लाखेरी जिला बूंदी में पेयजल व्यवस्था हेतु

25. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी जिला बूंदी के उप क्षेत्र गरमपुरा नयापुरा में आवास कर रहे हरिजन, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लोगों को पेयजल की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या पेयजल की समस्या समाधान हेतु विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना तैयार की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(3) क्या यह सही है कि लाखेरी उप नगर के क्षेत्र की बस्तियों को पेयजल व्यवस्था हेतु 1.60 लाख रुपये की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत गत वर्ष में लाखेरी के उप क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुछ राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि और अब तक वह राशि खर्च की गई या नहीं ? यदि खर्च की गई है, तो किस किस मद में ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां, लाखेरी कस्बे व इसके उप नगरों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग ने पुनर्गठित योजना वर्ष 1980-81 में बनाई है।

(3) लाखेरी के उप नगरों हेतु पूर्व में 1.60 लाख रुपये की योजना विचाराधीन थी परन्तु अब लाखेरी कस्बे एवं इसके उप नगरों हेतु 36.61 लाख रु० की पुनर्गठित योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-12-80 को स्वीकृत कर दी गई है ?

(4) वर्ष 1980-81 में पुनर्गठित योजना पर राज्य सरकार के हिस्से से 12.00 लाख रु० का आवंटन किया गया था। यह राशि गत वित्तीय वर्ष में योजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक सामान खरीदने में व्यय की गई थी। वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार के हिस्से से योजना पर 0.60 लाख रु० की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 24.00 लाख रु० की धनराशि जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने की है जिसके लिए ऋण आवेदन-पत्र दिया जा चुका है।

बीकानेर डेयरी के स्टाफ से सेवा नियम

26. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

बीकानेर डेयरी कर्मचारियों को छुट्टियां व वेतन किन नियमों के तहत दिया जाता है। आज तक इस संस्था के सेवा नियम व प्रमोशन पैनल यूनियन की सहमति से क्यों नहीं बनाये गये ?

उत्तर

बीकानेर डेयरी में कर्मचारियों को छुट्टियां इन्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टेण्डिग आर्डर) एक्ट, 1946 के तहत माडल स्टेण्डिग आदेशों के अनुसार व वेतन राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल द्वारा समय समय पर लिए गये निर्णय अनुसार दिये जाते हैं।

इस संस्था के सेवा नियम व प्रमोशन पैनल बना दिये गये हैं जो श्रम विभाग को नियमानुसार प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किये गए व श्रम विभाग द्वारा कर्मचारी यूनियन से एतराज मांगे गये हैं।

कृषि पर्यवेक्षकों की सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति

27. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग): एवं **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)
(श्री अनंगकुमार जैन)

(1) राज्य में कृषि विभाग में कितने कृषि पर्यवेक्षक हैं। कृषि पर्यवेक्षकों का सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु कितना प्रतिशत कोटा निश्चित किया हुआ है।

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली लागू है। यदि हां, तो रोस्टर प्रणाली के अनुसार कितने कर्मचारी पदोन्नत होने चाहिए। यदि तदनुसार नहीं हैं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षकों की कुल संख्या 4180 है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-4-77 से कृषि पर्यवेक्षक से स. कृ. अ. के पद पर पदोन्नति का कोटा 12.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(2) हां, लागू है। वर्ष 1977 से कृषि पर्यवेक्षकों की सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर 12.5 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा निर्धारित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 1977-78 से वर्ष 80-81 तक जो पद स. कृ. अ. रिक्त थे, उनके विरुद्ध रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के 3 एवं अनुसूचित जन जाति के दो पद वर्ष 80-81 तक भरे जाने थे तथा इसके अनुसार पदोन्नतियां दे दी गई हैं।

उरमूल डेयरी बीकानेर के रजिस्टरों में हेराफेरी

28. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उरमूल डेयरी बीकानेर द्वारा वर्ष 1977-78 में कुल कितना घी बनाया गया कुल कितना बेचा गया ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1978 में बहुत ही खराब किस्म का घी जनता को बेचा गया था ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1977-78 का घी टेस्टिंग का मूल रजिस्टर नष्ट कर दिया गया और उसके इन्द्राज में हेरा-फेरी करके नया रजिस्टर बनाया गया था ? यदि नहीं, तो कृपया मूल रजिस्टर की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) इन्द्राज में हेराफेरी के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ? और उसके विरुद्ध, क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा वर्ष 1977-78 में कुल 20.73 टन घी बनाया गया। कुल 27.0 टन घी बेचा गया। क्योंकि 10.4 टन घी वर्ष के शुरू में स्टाक में था।

(2) जी नहीं। केवल 1200 किलो निम्न स्तर का घी गो सेवा संघ को साबुन बनाने हेतु वर्ष 1978 में बेचा गया था।

(3) जी नहीं, । मूल रजिस्टर की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(मूल रजिस्टर प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम में भंडार प्रभारी के पद

29. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम में भंडार प्रभारी के पद पर तकनीकी सहायकों को वरिष्ठता के आधार पर ही लगाया जाता है ? अभी कितने वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं एवं कितने कनिष्ठ तकनीकी सहायक भंडार प्रभारी के पद पर कार्य कर रहे हैं ? ऐसा क्यों है ? क्या वरिष्ठता के आधार पर अधिक भंडारण क्षमता के गोदाम पर वरिष्ठ सहायकों को पदस्थापित किया जाना चाहिये? सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की एवं अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) भंडार व्यवस्था निगम के गोदामों में किसानों का कितना प्रतिशत माल जमा है ? इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) खेजड़ला में जो माल निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण खराब हुआ उस बारे में सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की तथा इससे निगम को कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) साधारण तया भण्डार प्रभारी के पद पर वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को ही नियुक्त किया जाता है। किन्तु जिन तकनीकी सहायकों का सेवा अभिलेख सन्तोषप्रद नहीं होता है अथवा जो निजी परिस्थितियों के फलस्वरूप भण्डार प्रभारी के पद पर स्थानान्तरण पर जाना नहीं चाहते हैं उन्हें भण्डार प्रभारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड रखने के लिए 35/– रुपये प्रतिमाह तथा साइकिल रखने के लिए 15/- रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता दिया जाता है, जो काफी है। वाहन भत्ते में वृद्धि सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) निगम के गोदामों में दिनांक 31–7–81 को कुल 167346 मैट्रिक टन माल जमा था जिसमें 2346 मैट्रिक टन अर्थात 1.4 प्रतिशत माल किसानों का जमा है। किसानों के अंश को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम द्वारा पहले ही संग्रहण शुल्क में 10% की रियायत दी जाती है तथा अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए 20% की रियायत दी जाती है। इस और छूट देना सम्भव नहीं नहीं है।

(4) निगम को खेजड़ला केन्द्र पर खराब हुये माल के फलस्वरूप 3,75,116.04 रुपये की हानि हुई है। इस हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र दे दिये गये हैं तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है।

रावतभाटा रेंज में घोटाले

31. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रावतभाटा रेंज में रेन्जर, श्री हरिसिंह द्वारा 1976–77 में करीब 5 लाख रुपये का कार्य कर-

Page No 33

(33)

(श्री हीरालाल आर्य)

बाया गया जिसमें करीब 2 लाख रुपये गबन एवं घोटाले किये जाने की रिपोर्ट 27-3-77 को विभिन्न अधिकारियों की की गयी थी जिसके आधार पर श्रीमान् डीवाई.एस.पी. भ्रष्टाचार निरोधक चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 27-4-77 को परियोजना कार्यालय कोटा से मुख्य रिकार्ड जब्त किया था तथा इसकी इत्तवायरी की थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त जांच का क्या परिणाम निकला तथा किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1976-77 में रावतभाटा रेंज में रेंजर श्री हरिसिंह द्वारा लगभग 5 लाख रुपये के कार्य करवाये गए थे। उक्त कार्यों में श्री हरिसिंह, रेंजर, रावतभाटा द्वारा 2 लाख रुपये का गबन एवं घोटाला आदि करने का श्री बलभद्रसिंह द्वारा प्रेषित एक परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दिनांक 11-4-77 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उप अधीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच से संबंधित रिकार्ड आदि प्राप्त कर जांच की गई थी।

(2) उपरोक्त जांच के अन्तर्गत परिवाद में अंकित आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर (आरोप की पुष्टि में साक्ष्य उपलब्ध न होने); इस संबंध में पंजीबद्ध की गई प्राथमिक जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा नस्तीबद्ध कर दी गई है।

जयपुर में बाढ़ के समय दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भाव बढ़ जाना

32. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : श्री बाऊदयाल जोशी (दौगोद): क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों बाढ़ के वक्त जयपुर शहर में दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों के भाव बढ़ गये थे ?

(2) यदि हां, तो इन दिनों कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये तथा किस कारण से ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बाढ़ के वक्त जयपुर शहर में गेहूं व आटे में 10 से 15 रुपये प्रति क्विन्टल भाव बढ़ गये थे। अन्य दैनिक वस्तुओं के भावों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(2) इन दिनों जयपुर में किसी भी व्यापारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

बून्दी नगर में हरिजन मन्दिर का जीर्णोद्धार

33. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगर में हरिजन मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु जनता सरकार द्वारा कुछ राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(2) उक्त राशि मंदिर पर खर्च की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बून्दी नगर में राजकीय हरिजन मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 1979-80 में 5,000.00 रु. की राशि स्वीकृत की गई थी।

Page No 34

(34)

(देवस्थान मंत्री)

(2) यह राशि देवस्थान विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी में वर्ष 1979-80 में ही जमा करा दी गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी द्वारा अभी तक मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अजमेर जेल में कैदियों को दिया जाने वाला दलिया

34. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) **एवं श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जेल में पिछले दिनों जेलियों को दिया जाने वाला दलिया वहां के कर्मचारियों द्वारा बाजार में बेच दिया गया, जिसकी शिकायत की गई थी ?

(2) यदि हां, तो इसमें कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह अजमेर में बन्दियों को दलिया नहीं दिया जाता है। समाज कल्याण द्वारा मिलने वाले कच्चे दलिये को पका कर उन्हीं को दिया जाता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना

35. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर विधान सभा क्षेत्र के बेरी, तारपुरा सिहासन, को स्पीडा गुंगारा आदि ग्रामों को क्रमशः कब तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जावेगा ?

(2) इन ग्रामों में किन किन योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण पर कितनी कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ?

(3) उपरोक्त ग्रामों की सड़कों की सम्मिलित लम्बाई कितने किलोमीटर होगी?

उत्तर

(1) सीकर विधान सभा क्षेत्र के बेरी व तारापुरा ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही किसी योजना में राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। सिहासन ग्राम को अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क द्वारा अगस्त, 1981 में जोड़ा जा चुका है। कोलिड़ा व गुंगारा ग्रामों को सड़कें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हैं व धन उपलब्धि पर भी कार्य की समाप्ति संभव है।

(2) इन ग्रामों को सड़क से जोड़ने के लिये उपरोक्त सम्पर्क सड़कों के अलावा कोई सम्पर्क सड़क की न तो स्वीकृति है और न ही कार्य चल रहा है। सिहासन ग्राम को जोड़ने वाली ग्रेवल सड़क पर 85095/- रु. अकाल राहत के अन्तर्गत व्यय किये गये हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोलिड़ा सम्पर्क सड़क पर 7.00 लाख व गुंगारा सम्पर्क सड़क पर 5.00 लाख रु. का प्रावधान है।

(3) उपरोक्त ग्रामों की सड़कों की सम्मिलित लम्बाई 10 कि. मी. होगी।

Page No 35

(35)

बीड़ी के कारखाने

36. **श्री. कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीड़ी के कारखाने के मालिकों को राजस्थान एण्ड सिगार वर्क्स कन्डीशन आफ एम्प्लायमेंट रूल्स के तहत फार्म नं. 12 में वार्षिक विवरण देना होता है। यदि हां, तो अजमेर नगर के बीड़ी के कारखानों के मालिकों ने वर्ष 1980 की एनुअल रिटर्न कब-कब प्रेषित की है? कृपया प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कन्डीशन आफ एम्प्लायमेन्ट) रूल्स के तहत फार्म नं. 12 में वार्षिक विवरण देना होता है। अजमेर नगर के निम्न कारखानों के मालिकों से प्राप्त एनुअल रिटर्न की प्रतियां संलग्न हैं:–

प्रतिष्ठान का नाम	रिटर्न प्राप्त होने की तिथि
1–रामसिंह शंकरसिंह	अप्रेल 1980
2–ठाकुमल रेवाचन्द	अप्रेल, 1980
3–जनता बीड़ी फैक्ट्री	अप्रेल, 1980
4–खण्डेलवाल ब्रदर्स	अप्रेल, 1980
5–प्रेमचन्द इन्दरसिंह	अप्रेल, 1980
6–त्रिलोकचन्द हंसराज	अप्रेल, 1980

शेष आठ संस्थानों ने वार्षिक प्रतिवेदन 1980 का प्रस्तुत नहीं किया है।

(रिटर्न की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बीड़ी के कारखानों की होम वर्क्स लॉग बुक

37. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स कन्डीशन ऑफ एम्प्लायमेंट रूल्स के तहत प्रत्येक कारखाने के मालिक को होम वर्कर्स के रूप में काम करने वाले मजदूर को दो-दो लॉग बुक्स देने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या अजमेर नगर के बीड़ी के कारखाने के मालिकों ने अपने होम वर्कर्स को यह लॉग बुकें दे रखी हैं। यदि हां, तो कृपया प्रत्येक कारखाने के होम वर्कर्स की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीड़ी के कारखाने के मालिकों से फार्म नं. 15 के तहत होम वर्कर्स एम्प्लायमेंट रजिस्टर रखना पड़ता है? यदि हां, तो कृपया फार्म नं 15 की प्रत्येक कारखाने की अगस्त, 1981 माह की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स कन्डीशन आफ एम्प्लायमेन्ट रूल्स के तहत प्रत्येक कारखाने के मालिक को कारखाने में काम करने वाले होम वर्कर्स को दो-दो लॉग बुक देने का प्रावधान है। अजमेर नगर के बीड़ी के निर्माताओं ने होम-वर्कर्स को लॉग बुक दे रखी है। प्रत्येक दिन होम वर्कर्स की संख्या व व्यक्ति भिन्न-भिन्न होते हैं, जिसकी सूची नियोजक के पास होती है, इसलिए इसकी सूची इस विभाग द्वारा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

उत्तर

(2) यह सही है कि बीड़ी के कारखाने के मालिकों को फार्म नं. 15 के तहत होम वर्कर्स एम्प्लायमेंट रजिस्टर रखना पड़ता है। अजमेर नगर के समस्त बीड़ी निर्माताओं द्वारा इसकी पालना की जा रही है।

फार्म नं. 15 की प्रतिलिपि इस विभाग में नहीं रखी जाती है यह रजिस्टर नियोजक द्वारा ही रखा जाता है। अतः प्रतियां प्रेषित करना संभव नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्र को आहूत करने का संवैधानिक अधिकार

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): पाइन्ट आफ आर्डर

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर): पाइंट आफ आर्डर

(व्यवधान)

देवीसिंह भाटी (कोलायत): पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह: अण्डर रूल 294 ..

श्री अध्यक्ष: सुनाई नहीं दे रहा है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह: 'A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House...'

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुझे महामहिम राज्यपाल की ओर से 31 अगस्त को इस सचिवालय से भेजा हुआ एक आह्वान पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें नये राज्यपाल के हस्ताक्षर कल्याण दत्त शर्मा लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 174(1) के अंतर्गत केवल राज्यपाल महोदय ही विधान सभा के सत्र का आह्वान कर सकते हैं। आर्टिकल 174 (1): "The Governor shall from time to time summon the House..." Only the Governor, "The Governor shall...."

गवर्नर के अलावा दूसरा व्यक्ति आह्वान नहीं कर सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो हाउस को सम्मन किया गया और हमें जो पत्र मिला, इसमें राज्यपाल महोदय के स्थान पर कल्याणदत्त शर्मा लिखा हुआ है —

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह: Now, Sir, it is the duty of the Speaker to see whether summon has been issued by the competent authority or not.

काम्पीटेन्ट अथारिटी केवल राज्यपाल महोदय हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के स्थान पर कल्याणदत्त शर्मा लिखा हुआ है, जो कि राज्यपाल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि कल्याणदत्त शर्मा इस समय राजस्थान के राज्यपाल नहीं हैं। 28 अगस्त का राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आपको

Page No 37

(37)

(श्री नाथूसिंह)

पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रिट पिटीशन सूर्यनारायण चौधरी वर्सेज स्टेट ग्राफ राजस्थान एन्ड ग्रदर्स'। पेज 28 की ग्राठवीं लाइन में लिखा है--

'a person asked to discharge the functions of the Governor of a State under Article 160 need not possess the qualifications mentioned in Article 158 of the Constitution, because he is not termed as Governor."

इन्होंने इस फैसले में स्पष्ट कहा कि गवर्नर नहीं है।

[व्यवधान]

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : Let him complete.

श्री नाथूसिंह : "A person discharging the functions of the Governor "These are two terms. The High Court has specified in this particular instance that there is difference between the Governor and a person who is discharging the duties of Governor.

यह उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने ग्रागे लिखा है -- "The oath prescribed for the Governor and for a person. ."

ग्रागे पढ़ रहा हूं" discharging the functions of the Governor is different. उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ग्रागे वह लिखते हैं--

'Thus the functionary discharging the functions provided under Article 160 of the Constitution cannot be termed to be a Governor within the meaning of Article155 of the Constitution."

ग्रध्यक्ष महोदय, गवर्नर का ग्रपाइन्टमेंट केवल ग्राटिकल 155 के तहत हो सकता है। Article 155 of the Constitution says ......

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Let him complete.

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : Whether this is a point of order or not ?

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन केवल इतना ही था "The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal."

ग्राटिकल 155 के तहत प्रेसीडेन्ट किसी स्टेट के गवर्नर को ग्रपाइन्ट कर सकता है।

श्री कनकराज मेहता : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है। ग्रापका समय बचाने के लिये कह रहा था कि यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहले वह अपनी बात कह दें। वह क्या कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य, आपस मे न बोलें।

श्री कनकराज मेहता : यह पाइन्ट आफ आर्डर ही नहीं बनता ....

श्री माधोसिंह : अगर आर्टिकल 155 या 160 के तहत उनकी नियुक्ति हुई है तो, अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 158 (2) का प्रतिबन्ध लगा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 158 में कहा गया है कि "The Governor shall not hold any other office of profit." लेकिन माननीय श्री के. डी. शर्मा इस समय राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया कि "The Governor shall not hold any other office of profit."

क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का पद आफिस आफ प्राफिट है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय के. डी. शर्मा a person discharging the functions of the Governor हैं, लेकिन साथ साथ वह इस समय गवर्नर ही नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल अगर आप देखें तो उसमें यह प्रोविजन है कि जो व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश है वह न्यायाधीश नहीं रह सकता। आर्टिकल 217 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर 217 आर्टिकल पढ़ें, तो उसमें स्पष्ट प्रावधान है। इसमें अध्यक्ष महोदय, 3 शर्तें दी हुई हैं। उन्हें पूरा किये बिना कोई जज नहीं हो सकता। "Appointment and conditions of the office of a judge of a High Court."

217 में यह कन्डीशन्स दी गई हैं और ये कन्डीशन्स तीन हैं इनमें प्रथम है–

"A Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office

या तो रिजाइन करे। दूसरी है "A Judge may be removed from his office by the President in the manner provided in clause (4) of Article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court."

इसमें उनके इम्पीचमेंट का प्रोविजन है। आर्टिकल 124 में इम्पीचमेंट का प्रोविजन है कि जब तक किसी जज को इम्पीचमेंट नहीं किया जा सकता, तब तक वह इस पद से हट नहीं सकता। तीसरी शर्त उन्होंने बताई है–

"The office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court."

या उसी हालत में पोस्ट वेकेंट होगी कि a Judge may be appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court,

या तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या किसी दूसरे के" or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India."

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि चीफ जस्टिस के पास एडीशनल चार्ज गवर्नर का हो, तो उसमें कौन-सी बाधा है ?

श्री नाथूसिंह : उसमें एडीशनल अगर चार्ज दिया जाता है, तो वह ऑफिस ऑफ प्रोफिट है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और दूसरी चीज है, गवर्नर का पद। 168 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, अध्यक्ष महोदय, Governor is necessary part of the Assembly और 158[2] में है। "The Governor shall not hold any other office of profit."

सर, इसके अन्तर्गत संवैधानिक संकट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो हमें सम्मन दिया गया है, वह सम्मन केवल राज्यपाल साहब ही दे सकते हैं। उसमें राज्यपाल महोदय हैं, वह राज्यपाल महोदय नहीं हैं, उनके एक फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, वह पर्सन है। किसी भी फंक्शन का कोई भी व्यक्ति, पर्सन डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह काम्पीटेंट अधिकारी हो गये। अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे यह है, चीफ जस्टिस यदि बीमार हो या वह छुट्टी ले लें तो उनका एडीशनल चार्ज किसी को दिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीफ जस्टिस ही नहीं रहेंगे। आर्टिकल 217 में जो 3 कंडीशन्स हैं उनमें से किसी का, अध्यक्ष महोदय, पालन नहीं नहीं हुआ है। क्योंकि कांस्टीट्यूशन सुप्रीम है, इसलिए संविधान हर चीज से सुप्रीम है। अगर कांस्टीट्यूशन के इस आर्टिकल को देखें, इसको मान लें, तो यह जरूरी है कि इस आर्टिकल के तहत श्री के. डी. शर्मा इस समय राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वह राज्यपाल नहीं हैं। इसलिए वह हाउस को सम्मन नहीं कर सकते। अब सम्मन किया गया है, वह ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह स्पीकर की ड्यूटी है वह देखें कि अथोरिटी के द्वारा हाउस सम्मन किया गया है या नहीं। मेरा निवेदन है कि जो हाउस को सम्मन किया गया है, वह संविधान का उल्लंघन है, नियम का उल्लंघन है। अगर असंवैधानिक रूप से सम्मन किया गया है तो हम जो भी कार्य करेंगे, कोई भी कानून पास करेंगे, तो वह सारा कार्य और कानून असंवैधानिक होंगे। कान्स्टीट्यूशन की रक्षा करने वाले लोग, कानून बनाने वाले लोग ही उसकी धज्जियां उड़ायेंगे, अवहेलना करेंगे असंवैधानिक कार्य करेंगे, तो यह डेमोक्रेसी पर धब्बा होगा। अध्यक्ष महोदय, इस समय कान्स्टीट्यूशनल स्थिति ऐसी है, श्री के. डी. शर्मा मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखें आर्टिकल 168 के अन्दर Governor is necessary part of the Assembly.

श्री अध्यक्ष : कृपया पुनरावृति न करें।

श्री नाथूसिंह : Executive power vests in the Governor.

एग्जीक्यूटिव पॉवर भी गवर्नर में वेस्टेड है। असेम्बली का वह पार्ट है। आर्टिकल 213 में आर्डिनेंस इश्यू करने की पावर भी गवर्नर को है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति राजस्थान के अन्दर हो गई है। गवर्नर असेम्बली का पार्ट है, वह भी के. डी. शर्मा को यदि आपके कथनानुसार मान लिया जाये और मुख्य न्यायाधीश वह थे और

(श्री नाथूसिंह)

गवर्नर भी हैं। एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड हैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है। यह तो राजा का निर्माण कर दिया है, हमने किंग बना दिया है। एक व्यक्ति के अन्दर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, तीन पावर अलग अलग होती हैं लेकिन उसमें हमने राज्य में एक संकट लाकर खड़ा कर दिया है। जिसमें उन्होंने राजा की स्थिति बना दी है, इसलिए यह लोकतंत्र की भावना के बिलकुल विपरीत है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी गवर्नर को अपाइन्ट किया जाता है या उसे हटाया जाता है, मैं मानता हूं कि प्रेसीडेंट ऐसा कर सकते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। हमारे मुख्य मंत्री जी को जब गवर्नर शपथ ले रहा था, बताया गया कि शपथ ग्रहण समारोह में चलना है, मुख्य मंत्री को पता ही नहीं। उन्होंने पूछा, किस शपथ ग्रहण समारोह में चलना है ? यहां तक कि उनको सूचना भी नहीं दी गयी। यह मुख्य मंत्री की इंसल्ट की गयी है। यह इन्सल्ट मुख्य मंत्री की नहीं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर। आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप अपने विषय पर ही बोलें। आपका जो प्रस्ताव था, वह यह था कि विधान सभा का जो हाउस आहूत किया गया है, वह गलत तरीके से किया गया है, इसमें संवेदना की बात नहीं........

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आधा मिनट, अध्यक्ष महोदय। मुझे पूरा करने दें।

मेरा निवेदन है कि गवर्नर की जो पोस्ट है वह Governor is not an employee of the President or Central Government.

वह एक एम्पलाई नहीं है कि जिसको जब चाहे हटा दिया, जब चाहे रख लिया। जब चाहे, उसको बर्खास्त कर दिया जावे या डिसमिस कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। गवर्नर कान्स्टीट्यूशनरी फंक्शनरी है। उसकी एक गरिमा होती है, उसके पद की गरिमा होती है, उसका नाम होता है, उसके नाम की गरिमा होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, राज्यपाल महोदय की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। इसलिये इस विषय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से ही निवेदन करना चाहता हूं। सदन को आहूत करने के प्रश्न के संबंध में सदन की कार्यवाही चले, उसके पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमें सम्मन इश्यू किये गये हैं, वह प्रॉपर अथोरिटी द्वारा नहीं किये गये हैं। आप पहले यह देख लें कि जो सम्मन इश्यू किये गये

Page No 41

(41)

(श्री नाथूसिंह)

हैं, वह प्रॉपर ऑथोरिटी के माध्यम से किये गये हैं या नहीं ? वरना जो निर्णय यहां लिये जायेंगे, वह सही होंगे या नहीं ? यह देखकर ही आप आगे कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि वह सदन के नेता हैं। उनकी इसमें इन्सल्ट है और सदन के नेता की इन्सल्ट सारे राजस्थान की इन्सल्ट है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है यह तो संवैधानिक मसला है। It is a question of democracy, not of dictatorship. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करके निर्णय लें।

श्री मानकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री नाथूसिंह जी ने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सदन के सम्मुख रखा है, वह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की परिभाषा में ही नहीं आता है। इसके लिये रूल 294 क्लीयर है।

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

यह इससे रेग्यूलेट होता है।

श्री अध्यक्ष: इसमें है यह "House" means a properly summoned House by proper authority.

(व्यवधान)

श्री मानकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी को रेग्यूलेट कर रहा हूं। बिजनेस ऑफ दी हाउस जो है, वह हाउस में आने के बाद बिजनेस आफ हाउस होता है। इसके बिना कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष: श्री राज बहादुर।

श्री भंवरलाल शर्मा: एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। बोलेंगे तो वही, पर आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिये। यह जो बिन्दु है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शान्त रहें। ऑर्डर, ऑर्डर। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है, हमसे कोई बात रह जावे। आप बहुत ही सीनियर मैम्बर है, उसको बाद में आप कम्पलीट कर देना ताकि वह ठीक हो जायेगा। मैं अभी दो मिनट में पूरा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने श्री राजबहादुर जी का नाम पुकारा है. यदि वह आपको अवसर देना चाहें तो।

Page No 42

(42)

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत बहुत धन्यवाद। वह तो बोलेंगे ही।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोल लीजिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): आप तो वयोवृद्ध सदस्य हैं ? आप तो बोलेंगे ही यह तो बाबूजी का प्रेस्टीज पाइन्ट है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं ही इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाना चाहता था। किसी लाइट हार्टेडली नहीं, किसी उच्छृंखलता से नहीं लेकिन यह एक गम्भीर संवैधानिक प्रश्न है इसका निर्णय तो होना ही चाहिये। कान्सटीट्यूशन मे गवर्नर की जगह पर काम करने वाले अलग आदमी की नियुक्ति जो है उनके लिये प्रावधान अलग है। गवर्नर के लिए है 155 आर्टिकल में और उसकी जगह पर काम करने वाले के लिये, जो कि उसके लिये काम कर सके वह है, आर्टिकल 160 में, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

"The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the function of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter." He may make such provision, but he does not appoint an acting Governor. He only makes such provision.

एक बड़ा ही रेलेवेन्ट सवाल आपने पूछा था। आपने पूछा था कि क्या जज इस पद को यूसर्प कर सकते हैं या जज यूसर्पर कर सकते हैं ? क्या जज गवर्नर के पद पर रहते हुए जज के पद पर कन्टीन्यू रह सकता है? क्या चीफ जस्टिस जज रहते हुए गवर्नर के पद पर कन्टीन्यू कर सकता है ? आपने यह सवाल किया, जिसका जवाब स्वयं हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट के अनुसार इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये थी, वह नहीं अपनायी गयी। वह दूसरी होनी चाहिये थी वह शायद आगे पीछे हो सके। उन्होंने कहा है कि,

"It is the requirement of Article 216 of the Constitution that every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may deem it necessary to appoint. A close reading of Articles 216, 223 read with Schedule II sub-clause D (11) clearly reveals that there cannot be two Chief Justices in a High Court; and an Acting Chief Justice is appointed only when the Chief Justice is away and unable to perform duties of his office. After taking the oath under Article 159 of the Constitution to discharge the functions of the Governor, Shri K. D Sharma cannot be said to continue to hold the office of the Chief Justice; and as such it cannot be held that he suffers from the disqualification...... इस मामले में डिसक्वालिफिकेशन है। डिसक्वालिफिकेशन का जब सवाल आता है तो वह इन्फोफैक्टो ही हो जाता है। वह होती है

(श्री राजबहादुर)

तो विधान सभा के सदस्यों के लिये, पालियामेंट के सदस्यों के लिये प्रावधान है कि यदि वह गवर्नर बने तो प्रावधान यह है,

"The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor." किन्तु यहां एक जज गवर्नर हुये हैं। इस केस में जो हुआ उसके लिये इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसकी necessary corollary क्या है? वह यह है कि Before he took oath for office of the Governor, he should have resigned.

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो विधान सभा के सदस्यों ग्रौर संसद के सदस्यों के लिये प्रावधान है।

श्री राजबहादुर : जी हां, वही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें यह डिसक्वालिफिकेशन कन्टीन्यू करती है। इनकी डिसक्वालिफिकेशन ग्रलग हो जाती है। This is the difference. ग्रगर कोई विधान सभा या संसद का मेम्बर गवर्नर बन जाये तो उनके ग्रोथ लेते ही उसकी डिसक्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, लेकिन ग्रगर चीफ जस्टिस गवर्नर बनाया जाय तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव नहीं होती है। This is the thing. This is the crucial point. डिसक्वालिफिकेशन चीफ जस्टिस की तो दूर नहीं होती है, लेकिन मेम्बर्स की रिमूव हो जाती है। ग्रोन दी वेरी डेट। on which he takes oath of office, for the office of Governor, इसमें ऐसा है कि वह चीफ जस्टिस तो रहे फुल फ्लेज्ड, ग्रागे जाकर गवर्नर की भी ग्रोथ ली। यह वह डिस्क्वालिफिकेशन है जो डिसक्वालिफिकेशन कन्टीन्यू कर रही है। उन्होंने तो ग्राज तक रिजाइन नहीं किया। इसलिये वह चीफ जस्टिस, ग्राफिस ग्राफ प्रोफिट पर पदासीन हैं ग्रौर वह डिसक्वालिफाइड गवर्नर के पद के लिये है यह बात दूसरी है। वह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या हुग्रा या क्या नहीं हुग्रा? उसमें हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत ही क्लीयर है, वह जजमेंट एप्लीकेबल है। इसमें लास्ट में कहा है कि–

"Moreover, a person asked to discharge the functions of the Governor of a State under Article 160 need not possess the qualifications mentioned in Article 158 of the Constitution, because he is not termed as Governor." ग्राखिर शब्द इस वॉक्य के इस मामले के लिये निर्णायक हैं। यह फैक्ट है। उनको एक्टिंग गवर्नर नहीं कहा जा सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा जाता है, पर एक्टिंग गवर्नर नहीं कहा जाता है। He is not termed as Governor.

Page No 44

(४४)

(श्री राजबहादुर)

वह कम्कशनरी है। "Schedule II Part A, sub-clause (4) further provides that a person discharging the functions of the Governor shall be entitled to the same emoluments, allowances and privileges as the Governor whose functions he discharges or for whom he acts. Thus the functionary discharging the functions provided under Article 160 of the Constitution cannot be termed to be a Governor within the meaning of Article 156 of the Constitution. The necessary corollary of that is that a step-gap functionary need not possess the necessary qualifications for being appointed as a Governor, and also does not suffer from the disqualifications attached to that office. Thus Shri K. D. Sharma cannot be said to be usurper of the office of the Governor of the State of Rajathan.

तो हम उन्हें न यूसर्पर कहते हैं और न यह कहते हैं।

He is not the Governor. He is not even acting Governor. Therefore, he cannot summon the House and the House has been called in a manner and in a method in which he had no locus standi and he had no authority whatsoever under the Constitution.

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि चीफ जस्टिस का आफिस, आफिस ऑफ प्राफिट है, लेकिन यदि आफिस ऑफ प्राफिट वाले को गवर्नर बना दिया जाता है, तो गवर्नर का अपाइन्टमेंट गलत थोड़े ही है। इसमें तो बाधा उस व्यक्ति को आयेगी, जैसे एम.एल.ए. है। तो ऑटोमेटिकली वह एम. एल. ए. नहीं रहता, संसद का सदस्य है, तो संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि चीफ जस्टिस या जज है, तो जज नहीं रहेगा। गवर्नर के अपाइन्टमेन्ट में क्या है ?

श्री राजबहादुर : श्रीमन्, आपका जो प्रश्न है, साफ है, उचित है और उपयुक्त है। मेरी विनती यह है कि डिसक्वालिफिकेशन किस के लिए है ? डिसक्वालिफिकेशन गवर्नर की पोस्ट होल्ड करने के लिए है। डिसक्वालिफिकेशन चीफ जस्टिस की पोस्ट होल्ड करने के लिए नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन गवर्नर की पोस्ट होल्ड करने के लिए है। कोई भी आफिस ऑफ प्राफिट होल्ड करता है, वह गवर्नर नहीं बन सकता और चीफ जस्टिस का ऑफिस, अपवियसली ऑफिस ऑफ प्राफिट है जब तक कान्स्टीट्यूशन की परिभाषा में नहीं आता है या एक्ट में नहीं आता है, तब तक वह डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव नहीं कर पाता। अगर कर पाता होता तो, ऐसा प्रोविजन होता जैसा कि मैम्बर आफ लेजिस्लेचर के लिए है और मैम्बर आफ पार्लियामेन्ट के लिए है कि

(श्री राजबहादुर)

वह ग्राफिस ग्रॉफ प्राफिट होल्ड नहीं कर सकते। ग्राफिस ग्रॉफ प्राफिट होल्ड करने के पहले From the date of their taking the post of Governor, they are deemed to have vacated the office of a a legislator, under the specific provisions of the Constitution. इस केस में मुश्किल यह है कि जिन सज्जन ने हमें बुलाकर इस सदन में इकट्ठा किया है वह न गवर्नर हैं, न एक्टिंग गवर्नर हैं। वह क्या है? मैं उनकी शान में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक सदस्य के नाते मेरी गरिमा, उनके पद की गरिमा और हाउस की गरिमा का तकाजा है इसलिये मैं कुछ नहीं कहता। मुझे कोई यह अनधिकृत चेष्टा नहीं करनी है। आपसे निवेदन है कि आप ऐसी रूलिंग दीजिये जिससे कि आगे के लिए रास्ता खुले। जो स्थिति खड़ी हो गई है उस पर इसका मुलम्मा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप सब पहुंच ही गये और आ गये तो उसमें ....

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह तो सब आपने कहा है कि हम आ ही गये, लेकिन जो कार्य हम करेंगे, जो कानून हम पास करेंगे, जो निर्णय हम लेंगे—सब के सब अवैध माने जायेंगे, वैध नहीं माने जायेंगे। इसलिए हाउस को पोस्टपोन करके बाकायदा हाउस बुलाइये।

श्री नाथूसिंह (गंदीकुई) : आपने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय श्री राजबहादुरजी ने जो क्वेश्चन किया, वह बहुत अच्छा किया यदि चीफ जस्टिस गवर्नर बना दिये जाते हैं तो क्या इसमें स्पष्ट प्रावधान है ? आर्टिकल 217 के अन्दर जो एम.एल.ए. या मिनिस्टर को गवर्नर बना दिया जाता है तो आटोमेटिकली वह पोस्ट खतम हो जाती है। यह मान लिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस के लिए स्पेशियली आर्टिकल 217 दिया है कान्स्टीट्यूशन में, जिसमें तीन बातें बताई हैं। उसके बिना चीफ जस्टिस हट ही नहीं सकता। किसी हालत में नहीं हट सकता

श्री अध्यक्ष : वह आपने बात कह दी है।

श्री नाथूसिंह : वन मोर पाइन्ट, सर—इसी तरह से आर्टिकल 156 का प्रोविज़ो देखा है क्लॉज 3 का। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 155 के प्रोविज़ो 3 में लिखा है :

"Provided that a Governor shall, not withstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office."

यदि गवर्नर की टर्म समाप्त हो जाती है, किन्तु जब तक उसके ऑफिस में दूसरा गवर्नर नहीं आता, तब तक जिसकी टर्म समाप्त हो गई है वही गवर्नर माना जायेगा। इसलिए इस केस में, अध्यक्ष महोदय, गवर्नर के.डी. शर्मा नहीं हैं, गवर्नर श्री रघुकुल तिलक हैं। यदि उन्होंने हाउस को सम्मन किया होता, तो प्रॉपर और

(श्री नाथूसिंह)

वैधानिक होता । श्री के. डी. शर्मा ने हाउस सम्मन किया है, वह प्रॉपर नहीं है। अगर शिड्यूल सैकेण्ड का पार्ट ही देखें ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप दुबारा चर्चा शुरू कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । श्री भंवर लाल शर्मा.

श्री नाथूसिंह : शिड्यूल सैकेण्ड ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दुबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विवाद बड़ा विचित्र और गम्भीर हो गया है, जिस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना होगा। हमको खुशी इस बात की है कि अध्यक्ष पद पर इस समय आप विराजमान हैं, जो बहुत ही संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं और बड़ी जुडिशियली आप निर्णय देंगे, ऐसा मैं मानता हूं ।

प्रश्न यह नहीं है, यह विवाद भी नहीं है कि गवर्नर विधान सभा बुला सकते हैं या नहीं ? यह तो सर्वमान्य है कि वे इस विधान सभा को कन्वीन कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, केवल गवर्नर ही कर सकते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है और 174 आर्टिकल बिलकुल क्लीयर है ।

"The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit."

तो गवर्नर हाउस बुला सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, विधान सभा बुला सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है । विवाद यह खड़ा होता है कि-जिस व्यक्ति ने या जिस अधिकारी ने इस विधान सभा को बुलाया है, वह उसके लिए अधिकृत है या नहीं ? अधिकृत संविधान में कौन है ? Only the Governor. गवर्नर के अलावा इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो कि विधान सभा को बुला सके। "Only the Governor" अब जिन सज्जन ने यह विधान सभा बुलाई है, वह गवर्नर हैं या नहीं ? इसके लिए हमको आर्टिकल 155 और 160, इन दो का अध्ययन करना होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, 155 में यह है,

"The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal."

श्री कल्याण दत्त जी शर्मा का अपाइन्टमेन्ट आर्टिकल 155 के अन्तर्गत नहीं किया गया है । यह बिलकुल क्लीयर है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो मालूम है । अण्डर-सील एण्ड सिगनेचर हुआ है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सील तो होगी, लेकिन He will be appointed Governor. यानी गवर्नर अपाइन्ट किया जायेगा । सील होगी, दस्तखत होंगे, तारीख भी होगी, लेटर पेड भी होगा । सब कुछ होगा, लेकिन इस केस में 155 के अन्तर्गत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इनको गवर्नर अप्वाइन्ट नहीं किया गया है, यह बात क्लियर है। अब आर्टिकल 160 है। इनका जो अपॉइन्टमेन्ट है वह आर्टिकल 160 में हुआ है।

"The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this chapter."

अब ऐसी कन्टिन्जेन्सी क्या है? गवर्नर काम कर रहे थे और सरकार उनको पसन्द नहीं करती है, हटा दिया, हटाना ही चाहते थे। जगह खाली हो गयी। अब इस कन्टिन्जेन्सी की घड़ी में क्या किया जाय और क्या नहीं? तो ऐसी कन्टिन्जेन्सी को मीट आउट करने के लिए जब तक कि दूसरे गवर्नर आर कोई बना न लें, उस स्थिति में क्या हो? उन्होंने गैप अरेन्जमेन्ट के लिए एक आदमी को कह दिया कि जो फंक्शन्स हैं, वह भी आप कीजिए। जैसे कि आप दौरे पर पधार जायें, तो यहां सैक्रेटरी साहब को हे कार्य करने के लिए कह कर जा सकते हैं। तो "ही कैन नाट एक्ट एज ए स्पीकर" आपका काम तो आप ही करेंगे। आपके अधिकार तो आप में ही हैं। हां, छोटे-मोटे काम यह संभाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस काम के लिए He will not act as a Governor आज डे टु डे रूटिन का काम करते हैं, वह कर सकते हैं but even he is not Governor उनको स्ट्रेन्थन किया है। उसके लिए आपको देखना होगा आर्टिकल 159 जो कि बहुत इम्पार्टेन्ट है।

"Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice . . . an oath or affirmation in the following form."

यह संविधान में है। यह 159 है।

"Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath of affirmation in the following form..."

क्या शर्त रखी है, साहब, इन्होंने? चाहे गवर्नर हो, संविधान के लिए नहीं कहा, आर्टिकल 159 है...

"Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High court exercising Jurisdiction in

(श्री भंवर लाल शर्मा)

relation to the State, or, in his absence, the seniormost Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form."

तो ये जो सज्जन शपथ लेंगे, चाहे गवर्नर हों या गवर्नर के स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति हो, तो चीफ जस्टिस की उपस्थिति में शपथ लेंगे। This is important.ये तो खुद ही चीफ जस्टिस हैं, तो चीफ जस्टिस शपथ कैसे लेगा। एक तो ये शर्त पूरी नहीं हुई। फिर शपथ लेंगे, तो क्या लेंगे, This is more important. इस में शपथ का प्रोफार्मा दिया हुआ है कि क्या शपथ लेंगे, वह उन्होंने कहा है, I, A B यानी I. Kalyan Datt Sharma, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor अगर गवर्नर है, तो 'गवर्नर का उपयोग करे, अगर गवर्नर नहीं है तो कहेगा "discharge the functions of the Governor"...

एक माननीय सदस्य : फंक्शन चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये फंक्शन ही चल रहा है, आपके हिसाब से तो but this is very important.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : There are two proformas. शपथ लेने के लिए दो प्रोफार्माज हैं, एक गवर्नर साहब के लिए, और एक जो गवर्नर नहीं है उनके लिए। श्री कल्याण दत्तजी ने गवर्नर की शपथ भी नहीं ली और अगर लेते, तो यह कानून के विपरीत हो जाता, क्योंकि वे गवर्नर नहीं हैं। उन्होंने जो शपथ ली है, वह इस बात की ली है, गवर्नर की नहीं, कुछ फंक्शन्स करने की। इसलिए ये शपथ ली है...

श्री अध्यक्ष : तो आपने को निमंत्रण देना, यह उस फंक्शन में नहीं आता क्या ?

श्री भंवर लाल शर्मा : केवल गवर्नर ही बुला सकते हैं। अगर बुलायेंगे तो केवल गवर्नर बुलायेंगे। Whether he is Governor or not, अगर वह गवर्नर हैं, तो बुला सकते हैं और गवर्नर नहीं हैं, तो नहीं बुलाएंगे यही झगड़ा हो गया। यही संवैधानिक संकट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आप उनको गवर्नर मानते हैं, या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हम यही कहने आये हैं, जो हम कह रहे हैं. He is not Governor, nor he has taken oath as Governor, यह ही संविधान है। यह जो विधान सभा बुलाई गयी है, वह गवर्नर के द्वारा नहीं बुलायी गयी। इसलिए गवर्नर के अलावा अगर कोई बुलाता है, जैसे मैंने कहा कि संसार में किसी को बुलाने की शक्ति नहीं है। भगवान भी नहीं बुला सकता। उन्होंने जो सभा बुलाई है यह हाउस बुलाया है वह असंवैधानिक है और ऐसे असंवैधानिक हाउस में आप पार्टी नहीं बनें, मेरा आपसे निवेदन है, आप निर्णय करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संवैधानिक संकट आकर खड़ा हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा में एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय। इन दोनों पक्षों के बारे में उनकी राय देने के लिए कहा जाय। उसके बाद आप निर्णय लें। एक दूसरी बात और आकर खड़ी हो गयी है कि अगर ये गवर्नर साहब, जैसा बताया कि इस प्रकार की स्थिति है, उन्होंने नहीं बुलाया और यह सारी जो वैधानिक कार्यवाही है वह अवैधानिक है। एक तीसरी स्थिति 3 अक्टूबर को आकर खड़ी हो जायेगी। पिछली विधान सभा से लेकर इस विधान सभा तक 6 महीने का अन्तर होना चाहिए दो दिन हमको बैठे हुए हो गये। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस विषय में सब प्रकार के पहलुओं को सामने रखते हुए, जिसमें एक पहलू में, मैंने एडवोकेट जनरल की राय लेने के लिये निवेदन किया है, इस स्थिति को सामने रखते हुए निर्णय लिया जाय, जल्दी निर्णय लिया जाय तीन अक्टूबर के पहले ताकि दूसरा संवैधानिक संकट खड़ा न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री विधि मंत्रीजी।

(व्यवधान)

श्री सी पी जोशी।

श्री सी पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इस सारे विवाद के सम्बन्ध में मेरा आपसे कानूनी निवेदन है कि आप, हम यह देखें कि कान्स्टीट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है या नहीं कि किसी भी स्थिति में वेक्यूम नहीं रहेगा? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हिन्दुस्तान में जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब उपराष्ट्रपति महोदय कैन्डीडेट थे, स्पीकर महोदय भी कैन्डीडेट थे, राष्ट्रपति के। तब उस समय व्यवस्था इस तरह से की गयी थी कि राष्ट्रपति का पद हिन्दुस्तान में वेक्यूम नहीं हो सकता है। जब चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और फंक्शन डिस्चार्ज किये थे। उसी तरह की स्थिति हिन्दुस्तान के कान्स्टीट्यूशन] में रखी गयी है कि किसी भी तरह का वेक्यूम नहीं रहे। जो माननीय सदस्य तर्क दे रहे हैं, उस तर्क के सम्बन्ध में एक युक्ति याद आती है कि जो आदमी फंक्शन कर रहा है, गवर्नर का फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, वह कोई स्पेशल आदमी नहीं हो सकता। जो आदमी फंक्शन कर रहा है गवर्नर का, वह उतने समय के लिए हिन्दुस्तान में गवर्नर की पोस्ट वेक्यूम नहीं रहे, वेक्यूम नहीं रहने के लिए संवैधानिक स्थिति यह है कि उसमें नियम बनाया था कि हर कोई आदमी गवर्नर का काम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट होगा, वही गवर्नर का काम करेगा। इस लिए इसमें कोई संवैधानिक स्थिति पैदा नहीं हुई है कि गवर्नर का जो काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस आफ राजस्थान हैं, वह वेक्यूम की स्थिति कान्स्टीट्यूशन में नहीं हो, इस हेतु कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हिन्दुस्तान में जब चरणसिंहजी प्रधान मन्त्री बने थे तब भी बनी थी। तो कुल मिला कर कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है कि कभी भी वेक्यूम नहीं रहे। इस बात को ध्यान में रख कर कन्टिन्जेन्सी अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर निर्णय देते समय उन स्थितियों को भी ध्यान में रखें फिर निर्णय दें, तो ठीक रहेगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि कल्याण दत्तजी शर्मा को

(श्री सी.पी. जोशी)

फंक्शन करने का अधिकार कान्स्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स के अन्तर्गत था, उसी के तहत हमको बुलाया गया है।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्रीजी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय मित्र ने जो निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, उसके आपरेटिव पोरशन को न पढ़ करके उसमें जो आर्ग्यूमेंट एराइज हुए, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है। शायद एक लाइन जो उसमें दी हुई है, क्योंकि रिट फाईल की गयी थी, इस बात के लिए की गयी थी कि श्री कल्याण दत्त शर्मा युसर्पर हैं, गवर्नर हैं और इसलिए वह गवर्नर नहीं हैं और कोर्ट ने यह घोषित कर दिया है जिस की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं—

"Thus Shri K. D. Sharma cannot be said to be usurper of the office of the Governor of the State of Rajasthan"

अगर वे 'usurper' नहीं माने गये हैं तो फिर—

for all purposes he is the Governor of Rajasthan appointed under Article 160.

क्योंकि एक कन्टीन्जेन्सी एराइज हुई, जिस कन्टीन्जेन्सी में एक गवर्नर ने स्तीफा दिया और प्रेसीडेन्ट के लिए यह जरूरी था कि उनके फंक्शन्स को डिस्चार्ज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपाइन्ट किया जाय। इसलिए राष्ट्रपति ने अपनी आज्ञा से श्री कल्याण दत्त शर्मा को गवर्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए अपाइन्ट किया, जिसका कि उनको अधिकार हैं। जब गवर्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए श्री के. डी. शर्मा को अपाइंट कर दिया गया, तो गवर्नर का यह भी फंक्शन है कि वह इस असेम्बली को आहूत करे। यह उस फंक्शन से अलग नहीं है। यह गवर्नर का एक फंक्शन है कि इस असेम्बली को आहूत करे और यहां पर असेम्बली बुला करके और जो भी बिल्स वगैरह पास हों, उनके ऊपर दस्तखत करना, ये सारे फंक्शन्स गवर्नर के हैं, जिनका 160 के अन्दर उद्धरण दिया गया है। अब गवर्नर फंक्शन्स को लेकर कहते हैं, क्योंकि एक शब्द गवर्नर लिखा गया है, इसलिए गवर्नर ही बुला सकता है।

Governor, for all the purposes of Article 161, is the person who discharges the functions of the Governor.

इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि यह बहस, जो दोनों बिन्दु आये हैं, उसमें बहुत की जा चुकी है, इसमें और बहस करने की आवश्यकता नहीं है और निर्णय लिये जा चुके हैं। श्री कल्याण दत्त शर्मा गवर्नर आफ राजस्थान हैं और उनके फंक्शन्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसलिए उनको वैधानिक, संवैधानिक अधिकार था कि वह इस हाउस को सम्मन करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पाइंट रेज किया गया है, वह ठीक नहीं है।

श्री राजबहादुर : मैं बहुत विनम्रता के साथ विनती करूंगा कि जहां तक माननीय सदस्य, श्री सी. पी. जोशी का सम्बन्ध

(श्री राजबहादुर)

है, उन्होंने कहा कि वेक्यूम नहीं रह सकता और उदाहरण दिया कि उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। जहां तक किसी को अपाइन्ट करने का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस का ताल्लुक है चाहे राष्ट्रपति के पद पर हो, चाहे गवर्नर के पद पर, इस बारे में कोई विवाद नहीं है। विवाद तो इस बात में है कि जो फंक्शन कान्स्टीट्यूशन में वर्णित गवर्नर के लिये तथा हमारे सदन के रूल 3-4 के बारे में निश्चितरूप से रखी गई है वह केवल गवर्नर के अधिकार में इन नियमों के अंतर्गत रखी गयी है, वह फंक्शन क्या ऐसे आदमी को दी जा सकती हैं जो गवर्नर ही न हो। क्या वह फंक्शन्स कर सकता है जो गवर्नर नहीं है और जिस को खाली गवर्नर के कुछ कार्यों को डिस्चार्ज करने के लिए मात्र एक पर्सन कह के नियुक्त किया गया है या रखा गया है, गवर्नर कह कर नहीं रखा गया है?

सवाल यह है कि वह संशोधन जो अपने विधान में अपने रूल्स में हो, वह मान सकते हैं, जो वहां नहीं है अगर रूल्स में यह होता कि any person appointed under Article 160 can also be Governor, तो मैं मान सकता था, लेकिन वह चीज तो नहीं है। अब इसमें रहा संसद बुलाने का, असेम्बली बुलाने का वह एक विशेष फंक्शन है और वह क्लियरली एक स्पेसिफिक आर्टिकल 174 कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत आती है। रूल थ्री और फोर जो हमारा है, यह है कि केवल गवर्नर ही वह बुला सकता है। ऐसी हालत में, मैं अर्ज कर रहा हूं जो हमारे विधि मन्त्री जी ने कहा, हमने आपरेटिव पोर्शन को पढ़ा⋯

(1) 174 (i) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit, but six month shall not intervene between its last sitting in one Session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(ii) The Governor may from time to time:–

(a) prorogue the House or either House;

(b) dissolve the Legislative Assembly.

(2) Rules of Procedure:–

(3) Summoning of Assembly (1) when a session of the Assembly is summoned, the Secretary shall intimate to each member the time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly and shall cause a notification to be issued in the Gazette.

(4) The summons under sub-rule–

(i) shall ordinarily be issued fourteen days before the so date fixed:

Page No 52

(52)

(श्री राजबहादुर)

Provided that if a session is called at short notice the Secretary shall intimate the time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct.

(5 Seating of Members-The member shall sit in such order as the speaker may determine.

(व्यवधान)

हमने कभी नहीं कहा कि जो व्यक्ति गवर्नर नहीं हो, वह भी सदन का अधिवेशन बुला सकता है।

प्रश्न है जो आर्टिकल में 160 के अन्तर्गत अपाइन्ट किया गया है। वह उन साधारण औपचारिक परपजेज के लिए फंक्शन करेगा जो फंक्शन स्पष्टतया कान्स्टीट्यूशन में केवल गवर्नर के फंक्शन करने के लिए रखी हैं, उनके लिये वह व्यक्ति जो आर्टिकल 160 के अन्तर्गत नियुक्त हुआ हो, वह फंक्शन नहीं कर सकता है, अन्यथा कहीं वर्णित नहीं, न विधान में है, न उद्धत है हमारी नियमावली में फिर हम अपनी ओर से कैसे थोप सकते हैं। रोजमर्रा के कागजों पर दस्तखत कर सकता है, लेकिन असेम्बली जो किसी प्रदेश की सार्वभौम सत्ता प्राप्त संस्था है, उसको बुलाने का वह फंक्शन नहीं कर सकता है।

मैं बहुत अदब के साथ विधि मन्त्रीजी से कहूंगा कि यह तर्क और इन्टरप्रिटेशन उनने दिया है मेरे ख्याल में वेलिड नहीं है, It will not stand the test of scrutiny in a court of law.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : It has already stood.

श्री राजबहादुर : No, no. It has not.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुबारा चर्चा नहीं होगी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा वेक्यूम नहीं रहना चाहिये, यह ठीक है। मैं उदाहरण के लिए निवदन करना चाहता हूं, अगर हिन्दुस्तान का कोई गवर्नर मर जाय और उसका पूर्व में कोई पता नहीं चले, तो ऐसी स्थिति में उस वेक्यूम को कैसे भरा जायगा? और मान लीजिये जब यह पता चले कि फलां स्थान का गवर्नर मर गया, तो वह स्थान भरा तो जायगा पर किसी विधि विधान से ही तो भरा जायगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आदमी जाकर उस पद पर बैठ जाय। आखिर कोई विधान होता है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसके लिये . . .

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्यमंत्री यातायात): शर्मा साहब, बहुत बहस कर ली एडवोकेट रह कर, अब यह बहस आपकी चलने वाली नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा कहना है कि कानून की अगर यह मंशा होती कि वह भी असेम्बली को आहूत कर सकता है, तो फिर

(श्री भंवर लाल शर्मा)

इसके स्थान पर, गवर्नर और ऐसी पर्सन लिखा हुआ होता। गवर्नर के स्थान पर कोई व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है, वह लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें वह नहीं लिखा गया है। यह मेरे कहने का तात्पर्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन तीन बार बहस नहीं होगी...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, दुबारा नहीं सुनना चाहता हूं। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

पहले व्यवस्था देने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आपको अवसर एक बार दे दिया गया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि विधान सभा को राज्यपाल महोदय ने आहूत किया है, उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वे विधिवत् तरीके से राज्यपाल मनोनीत नहीं किये गये हैं। मैंने दोनों पक्षों को सुना। इसमें काफी पेचीदा, कानूनी और संवैधानिक प्रश्न है। इसलिए इस सम्बन्ध में, मैं निर्णय, कानून, संविधान और परम्परा इन सबका अध्ययन करके एक-दो दिन में दे दूंगा।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि विधान सभा की कार्यवाही इल्लीगल होने का डर है, इसलिये विधान सभा की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये। कानून का जो इन्टरप्रिटेशन होता है, उसमें कायदा है जो आफिसियल एक्ट्स होते हैं, they are presumed to be correct. जो कुछ किया गया है, चाहे गवर्नर साहब की नियुक्ति हो, चाहे विधान सभा के सत्र को बुलाया हो, जब तक यह फैसला न हो जाय कि नियमों के अनुसार नहीं बुलाया गया है, तब तक यही माना जायगा कि नियमों के अनुसार ही विधान सभा बुलाई गई है। अपने देश की परम्परा, जो पिछले 30 सालों में डाली गई है, भी स्पष्ट है कि जब तक राष्ट्रपति महोदय के पद पर कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इस पद पर, यही प्रश्न रहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते रहते हैं, ऐसा किया जाता रहा है। राजस्थान में यह पहला अवसर है इसलिए विधान सभा चलने में कोई बाधा नहीं है। व्यवस्था देने का प्रश्न है, वह एक दो दिन में संवैधानिक, कानूनी परम्परायें आदि का अध्ययन करके दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी बात को, आपके समर्थन में ही करना चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अब दुबारा नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : चीफ जस्टिस अपाइन्ट करते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया है...

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, इसलिये नियमों का पालन करें....

श्री नाथूसिंह : आपकी जानकारी के लिये आपकी सेवा में निवेदन कर दूं ..

श्री अध्यक्ष : No।

श्री नाथूसिंह : बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर !-आसन पैरों पर है, इसलिये पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

(व्यवधान)

इस पर पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा पाइन्ट है, एक मिनट सुन लीजिये। पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर जब कोई विचारणीय प्रश्न हो, तब होता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैं व्यवस्था दे देता हूं, उसके बाद में ..।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दूंगा पहले। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दूंगा, उसके बाद ही आप दोनों को अवसर दूंगा। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न सदन के समक्ष कोई विचारणीय प्रश्न होता है, तब होता है...

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, आप विराजें। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैं व्यवस्थाएं पढ़ दूं, इसके बाद में आप ...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री चन्द्रवीरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जैसलमेर के मसूरडी खडीन में जिला प्रशासन द्वारा सीलिंग की प्रवाप्त की गई भूमि को कब्जा शुदा भूमिहीन काश्तकारों में प्लाट न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंग कुमार जैन तथा डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 30 जुलाई 1981 को बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने हेतु चाकसू, हिंगोनिया आदि गांवों में गई राष्ट्रीय महिला समिति की महिलाओं के साथ उप अधीक्षक, आरक्षी श्री अर्जुनसिंह एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कथित अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

(3) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, उम्मेद सिंह, वीरेन्द्रप्रतापसिंह, रामकंवार बैरवा व हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के छबड़ा थाना के अन्तर्गत ग्राम चाचोड़ा में कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने की घटना के विषय में।

(4) राव कमलेन्द्रसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से सोमकागदर योजना के नहर खण्ड में मजदूर नेता अर्जुनदास के आमरण अनशन के विषय में।

(5) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में 24 अगस्त को नला बजार में दुकानदारों को लूट लिये जाने की घटना के विषय में।

(6) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति नागौर, मूंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल प्रदाय योजना बनी है, वह अव्यावहारिक है, इस विषय में।

(7) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में कई दवाइयां व इंजेक्शन अवधि समाप्त होने के बाद भी काम में लाये जा रहे हैं और इससे मरीजों को खतरा उत्पन्न हो गया है, के सम्बन्ध में।

(8) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर में डाक्टरों की लापरवाही के कारण दो दर्जन व्यक्तियों की नेत्र ज्योति चले जाने के विषय में।

(9) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित आवश्यक उपभोग की वस्तुएं जैसे चीनी, सीमेंट, पैट्रोल आदि सरकार द्वारा मांग के मुकाबले एक तिहाई मात्रा में ही उपलब्ध होने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(10) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की यातायात की बिगड़ी हुई स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में पेयजल की कमी के विषय में।

(12) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी, डा. उजला अरोड़ा व गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा. राजदान सिंह को अकारण ही निलम्बित कर दिये जाने की घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होते ही निर्णय लिया जावेगा।

(13) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 5 सितम्बर को जिलाधीश कार्यालय, जयपुर में आयोजना समिति की बैठक में विधायकों से परामर्श न लिये जाने के सम्बन्ध में।

यह किसी महत्वपूर्ण घटना से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण सम्बन्धी अध्यादेश को राज्य में लागू कर देने के सम्बन्ध में। यह राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है और इसे अन्य माध्यमों से उठाया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़ देता हूं। श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण सम्बन्धी अध्यादेश को राज्य में लागू कर देने के सम्बन्ध में।

यह राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है और इसे अन्य माध्यमों से उठाया जा सकता है।

(15) श्रीमती उजला अरोड़ा, सर्वश्री महावीर प्रसाद जैन, हरीश शर्मा, जीतमल जैन, ललित किशोर चतुर्वेदी, गुलाबचन्द कटारिया, चुन्नीलाल, दाऊदयाल जोशी व भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में 11 अगस्त, 1981 को शराबबन्दी समाप्त कर देने के विषय में।

यह भी राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है, इसे भी अन्य माध्यमों से उठाया जा सकता है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने राज्य में अकाल अथवा अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के विषय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लेकर स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है :—

1. श्री देवीसिंह भाटी
2. ,, चन्द्रवीरसिंह
3. ,, हरीश शर्मा
4. ,, रामकंवार बैरवा
5. ,, बंशीलाल पटवा
6. ,, रघुवीरसिंह कौशल
7. ,, ललितकिशोर चतुर्वेदी
8. ,, हीरालाल आर्य
9. ,, नन्दलाल मीणा
10. ,, महावीरप्रसाद जैन

राज्य में अकाल एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर सदन में कल दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को चर्चा की जा रही है

(श्री अध्यक्ष)

अतः माननीय सदस्य उस समय चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं इन स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप क्या कह रहे हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय।

संवैधानिक प्रश्न

राज्यपाल की नियुक्ति

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 306 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कौन सा नियम ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नियम 306।

श्री अध्यक्ष : नियम बदल गए हैं, यह भी ध्यान में रखें, माननीय सदस्य। एक तारीख से नए नियम लागू हो गए हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : इसकी कापी नहीं मिली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जब कोई विषय सदन के अन्दर विचार के लिए आ जाय और माननीय अध्यक्ष महोदय उचित समझें तो उस विषय पर विचार की अनुमति दे सकते हैं, नियमों को निलम्बित करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यहां पर चर्चा चल रही थी, माननीय श्री के. डी. शर्मा द्वारा सदन को आहूत करने की, उस समय राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक को हटाने और उनको असंवैधानिक तरीके से हटाने की बात भी सदन में आई थी। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जिसमें राज्य सरकार की बिना अनुमति के, मुख्य मंत्री की बिना जानकारी के केन्द्र सरकार ने राजस्थान के राज्यपाल को हटा दिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर... आर्डर, आर्डर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री के. डी. शर्मा की जो नियुक्ति की गई है, वह सब नियमों को ताक पर रख कर की गई है। इसी प्रकार राज्यपाल रघुकुल तिलक को हटाने में जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है...

श्री अध्यक्ष : इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर

श्री घनश्याम तिवाड़ी : असंवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से .....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर....

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्लोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी गरिमा का सवाल है।

व्यवस्था का प्रश्न

सभा का आव्हान

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र, जो आहूत किया गया है, इसमें राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का बिलकुल उल्लंघन किया गया है और इसकी अवहेलना की गई है। इसके रेफरेंस में चेप्टर नम्बर 2 का हवाला देना चाहता हूं। नियम 3 के अन्तर्गत सभा का आह्वान :

"जब सभा को किसी सत्र में आमंत्रित किया जावे, तो सचिव, प्रत्येक सदस्य को ऐसे समय और स्थान की सूचना देगा, जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के लिए निर्धत किया गया हो; और राज-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा।"

अध्यक्ष महोदय, उप नियम (1) के अधीन आमंत्रण साधारणतया इस प्रकार नियत की गई तारीख से चौदह दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय यह फोरटीन डेज की मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। चेप्टर वन में यह लिखा है :

'Clear days includes Sundays and holidays but does not include the date of the meeting i.e. 14th Sept. and the day of the receipt of notice by the Secretary.

अध्यक्ष महोदय, मीटिंग का काल है 14 सितम्बर का। अध्यक्ष महोदय, 14 सितम्बर को एक्सक्लूड किया जावे और विधान सभा को काल करने का सम्मन 31 अगस्त को दिया गया है। इसमें अगर 31 अगस्त को एक्सक्लूड किया जावे और 14 सितम्बर को एक्सक्लूड किया जावे, तो मात्र 13 दिन रह जाते हैं। इसलिए क्लियर 14 दिन नहीं होते। इसलिए नियमों का बिलकुल उल्लंघन और अवहेलना की गई है। यह जो सत्र आहूत किया गया है, गलत किया गया है, इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था, दें।

श्री अध्यक्ष: आप जिन पुराने नियमों का जिक्र कर रहे हैं, वह 31 अगस्त को समाप्त हो गये है। उनकी जगह नये नियम एक सितम्बर से लागू हुए हैं। वह प्रिन्ट होकर आपको मिल गये होंगे। उन नियमों के अन्दर पहले यह था कि साधारणतया 14 दिन की सूचना दी जायेगी, माननीय सदस्यों को। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि 14 दिन की ही दी जाये, 24 घन्टों में भी विधान सभा को आहूत किया जा सकता

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय, अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

है। नये नियमों में, जो एक तारीख से लागू हुए हैं, यह है कि 14 क्लियर डेज। इसका मतलब जिस दिन नोटिस निकला है, उसको शामिल नहीं किया जायेगा, जिस दिन सभा की मीटिंग होगी, उस दिन को भी शामिल नहीं किया जायेगा।

आपका कहना इस हद तक तो सही है कि दिन 13 हैं। लेकिन नये नियम एक तारीख से लागू हुए हैं और आहूत की है, पुराने नियमों के अन्तर्गत 31 तारीख को। तो 14 दिन उस हिसाब से चाहे इधर जोड़ दीजिये या उधर जोड़ दीजिये वह हो जाते हैं। 14 दिन, जैसा मैंने निवेदन किया, यह कोई जरूरी नहीं है। विधान सभा की बैठक 14 दिन की कम अवधि में भी बुलायी जा सकती है। इसलिये इसमें कोई कानून, या संविधान या नियमों का हनन हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में यदि हमको 14 दिन का नोटिस देना है, तो जो बैठक का दिन है और सूचना जारी करने का दिन है, इन दोनों दिनों को अलग रखकर, क्लियर, स्पष्ट 14 दिन का समय आपको दिया जायेगा। इसलिये, आपका जहां तक यह व्यवस्था का प्रश्न है. प्रश्न को मैं उठाने की या स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। ठीक है, आपने जो सुझाव दिया, नये नियम आ गये हैं जो सूचना जारी हुई, उसके पश्चात् लागू हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : सवा घन्टा पाइन्ट आफ आर्डर में लग गया है।

श्री नाथूसिंह : रूल 133

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, नये रूल की जो बात कही, वह एक सितम्बर से लागू होंगे। आहूत किया है, 31 अगस्त को। इसलिये उस आहून की स्थिति में नये रूल्स लागू नहीं होते हैं। इसलिये जब तक 14 क्लियर डेज....

श्री अध्यक्ष : पहले वाले में नहीं है, नये वालों में है। नये वालों में क्लियर डे लिखा। क्लियर का मतलब जिस दिन सूचना जारी हुई और जिस दिन बैठक हो, वह दो दिन इसमें से निकाल दिये जायेंगे।

भूतपूर्व मन्त्री का वक्तव्य

श्री नाथूसिंह : 133 Statement of Minister who has resigned....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, वास्तव में पाइन्ट आफ आर्डर होना चाहिये।

श्री नाथूसिंह : 133 में, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा है, जब कोई माननीय मन्त्री रिजाइन करे तो स्टेटमेंट हाउस में दिया जाता है। यह एक परिपाटी भी रही है और यह रूल दिया है....

श्री अध्यक्ष : सब में नहीं दिया है।

श्री नाथूसिंह : रूल दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अगर वह देना चाहें तो। इसके लिये आवश्यक नहीं है कि वह दें। There is no point of order.

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा में, राजस्थान के न केवल एक मन्त्री को बल्कि पूरी सरकार को हटाया गया, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे उनको हटाया गया, बर्खास्त किया गया केन्द्र के द्वारा। इस सम्बन्ध में सदन चाहता है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी कहना चाहेंगे कि क्या कारण थे, जो उनको हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह सत्तारूढ़ दल का आंतरिक मामला है। आर्डर प्लीज। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : क्या कारण थे कि उनको हटाया गया ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है। पहली बार हरिजन मुख्यमन्त्री बना और हरिजनों के हिमायती बनते है ....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : बिना किसी कारण के हटा दिया गया ...

एक माननीय सदस्य : यह हमारा अधिकार है कि वह स्टेटमेंट दें ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, मैंने इसको निरस्त कर दिया।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन मुख्य मन्त्री को हटाया गया है, बड़े शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह पाइन्ट आफ आर्डर का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। निरस्त कर दिया मैंने।

आर्डर प्लीज। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री नाथूसिंह : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, अध्यक्ष महोदय, पहले आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैंने सुन लिया, समझ लिया और अपना निर्णय भी दे दिया। आर्डर प्लीज। आप मेरी बात तो सुनिये। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप जिस नियम का हवाला दे रहे हैं, वह नियम उस स्थिति में लागू होता है जब वर्तमान मन्त्रिमण्डल में से, यानी उस वक्त मन्त्रिमण्डल जो कार्य कर रहा है, उसमें से यदि एक मन्त्री अपना इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफे के कारणों पर प्रकाश डाल सकता है। लेकिन मंत्री ..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यह कार्यवाही में स्पष्ट बाधा है।

आर्डर प्लीज। यह सदन पर आप कार्यवाही थोप रहे हैं, माननीय सदस्य।

आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह हरिजनों के साथ घोर अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी क्या हरिजनों के साथ इस प्रकार का अन्याय चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पहाड़िया-जी के साथ बहुमत था।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): आधे से ज्यादा मन्त्रिमण्डल हरिजनों के साथ था, सवर्णों को बर्दाश्त नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्या, आप बाधा उत्पन्न कर रही है, सदन की कार्यवाही में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, यह नियम इस तरह से लागू नहीं होता है।

श्री नाथूसिंह : होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह राजनीति की प्रयोगशाला है भाई। प्रयोग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। आसन पैरों पर है। मैंने इस पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त कर दिया।

श्री नाथूसिंह : मेरा तो आपने सुना ही नहीं, उसको निरस्त कहां से कर दिया, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : कई दफा बिना सुने ही प्रथम पैरवी में खारिज हो जाता है।

श्री नाथूसिंह : इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, मेम्बर चाहें तो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है "वर्तमान मन्त्रिमण्डल में से" इसमें कहीं नहीं लिखा है। I am quoting the rules. Sir, I am quoting the rules.

श्री अध्यक्ष : यह मंत्री के ऊपर है। कोई मन्त्री इस्तीफा दे, तो वह इस्तीफे के कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह उनकी इच्छा पर है। आप एकाध को तैयार करके तो लाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा यह। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं श्री नाथूसिंह को नाम से सम्बोधित कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश के करोड़ों हरिजनों की भावनाओं के

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हरिजन मुख्य मन्त्री को हटाना सरासर अन्याय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित कर रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें। नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा। मैं नाम से सम्बोधित ··

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज श्री जोशी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, मेरा आज का एक स्थगन प्रस्ताव है बाढ़ के नाम पर

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने श्री दाऊदयाल जोशी का नाम पुकारा था! आप बाद में बोल सकते थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रकाश के नाम पर कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरा निवेदन करना यह है कि आज का दिन कोटा जिले के लिये जीवन और मरण का प्रश्न है। कोटा जिले की मुख्य नहर का पानी 15 तारीख से अनिश्चित-काल के लिये बन्द कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव कौन सा है, कब दिया आपने ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने ललित किशोर जी चतुर्वेदी के साथ दिया। हम चार जनों ने मिलकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। इस पर राज्य सरकार से जानकारी लेकर मैं आपको····

श्री दाऊदयाल जोशी : जानकारी की बात नहीं है, मेरा निवेदन सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, अगर आप सुन लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। यह नहर पांच दिन में बन्द हो गई····

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से कल तक जानकारी ले लूंगा और कल इस पर जवाब मिल जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय आपने राज्य सरकार से जानकारी चाहने की बात कही है। नहर में पानी छोड़ने के बाद कंटीन्यूटी-डिसकंटिन्यूटी निर्माण होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उनको बोलने का अवसर दिया जाय ताकि वे सरकार को सारी स्थिति से अवगत करा सकें। नहर अगर बन्द हो गई और सरकार दो दिन के बाद निर्णय लेती है, तो इसमें बहुत बड़ा अन्तर पड़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई एक माननीय सदस्य जो ठीक समझते हैं कि मैं इस पक्ष को अच्छी तरह से रख सकता हूं, वे पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जिन प्रस्तावों को आपने डिसअलाऊ कर दिया कि किसी और समय बोल लेंगे। अगर आप उनकी इंपार्टेंस समझते हैं, तो यह परिपाटी रही है कि आप 2–2 मिनट बोलने का समय उनको दें।

Page No 63

(63)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको निरस्त कर दें, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

श्री अध्यक्ष : आप काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन मंत्री चले गये, कौन नहीं गये, यह दल का अन्दरूनी मामला है। यदि कोई मंत्री महोदय चाहें तो उनको मेरे पास ले आइये इसमें…

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, काम की बात होने दीजिये, नहरों का मामला पहले आयेगा। श्री जोशी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की आवाज को रोकना, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की आवाज को रोकना……

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, उसके बाद श्री दाऊदयाल जोशी। आर्डर प्लीज। उनको कोई बाधा नहीं है। वे माननीय सदस्य बैठे हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी मंत्री के द्वारा पद त्याग तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें तो यह है कि पूरा मंत्रिमण्डल ही चला गया और वह भी असंवैधानिक तरीके से।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य। काम की बात होने दीजिए। आपसे मेरा निवेदन है। श्री जोशी।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं काम की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, काम की बात है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमेशा सरकार बदलेगी, तो राजस्थान का विकास कैसे होगा ? कैसे विकास करेंगे ? एक साल में सरकार…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करूं, आप बाधा डाल रहे हैं, सदन की कार्यवाही में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं कहना चाहती हूं शराबबन्दी के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा, उस पर आपने कहा कि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है, किसी दिन उठा लिया जायेगा। मैं भी नीति सम्बन्धी प्रश्न के बारे में कहना चाहती हूं कि संविधान की धारा 45 में नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि शराबबन्दी की जायगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आप आश्वासन दे दें कि बोलने का अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं दिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो हमारे हितों पर कुठाराघात है। यहां बाहर अनेकों आदमी यह प्रश्न लेकर आये हैं। इस प्रकार से इसको टालने नहीं दिया जायेगा। मुझे 10 मिनट आप बोलने दें, लेकिन आपको बोलने देना होगा, यह मैं कह देती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले उनको इजाजत दी है। श्री जोशी। आपने जो बात कही है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बोलने देंगे ना ? मुझे आप यह कह दीजिये बाद में सुनूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बात कही है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बोलने देंगे ना ?

श्री दाऊदयाल जोशी : सम्माननीय अध्यक्ष महाभाग, मेरे कोटा जिले का दुर्भाग्य रहा है कि न जाने क्यों गत दो वर्षों से राजस्थान विधान सभा में चर्चा करने के बाद ही राजस्थान की दायीं मुख्य नहर को समय समय पर चालू किया जाता रहा है। पिछले सत्र में भी इस विधान सभा में हमने बी. जे. पी. के सदस्यों और अन्य क्षेत्र के साथियों सहित चम्बल कैनाल को किसी तरह से चालू करने के बाबत प्रश्न उठाया था। उसी का परिणाम था कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री, प्रद्युम्नसिंहजी ने बड़े प्रयास करके उसको चालू किया। उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी पुरजोर मांग पर उन्होंने चम्बल नहर को यथावत् चालू रखा और मध्य प्रदेश के पानी को भी राजस्थान को दिलाने में उन्होंने भरसक प्रयास किया। दुर्भाग्य यह है कि न जाने कौनसे कारणों से जो 15 दिन पहले चम्बल नहर प्रारम्भ की गई, राजस्थान में इस बार फिर बारिश कम हुई है और बारिश कम होने के कारण हम चम्बल नहर को और किसी प्रकार से चालू नहीं कर सकेंगे। मेरे पास पिछले साल के और इस साल के गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बेराज के आंकड़े हैं। 11-9-80 को चम्बल के इन तीन बांधों का जल स्तर गांधी सागर में 1284.8 राणाप्रताप सागर में 1189.88, जवाहर सागर में 987.00 और कोटा बैराज में 851.30 था, जबकि इस वर्ष इन बांधों में क्रमशः 1289.38, 1142.38, 979.00 व 851.80 फीट जल स्तर है। मेरा निवेदन करना यह है कि दायीं मुख्य नहर खण्ड से पिछली बार कोटा के किसानों ने दोनों फसलें ली थीं। चम्बल के अधिकारी बार-बार कहते रहे कि हम एक ही सिंचाई देंगे लेकिन तीन बार उन्होंने सिंचाई की। राजस्थान विधान सभा में हमारी पुरजोर मांग होने के परिणामस्वरूप तीन बार उन्होंने पानी दिया। उसके बाद दूसरी फसल आई, उसको भी पानी दिया। पिछली बार का जो जल स्तर था, उससे इस बार 1284 से 1289 यानी 5 फीट पानी गांधी सागर में अधिक है। ऐसी स्थिति में जबकि पिछली सिंचाई के समय हमको बार बार पानी दिया गया था, आज 15 दिनों से एक तारीख को चम्बल नहर प्रारम्भ हुई, पांच तारीख तक चम्बल के हैड से टेल तक पानी पहुंच पाया है, वह भी ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाया है। आज की तारीख में बिजोला क्षेत्र में नाम मात्र की सिंचाई हो गई है, वहां पर पानी नहीं जा सका है। इनमें जो टेल के गांव है, वहां पानी नहीं पहुंचा है। आज कहा जा रहा है कि इसे बन्द कर दिया जायेगा। आज वह दुर्भाग्य पूर्ण दिन है, आज वह भयानक दिन है, वह काला दिन है कि आज कोटा की मुख्य नहर अचानक बन्द कर दी जायेगी। मुझे दुख इस बात का है कि पिछले सत्र में इसी राज में पहाड़ियाजी के समय हम लोगों को पूछा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जाता था, किसानों को बार बार पूछा जाता था कि नहर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक चलेगी और इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बन्द रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज किसी को नहीं पूछा जा रहा है। यह गलत निर्णय लिया है। आज चम्बल कैनाल बन्द होने जा रही है। जिससे किसान परेशान हैं। मेरे इलाके की बात है, इसमें राजनैतिक भेदभाव बरता जा रहा है। बूंदी में पानी जा रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : वहां की जनता तरस रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा एरिया लाड़पुरा एरिया से लगा हुआ है। लेकिन उसको पानी नहीं दिया गया है, क्योंकि वह दाऊदयाल का एरिया है, क्योंकि वह बी. जे. पी. का मैम्बर है। दाऊदयाल क्योंकि विरोधी पक्ष का है, सत्ता के खिलाफ बोलने वाला है, इसलिये मेरे एरिया के साथ में पानी के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है। मैं नये सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की भेदभाव की नीति को समाप्त किया जावे और जिस किसी अधिकारी ने यह किया है, मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय बड़े दबंग हैं, अनुभवशील हैं और ऐसी स्थिति में जब कि उस अधिकारी ने लाड़पुरा को पानी दिया है, बूंदी को पानी दिया है, केशोरायपाटन में पानी दिया है, तो मेरे इटावा, पीपल्दा, दीगोद तहसील में किसान पानी के लिये तरसते रहे, ऐसे आफिसर के खिलाफ मंत्री महोदय निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि ··

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। आर्डर प्लीज। ··

श्री दाऊदयाल जोशी : कल मैंने सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि कल से पानी बंद किया जा रहा है। इसको बंद नहीं किया जाये। कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास में नहीं लिया गया है। मैंने इस बारे में हुकनानी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं है। राजस्थान का चीफ इन्जीनियर यह कहे कि चम्बल की नहर बंद हो रही है, उसको याद नहीं है इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारा क्या हो सकता है। इसलिये मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि राजस्थान के चम्बल स्टेज योजना के तहत गांधीसागर बांध में गत वर्ष से पांच फीट पानी ज्यादा होने के बावजूद भी यह स्थिति है। इसलिए पूरा का पूरा पानी हमारी नहरों में चले। कोटा जिला अकाल से पीड़ित है। पानी मिलने से वह अकाल से बच सकेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : दो मिनट

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं किसान हूं। अध्यक्ष महोदय मैं वहां के किसानों के दुःख दर्द को व्यक्त कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के किसानों के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एरिया वर्षों से नहरों से सिंचित होता आ रहा है, परन्तु इस बार जैसी घोर अव्यवस्था जब से नहर प्रारंभ हुई, तब से आज तक नहीं हुई है। कोटा में, गांधीसागर में पिछले

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

वर्ष कम पानी था, इस वर्ष ज्यादा पानी है। उसके बावजूद भी वहां पर दो महीने-जून और जुलाई में, अगस्त में पूरा पानी चला। धान की फसल है, वह भी इस बार पानी के अभाव में नहीं हुई। दो महीने से नहर बन्द है। अब खड़ी फसलों में से मूंगफली की फसल, मक्का की फसल समाप्त हो चुकी है और जो फसलें खड़ी हैं, वे सूखने की तैयारी में है। इनके लिए सिचाई विभाग पानी नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर एक सितम्बर से पानी चला है। एक सितम्बर से आज नौ सितम्बर तक कितना पानी छोड़ा गया है? मुख्य नहर है, उसमें पानी चला नहीं। केवल 6-7 दिन कैनाल चली और टेल पर पानी नहीं पहुंचा कि उस नहर को बंद करने का प्रश्न खड़ा हो गया।

ऐसे समय में किसानों को और विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया। यह केवल इन्जीनियरों की सनक है, जो योजना बनाते समय इसका पूरा ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी फसल को कब पानी चाहिए और कौनसी फसल सूख रही है? अब अगली फसल में पानी कम रहेगा, उसके लिए वे व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो फसलें खड़ी हुई हैं, उनके सूखने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इन्जीनियर जिम्मेदार है? मंत्री महोदय, आप किसान हैं, आप किसानों के दुख दर्द को समझते हैं। क्या किसानों की राय ली गई है? क्या कोई टाइम टेबल तय किया गया है कि कौनसी फसल को कब-कब पानी दिया जायेगा? जब समझ में आया, पानी दे दिया और जब चाहा, पानी बंद कर दिया। इससे किसानों के अन्दर घोर असन्तोष है। यदि आप एक दिन का समय निकालकर के उस क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो फसलों को देखकर आप शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे। पिछली बार किसानों को पानी मिला था। मैं आशा करता हूं कि आप किसानों के दर्द को समझेंगे और उनकी सूखी फसलों को बचायेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : पाइंट ऑफ आर्डर......

श्री अध्यक्ष : पहले पाइन्ट ऑफ आर्डर। अब इस बात पर चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती विद्या पाठक : इस बात के लिये मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। कार्योजना समिति के विषय में दिया

उसको आपने स्वीकार कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें मैं आपको इजाजत दूंगा। दो मिनट में आप अपनी बात कह देना।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। नहर के बारे में, पानी के बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

आर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठायें।

श्री हीरालाल आर्य : केवल दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्षेत्र पीपल्दा है उसमें इटावा ब्रान्च कैनाल से और उससे निकलने वाली जो डिस्ट्रीब्यूटरी लक्ष्मीपुरा, गैंता छापोल, खातोली आदि से पानी जाता है। सिंचाई अधिकारियों ने पहले यह नहीं बताया कि कब से कब तक नहर चलेगी।

(श्री हीरा लाल आर्य)

मेरे इलाके में जो किसान है, वह इटावा व मांगरोल सब डिविजन के किसान हैं, हमारी फसलें सूख रही हैं, वहां पर पानी कब मिलेगा ? यह पता नहीं है। सब डिविजन होते हुए भी वहां पर कोई सहायक अभियंता नहीं था, कोई जूनियर इन्जीनियर उपलब्ध नहीं था। हमने ऊपर के अधिकारियों को कहा, तो उन्होंने कहा कि डिमाण्ड नहीं आई है। किसानों की फसलें सूख रही है। बीच में एक बार अखबार में सूचना आई कि 15 तारीख तक नहर चलेगी। एक तारीख से नहर चल रही है। मेरा जो क्षेत्र है, उसमें इटावा केनाल से पानी आता है। इस इटावा ब्रान्च केनाल को केवल 11 तारीख को खोला गया है। पानी मिला और वह 15 तारीख को बंद हो जायेगा। अब तीन, चार दिन के अन्तराल में मेरा जो इलाका है, वह पूरा का पूरा सूखा पड़ा है। तीन चार दिन में भी जिस सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता को वहां पर होना चाहिये, वह नहीं थे। चार दिन नहर चली, लेकिन उनमें से कोई वहां पर नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि किसानों की जो फसलें सूख रही हैं, उनको वे बचायें। नहर में पानी है, केवल व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था करके किसानों की फसलों को बचायें। 15 तारीख को नहर बन्द नहीं करें अपितु जब तक किसानों की फसलों में पानी नहीं पहुंचे तब तक नहर को चलायेंगे तो जो भयंकर अकाल है, उससे हम बच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि चम्बल की केनाल से जो पानी दिया जा रहा है, वह पानी पर्याप्त नहीं होने की वजह से किसानों की फसलें सूख रही है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा की और कई बातें कहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि कितना रकबा सिंचित हो गया है और कितना बाकी है ? लेकिन मैं आज ही इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर निश्चित तौर से समुचित आदेश दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने कहा है, वे जानकारी करेंगे, विधायकों को फिर विश्वास में लेंगे, तो कम से कम जब चर्चा हो जाये, आपस में बातचीत हो जाये तब तक आज के दिन कम से कम पानी देना बंद न करें। एक दिन बंद हो जायेगा, तो फिर टेल पर जाने में समय लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जानकारी करने की बात कही है। पानी बंद नहीं होना चाहिये, बंद हो उसके पहले कोई न कोई डिसीजन लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

केवल दो मिनट।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है, राजस्थान के बच्चों के साथ, उनके भावी भविष्य और उनका क्या शैक्षणिक स्तर हमारे प्रदेश का होने वाला है उससे

(श्रीमती विद्या पाठक)

सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग, जयपुर जिले के सभी विधायक इस पक्ष के भी और इस पक्ष के भी, को पांच तारीख को,

(1.40 म. प.)

(श्री अहमदबख्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिलाधीश कार्यालय में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये बुलाया गया, मैं इजाजत चाहूंगी दो तीन लाइनें पढ़ने की है हमें जिलाधीश कार्यालय से पत्र भेजा गया उसमें लिखा गया कि "5-8-81 को जयपुर जिले में 29 प्राथमिक एवं 7 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाने हैं। ग्राम एवं स्थान आदि के चयन हेतु पांच तारीख को प्रातः 11 बजे जिलाधीश कार्यालय के सभा भवन में आयोजना समिति की बैठक रखी गयी है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय खोलना है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह पढ़ने के लिये समय बहुत लम्बा हो जायेगा। उस मीटिंग में सिर्फ यह सूचना दी गयी थी कि जो स्कूल खोले जाने हैं, जो ग्रामों में स्कूल खोले जाने हैं, उन स्कूलों की तो लिस्ट निकल भी चुकी है। यह परामर्श दात्री समिति है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और परामर्श दात्री समिति का कर्तव्य राय देना है कि कौन से क्षेत्र में कौनसा स्कूल खोलना उचित व आवश्यक है। अगर केवल यह सूचना मात्र ही देनी थी, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी यह कहा कि जो सन् 1977 में कांग्रेस की सरकार ने स्कूलें खोलने का निर्णय लिया था और वह स्कूल नहीं खुले थे, वह ही खोले जायेंगे। मुझे इस बात में भी कोई एतराज नहीं है। बच्चों के जीवन को, शिक्षा को हम राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं। उस स्तर तक नहीं उतरना चाहते हैं। मगर उसको यह तो बताना चाहिए कि 1977 में कौनसे स्कूल खोले गये थे, उनका क्राइटेरिया क्या रखा गया था, कहां कहां खोले जाने थे व क्यों ?

इस दुर्भावना का नतीजा यह हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो स्कूल आलरेडी सन् 1977 के बाद खोल दिये गये थे, उनको नये स्कूलों की संख्या में ले लिया गया और इनको भी पुनः आरम्भ आदेश प्रदान कर दिये गये। यह दाऊदयाल जी बता सकते हैं, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता सकते हैं, और सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य बता सकते हैं कि जो स्कूल आलरेडी 1977-78 में खोल दिये गये थे, पुनः उन्हें खोलने के आदेश कर दिये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मसखरापन व बच्चों के जीवन के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ और बहुत बड़ा अन्याय है। यह प्रशासनिक दिवालियापन है। यह बात नहीं है कि जहां जहां स्कूल खोल दिये ......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त करने की तो बात ही नहीं है। बात तो यह कि उन दुबारा खोले गये स्कूलों का क्या होगा, उन बच्चों

(श्रीमती विद्या पाठक)

का क्या होगा, दुबारा स्कूल खोल दिये गये हैं, तो इन स्कूलों की क्या व्यवस्था होगी ? इसके लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ करें। यह बड़ा मखौल हुआ है, मजाक हो रहा है शिक्षा विभाग का। हम नहीं कहते हैं कि 1977 में आदेश दिये गये थे वहां पर स्कूल नहीं खोलें जायं, मगर डुप्लीकेसी हो जाये तो यह एक बहुत ही बुरी बात है। हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा हास्यास्पद रिमार्क है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनसे यह कहा कि आप 1977 में खुलने वाले स्कूल खोलें, कोई परेशानी नहीं है, बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, मगर जो 1977 में खोले गये थे उनका क्या क्राइटेरिया था, वह क्राइटेरिया हमको मिलना चाहिए था। आयोजना समिति के सदस्यों को पहले से यह भी लिस्ट मिलनी चाहिए थी कि कहां कहां स्कूल खोल दिये गये हैं और उसका क्राइटेरिया क्या रखा है। कहां आप स्कूल खोल रहे हैं, कितने स्कूल खोल रहे हैं, कोई सूचना तो होनी चाहिए। कोई सूचना नहीं दी गयी, कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो स्कूल खोले गये, यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है यह अप्रोच बड़ा इर्रेशनल है, जो जिस जिस तरह स्कूल खोले गये हैं, यह बहुत बड़ा अन्याय है बल्कि यह सारे विधायकों का अपमान है। हम अपने सारे कार्यक्रम कैन्सिल करके आये थे, जगह-जगह से दूर-दूर से हम आये थे। हमारे क्षेत्र में स्कूल खोले जाने हैं। निर्णयात्मक समाचार मिला एक माननीय सदस्य से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठते हैं। क्या सिर्फ सूचना देनी थी ? यह परिस्थिति कलेक्टर को मालूम नहीं है ? और यही सूचना देनी थी, तो यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। मैं समझती हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। हमारा बेस स्कूल खोलने का, कम से कम, चिकित्सालय खोलने का, नीड बेस होना चाहिए और इसमें कुछ उचित अप्रोच होनी चाहिए, जो इस वर्ष नहीं भी गयी है। इसमें यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि स्कूल खोलने में उनको नीड बेस बनाने की आवश्यकता है ताकि सारे प्रदेश में उचित शिक्षा की व्यवस्था हो सके।

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो नजीर पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बाऊदयाल जोशी : मेरा नाम है। आप देख लें। आप मेरी बात तो सुन लें, आपकी आज्ञा होगी तो बैठ जाऊंगा, लेकिन एक नजीर दे रहा हूं। कोटा जिले में सांगोद तहसील में दो गांव हैं—आमली और हरिपुर। वहां पर जनता राज में स्कूल खोले गये थे। कांग्रेस राज में तय किया गया था, जनता राज में खोले गये थे। अब यह आदेश दिये गये हैं कि जहां पर जनता राज में 1977 में स्कूल नहीं खोले गये थे, वहां पर स्कूल खोल दिये जायें, लेकिन वहां पर स्कूल चलते ढाई साल हो गये हैं। आमली में एक मिडिल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

स्कूल है और हरिपुरा में भी है, पर वहां फिर स्कूल खोलने के आदेश कर दिये गये हैं। फिर नाम आ रहा है कि कोटा जिले में 6 मिडिल स्कूल खोले गये हैं, जसोदा, जसरपुरा, आमली, हरिपुरा, गमचावाड़ी और गगयाची। दुर्भाग्य की बात है कि कोटा जिले में केवल 3 प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं 500 में से 3, उनमें से भी एक गांव कोटा में कहीं है ही नहीं, वह है गगयावी और कोष्ठक में लिखा हुआ है गगायची। यह कोटा जिले में कहीं गांव नहीं है। मेरा चैलेंज है, शिक्षा मन्त्री को कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी, कोटा जिले में ऐसे नाम का कोई गांव ढूंढकर दे दें तो या तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा या शिक्षा मन्त्रीजी त्याग पत्र दे दें। मेरा निवेदन है कि आपको नाम का ज्ञान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो ठीक कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में तीन प्राइमरी स्कूल! इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : 1977 के उन गांवों में अब खोले जायेंगे जो आपने बन्द कर दिये थे और खोले नहीं थे। लेकिन कुछ गलती हो सकती है, उसको ठीक कर लेंगे। सन् 1977 में आपने जहां पर खोले नहीं थे, हमने उनको यह महसूस करके कि•

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय को शिक्षा मन्त्री बना दिया गया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह शिक्षा का सवाल नहीं है, मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो ललितजी ने बन्द किये थे, उनको खोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी: क्या शिक्षा मंत्री हैं ये, राज्य मन्त्री हैं शिक्षा के, उपमन्त्री हैं, ये शिक्षा के........

एक माननीय सदस्य : आमली में तो स्कूल खोले हुए ढाई साल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्रीजी उत्तर दे रहे हैं। मन्त्री महोदय को तो अनुमति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को इस वक्त तो बहुत तकलीफ हो रही है पर जिस वक्त सन् 1977 में कांग्रेस सरकार के समय में जो स्कूल खोले जाने थे, जब जनता सरकार आयी, तो उन्होंने उन स्कूलों को

(श्री मोहनलाल मोदी)

नहीं खोला। अब कांग्रेस सरकार आ गयी है, तो उन स्कूलों को वापस खोल दिया गया है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है ? बच्चों को परेशानी हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : 20 लाख रुपये का मामला…

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कुछ आसन की भी गरिमा होती है उस पर भी ध्यान दें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : एक बात कहे देता हूं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं इन्कम टैक्स आफिसर बहुत ईमान्दार है

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन साल हो गये हैं स्कूल खोले हुए

श्री उपाध्यक्ष: कुछ कायदे कानून भी हैं। मैं आसन पर खड़ा हूं और आप बोले जा रहे हैं। कुछ कायदे कानून का ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : यह गरिमा तो जनता पार्टी के लोगों ने खतम कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जनता पार्टी को चुकी है…

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Is there any point of order ? I won't allow.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह है….

श्री उपाध्यक्ष: कृपया पाइंट आफ आर्डर बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मन्त्री महोदय जब भी चाहें आपसे अनुमति लेकर कुछ कह सकते हैं वे खड़े हुए थे। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य, दाऊदयाल जी ने दो ऐसे गांवों के नाम बताये हैं जहां कि स्कूल खोले जा चुके थे - अब वापस खोल दिये गये हैं। उस विषय पर माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, जो दाऊदयालजी ने बात बतायी है, उसका जिक्र करके कुछ कहना चाहते हैं…

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

मैं इजाजत देने में असमर्थ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव आवश्यक सेवा अनुरक्षण सम्बन्धी अध्यादेश के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी……

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : पाइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय को भी आप इजाजत नहीं देंगे, वे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलना चाहते थे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): वह गलती सुधारने वाली बात कह सकते हैं

श्री उपाध्यक्ष : आपके करेक्शन का शुक्रिया, तशरीफ रखिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, प्लीज

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी, जो एक बात कह दे लोक सभा में, और उसके खिलाफ केन्द्रीय वित्त मन्त्री, माननीय श्री वेंकटरमन ने कहा

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का समय आपको दिया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1979 में 40 मिलियन डेज़ का नुकसान हुआ, 1980 में 13 मिलियन डेज का नुकसान हुआ। इसके बाद में उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश जारी करते? जब उत्पादन बढ़ रहा था, हड़तालें कम हो रही थीं इसके बाद में भी क्या हो गया सरकार को, वह श्रमिकों के लिए यह काला कानून लायी है? उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने का, प्रशासन के खिलाफ लड़ने का, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने का और शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार है, उस पर कुठाराघात करने के लिये केन्द्रीय सरकार काला कानून लेकर आई है। उस काले कानून को लाने के पश्चात् हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री नये-नये थे, मुख्य मंत्री बनते ही उन्होंने कहा था कि इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की कृपा हो गई इसलिए मैं मुख्य मन्त्री आया। कोई मुख्य मन्त्री नहीं बोला, सबसे पहले राजस्थान के मुख्य मन्त्री, जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, शिवचरण जी माथुर, ने इस काले कानून का स्वागत किया और राजस्थान में इसको लागू किया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी कौनसी परिस्थियां थीं, राजस्थान में कौनसी स्ट्राइक हो रही थी, श्रमिकों ने कौनसा बलवा कर दिया था कि उनके मूलभूत अधिकारों का हनन किया?

उपाध्यक्ष महोदय, वही वातावरण बनाया जा रहा है, जो आपातकाल के पहले बनाया गया था। जिस आपातकाल के अन्दर जर्नलिस्टों को कुचला गया था, श्रमिकों को कुचला गया था तथा न्याय के दरवाजे बन्द कर दिये थे, वह आज भी हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के······

(व्यवधान)

को हटाया गया है, श्रमिकों को दबाने के लिये कानून लाया गया है। पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको पीटा गया, उसका समर्थन हमारे मुख्य मंत्रीजी करते हैं। ब्यावर में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, मैं वैसे तो इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि वह किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं, एक ही उदाहरण इसके लिये पर्याप्त है। बम्बई में मजदूरों के नेता है, सामन्त उनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद वहां के हाई कोर्ट ने तीन बार उनको रिलीज कर दिया। बाद में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या है यह ? आज की सरकार चाहती है पूंजीपतियों का संरक्षण करे, मिल मालिकों का संरक्षण करे। एक और व्यवस्था है, इसको रोका जा सकता है। यह इस प्रकार का कानून है श्रमिकों के हाथ काट कर रख दिये गये। श्रमिकों के ऊपर आपातकाल की काली तलवार लटक रही है, उनके ऊपर यह काला कानून लाद दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, बंगाल की सरकार ने इसको लागू नहीं किया, जम्मू और कश्मीर की सरकार ने इसको लागू नहीं किया, केरल की सरकार ने इसको लागू नहीं किया। हम मांग करते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जो राजस्थान की विधान सभा और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, दिन में थोड़ी बहुत श्रमिकों के लिए जगह है, तो इस काले कानून को राजस्थान में लागू नहीं किया जाना चाहिये। यह काला कानून राजस्थान के इतिहास में कलंक है। मुख्य मंत्री जी के दो महीने के पीरियड में कलंक का टीका है जो उन्होंने यहां पर किसानों और मजदूरों पर थोपा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस विधेयक के द्वारा पूंजीपतियों को संरक्षण मिला है, वे किसी भी प्रकार मजदूरों को बाहर निकाल सकते हैं। के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके आफिसर हैं, मालिक हैं, प्रशासक हैं, उनके हाथों में, उनकी गर्दन दी गई है। यह इस प्रकार का कानून है, जिससे हमारी प्रजातांत्रिक आस्था और व्यवस्था को चुनौती दी गई है।

ऐसा कानून पहले आपातकाल में लागू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी नहीं था और लालबहादुर शास्त्री के समय में भी नहीं था। यह तो जब कभी इन्दिरा गांधी आती हैं, तब-तब इस प्रकार का काला कानून लेकर आती हैं। पहले संजय को प्रधान मन्त्री बनाने का सपना रचा था और अब राजीव को राजनीति में लाने के लिए इस प्रकार का काला कानून प्रयोग में लाया जा रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जिनकी कृपा से मुख्य मन्त्री जी आये, ब्यावर में कहते हैं, उनकी आत्मा की आवाज थी। वह कहते हैं आत्मा की आवाज से इन्दिरा जी का साथ दिया था, इसलिए मुझे मुख्य मन्त्री बनाया गया। अगर आत्मा की आवाज है, तो इस काले कानून के खिलाफ क्यों नहीं बोलते ? कहते हैं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन राजीव ने कहा इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस प्रकार के मुख्य मन्त्री से राजस्थान के श्रमिकों का विकास नहीं हो सकता। राजस्थान में कौनसी परिस्थितियां थीं ? राजस्थान में स्ट्राइक नहीं है, न सार्वजनिक क्षेत्र में, न प्राइवेट क्षेत्र में, यहां पर कोई अशान्ति नहीं, यहां पर श्रमिक हड़ताल नहीं, यहां पर इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं यहां पर क्यों लागू किया ? इसका मतलब हमारे मुख्य मन्त्री जी की बुद्धि दिल्ली में गिरवी रखी हुई है। दिल्ली से जिस प्रकार का आदेश होता है, उसी प्रकार से करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में निवेदन करना है कि इस प्रकार की बात हुई, तो हिन्दुस्तान के अन्दर श्रमिकों का विद्रोह होगा और उस विद्रोह के आधार पर यह तानाशाही और प्रजातन्त्र पर हमला करने वाली सरकार नहीं टिक सकेगी। इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं मजदूरों और किसानों का कि सरकार से लड़ने के लिये खड़े हो जाओ। काला कानून आज मजदूरों पर आया है, कल पत्रकारों पर आयेगा, न्यायालयों पर आयेगा और राजनैतिक नेताओं पर आयेगा। मैं आह्वान करता हूं, मजदूरों ! लड़े हो जाओ और काला कानून बनाने वाली सरकार को समाप्त करो।

यह मुख्य मन्त्री जी, काले कानून के प्रतिनिधि बन कर राजस्थान में आये हैं। ओवर ड्राफ्ट में राजस्थान का पैसा खो दिया और कहते हैं देने का कुछ नहीं है, 'नदामि न ददामि,' वे इस तरह कुछ देने वाले नहीं हैं। केवल इस काले कानून को राजस्थान में लाकर राजस्थान को दिल्ली का सूबा मानने के लिए बैठे हैं। ऐसे मुख्य मन्त्री की शुरुआत इस कलंक के टीके और काले कानून से की है, मैं सदन के माध्यम से इसकी भर्त्सना करता हूं और श्रमिकों का आह्वान करता हूं विद्रोह करे, और इस काले कानून और सरकार को तोड़ दें, धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा।

श्री त्रिलोकसिंह (फतहपुर) : हमें बोलने की इजाजत चाहिये, काले कानून के खिलाफ बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं बाद में विचार करूंगा। डा. उजला अरोड़ा।

डा० श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 11 अगस्त को अचानक मुख्य मन्त्री जी ने एक अध्यादेश निकाला कि शराब बन्दी समाप्त की जाती है। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा किस निश्चय से किया ? राजस्थान में शनैः शनैः करके शराबबन्दी को स्वीकार किया गया था। हम जो संविधान की शपथ लेते हैं, उसमें अनुच्छेद 47 नहीं निकाला जाता। सारे संविधान की शपथ लेकर हम बात करते हैं। हमारे संविधान की मंशा है कि शराबबन्दी की जाय, देश को शराब की बुराइयों से बचाया जाय। मान्यवर ! भारतीय संविधान की धारा 47 में कहा गया है कि राज्य की जनता का पोषण, भोजन और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये तथा लोक स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में से माना गया है, विशेषतया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक प्रयोग और भोजन का उपभोग करने का निषेध करेंगे। मैं नहीं जानती, राजस्थान की सरकार ने संविधान के न मानने की शपथ ली है क्या ? इस तरह से संविधान की अवहेलना, अवमानना कहां तक उचित है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगी, पूरी केबीनेट से आग्रह करूंगी कि यह जो निर्णय लिया गया है, इस को वापस ले। हम उन लोगों में से हैं, जो यह बात कहते हैं-- "असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय" "मृत्योर्मा अमृतम्य" हमें अमृत की ओर ले चल। हमें प्रकाश की ओर ले चल, हमें ज्योति की ओर ले चल, और एक यह, अन्धकार के लिए वातावरण फैला देंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप

Page No 75

(75)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो उर्दू दा है, आबेशद कहा गया, प्रसाद का पानी। यह प्रसाद का पानी हमारे यहां बनाने की क्या जरूरत थी ? एक प्रसाद का पानी तो आसमान से आया, बाढ़ आयी। सारे लोग जूझ रहे थे कि बाढ़ से बचा जाय। जैसलमेर में जहां अकाल पड़ा, वहां के जो पानी के टैंकर थे, वे यहां लाये गये पानी पिलाने के लिये। राजस्थान की सरकार को यह तो नहीं सूझा, कि जहां अकाल पड़ा वहां पानी पहुंचा दें। लेकिन क्या किया ?

अकाल की विभीषिका में राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया कि शराब खोल दी जाय। लोग बाढ़ से जूझ रहे थे पर न जाने राज्य सरकार ने ऐसा दुष्ट निर्णय क्यों लिया ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं कि राज्य सरकार अपने आप इस निर्णय को वापस ले। जब शराब बन्दी हमने की, तो हर स्थान पर खुशी मनाई गई, राजस्थान की गली-गली में और गांव गांव में लोगों ने खुशियां मनाई थी कि यह कानून बनाया गया है, अब पैसा बच जायगा। माताओं और बहनों से पूछें, उन्होंने आशा की थी कि मेरे पतिदेव काम कर घर में पैसा लायेंगे, पैसा बचेगा। हम लोग भी खुश हुये थे। उसकी स्याही सूखी भी न थी कि राज्य सरकार ने दुबारा कलम चला दी और किसी से पूछा नहीं। जिस बिल को राज्य विधान सभा में पेश किया गया था, उसको समाप्त करने का निश्चय किस तरह से जागृत हुआ ? मैं समझ नहीं पाती हूं। अनेकों दलीलें है, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगी ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये. माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय नहीं है कि मैं दो मिनट समाप्त कर दूं। मैंने आपसे आग्रह किया था कि मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगी, चाहे आप मुझे सदन से निकाल दें, मेरा गला दबाना चाहे, तो दबा दें, लेकिन मुझे अपनी बात कहने से नहीं रोकेंगे। आपके इस्लाम धर्म में कहा गया है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, कितने हमारे ऋषि-मुनि, मनीषी है किसी ने यह नहीं कहा कि शराब पिलाओ। हजरत मोहम्मद ने फरमाया है, अल्लाह ने लानत फरमाई है, शराब पीने और पिलाने वाले पर, बेचने और खरीदने वाले और किसी भी प्रकार का सहयोग करने वाले पर। उपाध्यक्ष जी, आप भी मानते हैं और पूर्वज भी मानते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब बहुत बुरी चीज है।..

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपने मेरी बात में अपनी बात मिलाई, उसके लिये धन्यवाद देती हूं। मुझे आपकी प्रेरणा चाहिये। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पुरुष नशीलें पदार्थों का सेवन करता है, या कराता है, वह घोर पाप करता है। मैं कहना चाहूंगी कि श्री बैद जो हमारे आबकारी मन्त्री है, जैन धर्म को मानते हैं, उनके जो तपस्वी मुनि हैं, उन्होंने कहा है-- 'मद्य असल में मल का सार है। मदिरा बुद्धि को भ्रष्ट, शरीर को विकृत कर मस्तिष्क व विचारों में अस्त-व्यस्तता पैदा कर विवेक को नष्ट करने वाली वस्तु है।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह उपदेश आपको समाज में जाकर देना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इस सरकार को भी देना चाहूंगी। हम वह हैं, जो बात कहते हैं, वह कर भी सकते हैं। हमारी सरकार ने जो बात कही थी, वह की है। हमारी इस सरकार ने, कोई दूसरी नहीं, इसी राज्य सरकार ने जिस काम का निश्चय किया था, उससे मुख मोड़ा है, समाज में हम वायदा करके आये हैं कि हम समाज का सुधार करेंगे, हम छोटी-छोटी पंचायतों, जो चौपालें होती हैं, उनसे चाहते हैं कि सुधार का काम करें। इस ओर कहते हैं पियो उस ओर कहते हैं मत पियो-ऐसे कैसे चलेगा? लब पर तोबा है, हाथ में सागर, आज दोहरा गुनाह करते हैं। हमसे कहते हैं समझायें और खुद पीते हैं?

महात्मा गांधी ने कहा है, शराबखोरी और यह बुराई केवल समाज के प्रचारक नहीं रोक सकते हैं। इसके लिये कानून नितांत आवश्यक है। जो कानून बनाया गया था, किस कारण से खोला गया? मैं पूछना चाहती हूं, जो पियक्कड़ थे, उनके लिये लाइसेन्स बनाने की छूट दी गई थी, जितने पीने वाले थे, रजिस्ट्रेशन भी होता था, वे बराबर पीते रहे। हमने उनको पीने से रोका नहीं, सरकार ने रोका नहीं, नई पीढ़ी पीने वाली पैदा न हो, इस बात के लिये हमारी प्रक्रिया थी। क्या नये चरित्र निर्माण करने के बजाय, चरित्र को भ्रष्ट करने का वायदा करके, यहां यह सरकार विधान सभा में काम करेगी? मैं रोक भी जाती मेरी बात बोलने से, लेकिन मैं कहना चाहती हूं समाज का दायित्व है, हम गांधी जी को देश का नेता मानते हैं, उन्होंने कहा है, शराब बन्द होनी चाहिये। इतने मनीषी हुए हैं, हमारे गुरु नानक देव ने कहा है, 'ऐसे पेय का सेवन मत करो, जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाय, उदर में विकार उत्पन्न हो, अपने और पराये में भेद न जान सके और मालिक से धक्के खाये।'

मैं कहती हूं भगवान को भूल जाओ, ऐसे पेय के सेवन कराने में सरकार को क्या लाभ है? सरकार ने एक दलील दी थी कि सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली, तो सरकार को नहीं मिली। सफलता के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि वह सफल हो सके। उन्होंने कितने कानून नष्ट कर दिये, जिनमें सफलता नहीं मिली? आज भी क्राइम्स होते हैं, आज भी डकैतियां होती हैं, ताले टूटते हैं, नकबजनी होती है, मर्डर्स होते हैं, बलात्कार होते हैं, क्यों सरकार थाने बन्द नहीं करती है? कौनसा ऐसा कानून तोड़ दिया? अगर सफलता नहीं मिली तो सरकार को चाहिये कि थाने बंद कर दें, क्राइम्स करने की छूट दे ...

श्री उपाध्यक्ष : माफ कीजिये, माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये। आपका समय हो चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि मेरी बात, मेरी नहीं पूरे समाज की है, मेरी नहीं पूरे राजस्थान की है, मेरी नहीं पूरे हिन्दुस्तान की है, उस बात को पूरा करने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात भली भांति रख दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मातायें, बहनें, गांव वाले हैं, एक बच्चा कहता है, पिता जी मेरे भविष्य के लिये शराब मत पीजिये। महात्मा गांधी कहते है कि मैं मद्य-पान को चोरी और वेश्यावृति से भी बुरा मानता हूं क्योंकि यह दोनों की जननी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं कह चुका हूं कि इससे किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पद पर बैठे हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे प्रेरणादायक हैं, मुझे आदेश देने वाले हैं, आप राज्य सरकार से कहें कि अगर कोई बुराई की जड़ है तो शराब है। शराबी मां को मां नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, बीबी को पीटता है, उससे रकम लेता है, उसे नोच डालता है, वह समाज में निकल नहीं सकती । बच्चे की पढ़ाई का पैसा वह पढ़ाई में नहीं दारू में लगाता है, घर बर्बाद करता है । हमारे यहां ज्ञान की तपस्या की महिमा गाई गई है, लेकिन मद्यपान किसी को सम्मान नहीं देता है ।

मैं कहना चाहूंगी, मुख्य मन्त्री क्यों यहां से गये हैं, आबकारी मन्त्री क्यों गये है ? वह चाहें तो खनिज पर आधारित बजट बनायें, पैसा बनायें चाहें तो बांधों को बांधें । इस हरी-भरी धरती, शस्यश्यामला धरती पर धान उगाकर पैसा पैदा करें । लाटरी के माध्यम से यह सरकार जुआ खेलती है । शराब चरित्र भ्रष्ट करती है । आप आज के दोनों अखबार पढ़कर देखें । नवज्योति में भी कहा है कि शराब पीकर चूरू में छात्रावास में लड़कों ने दंगे किये । उसमें स्पष्ट उल्लेख है, खंडार तहसील में दो हरिजनों की हत्या । मेरे यहां ट्रक ने एक बच्ची को कुचल मारा । एक बच्ची शराबियों द्वारा गायब की गई है 15 दिन से, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है । यह सरकार प्रतिज्ञा करके आई है कि सारे समाज के चरित्र का नाश करके दारू पिलायेगी...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे आग्रह करूंगी आज जयपुर में 10 हजार लोग नीचे आये हैं, गोकुल भाई भट्ट आये हैं, सिद्धराज ढढ्ढा आये हैं । मैं भी शिष्ट-मंडल में शामिल थी । अभी शिष्ट मंडल मुख्य मन्त्री से मिला ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि आपने नशाबन्दी लागू की थी और हमने उस वक्त यह दलील दी थी कि अगर आपके पास काम करने वाले काम नहीं करते हैं इसके लिये तो हमने जो सुझाव आपको दिये हैं, उन पर आप अमल करें । आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया । जब मुख्य मन्त्री जी से हमने बात की, तो उन्होंने यह कहा कि मुझे तो यह मालूम ही नहीं है कि नशाबन्दी मण्डल नाम की कोई चीज भी यहां पर है । और तो और आपके मन्त्रीजी को यह मालूम नहीं है कि नशाबन्दी मण्डल नाम की कोई चीज है । मन्त्रीजी को सरकार में आये हुए दो महीने हो गये हैं । यह नशाबन्दी की भावना आज से नहीं, बल्कि जब सुखाड़िया जी मुख्य मन्त्री थे, उनके जमाने से ही यह बात थी । सन् 1971 में जब सुखाड़ियाजी की सरकार चली गयी, उसके बाद में बरकत साहब की सरकार आयी । जब वह आये तो हम उनसे मिले । उनकी सरकार चूंकि नयी नयी बनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बाद में कर लेंगे । इसके बाद राजस्थान में नशाबन्दी पहले छः जिलों में की गयी और उसके बाद 19 जिलों में नशाबन्दी को लागू किया गया । अन्त में राजस्थान के 26 जिलों में सरकार ने नशाबन्दी लागू कर दी । अब इसको खोलने की क्या जरूरत थी ?

(श्रीमती उजला ग्ररोड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रच्छी बात कोई होती है, तो उसका ग्रनुकरण किया जाता है, न कि उस ग्रच्छी बात को समाप्त किया जाता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी माथुर साहब से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वह ग्रपनी रिजीम में पाप या क्राइम बढ़ाना चाहते हैं ? ग्राप शराब खोलना चाहते हैं, जो कि बहुत ही निन्दनीय काम है उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शिष्ट रहना चाहती हूं ग्रौर शिष्टता के साथ ग्रापके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि यह जो बात मैं सदन में कह रही हूं वह मेरी ग्रकेली की बात नहीं है, बल्कि हमारे देश की उन सभी मां, बहनों की भाषा है जो कि सदन में मैं मेरे मुंह से कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप उनकी बहुत ही तरजबानी कर रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर ग्राप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मेरा यह निवेदन है ग्रापके माध्यम से राजस्थान सरकार से कि वह इस शराब के व्यापार को बन्द करें। सरकार इस शराब के खराब धन्धे को बन्द करे। मेरा सरकार को यह नारा है कि "शराब-बन्दी लागू हो"। ग्रौर मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि लोगों के चरित्र का निर्माण कराया जाय। उनको चरित्रवान बनाने के लिये उपचार किया जाय। हम यहां बैठे हैं ग्रापको सुझाव देने के लिये, ग्राप पैसे लगाये हम इम्प्लीमेंट करने के लिये यहां तैयार हैं। जो लोग गलत ढंग से शराब बनायेंगे या जो लोग गलत ढंग से शराब बेचेंगे, उनको हम पकड़वायेंगे। ग्राप सौगन्ध खाकर यह बात कहें कि हम शराब को बन्द करना चाहते हैं। हम ग्रापकी उस नीति का क्रियान्वयन करने को तैयार हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय नहीं है कि इस विषय को मैं दो मिनट में उड़ा दूं। मै यह चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार इस ग्रोर विशेष रूप से ध्यान दे। राज्य सरकार यहां सदन में दो दिन के लिये इस बात पर चर्चा रखे, जैसा कि हमारी कमेटी ने तय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ग्राग्रह करना चाहूंगी इस ग्रध्यादेश को वापस ले, वरना हम इस ग्रध्यादेश की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। गली-गली में ग्रौर मोहल्लों में लोगों का निकलना बन्द कर देंगे। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस विषय पर सरकार गम्भीरता से काम ले, हमें ऐसी बातों के लिये उतारू नहीं करे। ग्राप सरकार को कहें। ग्रच्छा तो यही होगा कि सरकार खुद ही सम्भल जावे। सरकार को चाहिये कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी शराब छुड़ा दे। ग्राज शराब की वजह से जो हमारे देश के लोग बरबाद हो रहे हैं, घर बरबाद हो रहे हैं ग्राप उनको बचाइये। इस काम के लिये ग्राप हम लोगों का सहयोग लीजिये ऐसा करने से दुनियां में ग्रापकी सराहना होगी ग्रौर दुनियां इसके लिये ग्रापका सहयोग भी करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापका भी तो कुछ कर्तव्य है। ग्राप कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर जब बिल सदन में ग्रायेगा उस वक्त ग्रापको बोलने का काफी समय मिलेगा।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को जागरूक करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि समाज में इसके लिये चेतना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लाई जाय और शराब को बन्द किया जाय। आज जो शराब पीकर औरतों को ठुकराते हैं, उन्हें बन्द करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन लोगों की दुर्गति होगी। मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं और सरकार को आपके माध्यम से, आगाह करना चाहती हूं आप सरकार को आदेश दें कि इस तरह से समाज में शराब को लाना उचित नहीं है। आप, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह निश्चित करा दें, तो मैं अभी बैठ जाती हूं आपकी आवाज में मेरी आवाज भी शामिल हो।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी के मामले में जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, वह हमारे संविधान के विरुद्ध है। हमारे संविधान की धारा 47 के अन्तर्गत यह है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बिराजिये। आर्डर आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो। आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह नीति का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको तथा जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं, उनको एक-एक, दो-दो मिनट का समय बोलने के लिये दिया जावे, ऐसी परिपाटी हमेशा से चली आ रही है। जैसा कि आपने टौंक से आने वाले माननीय सदस्य को समय दिया, दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय दिया, उसी तरह मेरा यह निवेदन है कि आप सभी को एक-एक, दो-दो मिनट का समय दें। यह एक बहुत ही अहम मसला है। इस अहम मसले पर सभी को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो विचार सदन में व्यक्त किये हैं, मैं मानता हूं, उन्होंने काफी विचार व्यक्त कर दिये हैं। अब आगे मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं माफी चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके अलावा और लोग भी बोलना चाहते हैं। यह प्रश्न भावनाओं का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है।

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री परसराम मदेरणा, सिंचाई मंत्री, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1981) सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर): मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मसला ऐसा है, लोगों के जज्बात इस विषय से जुड़े हुए है। यह जज्बात बहुत ही गहराई तक पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस सदन में बिल आयेगा और अभी विधि मन्त्रीजी यह कहेंगे कि उस वक्त उनको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन अच्छा तो यह हो कि इसमें माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का समय मिले, चाहे आप पाबन्द करदें उन्हें दो मिनट के लिये, पर इसके लिये एक समय 15-20 मिनट का तय कर दे, और सीमा तय कर दें। हर सदस्य के लिये दो मिनट का और सभी को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि इस विषय पर सदन में जल्दी ही बिल आने वाला है, उस वक्त सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का अवसर

श्री भंवरलाल शर्मा : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जब माननीय सदस्य सदन में स्थगन प्रस्ताव देता हैं, तो उसमें दो ही तरीके हैं या तो वह स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, या उसको राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। जब किसी माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, तब उसके लिये लगातार अध्यक्षीय रूलिंग है कि रिजेक्टेड स्थगन प्रस्तावों पर उनको बोलने का मौका दिया जाता है। यह परम्परा आज तक रही है। आप आज जो व्यवस्था करना चाहते हैं, क्या यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि आज तक ऐसे जितने भी फैसले दिये गये हैं, जो भी परम्परायें रही हैं, वह नहीं रहें? क्या आप नयी परम्परा कायम करना चाहते हैं? जिनके स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं, उनको आप बोलने नहीं देंगे, यह नई परम्परा है। जो व्यवस्था आज तक चलती रही है, जिसको सदन ने माना है, आपने माना है, सभी ने माना है, हमेशा से ही मानते हैं, और प्रस्तावों को भी माना है, क्या इस प्रस्ताव को आप विशेष बात मान कर एक नयी परम्परा डालना चाहते हैं? इस प्रश्न पर आप सोच विचार कर अपनी रूलिंग से हाउस को अवगत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करायें कि पुरानी परम्परा रहेगी या नहीं, यदि कोई भी स्थगन प्रस्ताव आया, तो एक ही माननीय सदस्य बोलेगा बाकी को बोलने नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था आप कृपा करके नहीं दें। माननीय राजबहादुर जी ने कहा कि आप दो मिन्ट ही बोलने का समय दें, चाहें तो आप उन्हे पाबन्द कर सकते हैं। ऐसी परम्परा आप न बनाइये कि जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उन्हें आप बोलने ही नहीं देंगे। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. इस पर आप अपना निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है। इसके लिये एक प्रस्ताव श्रीमती उजला अरोड़ा का था, उन्हें मौका दिया गया है। अब जब सदन में बिल आयेगा तब भी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा। उस वक्त सभी माननीय सदस्य जी भर के बोल लें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस प्रस्ताव पर 12 माननीय सदस्यों के नाम है। आप ओरिजनल देख लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी आजादी के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। यह ऐसा विषय है, जिस पर मजदूरों के बारे में आप बोलने नहीं देंगे। यह बात ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट आफ आर्डर पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जो आज तक की परम्परा हमारे सदन की रही है, क्या आज उसको समाप्त किया जा रहा है? यह पॉइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने यह फरमाया कि केवल श्रीमती उजला अरोड़ा का ही नाम है और उस गलतफहमी में आपने इनको अनुमति नहीं दी है। यह बात सही नहीं है। हमारा जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर केवल माननीय सदस्या श्रीमती उजला अरोड़ा ही बोलें, यह उचित नहीं। अन्य माननीय सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास जो सूची है, उसमें एक ही नाम है डाक्टर उजला अरोड़ा का और किसी का नाम नहीं है। मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है। हम सदन के सदस्य हैं, जिन कानूनों में... (व्यवधान) उसके बारे में हमें बोलने का अधिकार है, आप हमें बोलने दीजिए।

(2.22 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा : भूल से आपका नाम नहीं आया, तो उस भूल को सही कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ समझने की जरूरत है .

श्री भंवरलाल शर्मा: किन को ?

श्री अध्यक्ष : हमारे और आपको दोनों को। ऐसा है कि जिस स्थगन प्रस्ताव को हम अस्वीकृत कर देते हैं, वह विषय यदि महत्वपूर्ण हैं तो सदन के सामने संक्षेप में आ जायें, इसलिए हम अवसर दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए दस, बारह, पन्द्रह और बीस माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इसके मायने यह हुए कि उस पर सदन में पूरी एक डिबेट हो। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप जानते हैं कि सदन की कार्य सूची जो कार्य सलाहकार समिति है, वह तय करती है। आसन को यह अधिकार है कि जो स्थगन प्रस्ताव आ गये उनको दोनों आवर के अन्दर रेगुलेट करके, घंटे या अधिक से अधिक सवा घंटे में समाप्त कर दें, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2॥ घंटे का समय लग चुका है। क्योंकि मैंने आकर श्रीमती उजला अरोड़ा के नाम के नीचे लाइन कर दी इसलिए उन्होंने उसी को लाइन में देखा।

यह सही है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन सदन के समय को देखते हुए सब को इस पर पूरी डिबेट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शुरू में तो इस तरह के जो नीति संबंधी प्रस्ताव होते हैं, उन पर बोलने की इजाजत देने का भी मेरा इरादा नहीं था लेकिन माननीय सदस्यों ने आग्रह किया, तो एक दो को हमने इजाजत दे दी। इस पर भी श्रीमती उजला जी बोल ली हैं। उसके बाद में एक दो माननीय सदस्य अगर एक दो मिनट बोलना चाहें, इस प्रश्न को उठाना चाहें तो यह अल्पकालीन विधि है, थोड़े समय में महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष लाया जा सके, इसीलिए अल्पकालीन चर्चा की तजवीज है। यदि आप इस पर कोई डिबेट चाहते हैं, तो कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में या अन्य माध्यमों से आप अपनी बात कह सकते हैं। यदि कानून में संशोधन होगा, तो वह पूरा आपके सामने आयेगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि ..

श्री भंवरलाल शर्मा : थोड़ा-समय

श्री अध्यक्ष: मैं सब को इजाजत देने में असमर्थ हूं। मैं दो-दो मिनट का समय दूंगा। एक माननीय सदस्य बोल लिये हैं, दो को आप चुन लें, मैं बोलने की इजाजत दे दूंगा।

श्री त्रिलोकसिंह : अब हो जायेगा

श्री अध्यक्ष: आप फर्मा रहे हैं "आप उस समय यहां विराजते नहीं थे, आपके ध्यान में नहीं रहा।"

श्री त्रिलोकसिंह: सवाल यह है कि कानून के बारे में मुझे इजाजत मिली बोलने के लिए। उपाध्यक्ष जी ने कहा, श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ने प्रस्ताव रखा और मैंने उसका समर्थन किया।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। उन्होंने रखा था, वह अस्वीकृत कर दिया था। वह अपना समय ले चुके उस विषय पर सदन में बोलने में। अब हमने दूसरा विषय ले लिया और उस पर माननीय सदस्य बोल लिये। इसलिए इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यदि आप उस विषय की इजाजत चाहते हैं तो नियमों में कई तरह के प्रावधान हैं। उनको अपना कर सदन के समक्ष उसको ला सकते हैं। अब आप में से जो भी दो माननीय सदस्य बोलना चाहें दो-दो मिनट बोल लें।

श्री महावीर प्रसाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शराबबंदी खोली गयी है आप ने केवल इसको नीतिगत प्रश्न बताया है। यह नीति और संविधान के विरुद्ध है। यह न केवल हमारे संविधान की तौहीन है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है। हमारे संविधान के आर्टिकल 37 और 47 में इस प्रकार का प्रावधान है कि नशीली चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। उसके अन्तर्गत अप्रेल, 1980 से सारे राजस्थान में शराबबन्दी की गयी थी।

मेरा निवेदन है कि आर्टिकल 37 और 47 के अन्तर्गत जो नियम बनाये जाते हैं, उसके बाद उन नियमों को वापस स्क्रेप नहीं किया जा सकता, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। यह संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है और फिर यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उन्हीं के अन्तर्गत सरकार को काम करना होगा। उसके लिए वह बाध्य है हम गांधी जी का नाम लेकर गांधीवादी कहलाते हैं। गांधी जी के नाम पर शराब को वापस लाना चाहते हैं। दलील दी जा रही है कि हमारे राज्य की आमदनी बढ़ेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किसी भी परिवार पर आर्थिक संकट लाकर खड़ा कर सकते हैं। उसको हम शराबबन्दी को हटाकर करना चाहते हैं? जिन्होंने स्क्रेप किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का आर्थिक संकट खड़ा हो जाये, तो क्या आप अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति करने की छूट देंगे? उसको कहेंगे, कि हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जाओ और अनैतिक व्यापार करो। आज शराबबन्दी को खोल कर आपने इतना बड़ा अपराध किया है कि राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस व्यापार को चालू करके आप विकास नहीं कर सकते हैं। मेरा यही निवेदन है सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे फैसले हैं, डाइरेक्टिव-प्रिन्सिपल्स हैं उसके विपरीत हमारी सरकार ने यह काम किया है, उसके विपरीत इस प्रकार का नियम बनाया है।

इसलिए मेरा नम्र शब्दों में सरकार से निवेदन है, और विशेषकर उनसे जिन्होंने यह बिल पेश किया है—श्री चन्दन मल जी बैद, जो जैन भी हैं, क्या वह शराब बन्दी के पक्ष में नहीं हो सकते? वह केवल नाम के ही जैन नहीं कहलाते, मुझे याद है, कई जैन सम्मेलनों, विधायकों के सम्मेलनों और कई एम.एल.एज में मिल बात चीत कर उन्होंने माहौल खड़ा किया था। मैं नहीं समझता

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

कि उनकी क्या भावना थी ? 1981 की जनगणना में जैन शब्द उन्होंने लगाया था और वही इस बिल को यहां पेश कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुन: उम्मीद करता हूं कि शराबबन्दी को पुन: लागू किया जायगा और इस कानून को तुरन्त समाप्त किया जायगा।

श्री अध्यक्ष: अब केवल एक माननीय सदस्य बोलेंगे। आपस में तय कर लीजिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (इग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान समय में ही मेरे क्षेत्र में शराब को लेकर एक घटना हुई। पीपलिया गांव है, वहां पर एक आदमी ने शराब पीकर जो घटना उस घटना से उसके घर वाले, परिवार वाले सारे परेशान थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ उसने स्वयं तो शराब पी रखी थी। अपनी पत्नी को उसने गोली से उड़ा दिया और स्वयं को भी गोली मार ली। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शराब रूपी राक्षस को जब पी लेते हैं, तो यह राक्षस का रूप ले लेते हैं जिससे मनुष्य को किसी प्रकार का विवेक और ज्ञान नहीं रहता है। आज वह शराब रूपी राक्षस गरीबों का विनाश कर रहा है। तो, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने वालेXXX हैं ··

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कौन महात्मा गांधी के पुजारी हैं ? इन्होंने गरीब लोगों पर आघात किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लोगों को खराब कर दिया है। अब शराब खुली कर दी और शराब के ठेके चालू कर दिये। चुनाव में पैसा कमाने के लिये यह कार्य शुरू किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता को गरीब जनता को बचाने के लिये यह शराब बन्द कर दें। यह मेरा एक बड़ा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अब सदन की मेज पर रखने वाले····

(व्यवधान)

कृपया, माननीय सदस्य, सहयोग दें। माननीय सदस्य, इसको किसी अन्य तारीख को, अन्य किसी अवसर पर उठा सकते हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय ···

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस समय इस पर विचार नहीं हो सकता। मजबूर होकर

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा, अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव है ...

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कांग्रेस सरकार ने अपने राज में आबादी कम करने के लिये यह जहर दिया है ...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हम चाहते हैं, इसकी जानकारी मंगवायें। इसलिए जानकारी आवश्यक है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अध्यादेश है। श्री परसराम मदेरणा ...

(व्यवधान)

पॉइन्ट आफ आर्डर का कोई विषय नहीं है।

माननीय सदस्य, कार्यवाही को आगे बढ़ने दें। सदन की मेज पर रखा जाने वाला विषय है ......

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आप, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नाथूसिंह : कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसे प्रकाशित करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि मैं माननीय सदस्य को नाम से सम्बोधित करूं। आप सदन की कार्यवाही में बार-बार बाधा उपस्थित कर रहे हैं। मैंने निवेदन भी किया कि सदन के समक्ष कोई विचारणीय विषय नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता, नीति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। आपको निर्देश करूंगा, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार को कापी भेजी है। वैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आपने ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : हम कोई सदन में बाधा उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

सदन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी मसले पर, कोई कार्यवाही चल रही हो, कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर उसको उठा दें। उसके लिये एक प्रावधान रखा हुआ है, यदि आप कोई प्रश्न सदन के समक्ष लाते हैं तो। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अध्यादेश

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी संशोधन अध्यादेश, 1981, (अध्यादेश संख्या–8, सन् 1981) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दन मल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

1. जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश, संख्या 1, सन् 1981)

2. उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 1, सन् 1981)

3. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 3, सन् 1981)

4. राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 7, सन् 1981)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट ऑफ आर्डर है कि आपसे इजाजत लिये बिना बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

साधारण से नियम की जानकारी का यह प्रश्न है कि एक मंत्री किसी दूसरे मंत्री के बिल को सदन की टेबल पर रख सकता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उनका नाम पुकारा था, उनको अनुमति लेकर बोलना चाहिए था, कल्ला साहब बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर।

अधिसूचना

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अधिसूचना संख्या एफ 4 (56) इण्ड ग्रुप–1/79 दिनांक 29 मई 1980 सदन की मेज पर रखता हूं।

यद्यपि यह अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी, परन्तु राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा 2 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण यह राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं एक से लेकर 69 तक सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. अधिसूचना संख्या प. 5(51) गृह-7/80 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
2. अधिसूचना संख्या प. 5(33) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
3. अधिसूचना संख्या प. 5(114) गृह-7/80, दिनांक 6 नवम्बर, 1980
4. अधिसूचना संख्या प. 5(38) गृह-7/80, दिनांक 13 नवम्बर, 1980
5. अधिसूचना संख्या प. 5(53) गृह-7/80, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980
6. अधिसूचना संख्या प. 5(57) गृह-7/80, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
7. अधिसूचना संख्या प. 5(112) गृह-7/80, दिनांक 25 नवम्बर, 1980
8. अधिसूचना संख्या प. 5(54) गृह-7/80 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
9. अधिसूचना संख्या प. 5(63) गृह-7/80, दि. 25/27 अक्टूबर, 1980
10. अधिसूचना संख्या प. 5(113) गृह-7/80, दिनांक 6 नवम्बर, 1980
11. अधिसूचना संख्या प. 5(109) गृह-7/80, दिनांक 11 नवम्बर, 1980
12. अधिसूचना संख्या प. 5(80) गृह-7/80 दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
13. अधिसूचना संख्या प. 5(111) गृह-7/80, दिनांक 5 नवम्बर, 1980
14. अधिसूचना संख्या प. 5(14) गृह-7/80, दिनांक 16 अक्टूबर, 1980
15. अधिसूचना संख्या प. 5(60) गृह-7/80 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
16. अधिसूचना संख्या प. 5(110) गृह-7/80 दिनांक 5 नवम्बर, 1980
17. अधिसूचना संख्या प. 5(52) गृह-7/80, दिनांक 28 अक्टूबर 1980
18. अधिसूचना संख्या प. 5(106) गृह-7/80, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980
19. अधिसूचना संख्या प. 5(98) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
20. अधिसूचना संख्या प. 5(35) गृह-7/80, दिनांक 23/24 अक्टूबर 1980
21. अधिसूचना संख्या प. 5(43) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
22. अधिसूचना संख्या प. 5(45) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
23. अधिसूचना संख्या प. 5(47) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
24. अधिसूचना संख्या प. 5(56) गृह-7/80, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980
25. अधिसूचना संख्या प. 5(58) गृह-7/80, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
26. अधिसूचना संख्या प. 5(77) गृह-7/80, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
27. अधिसूचना संख्या प. 5(59) गृह-7/80, दिनांक 29 नवम्बर, 1980
28. अधिसूचना संख्या प. 5(107) गृह-7/80, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980
29. अधिसूचना संख्या प. 5(20) गृह-7/80, दिनांक 3 अक्टूबर, 1980
30. अधिसूचना संख्या प. 5(100) गृह-7/80, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
31. अधिसूचना संख्या प. 5(146) गृह-7/80, दिनांक 2 दिसम्बर, 1980
32. अधिसूचना संख्या प. 5(49) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

33. अधिसूचना संख्या प. 5(93) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
34. अधिसूचना संख्या प. 5(28) गृह-7/80 दिनांक 3 नवम्बर, 1980
35. अधिसूचना संख्या प. 5(73) गृह-7/80, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980
36. अधिसूचना संख्या प. 5(61) गृह-7/80, दिनांक 25 अक्टूबर, 1980
37. अधिसूचना संख्या प. 6(61) गृह-7/80, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980
38. अधिसूचना संख्या प. 5(89) गृह-7/80, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980
39. अधिसूचना संख्या प. 5(37) गृह-7/80, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
40. अधिसूचना संख्या प. 5(78) गृह-7/80 दिनांक 1 नवम्बर, 1980
41. अधिसूचना संख्या प. 5(34) गृह-7/80, दिनांक निल
42. अधिसूचना संख्या प. 5(45)गृह-7/80, दिनांक 23/24 अक्टूबर,1980
43. अधिसूचना संख्या प. 5(25) गृह-7/80 दिनांक 13 अक्टूबर, 1980
44. अधिसूचना संख्या प. 5(92) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
45. अधिसूचना संख्या प. 5(141) गृह-7/80, दिनांक 26 नवम्बर, 1980
46. अधिसूचना संख्या प. 5(79) गृह-7/80 दिनांक 1 नवम्बर, 1980
47. अधिसूचना संख्या प. 5(151) गृह-7/80, दि. 29/30 दिसंबर, 1980
48. अधिसूचना संख्या प. 5(104 गृह 7-80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
49. अधिसूचना संख्या प. 5(89) गृह-7/80, दिनांक 3 अक्टूबर, 1980
50. अधिसूचना संख्या प. 5(97) गृह-7/80, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
51. अधिसूचना संख्या प. 5(65) गृह-7/80, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980
52. अधिसूचना संख्या प. 5(148) गृह-7/80, दिनांक 20 दिसंबर, 1980
53. अधिसूचना संख्या प. 5(82) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
54. अधिसूचना संख्या प. 5(21)गृह-7/80, दिनांक 15/16 सितम्बर,1980
55. अधिसूचना संख्या प. 5(108) गृह-7/80, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
56. अधिसूचना संख्या प. 5(50) गृह-7/80, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980
57. अधिसूचना संख्या प. 5(55) गृह-7/80, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980
58. अधिसूचना संख्या प. 5(99) गृह-7/80, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
59. अधिसूचना संख्या प. 5(90) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
60. अधिसूचना संख्या प. 5(27) गृह-7/80, दिनांक 23 अक्टूबर, 1980
61. अधिसूचना संख्या प. 5(96) गृह-7/80, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980
62. अधिसूचना संख्या प. 5(76) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
63. अधिसूचना संख्या प. 5(41) गृह-7/80, दि. 9/13 अक्टूबर, 1980
64. अधिसूचना संख्या प. 5(81) गृह-7/80 दिनांक 3 नवम्बर, 1980
65. अधिसूचना संख्या प. 5(62) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
66. अधिसूचना संख्या प. 5(48) गृह-7/80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
67. अधिसूचना संख्या प. 5(143) गृह-7/80, दिनांक 28 नवम्बर, 1980

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

68. अधिसूचना संख्या प. 5(54) गृह–7/80, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
69. अधिसूचना संख्या प. 5(13) गृह–7/80, दिनांक 22 अगस्त, 1980

ये अधिसूचनाएं गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं, परन्तु राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 69 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : उपनिवेशन मंत्री।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्यमंत्री उपनिवेशन) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. अधिसूचना संख्या एफ 19 (7) रेव/कोल/78, दिनांक 4 जून, 1981
2. अधिसूचना संख्या एफ 19 (7) रेव/कोल/78, दिनांक 4 जून, 1981
3. अधिसूचना संख्या एफ 4 (4) राज./उप./81, दिनांक 10 जून, 1981
4. अधिसूचना संख्या एफ 4 (4, रेव/कोल/81, दिनांक 10 जून, 1981
5. अधिसूचना संख्या एफ :(10) राज./उप /75-भाग–1, दि.24 जन.,1981
6. अधिसूचना संख्या एफ 4 (1) राज/उप/80, दिनांक 5/7 फरवरी, 1981

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम।

श्री शीशराम ओला (राज्यमंत्री, पंचायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:–

1. अधिसूचना संख्या एफ 4/एल जे (1)पी.टी./ए. आर./80/372 दिनांक 31 दिसम्बर, 1980
2. अधिसूचना संख्या एफ 4/एल/जे/पी.टी.ए./ए.आर/6/72/373 दिनांक 31 दिसम्बर, 1980
3. अधिसूचना संख्या एफ 4(1) एल/जे/ए.आर/सी.डी.पी/81/56 दिनांक 30 जनवरी, 1981
4. अधिसूचना संख्या एफ 4 (2) एल/जे/ए.आर/सी.डी.पी/81/71 दिनांक 3 फरवरी, 1981

ये अधिसूचनाएं गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1959 की धारा 79, की उप-धारा (2) एवं राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 89 की उप-धारा (3 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 69 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे आदि। श्री शिवचरण माथुर।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री खनिज) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित लेखे एवं प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

एक से लगा कर नौ अलग अलग पढ़ूं या चारों साथ ही रख दूं

1. राजस्थान राज्य होटल निगम के वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

निम्नांकित प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये—

1. राजस्थान राज्य होटल निगम का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे।

2. राजस्थान राज्य होटल निगम का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1977 का समाप्त हुए वर्ष के लेखे।

3. राजस्थान राज्य होटल निगम का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे।

4. राजस्थान राज्य होटल निगम का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे।

5. राजस्थान लघु उद्योग निगम का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80।

6. हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के संचालक मण्डल का प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे।

7. सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे।

8. दिनांक 7 मार्च, 1967 को जयपुर में हुए गोली काण्ड पर वेरी जांच आयोग की सिफारिशों पर कानसिंह आयोग की रिपोर्ट।

9. दिनांक 26 फरवरी, 1979 को बारां रेलवे स्टेशन पर हुए पुलिस गोली काण्ड की जांच के लिये नियुक्त जांच आयोग का प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1979–80 के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1979-80 सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिनियमों के परिशोधित हिंदी पाठ

श्री अध्यक्ष : अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ। श्री बृजसुन्दर शर्मा।

Page No 91

(91)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) राजस्थान बन्दी अभिज्ञान अधिनियम, 1956, (1956 का अधिनियम संख्या 12) शुद्धि पत्र सहित।

इस अधिनियम का परिशोधित हिन्दी पाठ गत सत्रों में सदन की मेज पर रखा गया था, परन्तु राजस्थान राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के नियम 69 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969।

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापन :

श्री नारायण सिंह।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति का प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन

श्री नारायण सिंह (सभापति याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम (307) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देश संख्या 3 के अन्तर्गत याचिका समिति 1980-81 के पहले और दूसरे प्रतिवेदन अन्तर्सत्रकाल में अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित किये गये थे। इन प्रतिवेदनों के मुद्रण एवं प्रकाशन के आदेश प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 205 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष से प्राप्त कर लिये गये थे।

मैं याचिका समिति 1980-81 के पहले एवं दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 205 के अन्तर्गत मैं सरकारी आश्वासन समिति 1981-82, सरकारी आश्वासन समिति 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति का नवम् प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

श्री बृज सुन्दर शर्मा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (मन्त्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के अन्तर्गत कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन से सहमति प्रकट की गई।

Page No 92

(92)

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिवेदन उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान पत्रिका के लेख सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पत्रिका के दिनांक 20 सितम्बर, 1978 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित सम्पादक, प्रबन्धक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर, समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापना हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पत्रिका के दिनांक 2 अक्टूबर, 1978 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित सम्पादक, प्रबन्धक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर, समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया।

श्री हरसहाय मीणा।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (सदस्य, प्रवर समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य वापस किया गया विधेयक राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : वापस लिये जाने वाले विधेयक। परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 विधेयक संख्या 7 सन् 1981 को वापस लेने की आज्ञा के लिए अनुमति चाहता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक वापस लेने के कारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर । माननीय मन्त्री महोदय ने इस विधेयक को वापस लेने की जो ग्रनुमति मांगी है, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि यह विधेयक राजस्थान की ग्रसेम्बली द्वारा इस बार पारित न हो ? ग्रगर वे चाहते हैं कि ग्रागे जो कार्य सूची है, उसमें फिर मन्त्री महोदय इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की ग्रनुमति चाहेंगे, जो ऐसे कौनसे कारण ग्रा गये कि जिस कारण, पहले तो इस विधेयक को वे वापस ले रहे हैं, फिर ग्रभी थोड़ी देर के बाद उसे पुरःस्थापित करेंगे। वापस लेने के कुछ कारण इस कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की पुस्तिका में हैं । रूल 89 विद्ड्राग्रल ग्रॉफ बिल, ये कहते हैं :

The member incharge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that-

(a) the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped, or

(b) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantialy alters the provisons contained therein; or

(c) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provisions; and if such leave is granted no further motion shall be made with reference to the Bill; प्रभारी मन्त्री महोदय, प्रभारी सदस्य, इन तीन कारणों को लेकर बिल को वापस ले सकते हैं । मेरे ध्यान में नहीं ग्राया, मैं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण क्रियेट हो गये इन तीनों कारणों में से कि जिन कारणों के ग्राधार पर इस बिल को वे वापस लेना चाहते हैं । शायद एक कारण ग्रा सकता है । मैंने दोनों बिल देखे हैं जो बिल पहले ग्राया था पिछली विधान सभा के सत्र में, जिसको वापस लेने की चर्चा माननीय मन्त्री महोदय ने की है ग्रौर नया बिल जो इस बार इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ग्रन्तर है, ग्रन्तर यह है कि उस ग्रध्यादेश, जो ग्रध्यादेश बीच में ग्रा गया, में उसको शायद वापस लेने वाली बात कही गयी हैं लेकिन that is a part of the Bill

माननीय मन्त्री महोदय, उस बात को ग्रमेन्डमेन्ट के नाते यहां ला सकते थे, इसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं थी, वह ए, बी, सी, 3 कारण दिये हुए हैं, इन तीन कारणों में से कारण ग्राता है कि इस प्रकार बिल को वापस लेने दिया जाय। इसलिए, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल को वापस लेने की प्रक्रिया ग्रपनायी है, या लेना चाहते हैं, उसका कारण इन तीनों में से क्या है ? वैसे बड़े कष्ट ग्रौर दुःख का विषय है कि यह बिल इसी प्रकार का, वही बला-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जेज, कोई अन्तर नहीं उसमें; पिछली विधान सभा के सत्र में रखा गया था, पता नहीं सरकार को कौन सी जल्दी थी कि इसको करने के बाद भी सरकार का एपरेन्टली कदम विधान सभा का सत्र ऐसे हो गया, उसी स्थिति में रहा जिस स्थिति में रहना चाहिये था। बीच में इस बार तो कम से कम 8 अध्यादेश आये हैं। 8 में से एक अध्यादेश यह भी है, जो बिल शायद उस समय पारित कराया जा सकता था।

(2.54. म. प.)

[श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन।]

उस समय पारित नहीं कराया, पता नहीं विधान सभा को फेस करने में कौन-सी कठिनाई हो रही थी, कौन से कारण उपस्थित हो रहे थे? इसीलिए उस समय इस प्रकार की स्थिति बनी और उस बीच मे अध्यादेश को लाया गया। जिस बिल को अध्यादेश के द्वारा पुरःस्थापित करने की प्रक्रिया अपनायी गयी वह लाया जा सकता है। अब उसको वापस लेना है। इसको अमेण्डमैन्ट के द्वारा मूव किया जा सकता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस बिल को वापस लेने की जो प्रक्रिया की है, उनको वापस लेने की अनुमति न दी जाय। वे चाहें तो जो इस बिल का पार्ट नहीं है, उस अध्यादेश को वापस लेवें। वैसा का वैसा रखना ठीक नहीं रहता, ऐसे कोई कारण बीच में उपस्थित नहीं हो गये थे। माननीय मन्त्री महोदय अमेण्डमेन्ट मूव करें और अमेण्डमेन्ट के मूव करने के बाद, जो बिल का पार्ट नहीं है, वह इस बार समायोजित हो जायेगा और काम चल जायेगा। हमारी कितनी स्टेशनरी खर्च हो गयी. वापस छापा गया। अनावश्यक इतनी स्टेशनरी खर्च हो गयी। बार-बार छापा गया, वापस लाये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है, उसको वापस लें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने में माननीय सदस्य की सलाह के अनुसार असमर्थ हूं। क्योंकि मैं इस बिल को इसलिये वापस ले रहा हूं कि पहले जो बिल इस सदन में इन्ट्रोड्यूस किया गया था, पुरःस्थापित किया गया था उसके बाद आर्डिनेन्स की उसी बिल के सम्बन्ध में आवश्यकता महसूस करते हुए कान्सटीट्यूशन के आर्टिकल 213 के अन्दर उस आर्डीनेन्स को प्रख्यापित किया गया। उसके बाद हमारे कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत भी इस बात का प्रावधान 89 में है, 89-सी में, कोई भी बिल जिसमें अगर एडीशन होता हो या संशोधन होता हो, पहला बिल वापस लिया जाकर, दूसरा बिल पुरस्थापित किया जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि आर्डिनेन्स प्रामुलगेट होने के बाद आर्टिकल 213 की रिक्वायरमैन्ट यह है कि अगर सरकार इस आर्डिनेन्स को कानून बना सकती है तो सत्र प्रारम्भ होने के 42 दिन के अन्दर वह एक बिल लायेगी और इस सदन के अन्दर उस बिल को पारित करायेगी इसका मतलब यह है कि मैं पहले वाले बिल को यहां रखता, तो जो आर्डिनेन्स में रिपील करने का प्रावधान मैंने डाला है और जब तक

Page No 95

(95)

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डिनेन्स फोर्स में था, उस में सेविंग क्लाज डाला है, वह इस बिल में नहीं था । इस प्रकार का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह आर्डिनेन्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है । इसलिये वे प्रावधान डालने आवश्यक थे और किसी भी आर्डिनेन्स के बाद में उस आर्डिनेन्स सब्सीक्वेएंटली बिल के द्वारा इस सदन में पारित कराने की यह कन्डीशन रिक्वायरमैन्ट है और नियम 89 सी में—

"The Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provisions".

दूसरे बिल के अन्दर मैं और अमेण्डमेन्ट करके उसमें एडीशनल प्रोवीजन लाया हूं इसलिए माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, वह रूल आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस के रूल 89 की परिधि में नहीं आता है । मेरा निवेदन है कि आप उसे अस्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1981 को वापस लेने की आज्ञा दी जावे ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, इस पर आप व्यवस्था दे दीजिए, वह तो आपने दी नहीं ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पहले रूलिंग दीजिए आप । माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी, उस पर आप व्यवस्था दीजिए । उस व्यवस्था को हम मानेंगे स्वीकार करेंगे हैं, व्यवधान नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो हाउस के सामने रख दिया है ।

श्री नाथूसिंह : इसको बाद में रखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न यह उठाया था कि इस पर अनुमति नहीं दी जावे, जो बिल वापस लेना चाहते हैं । इसलिए मैंने हाउस के सामने रखा है कि इसकी अनुमति दी जाय या नहीं दी जाय । वह प्रश्न है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न यह है कि अनुमति प्रदान की जाय या नहीं, बिल वापस लेने की ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 89 के मैंने तीनों क्लाजेज पढ़ कर, कोट किये । जो सामने विधेयक आया है, उसकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई बिल में तरमीम नहीं की गई है । आपका कहना यह था कि ऐसा प्रोविजन है इस अध्यादेश से उस को रिपील करने की बात थी । मेरा निवेदन करना था कि माननीय मंत्री महोदय अपने संशोधन द्वारा मूल बिल में ही संशोधन कर सकते थे । उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है । मैं चेयर से रूलिंग चाहता हूं । पहले पॉइन्ट आफ आर्डर पर आप रूलिंग दें, फिर इसको पेश करने दें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य दलील दे रहे हैं, मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

केवल संशोधन लाता। एक कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट यह भी है कि उस आर्डिनेंस को रिप्लेस किया जाना चाहिए। बिल पहले आया हुआ होता. उसके बाद वह बिल सदन के सामने रखता और मैं उसके अन्दर संशोधन लाता, इस प्रकार की प्रक्रिया न तो पहले रही है और न वह नियमों के अनुसार रहनी चाहिए। क्योंकि माननीय सदस्यों के सामने कंसोलिडेटेड बिल रखता, फिर उन संशोधनों को माननीय सदस्यों को वितरित करता। कंसोलिडेटेड कोडीफाइड लॉ नहीं होता। माननीय सदस्यों के समझने में सहूलियत की निगाह से और सहूलियत के साथ सुविधा की निगाह से ठीक नहीं होता।

दूसरा, मैंने जैसा निवेदन किया कि इस आर्डिनेन्स को बिल से सब्स्टीट्यूट करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने कुछ प्रावधान और जोड़े हैं। जो प्रावधान जोड़े हैं वह प्रावधान कुछ तो पहले बिल में है वही अंश लिए गए हैं और यह अमेंडमेंट बिल लाया हूं इसलिए यह आर्डिनेन्स को रिप्लेस करने वाला नियम 89 इस पर लागू नहीं होता यह आपने ठीक ही कहा है कि हाऊस की अनुमति ले ली जाय। आखिर पुरः-स्थापन करते वक्त सदन की राय ली जाती। जो पॉइन्ट आफ आर्डर रेज किया है, इनकी दलील है कि वापस लेने की अनुमति नहीं दी जावे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं, नियमों के अन्तर्गत और कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनकी आपत्ति को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों को देखते हुए आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधेयक संख्या 7 सन् 1981) वापस लेता हूं।

राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 (विधेयक संख्या 6 सन् 1981) को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 (विधेयक

(श्री उपाध्यक्ष)

संख्या 6 सन् 1981 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 (विधेयक सं. 6 सन् 1981) को वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर ..

श्री परसराम मदेरणा : पहले मैं प्रस्ताव करता हूं ।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले मैं प्रस्ताव करता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको तो आज्ञा हो गई ।

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन, विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक. 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री बुलाकी दास कल्ला (उप मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाम तो पुकारो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्री कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (उप मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 1 सन् 81) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अनुमति है क्या साहब ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चन्दनमल बैद हैं क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पहले अनुमति लेकर कहिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (उपमंत्री, शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दन मल बैद।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में स्पष्ट नीति है और स्पष्ट नीति होने के कारण, उस पर कानून बन जाने के बाद, नीति का क्रियान्वयन होने के बाद, क्या सरकार को, सत्ता पक्ष को यह अधिकार है कि उस नीति, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वर्णित है को पलट दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बिल पर बहस के समय....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : डायरेक्टिव प्रिन्सीपल मानने के बाद उसको पलटा जाना, यह लीगल प्रश्न है। मंत्री महोदय आप स्वयं समझते हैं, जब तक डायरेक्टिव प्रिंसीपल नहीं मानें, तब तक बाध्य नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया, सारे राजस्थान में नशाबन्दी को लागू कर दिया, और लागू करने के बाद उस पर अमल भी किया फिर उस नीति को पलटते है, रद्द करते हैं, यह कहां तक कानून में और विधान में उपयुक्त हो सकता है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रथम स्टेज पर ही यह नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है।

श्री राजबहादुर : यह विधान से संबंध रखता है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान क्या कहता है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस पर रूलिंग तो दीजिये।

श्री राजबहादुर : बिना व्यवस्था के ···

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : व्यवस्थान देने से पहले हां या ना कराना गैर कानूनी है और अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी, विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें
में वर्ष 1981-82 के लिये
अनुपूरक अनुदानों की मांगें

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के
आय व्ययक पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान (1980-81 व 1981-82) पर अग्रेतर चर्चा।

श्री सूरजपाल सिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह चर्चा प्रारम्भ हुई थी, उस समय मैं बोल रहा था और मेरे बोलते समय, मेरा निवेदन करना यह था कि चर्चा अधूरी रह गई थी, और चर्चा जब अधूरी रह गई थी, तो उस समय केवल मेरा नाम था। मेरा निवेदन है कि सूरजपाल सिंह जी के बोलने के पहले कृपा करके मुझे अवसर प्रदान करें। यह उस वक्त निर्णय हुआ था।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सरकारी मुख्य-सचेतक) : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका था।

श्री उपाध्यक्ष : जो नाम मेरे पास आये हैं, उनमें आपका नाम नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उस दिन चर्चा समाप्त हुई थी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): मेरा नाम भी है, उसमें ......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि दल की ओर से जो नाम भेजे गये हैं, उनमें उनका नाम नहीं है। लेकिन यह इनकन्क्लूजिव डिबेट की बात है। अगर आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देखें, तो उसमें इनका नाम इनकंटीन्यूएशन में है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात को मानता हूं, इनको टाइम नहीं दूंगा।

श्री सूरजपाल सिंह।

श्री राज बहादुर : कायदा तो यही है कि जिसकी अधूरी स्पीच रह गई, वह उसको पहले पूरी करे। आगे आपकी मर्जी है?

श्री उपाध्यक्ष: Thank you मैंने नाम ले लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है, पहले जोशी जी को ही बोलना चाहिये, उनको आप दो मिनट दे दीजिये

श्री उपाध्यक्ष : यह रिकॉर्ड से देख लिया गया। आपका नाम उस समय नहीं था। श्री सूरजपाल सिंह।

श्री बाऊ दयाल जोशी : माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने अभी कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रेकार्ड में आपका नाम ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : आपने स्वयं कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा रही है कि यदि कोई सदस्य बोलता है उस वक्त हाउस एडजोर्न हो जाता है, तो उसको मौका मिलता है। अगर इनका नाम रेकार्ड में हो, तो इनको समय दे दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड देख लिया है, उसमें नाम नहीं है। उस दिन नाम अंकित नहीं था आपका।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर बिजली की घोर कमी है। इस पर हमें बहुत गहराई से चिन्तन करके हमको उसको समाधान ढूंढना होगा। विद्युत विभाग बिजली की समस्या को निपटाने में बिलकुल ही असफल रहा है। आज किसानों की हालत, उद्योगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन रसातल की ओर जा रही है। हमारा जोधपुर डिविजन बिल्कुल टेल एण्ड पर आया हुआ है, उसके लिये सर्वप्रथम जो काम युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा वह है कि भीलवाड़ा से जोधपुर 220के.वी. लाइन को युद्ध स्तर पर लेकर पूर्ण किया जाय। हमारे जो टार्गेट्स हैं, उनको पूर्ण करने के लिये दिसम्बर, 1982 तक का समय बताया गया। उसमें यदि इतना विलंब होता है, तो जोधपुर संभाग, जो कि बिल्कुल टेल एंड पर है, कोई नये उद्योग नहीं पनप पायेंगे। जोधपुर में तिवरी मथानियां, ओसियां बोरूंदा वगैरह बहुत ही अच्छे कृषि एरियाज हैं, वह करोड़ों रुपये की मिर्ची, कपास उत्पन्न करने वाला इलाका है। वहां के कूए इतने गहरे हैं कि वोल्टेज प्रॉब्लम रहती है। उसको अगर हम नहीं मिटा पाये तो वहां से किसानों की, उद्योगपतियों की जो हालत है, वह बहुत खराब हो जायेगी, वहां की सारी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। इसलिये मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि भीलवाड़ा से जोधपुर 220 के वी. का जो कार्य शुरू किया गया है उसको युद्ध स्तर पर शुरू करके इसी वर्ष में पूर्ण कर दिया जाय, और हम इस अकाल की स्थिति में इस टेल एंड के इलाके, जहां लोगों का पशु-धन समाप्त हो रहा है, को इस समय अगर हम बिजली सुलभ करा सकें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मवेशी आज माइग्रेट होने की स्थिति में आ रहे है हम ट्यूब वैल से पानी देकर कुछ फोडर उत्पन्न करके बहुमूल्य पशुधन, जो थार की ब्रीड है, बचा सकते हैं। आज उसको माइग्रेट होकर बाहर जाना पड़ेगा। हम बिजली उत्पन्न करके पानी की इस इलाके में जो कमी है, उसे दूर कर उनको बचा सकेंगे।

(श्री सूरजपाल सिंह)

इसी प्रकार भीलवाड़ा से सिरोही 220 के वी. का जो प्लान हाथ में लिया गया है, जिसको पूर्ण करने का अगले वर्ष 1982 तक का टार्गेट रखा है उसको शीघ्र पूर्ण किया जावे एवम् सिरोही से भीनमाल तक 220 के. वी. लाइन ले जा कर भीनमाल में 220 के. वी स्टेशन बनाया जाय जालौर जिले में 7 आर. ई सी. की स्कीम सैंक्शन है। भीनमाल का 132 के. वी. स्टेशन ओवर लोड हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम घोषणा करते हैं कि 8 घंटे बिजली काश्तकारों को देंगे। मगर ओवर लोड होने की वजह से ट्रिपिंग होता रहता है, जिसकी वजह से बिजली बराबर नहीं मिलती। इसलिये सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि 132 के. वी. भीनमाल का सब स्टेशन क्षमता में ओवर लोड हो रहा है, अत: उसकी क्षमता बढ़ाई जाय। इसके अलावा वोल्टेज प्राब्लम मिटाने के लिए जो 33 के. वी. सब स्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दासपां का 33 के.वी. सब स्टेशन है, मगर इस साल उसको प्रायोरिटी में नहीं लिया गया है। प्रायोरिटी से उसे पूर्ण करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस फीडर के ऊपर इतना भयंकर लोड है कि 5 मिनट से ज्यादा भी बिजली नहीं मिल पाती है। 5 मिनट के बाद ट्रिपिंग होता है। हम काश्तकारों को कहते हैं कि हम 8-10 घंटे बिजली दे रहे हैं मगर जब तक दासपां में 33 के. वी. स्टेशन नहीं बनायेंगे, तब तक वोल्टेज की प्रोब्लम को नहीं मिटा सकेंगे। ट्रिपिंग की समस्या को नहीं मिटा सकेंगे। इसका मुख्य कारण रोंग प्लानिंग रहा है। हम अंधाधुन्ध कनेक्शन देते रहे।

कांग्रेस गवर्नमेन्ट के समय में कुछ लिमिटेशन से कनेक्शन दिये जाते थे, लेकिन ज्योंही जनता पार्टी का शासन आया, उनकी जो प्लानिंग थी, वह इतनी गलत थी कि हजारों कुओं पर कनेक्शन दे दिये। हमें इससे एतराज नहीं है कि कनेक्शन क्यों दिये गये। लेकिन इसके साथ-साथ हम जो लम्बी लाइन कर रहे हैं उन पर जो चौकियां बनायी जानी चाहिए थीं, जो 33 के.वी. की लाइन बनायी जानी चाहिए थीं, वह नहीं बनाई गई और इस समस्या का निवारण नहीं हो पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि 33 के.वी. के स्टेशन दासपां, जेरन, भरूड़ी के जो प्रपोजल्स हैं, और प्लान के अन्दर मे लिये गये हैं, उनको अकाल की स्थिति के अन्दर अगर हम 33 के. वी. के स्टेशन युद्ध स्तर पर बना कर वोल्टेज की ट्रिपिंग की समस्या का निवारण नहीं कर पायेंगे तो हालत खराब होगी। पेमिन के समय में काश्तकार अपना सब कुछ खो बैठा है। अगर हम किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते, तो आज जो मूल्य क्रूड का बढ़ रहा है, उस कीमत पर काश्तकार यह डीजल सेट नहीं चला सकेगा। हालत यह हो रही है कि जहां विद्युतीकरण हो चुका है, वहां पर बिजली नहीं मिलने की वजह से डीजल सेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बिजली का कनेक्शन लेने के बावजूद वह डीजल सेट को अफोर्ड कर सके। इसलिये इसका गहराई से चिन्तन

(श्री सूरजपाल सिंह)

और मनन करके हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

हम किसानों को विशेषतः इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को जिन्दा रखना चाहते हैं, जहां, तीन, चार साल से निरन्तर अकाल की स्थिति है और उस साल भी इस इलाके के अन्दर बरसात नहीं हुई है, कुओं का जल स्तर नीचा जा रहा है, इस स्थिति के अन्दर हमारा बिजली विभाग इस तरफ ध्यान नहीं देगा, किसानों को विद्युत उपलब्ध नहीं करा सकेगा, तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी घोर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इस ओर पूर्ण ध्यान दिया जाये।

इसी तरह से हमारे आर.ई.सी. की भीनमाल के अन्दर एच. टी. स्कीम सेंक्शन की गई थीं। विद्युत कनेक्शन के लिए 700 एप्लीकेशन पेन्डिंग है। अब जो विद्युत बोर्ड ने निर्णय लिया है, उसके अनुसार एच. टी. स्कीम के जो विलेजेज हैं, उन्हीं विलेजेज के अन्दर कनेक्शन दिये जायेंगे, जब कि आर.ई. सी. स्कीम के विलेजेज ऐसे हैं, जिनको कि आपने इलेक्ट्रिफाइड तो बता दिया है, मगर उन गांवों के अन्दर एक कुए को भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जब आर.ई.सी. स्कीम में प्लान के अन्दर मेग्जीमम ट्रान्सफार्मर थे तो उन गांवों को विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य....

श्री सूरजपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय और दें।

भीनमाल विद्युतीकरण योजना के जिन गांवों में ट्रान्सफार्मर प्रपोज्ड थे, इन विलेजेज को टेल एण्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिफायड नहीं कर पाये और उनको इलेक्ट्रिफायड बता दिया। इन विलेजेज की स्कीम के अन्दर जो ट्रांसफार्मर थे, वह दूसरे विलेजेज के अन्दर एडजस्ट कर दिये और उन्हीं विलेजेज की आपने एस. पी. ए. स्कीम बनायी है, मगर आर. ई. सी. के विलेजेज को, एक को भी कनेक्शन आज तक नहीं मिला है, जिन गांवों के कृषकों का पैसा जमा है। साल-साल भर से विलेजेज के किसानों के डी. एन. के. का पैसे जमा हैं। अगर बोर्ड यह निर्णय लेता है कि हम केवल एस. पी. ए. स्कीम के विलेजेज को कनेक्शन देंगे, तो यह उनके साथ में बड़ा घोर अन्याय होगा। मेरा पुरजोर निवेदन है कि एस. पी. ए. स्कीम के अलावा आर. ई. सी. के जिन विलेजेज में प्रपोज्ड ट्रांसफार्मर मेग्जीमम पहले थे, मगर उनके टेल ऐण्ड पर होने की वजह से स्कीम 1980 में कम्पलीट हो चुकी है और आपने उसको वायलेट करके इन विलेजेज को कनेक्शन नहीं दिया, तो यह उनके साथ में घोर अन्याय होगा। इस पर बोर्ड सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और जिन विलेजेज के डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा है, उनमें कार्य करने की अनुमति प्रदान करे।

इसी प्रकार सायला आर.ई.सी. स्कीम 1978 में स्वीकृत हुई थी, सायला आर.ई.सी. स्कीम में 1979-80 में मुन्दवा, तिलोड़ा, सुराणा आदि गांव इलेक्ट्रिफाई करने के

(श्री सूरजपालसिंह)

प्रपीजल्स थे, उनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसके लिये भी मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूँगा। साथेला आर.ई.सी.स्कीम के विलेजेज का पिछले साल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। वहां पर ट्यूब वेल्स हैं। तिलोड़ा, सुराणा के ट्यूब वेल्स हैं। इस समय वहां पर पेयजल की भयंकर समस्या है। ऐसी स्थिति में इनको भी शीघ्रातिशीघ्र इलेक्ट्रिफाई किया जाय।

आखिर में मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकूंगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता कर के 1250 मेगावाट बिजली लेने का प्रयास इस छोटी सी कालावधि में किया है और बीसवीं शताब्दी में तीन हजार मेगावाट की जो डेफिसियेन्सी रह गई थी उसमें से 1250 की डेफिसियेन्सी को उन्होंने पूर्ण किया, उसके लिये मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री रघुवीरसिंह कौशल का नाम है। लिस्ट देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आर्डर डिसआर्डर हो रहा है साहब।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस विषय पर मैं कुछ बोलूं, उसके पहले मैं मुबारकबाद मुख्य मंत्री महोदय को देना चाहती हूं। मुबारकबाद देने के एक नहीं अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जैसे ही इन्होंने अपने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला, सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया बिजली की ओर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मुझे कहने दीजिये। जितना ज्ञान है, उतना ही बोलूंगी। आपसे उधार नहीं ले सकूंगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आप बीच में रोका-टोकी क्यों करते हैं? मैं आपको रोका टोकी नहीं करती हूं।

(व्यवधान)

आप भी मेहरबानी करके शांत रहें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूं कि इन्होंने जैसे ही अपना पद संभाला है, इन्होंने बिजली विभाग की ओर ध्यान दिया, क्योंकि ये बिजली के महत्व को जानते हैं। हमारे विकास के लिये, अगर कोई मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर है, तो वह एनर्जी है। एनर्जी के बिना कोई राज्य, कोई देश विकास के काम में आगे नहीं बढ़ सकता है। यह आज

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत

सिद्ध हो चुका है, हमारे यहां के अनुभव से और देश, विदेश के अनुभव से। मुख्य मंत्री को मैं दुबारा मुबारकबाद इसलिये देना चाहती हूं कि इन्होंने जो एक अभी-अभी नया समझौता किया है हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसमें पार्वती योजना के अन्तर्गत हमको 1200 मेगावाट बिजली·····

श्री उपाध्यक्ष : 1250 मेगावाट

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : 1250 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। अगर हम 1250 मेगावाट बिजली प्राप्त कर सके तो हमारे विकास में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हम जानते हैं कि इसको प्राप्त करने में अर्सा लगेगा योजना बनाने और इसकी तैयारी होने में।

दूसरे, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने चार अलग छोटे 60 मेगावाट के प्लान्ट लगाने की भी घोषणा की है। अगर यह चार प्लान्ट और लग जाते हैं, तो जिस तेजी के साथ यह काम करना चाह रहे हैं, एक बड़ा जबर्दस्त काम होगा। दूसरे इन्होंने यह भी घोषणा की है कि प्राइवेट पार्टी अगर कोई इस तरह एनर्जी में आगे आकर अपना प्लान्ट लगाना चाहे तो उसे भी मौका देंगे। इससे मैं सोच सकती हूं कि जब इतनी कम एनर्जी है, तो हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए मैं · ·

(व्यवधान)

इस बात को मानना चाहिए। इस तरफ से · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठ जाइये। व्यवधान उपस्थित न करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : हम पूरी गम्भीरता से विचार करें · · ·

एक माननीय सदस्य : गम्भीरता की ही बात कर रहे हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। टोका-टोकी मत करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : बीच में बाधा न डालें, इससे बोलने वाले का तारतम्य टूटता है।

पूरी गम्भीरता से विचार करें। इसी तरह से मध्यप्रदेश से पहले समझौता था लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमें सतपुड़ा से बिजली नहीं मिल रही थी। उस बिजली के बारे में नकद ले रहे हैं। उससे भी बिजली लेने की बात तय हुयी है उसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन साथ ही कहना चाहूंगी कि इस बात के ऊपर अभी तक मध्यप्रदेश जिस रेगुलेरिटी के साथ उसको रहना चाहिए था, वह उसका पालन नहीं करता है, हमें रेगुलर बिजली नहीं मिल रही है, न ही मिल रही थी। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर जोर डालें कि हमें बिजली रेगुलर तौर पर मिले। उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी पर हमारे साथियों को तथा हम सब को जोर देना पड़ेगा।

हमारे पड़ोसी मुल्क, राज्यों से जो हमारे समझौते हो चुके हैं, जो वार्तायें हो चुकी हैं जिन समझौतों के ऊपर दूसरे पड़ोसी राज्य नहीं चल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर, असेम्बली में पुरजोर आवाज उठायें। इसकी चर्चा हमारे मुख्य मंत्री जी दूसरे बराबर के मुख्य मंत्री से करें तथा केन्द्र के द्वारा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत

हमारे जो समझौते हो चुके हैं, उनका परिपालन करायें । उसके लिये हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए । ऐसी एक नहीं, अनेक योजनाएं हैं, जिनमें राजस्थान को पूरे हक नहीं मिल पा रहे हैं । उसके बारे में असेम्बली में भी कई बार आवाज उठायी जा चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अलग रही कि हमारे हकों को समझौतों के अनुसार लेना है लेकिन दूसरी बात हमें अपने घर में देखनी चाहिए कि हमारे अपने राज्य में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे टेप करें। कैसे रिसोर्सेज से फायदा उठा सकते हैं ? इसके ऊपर हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को काम में ले सकें । इस पर विचार करें । मैं इस पर जोर देना चाहूंगी । मुख्य मंत्री जी, हमारे यहां पर पलाना में एक योजना मंजूर शुदा पड़ी हुयी है, 120 मेगावाट की । यह प्लानिंग कमीशन से भी मंजूर हो चुकी है । सब जगह से मंजूर हो चुकी है । केवल उस पर काम करना ही बाकी है । केवल काम शुरू करने की देरी है । एक्सपेंडीचर की मंजूरी लेकर इसमें आगे काम करना है । अगर पलाना योजना को हम हाथ में ले सकें तो इसके साथ-साथ हमें और कई जगह लिग्नाइट मिला है, उसको हम साथ-साथ एक कड़ी के रूप में जोड़ते हुये अपने रिसोर्सेज से उसको आगे बढ़ायें ।

इसी तरह से आपकी जानकारी के लिये तो कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप खुद वाकिफ हैं, हमारे यहां और भी इस तरह की योजनाएं हैं, जैसे-अनूपगढ़ में मिनी हाइडल पहले ही मंजूर हो चुका है, जो करीब 8 मेगावाट का है । उस पर भी हमें सिर्फ काम शुरू करने के लिये आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रश्न आता है कि उसको बनाने के लिये फण्ड आयेगा कहां से ? रकम कहां से आये ? लेकिन मुख्य मंत्री जी जिस ढंग से इसके बारे में सोच रहे हैं, इस ढंग से तो उनके लिये कोई रुपया बहुत बड़ी अड़चन नहीं है । Where there is will there is way.

इस मामले में मुख्य मंत्री जी ने आशा का संचार किया, वरना तो दो-ढाई महीने पहले ही निराशा नजर आती थी बिजली को लेकर कि इसमें क्या होगा ? पर अब सभी के दिल में एक आशा संचारित हुयी है। हम सीधे रास्ते पर चल पड़े हैं। हमारे साथ डायरेक्शन है, सही है, और जब डायरेक्शन सही है और हमारे दिल में लगन है और सही रास्ते का विचार कर लिया है, तो फिर हमारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता है, हम आगे बढ़ते ही जायेंगे । उसके लिये रकम का भी इन्तजाम हो जायेगा । उसके लिये एक नहीं अनेक रास्ते हैं, तरीके हैं हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको हमें काम में लेना होगा ।

इसी तरह से मुख्य मंत्री जी हमारी और भी कुछ छोटी-छोटी स्कीमें हैं, हमारे अपने राज्य की, जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरे का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। उन स्कीमों में उदाहरण के तौर पर चम्बल में बेन्डाली के पास 20 किलोवाट की स्कीम है । उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, हालांकि वह मंजूरशुदा नहीं है । इसी तरह से जाखम के ऊपर इस तरह की स्कीम बनायी जा सकती है, इसके ऊपर तो विचार भी किया जा चुका है ।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

तो हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी ताकत के साथ बढ़ायें। वह कैसे बढ़ाये जा सकते हैं, कैसे इन विचारों को आगे बढ़ाना है, इसके लिये राजकीय उपक्रम समिति के चेयरमेन की हैसियत से मुख्य मंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं, वह रिपोर्ट मेरे पास है, आप कहें तो पढ़कर सुनाऊं, अन्डर लाइन की हुई है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि जो उन्होंने रिपोर्ट में अन्डर लाइन्ड सुझाव दिए हैं, उनको क्रियान्वित कराने के लिए पूरी-पूरी ताकत लगावें।

अब हमारे सामने दो रास्ते रहते हैं। एक तो अधिकाधिक ऊर्जा का प्रोडक्शन करें, इसका उत्पादन करें। दूसरा, अभी हमारे पास जो ऊर्जा मौजूद है उसको सुचारु रूप से चलायें, व्यवस्थित ढंग से चलायें जो कार्य हो रहा है, उसमें सुधार करें। दो बात हो सकती हैं, एक नये ढंग की है, जो हमारे पास है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से काम में लेने की जरूरत है।

अभी हमारे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम कर रहा है। उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। इसमें जो कुछ मैं सोच रही हूँ, उस पर कुछ शब्द अवश्य निवेदन करूंगी।

मैं एक दो मामलों के बारे में बोर्ड की तारीफ करना चाहूंगी कि अभी जुलाई में बोर्ड फिटिंग के ऊपर दो लाइनें रतनगढ़, राजासर का काम किया है। यह बोर्ड फिटिंग पर जुलाई महीने में किया गया है। इसकी हम तारीफ करते हैं। इतनी गर्मी थी, सवारी नहीं थी, हर तरह से दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी यह सराहनीय कार्य किया गया है। उसके लिये मैं अधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगी।

दूसरी जो शिकायतें हैं वही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से रखना चाहती हूं। पिछले डेढ़ साल से हमारे बोर्ड की व्यवस्था अच्छी नहीं है। घाटे में चल रहा है। एसेसरीज नहीं हैं। कई तरह की दिक्कतें हैं। कई तरह की दिक्कतें ऐसी है, जिनका समाधान आसानी से हो सकता है। कई तरह की दिक्कतें ऐसी हैं, जिनको तेज ताकत लगाकर हल किया जा सकता है और आज भी किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। हमारे यहां पर बिजली के बोर्ड में दो मुख्य बातें हैं। एक टेक्निकल और दूसरी कामर्शियल ढंग की। तो मेरा निवेदन यह है कि जितनी टेक्निकल संस्थाएं हैं, या इस तरह के बोर्ड हैं, निगम हैं, जो चलते हैं, उनमें टेक्निकल व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। केवल इस बोर्ड के लिये ही नहीं कह रही हूं, औरों के लिये भी कह रही हूं कि उनमें

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पांच चार मिनट और बोलूंगी। पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं मुद्दे की बात कह रही हूं।

मैं टैक्निकल इसलिये कहना चाहूंगी कि जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनको अनुभव है, वह प्रशासन में कुशल हैं, पर जो संस्थाएं ऐसी हैं, जो टेक्निकल हैं, उनमें अगर टेक्निकल आदमी काम करें, वहां का ही आदमी काम करे तो वह अपनापन सा महसूस करता है। भारतीय

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी आते हैं, वे अपने आपको टेम्प्रेरी महसूस करते हैं, चाहे साल भर हो, चाहे दो साल के लिये हो, उनका संस्था के प्रति जो विशेष लगाव होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

दूसरा, आपसे निवेदन करूंगी कि पिछले साल डेढ़ साल में, ज्यादातर एक साल में इस बोर्ड को जिस तरह से कामर्शियल वे में चलना चाहिए वैसा नहीं चला पाए हैं। यह संस्था कामर्शियल वे में चलनी चाहिए। इसको हमें जनरेट करना होगा। 6-6 महीने तक आर. आर. नहीं उठाते हैं। ऐसा मेरा अन्दाजा है कि लगभग एक करोड़ रुपया डेमरेज का बोर्ड को उठाना पड़ा है, चुकाना पड़ा है। दूसरे जब कामर्शियल संस्था होती है, निगम होता है, तो उसकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, एक व्यवसायी के तौर पर साख होती है। जितने निगम चलते हैं, इस तरह के राजस्थान रोडवेज हो, चाहे बिजली बोर्ड हो और कोई निगम हो उनमें व्यापारिक दृष्टि होनी चाहिए। यह नहीं कि 6-6 महीने तक आर. आर. नहीं छुड़ायी जाये। पेमेन्ट नहीं मिले और आर्डर पर आर्डर दिये जाते हैं, तो इसका व्यावसायिक स्तर पर अच्छा असर नहीं होगा। हमें उन्हें दूर करना चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगी कि हमारे यहां जो सामान खरीदा जाता है, वह मैचिंग मैटीरियल नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि लाखों, करोड़ों का माल हमारे गोदामों में पड़ा रहता है, जो कि आइडल इन्वेस्टमेन्ट है। वह काम में नहीं लिया जाता है। जिस चीज की जरूरत है, वह नहीं होती है, ऐसा चल रहा है। नजीर के तौर पर 100 मेगावाट के ट्रान्सफार्मर्स आपके यहां पर काफी तादाद में हैं। कन्डक्टर वेक्यूम बहुत पड़े हैं, लेकिन एण्ट नहीं है जबकि एण्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक तरफ तो भण्डार भरा हुआ है, दूसरी तरफ छोटी-छोटी चीज, छोटा-छोटा सामान नहीं है, यह बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरे क्षेत्र में 10 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, परन्तु आज से पहले फरवरी में काम खतम हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं हुआ है। कारण क्या कि सामग्री नहीं है और सामग्री कौन सी, नट-बोल्ट बिल्कुल नहीं है चेनल के टुकड़े नहीं है। नट बोल्ट की वजह से, चेनल के टुकड़ों की वजह से, जो विस्तार के लिये लाइन खोली है, वह 6 महीने, दस महीने 12 महीने नहीं खोलते हैं, यह कोई तारीफ की बात नहीं है।

इसी तरह से आपने टाइम नहीं दिया है, मैं संक्षेप में यही कहूंगी कि हमारी इन खामियों को दूर करके इनको ठीक प्रकार से लगाया जाय। बिजली बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगी, पहले जो बोर्ड था, उसमें लेबर के प्रतिनिधित्व भी रहते थे। उसमें जनता के प्रतिनिधि रहते थे, एम.एल.ए. और एम.पी. रखे जाते थे, इन्डस्ट्रियलिस्ट का प्रतिनिधित्व था और टेक्निकल प्रतिनिधि होते थे। टेक्निकल प्रतिनिधि एक दो आवें लेकिन न इण्डस्ट्रियलिस्ट के प्रतिनिधि हैं न लेबर के प्रतिनिधि हों।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): किसानों के प्रतिनिधि होने चाहियें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: न जनता के, केवल पांच आई. ए. एस. ऑफिसर

Page No 110

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

उसमें लगायें हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि बोर्ड का गठन इस प्रकार से किया जाय कि हर तरीके के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व हो। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं एफिशियेन्सी की जाय, जिससे विस्तार हो। यह छोटा सा निवेदन है। आपने टाइम नहीं दिया है, संक्षेप में निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के बीस सूत्री संकल्पों में आठवां संकल्प है--कोटा थर्मल। इसके लिए लिखा है 31 मार्च, 1982 तक समाप्त हो जाना चाहिये, पहले 31 मार्च, 1981 तक था और अब 31 मार्च, 1982 तक कर दिया गया है। आगे लिखा है 18.5 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। इस महत्वपूर्ण योजना के लिये 18.5 करोड़ रुपया आवश्यक हुआ, तो उस समय समाप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधान कर दिया जायेगा। मान्यवर, मार्च, 1982 के कितने महीने और शेष रह गये हैं ? और अभी यह विचार किया जा रहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो 18.5 करोड़ रुपये इसके लिए दे दिये जायेंगे। तो क्या इसका उपयोग हो पायेगा ? क्या हमारा जो यह आठवां संकल्प है कि 31 मार्च, 82 तक कोटा थर्मल को पूरा कर लेंगे, यह संकल्प पूरा हो सकेगा ? माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आपने दृढ़ता से संकल्प बनाये हैं। ऐसा लगता है, क्रियान्विति का तो बाद में पता लगेगा। इन संकल्पों के पीछे आप प्रयत्नशील भी हैं, किन्तु मुझे कोटा थर्मल के बारे में कहते हुए दुःख होता है कि आपका यह संकल्प पूरा नहीं होगा, क्योंकि समय पर पैसा उपलब्ध नहीं हुआ तो किसी भी प्रकार संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार दसवें संकल्प के मूल कार्यों में इस वर्ष का लक्ष्य 1500 गांवों को प्राथमिकता, 25 हजार गांवों को बिजली देने का है। पिछली सरकार के बारे में कहा जाता है कि वह अकर्मण्य सरकार थी। उस अकर्मण्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वह हमारी इस सरकार से ज्यादा थे। उन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया।

मान्यवर, पिछली सरकार ने 80-81 में 21 करोड़ 58 लाख रुपया खर्च किया बिजली के लिये, जो व्यय हुआ 80-81 में। इस वर्ष जब हम महत्वाकांक्षी स्कीम बना रहे हैं और सक्षम सरकार कहती है, उस वक्त का लक्ष्य रखा गया है, 16 करोड़ 74 लाख रुपये। यानी पिछले साल से कम रखा गया है जबकि मैटीरियल्स की कीमत सवाई और ड्योढ़ी हो गई, तो हम बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या पीछे जाने का संकल्प कर रहे हैं ? उस समय की सरकार ने 27 लाख रुपये शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लोकेलिटी को इलेक्ट्रिफाई करने के लिये रखे थे। इस बार हमारा लक्ष्य है, 22 लाख रुपया तो हम प्रगति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं ? यह विचार करने के लिये हमारे सामने एक प्रश्न है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दसवां संकल्प 1500 गांवों को इलेक्ट्रिफाइड करने का तय किया है, उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि जितने महत्वा-

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

काफी लक्ष्य हम रख रहे हैं. जनता सरकार ने 78-79 में 2300 ग्राम इलेक्ट्रिफाइड किये, 30 हजार कुएं खुदवाये हैं और इस बार हम करने जा रहे हैं, 1500 में से 1200 आर.ई.सी. में, तो कितना पूरा करेंगे ? यह नहीं कहा जा सकता। हमने आर.एफ.सी. से तीन हजार गांवों के लिये पैसा रखा, लक्ष्य रखा आपने 12 सौ गांवों का, 1800 गांवों को इलेक्ट्रिफाई करने का क्या हुआ ? यह अमानत में खयानत हुई। इन 1800 गांवों का पैसा लिया इसका क्या हुआ।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिजली के लिये हमारी योजना व्यावहारिक होनी चाहिये और महत्वाकांक्षी होनी चाहिये, तभी हम विद्युतीकरण के आधार पर इलेक्ट्रिफाई कर सकेंगे। हमारे प्रदेश में बिजली की कमी है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है किन्तु किसानों को जो बिजली उपलब्ध है, वह भी ठीक तरह से मिल पाये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

किसानों के साथ बिजली विभाग न्याय नहीं कर रहा है। पिछली बार तय किया था फ्लेट रेट के बारे में। एक महीने में 135 घण्टे बिजली दी जायगी और फ्लेट रेट ली जायगी। मान्यवर, यदि इसकी जांच की जाय कि क्या किसानों को एक माह में 135 घण्टे बिजली मिल गई ? और यदि 135 घण्टे बिजली नहीं मिली, तो उनसे फ्लेट रेट लेने का बिजली बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ अन्याय हुआ है। बिजली शुरू हुई, बिजली जली और एक घन्टे में पानी खेत तक पहुंचा और बिजली बन्द हो गई, फिर फ्यूज उड़ गया। दो घण्टे बाद बिजली आई उसमें फिर एक घण्टा मिली इस प्रकार इसकी जांच की जानी चाहिये।

माननीय मन्त्री महोदय, आप किसानों से जाकर मिलेंगे, तो आपको पता लग जायगा कि बिजली ने आंख-मिचौनी की है। जितनी बिजली उपलब्ध है, वह ठीक तरह से उपलब्ध हो जाय यह सबसे बड़ा प्रश्न है। उसमें कमी नहीं हो, किसानों के साथ विभाग का जो व्यवहार है, आप केपेसीटर को लीजिये, केपेसीटर कम्पलसरी है। बाजार में ढाई सौ रुपये में आ जायगा, विभाग 6 सौ रुपये में देगा। विभाग से लेना कम्पलसरी है, कितने केपेसीटर काम कर रहे हैं ? मेरा अनुमान है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा केपेसीटर बन्द पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को उसका दुगुना और तीन गुना देना पड़ रहा है। यही हाल मीटर का है। यदि मीटर नया लगाया और बन्द हो गया, तो उसकी शिकायत की जाती है। तीन महीने और चार महीने तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसका पैसा वसूल किया जायगा, और यदि वह जल गया, चाहे बिजली विभाग की गलती के कारण, ज्यादा वोल्टेज आने के कारण, तो उसका पैसा वसूल किया जायगा किसानों से।

एक किसान कुएं पर कनेक्शन लेता है, उसको कितनी दिक्कत आती है ? कितने चक्कर वह बिजली विभाग के लगाता है ? पैसा खर्च किया जाता है कितने मीटर मोल लेने पड़ते हैं ? और यदि कनेक्शन काटा, तो उसके लिये कितनी दिक्कत होती है। यह स्थिति एक जिले की नहीं, यदि हम

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

किसी भी गांव को लें इस सम्बन्ध में, तो हमको ऐसा लगेगा कि किसानों के साथ बिजली विभाग क्या कर रहा है? मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में जब बाढ़ आई तो आदेश हुआ कि इनसे चार्ज नहीं लिया जायगा, रिकनेक्शन का चार्ज नहीं लिया जायगा।

भरतपुर में भी बाढ़ आई थी। 1975 से 1978 तक भरतपुर में बाढ़ आती रही, भरतपुर के लिये भी यह आदेश हो गया। बाढ़ से जो कुएं क्षतिग्रस्त हुए उनसे मिनिमम चार्ज नहीं लिया जायेगा और फ्रेश कनेक्शन किया जायगा। किन्तु शर्त यह थी, कि एस. डी. ओ. प्रमाण-पत्र देगा। असिस्टेन्ट और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर उनको फार्वर्ड करके चीफ इन्जीनियर के पास भेजेगा, यह सारी कार्यवाही पूरी होगी। तो सरकार का आदेश है कि इनसे मिनिमम चार्ज नहीं लिया जायगा। सरकार का आदेश है एस. डी. ओ. प्रमाण-पत्र देगा, असिस्टेन्ट इन्जीनियर और एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर फार्वर्ड करें। आज डिपार्टमेन्ट में कागज पड़े हैं, किसानों को बिजली का पैसा नहीं मिला, उनको खेतों में दिक्कत आ रही है, वह पैसा नहीं दिया जा रहा है। पानी पूरा नहीं मिला। फसलें पहले ही सूख गई थीं, पानी की कमी के कारण।

भरतपुर के लिये ही विशेष नहीं, जहां जहां राजस्थान में बाढ़ आई थी, वहां के लिये जब आदेश गया, तो बिजली बोर्ड आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। कागज दफ्तरों में पड़े हैं, इन्कार करते हैं कि आदेश हैं वहां एस.डी.ओ. और ए.ई.एन. से फार्वर्ड होकर आ गये हैं, यहां से कागज नहीं निकल रहे है। उनका डिस्कनेक्शन हो रहा है। उनकी खड़ी फसल सूख गई है। इतना बड़ा अन्याय किसान के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है।

बिलों की ऐसी हालत है कि 5 हार्स पावर मोटर में एक महीने में कितने यूनिट जलती है? जुलाई के माह में यदि रीडिंग लिया तो ज्यादा और अगस्त में कम। घर बैठे-बैठे रीडिंग ली जाती है, कुएं पर जाकर मीटर नहीं देखा जाता। आज किसान बिजली विभाग से परेशान हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली विभाग राजस्व विभाग से भी खतरनाक विभाग किसानों को लगने लगा है। ट्रांसफार्मर की हालत देखिये, ट्रांसफार्मर्स जल गये हैं। विभाग ने कितने ट्रांसफार्मर्स ठीक करायें? नये ट्रांसफार्मर्स खरीदने के लिए तैयार हैं, किन्तु पुराने ट्रांसफार्मर्स को ठीक नहीं करवायेंगे। होता क्या है, ट्रांसफार्मर्स की कोइल जलती है वह रीवाईंडिंग हो जाय, किन्तु वह पड़ा रहता है। उसकी टेल कहां जाती है? पता नहीं। नये ट्रांसफार्मर्स के लिये टेल इशू कराई जाती है। टेल बाजार में जाती है। ट्रांसफार्मर्स खराब होकर बाजार में बिकते हैं। ट्रांसफार्मर्स ठीक नहीं हो सकते, नये ट्रांसफार्मर्स खरीदे जा रहे हैं, कारण क्या है?

कभी कभी ट्रांसफार्मर्स इसलिए जलते हैं कि तेल नहीं डाला जाता है। उन पर वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगे हुये हैं। मीटर्स नहीं लगे हुये है, किसानों को बिजली जा रही है। यदि 20 किसानों पर एक लाइन ही है, तो बिजली दी जाती है और 8 हैं तो भी दी जाती है। दोनों जगह कहीं भी भी वोल्टेज रेगुलेटर या मीटर का नाम

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नहीं। ऐसी हालत में किसानों को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग से सम्बन्धित यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी गांव आप चुने, बिजली की समस्या के संबंध में जानकारी लें, तो आप को पता लगेगा कि किसान को बिजली के लिये कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : श्रीमान, मैं तो पहले ही कम बोलता हूं। मैं ऐसा अवसर नहीं देता, मंत्री महोदय बात करने लगे थे, इसलिए मैं भी चुप हो गया। मेरी अर्ज यह है कि यदि समस्याओं को गिनाने लगूंगा तो बहुत हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि एक ग्राम ही नहीं लें, जितने आपके इलेक्ट्रीफाईड गांव है, जहां-जहां इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, उनमें से एक गांव को सलेक्ट करें, उस गांव की समुचित समस्याओं को आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि किसान के साथ बिजली विभाग क्या कर रहा है? एक आदेश गया था पंचायत समिति लेवल पर शिड्यूल्ड कास्ट्स को बिजली देने के लिए। हमने बी.डी.ओ. और ए.ईएन. की मीटिंग का प्रावधान रखा था। आदेश गया मंत्री महोदय ने पता लगाया कि कितनी जगह मीटिंग हुई है? मैं अपने इलाके की बात कहता हूं। वहां कोई मीटिंग नहीं हुई। कोई आना पसंद नहीं करता क्योंकि किसानों को प्राब्लम्स सारी वहीं बैठे बैठे हो जायेंगी। उसका जो लाभ होने वाला है, वह नहीं होगा।

इसलिये मैं, विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी व्यवस्था करवें कि बिजली के संबंध में पंचायत समिति लेवल पर एक ऐसी कमेटी हो जाय, जो सभी प्रकार की बिजली की समस्याओं के बारे में विचार करे तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है क्योंकि आज पूछने वाला कोई नहीं है। आज उच्च अधिकारी ईमानदारी से चाहें कि नीचे का काम ठीक हो, तो नहीं हो सकता। हमारे गांवों की स्थिति यह है कि यदि लाइनमेन को बुलाया गया, तो भी बिजली ठीक नहीं होगी। यह स्थिति गांवों की हो रही है और इस विभाग से इतना भय हो गया है। इसलिए गांवों की समस्याओं के संबंध में आप कमेटी नियुक्त करें। इस सदन की कमेटी नियुक्त करें, जिसमें देखें कि किसानों की समस्या कैसे दूर की जा सकती है।

हमारी दूसरी मांग है कि पंचायत समिति स्तर पर आप एक ऐसी समिति का निर्माण कर दें, जहां किसान अपने अभाव अभियोग पंचायत समिति में बता सके। तो यह समस्यायें काफी हल हो जायेंगी। मैं एक बार फिर से निवेदन करता हुआ कि कोटा के थर्मल को जितने रुपयों की आवश्यकता है, शीघ्रातिशीघ्र देकर उसको जल्दी से पूरा करायेंगे, तो देश की, प्रदेश की प्रगति होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह गुर्जर

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो जिसके लिए

Page No 114

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

सूरजपालसिंह जी और चूंडावत साहिबा ने मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दिया, मैं भी उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं से यहां अवगत कराना चाहता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि मंत्री और अधिकारी गण इस ओर जल्दी ध्यान देकर उनको पूरा करेंगे। मेरे क्षेत्र में केवल मात्र 33 के. वी. लाइन है। जिसमें हमेशा वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां से भीलवाड़ा-जोधपुर लाइन केवल 100 मीटर की दूरी पर निकल रही है। उस जी. एस. एस. लाइन से हमारी लाइन को जोड़ दिया। 132 के. वी. लाइन जी. एस. एस. भी बना दो तो उससे यहां की वोल्टेज समस्या का निदान हो जायगा। इसकी फीडिंग से रानीवास मारवाड़ जंक्शन, रानी व सोजत को छोड़कर इस बिजली की समस्या का आप निदान कर सकेंगे।

इसके बाद, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में हर बार अधिकारी कहते रहते हैं, शत प्रतिशत गावों में विद्युतीकरण हो चुका है। लेकिन दो तीन बार मैं क्षेत्र के दौरे पर गया, तो कई ऐसे गांव हैं, जहां बल्ब नहीं लगे है, पोल गिरे हुए हैं, लाइने गिरी हुई हैं। आप आखिर फर्जी आंकड़े कब तक दर्शाते रहेंगे? इसकी जांच कराई जाय और जो फर्जी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनको सख्त सजा दी जाय।

500 फाइलें खारची ए. ई. एन. के कार्यालय में तीन वर्ष से जमा है। कइयों की राशि जमा की गई है, लेकिन अफसोस है कि कुओं वालों को कनेक्शन नही दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, इस बार जो अकाल की विभीषिका है, वह कुओं से पानी नही पिला सकते, उनके पास कमजोर बैल है। कृपया कनेक्शन अगर जल्दी दिलवायेंगे, तो थोड़ी बहुत जो फसल सूख रही है, वह बच जायगी मारवाड़ जंक्शन, खारची में दो असिस्टेंट इंजीनियर्स कार्यरत हैं। एक का कार्यालय पाली में है। आधे किसानों को अपने बिल जमा कराने के लिए वहां से 50 किलोमीटर दूर पाली जाना पड़ता है और दूसरा कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में है। क्यों नहीं सारा कार्य एक ही असिस्टेंट इंजीनियर को सोंप दें, ताकि किसान का पाली जाने में खर्चा न हों और समय की बरबादी भी न हो।

अभी अभी मेरे पास 15-20 मिनट पहले तार आया, जिसमें लिखा है विगत 10 दिनों से वहां किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, जिससे फसल सूख रही हैं। आज से तीन दिन पहले जब मैं आया था, वहां के एसिस्टेंट इंजीनियर को बुलाकर कह कर आया था कि क्यों नहीं बिजली आ रही है। उन्होंने कहा, तार लाइन खराब है जो जल्दी ही ठीक हो जायगी। लेकिन अफसोस है कि 4-5 दिन बाद भी तार लाइन ठीक नहीं होती है। किसान रोते हैं और अधिकारी जीप लेकर घूमते हैं। कनेक्शन का काम नहीं है, सामान नहीं है, सिर्फ जीप लेकर घूमते रहते हैं। आप आदेश करिये इनकी जीप अवास्तविक काम में आती है।

इसके बाद कुछ सूचनायें मुझे प्राप्त हुई थी। 9 मार्च, 1981 को अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी एच. के. वाल्टर्स यहां के आर. एस. ई. बी. कार्यक्रम में आये थे और यहां के सचिव महोदय और भूतपूर्व चीफ इंजीनियर जो वर्तमान में टी. एम. के पद पर हैं, से उनकी क्लोज्ड डोर वार्ता हुई थी।

(श्री भैरोंसिंह गुर्जर)

ऐसा सुनने में आया है कि वे सी. आई. ए. के एजेंट हैं, और अधिकारियों ने मिलकर गोल-मोल बातें की हैं जिसके कागज भी हैं और प्रूफ भी है। उपाध्यक्ष जी, उसी दिन आर. एस.ई.बी. के चेयरमैन यहां से कोटा थर्मल गए थे। उन्होंने जाकर वहां जो रीक्यूजलिंग का काम था उसको 7 दिन आगे खिसकाया। उसके कारण दूसरे दिन जो अमरीकी दूतावास से चीफ इंजीनियर आये थे, उनको टी. एम. बनाकर बोर्ड में बिठाया गया। क्या यह सी. आई. ए. की चाल नहीं है? क्या यह अमरीकी एजेंटों का काम नहीं है? पूरी जांच की जाय और दोषी अधिकारियों को बोर्ड से बाहर निकाला जाय, ताकि बोर्ड का काम सुचारुरूप से हो सके।

उपाध्यक्ष जी, बानसूर काण्ड तो सर्व विदित है। बानसूर में जो सीमेंट के पोल का काण्ड हुआ था, और फैक्ट्री के मालिक उस काण्ड को दबाने में लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी सप्लाई की जाती रही पोल्स की। उसके लिए एफ. आई. आर. भी थाने में दर्ज हुई। उसमें बहुत फर्जी भुगतान होता रहा। इस प्रकार मैं आपसे निवेदन करूं, बानसूर काण्ड की 31-5-81 को थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके भौतिक सत्यापन के समय 1 लाख 35 हजार 608 पोल गायब पाये गये। मैं आपसे निवेदन करूं, इसमें लाखों रुपयों का घोटाला हैं। इसलिए जो रिपोर्ट सामने आयी, उसमें आर.एस.ई. बोर्ड है, वह घोटाला बोर्ड है, भ्रष्टाचार का बोर्ड बना हुआ है। वहां पर कोई काम नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसान उसको रोता है। किसान दुखी होता है और यह आराम फरमाते हैं। आज फसलें सूख रही हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जो अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं, उन अधिकारियों को सरकार तुरन्त वहां से हटा उन अधिकारियों को अन्य कार्य में लगायें जाय। उनको सस्पेन्ड किया जाय ताकि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाय। यह तो बानसूर काण्ड है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : यह तो तुम्हारे ही समय के लगाये हुये हैं।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : नहीं, यह तुम्हारे ही समय के लगाये हुए थे। उसकी रामायण आगे पीछे चल रही है। हम तो उनको निकाल रहे हैं, सस्पेन्ड करेंगे।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : हमने तो सक्षम अधिकारियों को लगाया था। उन्होंने तो काम किया था, आपने बाद में लगाये हैं, वह अधिकारी हैं यह।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर काण्ड की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जल्दी ही नैनवा, विजयनगर और धौलपुर की सीमेंट फैक्ट्री की अगर जांच की जाय तो वहां पर भी सैकड़ों घोटाले नजर आयेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके माथुर साहब ने आते ही उसमें एफ. आर. पुलिस से दिलवा दी। आप जांच कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सरकार ने आते ही एफ. आर. दिलाई है।

(व्यवधान)

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : यह सरकार से कहते रहें, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, xxx

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महीनों से जो विद्युत का संकट आया है, उस समय किसानों को पांच घण्टे अगर बिजली दी गई होती, तो किसान की बर्बादी नहीं होती।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य। आप समय बरबाद नहीं करें।

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो इन लोगों ने बरबाद कर दिया।

एक माननीय सदस्य : दुलाराम जी चुप कैसे बैठे हैं?

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के पास उस समय 45 लाख यूनिट बिजली थी। 73 फैक्ट्रीज के लिए और किसानों को देने के लिए सिर्फ 30 लाख यूनिट बिजली, उनको चाहिये थी। पांच घण्टे अगर किसानों को और शहर को बिजली दी जाती तो 45 लाख यूनिट बिजली की जरूरत पड़ती। उनके पास कुल बिजली थी 65 से लेकर 85 लाख यूनिट लेकिन यह लोग सी. आई. ए. के एजेन्ट है। ये कांग्रेस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने बिजली की कटौती की और किसानों को तबाह कर दिया। यह बात साबित हो चुकी है।

हमारे यहां पर 1980-81 में जो अणु बिजलीघर बन्द हुआ था, उसमें अधिकारियों की स्पष्ट लापरवाही झलक रही थी। खेतड़ी में 220 के.वी. ग्रिड बन्द हुआ उसमें भी वहां के अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही साबित हो चुकी है। अलवर में 220 के.वी. लाइन ग्रिड के बन्द होने में अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही साबित हो चुकी है। यह जान-बूझकर किसानों को परेशान कर रहे हैं। यह किसानों का अहित सोचते है। यह सोचते हैं कि किसान आगे न आ जायें। वास्तविक बात यह है कि इसमें आर.एस.एस. और सी. आई. ए. के एजेन्ट भरे हुए हैं। इनको मैनेजमेंट से निकाल कर बाहर करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

---

xxxमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री भैरु सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, 1 दिसम्बर 1980 से फरवरी, 1981 तक विद्युत संकट के कारण जो दो सौ हिंसक घटनायें हुई हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी आर. एस. ई. बी. के अधिकारियों की है। यही यह नौबत लाये हैं। यह बिजली समय पर नहीं देते थे। अगर यह समय पर बिजली देते, तो यह हिंसक घटनायें नहीं होतीं विदेशी प्रभाव के कारण। मैं आपसे निवेदन करूं, एक वर्ष में 33 से लेकर 1320 के. वी. लाइन के प्रसारण का काम ठेकेदारों को दिया गया है। इसके कारण 1700 कर्मचारियों को हटाया जा चुका है और भी हटाये जा रहे हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और यह समस्या हमारे सामने आने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ण जांच कराई जानी चाहिये। इसकी सी. आई. डी. रिपोर्ट क्या हैं, उसको सामने लाई जाय, ताकि इन सारे घोटालों को उजागर किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जा कर चैम्बर में मिल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : उपाध्यक्ष जी, किसी देश के विकास की धारा वहां के उत्पादन से होती है, चाहे वह इन्डस्ट्री का हो चाहे वह खेती का हो। आज उत्पादन की दुनियां में विशेष तौर से हमारे देश में जो कमी है, वह है तेल की। हमारे देश में तेल की बहुत कमी है। इसलिए बिजली पर निर्भरता बहुत कुछ बढ़ जाती है। पिछले दिनों राजस्थान में लगभग चार साल से बिजली का बेहद संकट मौजूद है। बिजली की जितनी हमारे यहां पर उत्पादन क्षमता है, उतना किसी भी पावर स्टेशन पर उत्पादन नहीं हो पाता है। जो उत्पादन होता है, उसका वितरण ऐसी चीजों पर किया जाता है जो कि उत्पादक नहीं हैं। जैसे रेफ्रीजरेटर व फ्रिज वगैरह है। इनको 24 घन्टे के लिये बिजली उपलब्ध कराई जाती है। बिजली का खर्च प्रोडक्शन पर होना चाहिये। बिजली भी किसानों के लिये विशेषतौर किसान की फसल के लिये खर्च होना चाहिये।

अभी हमारे यहां पर बाढ़ आयी और फिर भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गयी। फसल सूख रही है और किसान दहाड़ मार कर रो रहा है। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है। व्यर्थ में बिजली खर्च करके, किसान पर बिजली की कटौती करके आप किस प्रकार प्रगति की बात करते हैं। आप कृपा कर उस ओर ध्यान देवें। आप बिजली को किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए खर्च करें तो ही हम अपनी नीतियों की ओर सक्रिय हो सकेंगे। आज बिजली कितने ही कारणों की वजह से नहीं मिल रही है। कितने कारण गिनाये जायं। जनरेशन की कमी है, या डिस्ट्रीब्यूशन में गडबड़ी है? आज किसानों द्वारा हमारे देश में 21.01 प्रतिशत बिजली खेती में खर्च होती है। बाकी इन्डस्ट्री पर बिजली खर्च होती है। आज फसल सूख रही है। आप इन्डस्ट्री में अगर एक दिन, दो दिन, पांच दिन या पन्द्रह दिन बिजली नहीं दें, तो बाद में उस कमी को पूरा कर सकते हैं, उस कमी से किसी हद तक निपट सकते हैं। लेकिन किसान को 24 घन्टे में आठ

(श्री यदुनाथसिंह)

घन्टे में भी बिजली की कमी होती है, तो देरी होने से फसल नष्ट हो जायेगी और उस का खामियाजा आप पूरा नहीं कर पायेंगे। बिजली की रेट में किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है? आज 9 पैसे प्रति युनिट बिजली इन्डस्ट्री वालों को दी जाती है टाटा, बिड़ला वगैरह को..... ...

(4.19 म.न.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सभापति; पदासीन)

लेकिन किसान को बिजली दी जाती है। 29.03 पैसे यूनिट। आप किसान को एक दो घन्टे भी बिजली नहीं दे पाते है,और उससे मिनीमम चार्ज लेते है। वहां पर भ्रष्टाचार होता है। कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार होता है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे यहां पर नये विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे। नया इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। उसके लिये तो मन्त्री महोदय यह करें कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो, तो वह फसल के पहले होना चाहिये। अगर किसान को पहले बिजली मिल गयी और उससे किसान के दो दाने पैदा हो गये, तो वह आपकी जय जय कार करेगा और देश की बहबूदी में अपना हिस्सा निभाने की कोशिश भी करेगा। योजनाओं के लिये कोशिश करेगा।

हमारे यहां पर बिजली की लगातार कटौती की जा रही है। एक तरफ तो बिजली की कटौती होती है, दूसरी तरफ टार्गेट विद्युतीकरण की योजनाओं का बढ़ाते जा रहे है। यह विरोधाभास किस प्रकार से पूरा कर पायेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आता। सरकार निश्चित तौर से प्राथमिकता तय करे। आप मिलों पर बिजली खर्च करना चाहेंगे या ऐसे उत्पादन बढ़ाने वाले कार्यक्रमों पर बिजली खर्च करना चाहेंगे? आज जो घोटाले हुए हैं, जो पोल काण्ड के मामले अभी बताये गये हैं, उनमें सरकार ने एफ. आर. अगर लगायी है, तो उस पर पुनर्विचार करें। अगर ऐसे कामों को प्रोत्साहन देते रहे, तो निश्चित तौर पर आगे भ्रष्टाचार को नहीं रोक पायेंगे। चाहे इसमें कोई भी दोषी हो उसको तो निश्चित-तौर पर दण्ड मिलना ही चाहिये। हालांकि इसमें फर्जी पेमेन्ट हुआ है। इस तरह के घोटाले होते रहे। तो सरकार को घाटा होगा। हालांकि इसकी पूर्ति तो नहीं हो पायेगी लेकिन उनको सजा मिलेगी। आगे इस तरह से काम करने वाले लोगों से निश्चित तौर से रुकावट आने वाली है। इसलिए इसकी जांच दुवारा से कराई जाय।

एटामिक पावर स्टेशन के लिए जहां तक सी. आई. ए. एजेन्ट का आरोप लगाया गया है, सरकार की ओर से उस पर अपना स्पष्टीकरण देना निहायत ही जरूरी है। आपने यह बहुत गंभीर चार्ज लगाया है। मैं नहीं समझता कि कैसी स्थिति है। लेकिन जैसा आभास मिला है, 25 मार्च को पावर स्टेशन बन्द होने वाला था। 18 को बन्द होना चाहिए था वह 25 को बन्द किया गया। सिर्फ उस एक आदमी के आने की वजह से ऐसा किया गया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जान बूझ कर विभाग के लोग इस पावर स्टेशन को बन्द करते हैं। इस बात की ओर सरकार निश्चित-रूप से अपनी और विभाग की छवि को स्पष्ट करने की कोशिश करे।

Page No 119

(119)

(श्री यदुनाथसिंह)

हमारे यहां एक अजीब स्थिति है नये आदेश के मुताबिक । एस. ई. ने किया होगा । वह काफी प्रयत्नशील हैं और बहुत मेहनत करते हैं । नये आदेश चाहे इस उद्देश्य से कि बिजली की कटौती की जा सके, लोड कम पड़े, सप्लाई पर प्रेशर कम हो प्रसारित किये गये हैं कि जो कृषि के कनेक्शन हैं, उनके लिए एस. ई. सीधे कनेक्शन देंगे । ए. ईएन., जे. ईएन. और एक्स. ई. एन. की मार्फत जो कनेक्शन दिये जाते थे, उसके लिए हमारे यहां के किसान को अलवर भागकर जाना पड़ेगा । उसमें कितना समय लगेगा । किसान को उसमें निश्चित रूप से हानि होगी और प्रोडक्शन में भी नुकसान होगा ।

मिनिमम चार्जेज के बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब हालत ऐसी हो रही हैं कि किसान को बिजली नहीं मिलती है, तो आप मिनिमम चार्ज किस बात का लेते हैं ? या तो आप बिजली की पूरी व्यवस्था कीजिए या फिर मिनिमम चार्ज क्यों लेते हैं ? यह सरकार की ओर से शोषण है । इसको तो आप कम से कम बन्द करने की कोशिश करें ।

एक प्रेक्टिकल मुद्दा है, पता नहीं किस तरह से विचार करेंगे । मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 'एल' फार्म के माध्यम से होता है । अतः इसके लिए आप दूसरी व्यवस्था ढूंढने हेतु गम्भीरता से विचार करें । 'एल' फार्म से घोटाले होते हैं । आज एक फर्जी आदमी 'एल' फार्म दे देता है और उसका कनेक्शन हो जाता है । तो क्यों नहीं विभाग की ओर से और एम्पलायमेन्ट देकर फिटिंग की जांच कराई जाये कि फिटिंग ठीक है या नहीं ? आज 'एल' फार्म की ओर से शोषण किया जाता है, उसकी ओर विशेष ध्यान दें ।

अब मैं अपने यहां के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा । मेरे यहां इस वर्ष 25 गांवों का और बाकी रहे सहे गांवों का अगली साल विद्युतीकरण होना है । लेकिन अभी तक विद्युतीकरण की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है । वहां सामान नहीं है । बड़ा बड़ा सामान तो पड़ा है, लेकिन छोटे ट्रान्सफार्मर, कन्डक्टर्स और आयरन के ब्रेकेट्स वगैरह, छोटा समान नहीं होने की वजह से वहां तुरन्त काम किया जाना सम्भव नहीं है । मेरे वहां पर एक ग्रिड स्टेशन भी बनना है । उसके लिए जमीन खरीदने की कोशिश की जा रही है । वहां जमीनों के भाव बहुत ऊंचे मांग रहे हैं । इसके लिए तुरन्त सरकार जमीन एक्वायर करे ताकि एकदम काम शुरू हो सके और जितना जल्दी हो सके वहां पर कनेक्शन दिये जा सकें ।

सभापति महोदय, बिजली की चोरी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है । 24 पर्सेन्ट बिजली की चोरी तो अधिकारियों की मिलीभगत से होती है । इसके मेरे पास कई प्रमाण भी हैं । उन अधिकारियों के नाम लेना मैं यहां उचित नहीं समझता लेकिन उनके बारे में मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय को पत्र लिखूंगा । मुझे आशा है कि इस पर गौर करके कोई अधिकारी या फैक्ट्री वाले दोषी हैं, उनके खिलाफ आप कठोर कदम उठायेंगे ।

अभी यहां बिजली का एक बड़ा घोटाला सामने आने लगा है । कुछ लोगों

(श्री यदुनाथसिंह)

के कनेक्शन आठ साल पहले डिस्कनेक्ट हो गए और उनके मीटर विभाग वाले उतार कर ले गए। उनको फिर से नोटिस दिये जा रहे हैं, कुर्की की उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उनके ऊपर लगातार मिनिमम चार्ज लगता जा रहा है। किसान बड़ा भोला होता है। जब वह दरख्वास्त देता है, तो उससे पहले मांग की जाती है कि आप पैसा दीजिए तो आपका मामला निपटाया जायेगा। उन्हें बिना वजह परेशान किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे जितने भी मामले हैं, जिनके कनेक्शन कटे हैं, किसान के जबरदस्ती लगातार मिनिमम चार्ज जुड़ता जा रहा है, जब कि मीटर और कनेक्शन विभाग ने हटा दिये, उनसे अब पैसा लेकर उनके साथ अत्याचार करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही कहते हुए एक शब्द इस सरकार के लिए और कहूंगा कि फिलहाल, वर्तमान में लगता है कि इन्टर स्टेट डिस्प्यूट थे, उसमें कुछ हासिल होता जा रहा है। लेकिन इनकी क्रियान्विति हो सके, तभी इनकी सफलता मानी जा सकेगी। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए, और अधिक से अधिक राज्य के प्रोडक्शन के लिए ध्यान देंगे। जैसा कि रानी साहिबा ने कहा कि इसके लिए टेक्नोक्रेट हैड होना आवश्यक है, क्योंकि उसको हर चीज की जानकारी हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा मसला नहीं है। इसकी, एक नजीर माननीय पृथ्वीसिंह जी के समय—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में देख चुके हैं कि उन्होंने इससे भी ज्यादा बिजली के संकट के समय में बाहर से बिजली लेने में जो तत्परता और मेहनत दिखाई उससे जाहिर होता है कि टेक्नोक्रेट इस कठिनाई को ज्यादा बेहतर समझता है। इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : आदरणीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सबसे पहले राजस्थान की सरकार को मुबारक और प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जिसने जनता के वास्तविक हित के लिए बचे हुए कामों को करने के लिए पूरा प्रयास किया। आज जब हम हमारे प्रदेश की ही नहीं, बल्कि इस देश की बहुत बड़ी समस्या पर विचार करने जा रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है बिजली का। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है ऊर्जा। हम को सारे पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

राजस्थान सरकार, वर्तमान में कार्यरत राजस्थान सरकार के पिछले कदमों से जैसा कि लगता है, राजस्थान के अधिकारीगण बिजली के लिए विशेष रूप से चिन्तित हैं। उसी के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से यह राजस्थान सरकार के बढ़ते हुए कदम सराहना के पात्र हैं। किन्तु मैं निवे—

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

दन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को कि बिजली के मामले में ठोस नीति तय करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि राजस्थान के अन्दर ग्रामीण विद्युतीकरण की क्या कोई सोशल पालिसी है? क्या आपने निश्चित किया है कि राजस्थान में बिजली के लिए किस प्रकार से राजस्थान की सोशल पालिसी होगी? क्या राजस्थान की सरकार ने सोचा है कि हर बार केवल घोषणायें होती हैं? 1962 से मुझे घोषणायें याद हैं कि इतने वर्षों बाद राजस्थान पूरा इलेक्ट्रिफाई हो जायेगा। उसके बाद 67 में घोषणायें हुई, 72 में घोषणायें हुई और जनता पार्टी ने 77 में घोषणा की। केवल मात्र घोषणाओं से राजस्थान को बिजली मिलने वाली नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार निश्चित तिथि की घोषणा करे और राजस्थान के जन मानस को बिजली की समस्या से जूझने से छुटकारा दिलाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी आस्पेक्ट्स पर राजस्थान की सरकार को सोचना पड़ेगा कि कौन से उपभोक्ता को पहले बिजली देनी है? कौन से क्षेत्र की कितनी आवश्यकता है? मैं मानता हूं औद्योगीकरण बहुत महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन कृषि का क्षेत्र उससे पिछड़ा नहीं रहे। अधिकांश आबादी खेती से अपना पेट भरती है और अधिकांश कृषक बिजली पर निर्भर रहते हैं। हर आस्पेक्ट पर विचार करना चाहिये। जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें मेरी मान्यता है और चेतावनी पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार राजस्थान का ढर्रा चल रहा है, अगर यही ढर्रा राजस्थान का चलता रहा, तो घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह जाएंगी और राजस्थान की भूखी जनता तड़पती रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का ढर्रा चल रहा है, उसके लिये आपको सोचना पड़ेगा।

मैं निश्चित रूप से कहे बिना नहीं रह सकता कि सन 1981-82 के आय-व्ययक के आंकड़ों से आपने इस बात को महसूस किया कि राजस्व से कुल 10956 लाख प्राप्त किये थे। सन 1980-81 में राजस्व की जिस प्रकार आय प्राप्त हुई है वह है 13,580 लाख। मेरा निवेदन है, आपको इस प्रकार की आय पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि यह कितनी बढ़े? इसको कितना बढ़ाया गया है? राजस्थान की सरकार आंकड़ों की रूपरेखा को इस प्रकार पेश करे कि वह नीचे की ओर आये, तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पास पैसों की कमी है, धन की कमी है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का ढर्रा चल रहा है, उसको सुधारना पड़ेगा। मैं यह तो मानता हूं कि जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी राजस्थान अपनी पूरी क्षमता से देने का बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन राजस्थान के ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत से इस प्रकार के दूसरे कार्य हैं, जो बिजली के बिना सम्भव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिये राजस्थान की सरकार और बिजली बोर्ड मिल जुल कर सोचे तो काफी कुछ हो सकता है। आज चीन में लाखों

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

गोबर गैस प्लांट्स लगे हुए हैं। उससे उन लोगों ने काफी हद तक बिजली की समस्या को हल कर रखा है। मेरी मान्यता है हमारे देश को और हमारे प्रदेश राजस्थान को इस ओर आगे होकर एक मिसाल पेश करनी चाहिये।

देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गोबर गैस प्लांट के बारे में सोच रही है। इनको गांव-गांव में पहुंचाना है, सहकारी समितियों पर पहुंचाना है। सरकारी स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, बिजली बोर्ड के स्तर पर, अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर आपको सब्सिडी की व्यवस्था करनी होगी। इस ऊर्जा के स्रोत को अपनाना चाहिये ताकि बिजली की ज्यादा खपत की जगह इस स्रोत को काम में ले सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं दूसरा बिजली का एक बड़ा माध्यम है पवन चक्की आप इसके लिए खोज करवा सकते हैं, यह विदेशों में सफल हुई है। यदि किसानों को राहत देना चाहते हैं, तो मैं मांग करना चाहता हूं आगे होकर सब्सिडी दें लोन दें और किसानों के कुओं पर पवन चक्की की व्यवस्था करवायें।

मुझे इस बात का भरोसा है कि हमारी राजस्थान की सरकार जागरूक है और विद्युत मंत्री जी भी किसानों की चिंताओं से चिंतित हैं, बिजली की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार व्यवस्था की जा सकती है ? आज राजस्थान के साधन सीमित हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कोयले की कमी है, साधनों की कमी है, रेलवे की कमी है। मैं एक सजेशन प्रस्तुत करना चाहता हूं और इसके लिये गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिये। इस व्यवस्था के लिये राजस्थान सरकार गुजरात की सरकार से मिलकर कार्य कर सकती है, तो अवश्य करना चाहिये। अन्यथा गुजरात ने सिंगरोली, जो यू. पी. में है, से गुजरात होती हुई पनखोरी तक कोयले की चूरी को पानी के बहाव के साथ पहुंचाने की बात की है। वह हमारे कोटा होती हुई जायेगी।

यदि राजस्थान की सरकार सोचे कि पानी में बहाकर कोयला लाया जा सकता है, तो उस साधन को भी अवश्य अपनाया जाना चाहिये। इससे रेलवे की समस्या का भी समाधान होगा, साधन भी कम जुटाने होंगे और कम दाम पर कोयले ढोने का काम कर सकेंगे। आप स्वयं कर सकते हैं, तो खुशी होगी अन्यथा गुजरात सरकार से बात करके पानी के साथ बहा कर कोयला पहुंचाने वाली बात है, उसमें राजस्थान सरकार भी अपना हिस्सा रखे, क्योंकि कोटा से वह गुजरने वाला है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, राजस्थान सरकार बिजली के स्रोत को लाने के लिए काफी उत्साही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मुझे बहुत कुछ निवेदन करना है। मैं दो मिनट और अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं राज-

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

स्थान की सरकार जागरूक है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जितनी राजस्थान में बिजली पैदा करना चाहते हैं उससे ज्यादा बिजली को घुन लगा हुआ है उसको भी आपको समाप्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार ऊर्जा के इस स्रोत में 3700 मिलियन यूनिट में 36 पर्सेन्ट ट्रांसमिशन लास और थेफ्ट में चला जाता है, वह राजस्थान सरकार के लिए एक चेतावनी है। इस प्रकार की चोरी को कैसे रोका जा सकता है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस चोरी को रोकने से पहले यह देखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार की चोरी होती है ? मार्च और अप्रेल, 67 का 17 लाख का बकाया है। सभापति महोदया, मैं विद्युत मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह 17 लाख मायने रखता है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। मैं निवेदन करूंगा, पांच केस पुलिस में दर्ज कराये जा रहे हैं, मान इन्डस्ट्रीज, जयपुर प्रभात इन्डस्ट्रीज और माडर्न सिन्थेटिक्स, अलवर ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिन्होंने 17 लाख की चोरी की है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा और चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं xxx इसलिए मैं, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा पूरी बात तो कह लेने दीजिये

(व्यवधान)

पूरी बात को कहने दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : नाम बतायें।

श्री सभापति : आपत्ति किस बात पर है ? माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं आई है...

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लगता है, चोरी में कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने जनरल बात कही है माननीय सदस्यों की। मुझे शंका है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी बात को स्पेसिफाई करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया है...

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्यों ने चोरी की है, यह बात उन्होंने कही है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : कहने तो दो पूरी बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इतना पूछना चाहता हूं कि एम. एल. ए. लेज में से हैं, या मिनिस्टर्स में से हैं ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान को एक बहुत बड़ा...

(व्यवधान)

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

सभापति महोदया, मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है । मैं सबूत पेश करना चाहता हूं । यहां तक कि लोगों के बयान हुए हैं और बहुत बड़े धन्ना सेठों की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, उनके बयान हुए हैं कि तीन हजार रोज देते थे····

(व्यवधान)

इस प्रकार बिजली का उत्पादन कितना ही होता रहे, उससे बिजली का संकट मिटने वाला नहीं है । यदि इस प्रकार के नुकसान होते रहे और गबन घोटाले होते रहे, तो राजस्थान की सरकार का और राजस्थान के बिजली बोर्ड का क्या होगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में 33 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं में बकाया है और 3236 मुकदमे विजिलेन्स में पेन्डिंग हैं । जैसा कि इस बजट में कहा गया है, राजस्थान का विजिलेन्स पर एक करोड़ रुपया खर्च होता है, तो इस प्रकार के विजिलेन्स से क्या लाभ होने वाला है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा, लोगों ने खम्भा काण्ड की बात की, सी. आई. ए. की आवाज उठाई । मैं कहता हूं यह खम्भा काण्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा काण्ड है—9 करोड़ का कहीं कोई काण्ड नहीं हुआ होगा; जो राजस्थान में 9 करोड़ का यह काण्ड हुआ है । 9 करोड़ का इस प्रकार का घोटाला राजस्थान में आज तक नहीं हुआ । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने इस खम्भा कांड की जांच करने वाले लोगों के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया । मेरे पास अखबारों की कटिंग है । इंजीनियरों के संगठन ने, भ्रष्ट आदमियों को बचाने के लिए नायाब प्रस्ताव पारित किया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और पेश करना चाहता हूं, उन दस्तावेजों को, जिनके अन्दर उन अच्छे अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं । उनकी निन्दा और भर्त्सना की गयी है, जिन्होंने इन आदमियों को पकड़ा, जिन्होंने भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए कोशिश की ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली है कि इस कांड को दबाने के लिए, इन बड़े अफसरों ने अपने आपको फन्दे से निकालने के लिए इन कर्मचारियों ने राजस्थान के बिजली बोर्ड के कुछ इंजीनियरों से, जो इसमें फंसते थे, राजस्थान के अन्दर 20 लाख का चन्दा किया है । मैं नहीं जानता कि वह किसको देना चाहते हैं ? लेकिन मेरी यह चेतावनी स्वीकार करें, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष जी और इस फैसले को सामने रखें, इन समस्याओं को सामने रखें, इस बात की जांच करायें और प्रस्तुत करें, राजस्थान की जनता के सामने कि बिजली बोर्ड में घोटाला नहीं हुआ है । मैं अधिक नहीं जानता, एफ. आई. आर. दर्ज हुई है, लोगों ने जाकर मौके पर पकड़ा है । केवल मात्र खम्भा काण्ड तक ही सीमित नहीं है खम्भों के लिए सीमेन्ट कहां से आया ? वह सीमेंट कहां गया ? लोहे का ब्लैक हुआ है, ऊपर के ऊपर । खम्भा बना तक नहीं और गड़ गया, गड़े हुए के रिकार्ड मिल गये है, उसके बावजूद खम्भों का पता नहीं लगा है । इतना बड़ा काण्ड हो जाए और राजस्थान की सरकार चुप बैठी रह जाय, राजस्थान का बिजली बोर्ड आंख मींचे पड़ा

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

रहे, तो मुझे शक होता है उन लोगों के ऊपर, जो इन सारे कारनामों को पनाह देते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साथियों ने सी.आई.ए. का जिक्र किया, सी.आई.ए. की हरकतें यदि राजस्थान के बिजली बोर्ड में नहीं हैं, तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं सी.आई.ए. के उच्च अधिकारी राजस्थान के बिजली बोर्ड में क्यों काम करने आये थे, क्या काम था उनका? बिजली बोर्ड के अध्यक्षजी और दूसरे अधिकारियों से क्या उनका सम्पर्क था? बड़े बड़े अधिकारी उनको कोटा लेकर क्यों गये? मेरे पास इस बात का सबूत है कि वे यहां आये। मैं आपको यह प्रतिलिपि पेश करना चाहता हूं, फोटोस्टेट, उसके अन्दर उस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बिजली के अधिकारियों से मिलने के लिए षड्यन्त्र किये जा रहे है। बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है।

मेरा इतना ही निवेदन है, सभापति महोदया, इस तरह से आपकी नजर नहीं पड़े, सरकार की नजर नहीं पड़े, तो राजस्थान की जनता इस तरह के कारनामे करने वाले लोगों को कभी बख्शने वाली नहीं है, चाहे वे कितने ही बड़े अधिकारी क्यों न हों। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि बिजली का संकट नहीं है, उत्पन्न किया गया है। बिजली का संकट कम उत्पादन से नहीं है, अपितु बिजली को व्यर्थ खर्च करने से हुआ है। माननीय सभापति महोदया, बिजली कर्मचारियों ने समय-समय पर आगाह किया है, चेतावनियां दी हैं कि प्रदेश में बिजली का गम्भीर संकट आयेगा। चेतावनी देने वाले लोगों को तथा भ्रष्टाचार के कारनामे खोलने वाले लोगों को बिजली के बड़े बड़े अधिकारियों ने बाहर फेंका है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सबूत के तौर पर राजस्थान में बिजली के इंजीनियर, डिप्लोमाधारी पदाधिकारियों, जिन्होंने राजस्थान के बिजली बोर्ड पर आरोप लगाये, सप्रमाण आरोप लगाये, को राजस्थान के बड़े अफसरों ने पोकरण भिजवा दिया है। पाकिस्तान के अन्दर तो भेज नहीं सकते थे, लेकिन सीमा पर भेजकर अपनी आत्मा की संतुष्टि की है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह की हरकतों को राजस्थान की सरकार को कतई बर्दास्त नहीं करना चाहिए। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, उन हालातों में राजस्थान का बिजली बोर्ड सुधरने वाला नहीं है। आई.ए.एस. आफिसर को एक सफेद हाथी के रूप में बिजली बोर्ड के ऊपर बैठाया जाना कतई उपयुक्त नहीं है मैं यह मानता हूं, आई.ए.एस. आफिसर ऐशोआराम कर सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि बड़े अधिकारी केवल इस प्रकार के प्रपोजल बनवा सकते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, यह जानकर कि राजस्थान के बिजली बोर्ड के दफ्तर में लगे हुवे लॉन को खुदवाकर 35 हजार रुपये की अमेरीका से खाद मंगवा कर लगवायी जाय, उन अफसरों के लिए, मुझे दुःख होता है, आश्चर्य होता है यह

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

मान कर। इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार की जनता के कोने कोने से इसे प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकतें, घोटाले और स्थितियां यदि राजस्थान राज्य विद्युतमण्डल की रहीं, तो निश्चित रूप से इस बात को कभी यह सरकार मंजूर नहीं करेगी, कभी यह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और मजबूर हो कर के हमको एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा कि यह विद्युतमण्डल केवल विद्युतमण्डल न हो कर, घोटाला का अम्बार बन जायेगा। इसलिए, सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से, जो आपने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जिस प्रकार से बिजली की चोरियां होती हैं, जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गयी हैं, उसके लिए एकमात्र बिजली बोर्ड जिम्मेदार है। बिजली बोर्ड की जिम्मेदारी को निश्चित रूप से सरकार को चैक करना चाहिए, संभालना चाहिए और व्यवस्थाओं में जो दोष है, दोषपूर्ण नीतियां रही हैं, भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े आडम्बर हैं, बड़े-बड़े काड हैं, उनको सरकार की नजर में लाकर समाप्त किया जाना जाना चाहिए।

(4.45 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य, विधान सभा पर आक्षेप

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल, जयपुर) : पाइन्ट आफ आॅर्डर। अभी माननीय सदस्य जब अपना भाषण कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने यह कहा, बिजली की चोरी करने वाले कुछ फर्मों के नाम बताये××× हमारा यह कहना है कि यह सारे हाउस के लिये है, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। सदस्य के नाते सब शामिल हैं उसमें। यह पूरे हाउस का अपमान है। हमारे मन में बड़ी चिन्ता है, ऐसा कौन है?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : यह कार्यवाही चल रही है, आप बाहर नहीं जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आइन्दा ध्यान रखें।

श्री गोपाल पचेरवाल : आइन्दा ध्यान की बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, तो कोई चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह बात कही है, बड़ी जिम्मेदारी से कही है, नाम बताने चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए कायदे बने हुए हैं, नोटिस दीजिए।

श्री भंवर लाल शर्मा : कायदे से निवेदन कर रहे हैं, यह आवश्यक हो गया है कि माननीय सदस्य उनके नाम बतायें, ऐसे कौन से सदस्य हैं?

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

Page No 127

(127)

श्री उपाध्यक्ष : आप नोटिस दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह सदन की की गरिमा के खिलाफ है।

श्री भंवर लाल शर्मा : नाम बताना पड़ेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह सदन की प्रापर्टी

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब एक ऐसा विवाद है जो सब पर एप्लाई कर सकता है, तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है, विशेषाधिकार का प्रश्न···

श्री उपाध्यक्ष : Did he name ?

श्री राजबहादुर : नाम नहीं लिया यहां सदस्यों में से,इसका मतलब यह है कि किसी भी सदस्य का ओनर सेफ नहीं है, किसी भी सदस्य की इज्जत नहीं रहेगी।XXX मैं कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है। या तो मुझे इन्डीकेट करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और अगर नहीं, तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। दोनों में से एक रास्ता लेना होगा, तीसरा रास्ता नहीं है। Either he withdraws and apologises or he mentions the names, facts and figures.

जो उसके फैक्ट्स मेन्शन करने के नियम बने हुए हैं —

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वे इन अल्फाज को वापस ले लें।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वापस क्यों ले लें ? वापस लेने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो अंकित किया गया है, उसको एक्सपंज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे समस्या का समाधान नहीं होता, जिस पर आरोप लगाया है वह···

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने शायद ऐसी बात न कही हो। आप कार्यवाही में जो लिखा है, उसको दोबारा देख लें, उसमें न लिखा गया हो····

श्री उपाध्यक्ष : यदि ऐसे कोई शब्द आये हैं, तो एक्सपंज कर दिये जाने के पुनः आर्डर दे दिये हैं।

श्री राम रघुनाथ !

श्रीराम रघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली पर अपने···

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह तो निर्णय हो कि वह किन पर आरोप लगाना चाहते हैं ?

XXX माननीय अध्यक्ष के अनुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सारी राजस्थान विधान सभा के सारे सदस्यों का सवाल है। यह कल अखबारों में भी आयेगा। इसको एक्सपंज करने का क्या सवाल है? हमारी राजस्थान विधान सभा के सदस्य किस प्रकार के हैं, जो इस प्रकार साजिश में अपना हाथ रखते हैं, इस प्रकार के घोटालों में हाथ रखते हैं। या तो वे क्लीयर करें, या वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज करने के बाद भी आपको कोई शिकायत है...

श्री राजबहादुर : एक्सपंज नहीं हो सकता है, क्योंकि पब्लिक इंट्रेस्ट इन्वोल्व्ड है। पब्लिक इंट्रेस्ट यह है कि भ्रष्टाचार नहीं हो इस समाज में, इस प्रान्त में और इस डिपार्टमेंट में। इस सदन के माननीय सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप आते हैं और इसको आप कहते हैं कि एक्सपंज कर दिया जावे। हाऊस में बहुत सीरियसली उन्होंने बात कही है, यह एक्सपंज नहीं हो सकती। How can you expunge it? एक्सपंज करने का ऐसा कोई कानून नहीं है। स्पेसिफिक बात कही गई है। स्पेसिफिक बात कही गई है, तो उस पर एप्रोप्रियेट एक्शन लिया जावे। गम्भीर चार्ज लगाया गया है, उसको आप एक्सपंज कैसे कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: मैं इसकी तहकीकात करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आप तहकीकात क्या करेंगे? तहकीकात करें; तब तक आगे की कार्यवाही रोक दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष: मेहरबानी करके आप बैठिये। मैं उस वक्त नहीं था सदन में, इस वास्ते तहकीकात करना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री हरिसिंह (फुलेरा): पोइंट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक चार्जेज लगाये हैं, स्पेसिफिक बात कही है और फिर सदन से उठ कर चले गए। ऐसी परिस्थिति में आप एक्सपंज करें, यह तो आपका प्रिविलेज हो सकता है, लेकिन यह वाजिब नहीं लगता है। बात माननीय सदस्य ने कही है और एक्सपंज करने के पहले जब तक माननीय सदस्य इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दें कि मैंने कही है, मेरी गल्ती से कही गई या मैं वापस लेता हूं या अपनी बात को प्रूव करता हूं, तीसरी प्रक्रिया हो नहीं सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को आप बुलाइये और बुला कर स्पष्टीकरण कराइये, उसके बाद में जो भी व्यवस्था देंगे, वह मान्य होगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, I cannot compel him.

श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मामला बड़ा गम्भीर है। यह माननीय सदस्यों का अप-

(श्री मोहनलाल मोदी)

मान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर चार्ज लगाया है, तो वह नामजद, हाउस में आना चाहिए। इस तरह के करप्शन के चार्जेज सदन के विधायकों पर लगायेंगे तो

श्री उपाध्यक्ष: Proper action will be taken, rest assured. विधि के मुताबिक इसको लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: उपाध्यक्ष महोदय, आखिर माननीय सदस्यों पर चार्ज लगाया है। इस प्रकार से हल्की-फुल्की बात नहीं है। यह बहुत हल्की-फुल्की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान विधान सभा के सदस्यों पर चार्ज लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपकी भावना को समझता हूं। मैं हाउस की गरिमा को अक्षुण्ण रखूंगा। हर कीमत पर कायम रखूंगा। ऐसी असत्य बात नहीं कहने दूंगा। यह बात अगर कही गई है, तो उस पर एप्रोप्रियेट एक्शन लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आसन को भी शामिल किया गया है। यह गंभीर मामला है

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन: इतना गंभीर मामला है कि आसन पर चार्ज लगाया गया है और आसन उसपर व्यवस्था नहीं दे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज....

श्री अनंगकुमार जैन: XXX।

श्री मोहनलाल मोदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गंभीर है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है और जो उनकी भावना थी....

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। मेहरबानी करके बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): भाई हरीसिंह जी ने जो सुझाव दिया है....

श्री उपाध्यक्ष: यह सुझाव मैंने सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्यों पर चार्ज लगाया गया है...

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। वह एक्सपंज कर दिया गया है, बस काफी है। अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो नोटिसेज लिख कर दे दें, मैं उस पर एप्रोप्रियेट कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

Page No 130

(130)

श्री महावीरप्रसाद जैन : स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य चार्ज लगा सकते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की गरिमा को रखूंगा, आप इत्मिनान रखिये। मैं सब समझता हूं।

श्री महावीरप्रसाद जैन:·· अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो क्या परिणाम होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं सब समझता हूं परिणाम।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन की गरिमा का प्रश्न है। आप स्पष्ट आदेश दें। अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यहां पर मौजूद नहीं है, वरना मैं अभी····

श्री भंवरलाल शर्मा : बुलाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot compel him.

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कम्पेल मत करिये। कहिये तो सही उनको··

(व्यवधान)

आप कम्पेल नहीं करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कम्पेल नहीं करें लेकिन..

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करके तशरीफ रखिये, बैठ जाइये। श्री रामरघुनाथ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। इसे आप बहुत छोटी बात मत समझिये। यह माननीय सदस्यों पर आरोप लगाया गया है। यह स्पष्ट होना चाहिये कि इस सदन के अन्दर किस माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बिजली की चोरी की है? किसने ऐसा भ्रष्टाचार किया है? अगर माननीय सदस्यों पर आरोप लगायें, तो आप दूसरों को किस तरह से मना कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। मैं यह मानता हूं कि यह मामला बड़ा गंभीर है। अपशब्द नहीं कहने चाहिये।

(व्यवधान)

लेकिन चूंकि वे माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह मामला कल तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि आप सदस्य को अपने चैम्बर में बुलायें और उनसे बातचीत करें, लेकिन आप इसका आश्वासन दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप आश्वासन दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you to speak.

श्री हरिसिंह : मामला पैंडिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। आप आश्वासन दीजिये सदन को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। I don't allow to speak. श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मेघराज तावड़ : सही बात है तो, एक्सप्लेन करने दीजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय माननीय मंत्री महोदय के जवाब तक के लिए बढ़ा दिया जावे।

श्री भंवरलाल शर्मा : कितने बज जायेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा ख्याल है कि समय तो लगेगा ही। सो, साढ़े नो बज जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया जावे या नहीं? आपकी क्या राय है?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि दो घण्टे का टाइम बढ़ाया जावे, तो इस तरह का रिजोल्यूशन रखूं।

(व्यवधान)

अगर आप समझते है कि बिजली पर डिबेट हो, तो समय बढ़ाना पड़ेगा। रिप्लाई होगा तो होगा। क्योंकि आप मांग करते है कि साहब हमको समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अगर माननीय सदस्यों का आदर करना है, उनको बोलना है, तो आपको समय बढ़ाने की क्या जरूरत है? कल के लिए आप रख सकते हैं। एक दिन के लिए और कोई तारीख रख सकते हैं। इस तरह से रात को बारह बारह बजे तक जान मारी करो, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कल का बिजनेस दूसरा रखा है। इसलिए आज ही रिप्लाई होगा माननीय मंत्री महोदय का। मेरा निवेदन है कि सदन का समय 8 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने सदन से तो पूछा ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री राम रघुनाथ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक पर चर्चा

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के संबंध में....

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनका नाम करेक्ट कीजिये। ये रामरघुनाथसिंह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथसिंह।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : यह रामरघुनाथ सिंह नहीं है, रामरघुनाथराम है।

श्री उपाध्यक्ष : Sorry, श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही। मैं अपनी बात को तीन भागों में बांट कर निवेदन करना चाहता हूं — एक वे मुद्दे जिनसे उपभोक्ताओं को या किसानों को अपनी रोजमर्रा की तकलीफें होती हैं। बिजली विभाग को उस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिये। दूसरा उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिनसे हमको बिजली मिलती है और तीसरा वह जिसमें बिजली विभाग को करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पास अपनी खुद की ऐसी कोई परियोजना नहीं, जिससे बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता हो। हमें कोटा एटामिक स्टेशन से बिजली मिलती है उसमें भी हमारा कुछ नहीं है। बिजली तो मिलती है, लेकिन हमारा प्रशासन नहीं है। हमें चम्बल के राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से बिजली 50 प्रतिशत मिलती है, लेकिन वहां पर भी हम गांधी सागर पर निर्भर करते हैं। जितना पानी गांधी सागर से रिलीज किया जाए उतनी ही बिजली राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से पैदा कर सकते हैं। यानी वहां भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं।

इसके साथ ही दूसरी परियोजनाएं वह हैं, जो हमारे प्रदेश की भूमि पर न होकर, हिमाचल प्रदेश की भूमि पर होती हुई पंजाब के पास से आयी हुई हैं और हमारा बटवारा उन प्रदेशों के साथ में है। आपने यह देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार के समय से ही नाथपा-झाकड़ी का मामला चलता आ रहा था। जनता सरकार ने अपनी त्रुटियों को कांग्रेस सरकार पर डालने की कोशिश की कि नाथपा-झाकड़ी में राजस्थान सरकार अपना हिस्सा लेने में असमर्थ रही।

मुझे खुशी है कि सब कुछ होने के बावजूद हमने यह प्राप्ति तो कर ही ली कि नाथपा-झाकड़ी पर हमको 10 प्रतिशत विद्युत पेमेंट पर मिलेगी। इसी सतलज नदी पर कौल परियोजना बन रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने विद्युतमंत्री से यह शर्तनामा हिमाचल प्रदेश के साथ किया है कि कौल से 600 मेगावाट बिजली जो हुआ करेगी, उसका पचास प्रतिशत राजस्थान को मिलेगा।

इसके साथ ही जो संजय परियोजना बनी है, उसमें आधा हिस्सा मिलेगा। संजय, पार्वती और कौल परियोजनाओं से हमको जो मिलने वाली विद्युत है वह

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

1250 मेगावाट के करीब मिली है। यह खुशी की बात है। लेकिन फिर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि सतलज की तरह रावी पर कई ऐसी परियोजनाएं बनने वाली हैं। इसी तरह से दूसरी जितनी परियोजनाएं हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ में, या उसकी भूमि पर बनने वाली हैं, उनमें हमारा जितना हिस्सा हो सके, प्राप्त करना चाहिये, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ी भारी कठिनाई हो सकती है। जिस तरह से नाथपा-झाकड़ी में जितना हिस्सा मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला तो आगे भी इससे नुकसान हो सकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाखरा से 15.2 प्रतिशत हमें हिस्सा मिलता है, उसी भाखरा नांगल पर पंजाब ने एक आनन्दपुर साहब हैड पर अपना अलग विद्युत गृह बनाना शुरू कर दिया है। उसकी न तो टेक्निकल स्वीकृति है और न उन्होंने किसी तरह की योजना स्वीकृत करायी है। वहां पर 4 × 33.5 मेगावाट के दो स्टेशन बनायेंगे, जिसमें एक-एक में दो इकाई लगेगी और हर इकाई 33.5 मेगावाट की है। इसके लिये स्वीकृति नहीं है। इसका मतलब यह है कि 15.2 प्रतिशत जो हमारा हिस्सा होता है भाखरा नांगल में, वह हिस्सा हम यहां से प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

वैसे भाखरा नांगल की रिपोर्ट में और राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार ने जो कुछ कार्यवाही की है, या कार्यवाही कर रहे हैं वह स्वीकृत न होते हुए भी जानकारी तो है, लेकिन सिर्फ मात्र जानकारी से काम नहीं बनता। इसलिये मेरा आपके माध्यम द्वारा निवेदन है कि मंत्री महोदय और बोर्ड इसके लिये भारत सरकार को अपना जोर-शोर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, लड़ाई करें और जो कुछ भी इसके लिये उचित या अनुचित होना चाहिये, वह करके हमें हमारा 15.2 प्रतिशत का हिस्सा मिलना चाहिये।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मुकेरिया के पास पंजाब में शाह नगर पर उन्होंने अपने चार बांध और बनाये हैं। उन परियोजनाओं से उनको 260 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसमें हमारा 58 पर्सेन्ट हिस्सा होना चाहिये, क्योंकि उस पानी में हमारे राजस्थान का हिस्सा 58 पर्सेन्ट है। लेकिन उसमें भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। वह मनमाने तरीके से मुकेरिया पर इस तरह से चार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिससे वह बिजली आने आप लेना चाहते हैं। वह यह कहते हैं कि इस नहर का पानी हमने डाइवर्ट किया है। हमको चूंकि हैड मिल गया है, इसलिये हम बिजली पैदा करने के बाद वापस राजस्थान में जो पानी जाता है, उसको डाल देंगे। मेरा निवेदन यह है कि पानी का बंटवारा हुआ है, तो वह पानी चाहे किसी नहर में जाये या किसी बांध में या कहीं से आये, हमारा जितना पानी वहां से बहता हुआ निकलता है, उस सम्पूर्ण पानी में उतना ही हिस्सा है, जितना निश्चित रूप से एग्रीमेन्ट करके निर्णय कर लिया है। लिहाजा, निवेदन है कि यह जो परियोजनाएं बना रहे हैं। आनन्द साहबपुर से, मुकेरिया से इसमें हमारी सरकार को तत्परता से बातचीत करके हमारे हिस्से को प्राप्त कर लेना चाहिये।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता था, कि हम और भी जो प्रोजेक्ट बना सकते थे, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान केनाल बड़ी लम्बी मीलों तक बहती है, इसमें कई जगह ऐसे हैड मिल सकते हैं जहां छोटे छोटे बिजली के प्रोजेक्ट लग सकते हैं। वैसे अनूपगढ़ पर एक परियोजना बनाने का विचार था, लेकिन और भी इस तरह से छोटे छोटे हमको हैड मिले, तो फैसेलिटी ग्राफ वाटर से उसकी क्षमता को देखते हुए हमें बिजली घर बनाने चाहिये, क्योंकि राजस्थान केनाल, एक निरन्तर बहने वाला पानी है, में छोटे छोटे बिजली घर बन सकते हैं।

इसी तरह से माही विद्युत परियोजना बड़े लम्बे अर्से से विचाराधीन थी, मेरा निवेदन है कि जो हमारी स्टेट में इस तरह की योजनाएं बन सकती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना चाहिये, ताकि हम भी आत्मनिर्भर हो सकें पलाना लिगनाइट और थर्मल के संबंध में बहुत कुछ निवेदन किया जा चुका है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी परियोजनाएं थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक टाइप की हैं, फिलहाल महंगी पड़ती हैं लेकिन यह आवश्यक है कि जब जब बिजली की कमी पड़े, हम इन महंगे प्रोजेक्ट को चला कर राजस्थान की जनता और किसानों को बिजली उपलब्ध करा सकें, ताकि अकाल में लोगों को राहत मिल सके।

मैं निवेदन करना चाहता था कि सतपुड़ा परियोजना, जो मध्य प्रदेश में हैं, में 40 प्रतिशत हमारा हिस्सा है। हमने 220 के.वी. की लाइन कोटा से उज्जैन तक करीब 300 कि.मी. की डाली है। उसमें हमारे हिस्से का चार करोड़ रुपया भी खर्च हुआ है। यह लाइन 1976-77 में डाली गई थी। वहां से जो विद्युत पैदा होती है, उसका औसतन सौ मेगावाट विद्युत हमको मिलनी चाहिये, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी उपलब्धि नहीं कराई है, न कोई विद्युत मिली है। जब जब बिजली पैदा होती है, तो उज्जैन से कनेक्शन हटा देते हैं। वह लाइन बेकार पड़ी है।

ऐसा सुना गया है कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ था, और एग्रीमेन्ट नहीं होने की वजह से वह बाध्य नहीं है लेकिन फिलहाल अभी ताजा ताजा राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच बात चली है उससे ऐसा लगता है कि जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिये था, वह मिल सकेगा। इसके लिये इतना ही निवेदन है कि हमें जो नुकसान हुआ है, 40 लाख यूनिट प्रतिदिन का, वह आइन्दा न हो। इसके लिये तत्परता से काम करके सतपुड़ा से हमें हिस्सा लेना चाहिये।

चम्बल व गांधीसागर के ऊपर चूंकि मध्य प्रदेश वाले उतना ही पानी यूज करते हैं जितनी उनको बिजली की जरूरत होती है। जितना भी गांधीसागर का कैचमेन्ट एरिया है, उसमें उन्होंने सात-आठ बांध बना लिये हैं और उस का पानी सिंचाई के उपयोग में लेते हैं। हमारा आपस में मध्य-प्रदेश सरकार से यह समझौता है कि गांधी सागर के ऊपर कोई इस तरह से बांध बना कर पानी नहीं रोकेंगे, उससे सिंचाई नहीं करेंगे। गांधी सागर से जितना पानी निकलता है, उससे बिजली पैदा करके वह सिंचाई कर सकते हैं।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इन बांधों के बनाये जाने में इनकी न कोई स्वीकृति ली है और न राजस्थान सरकार के साथ समझौता हुआ है, ऐसा नहीं लगता, लेकिन बांधों के बन जाने से गांधी सागर पर उनका एक नियंत्रण हो गया है, जितनी आवश्यकता बिजली पैदा करने की होगी, उतना ही पानी निकालेंगे, जितना पानी वह निकालते, हैं उतना पानी राणा सागर में, जवाहर सागर में आता है और उससे हम बिजली पैदा करते हैं।

लिहाजा निवेदन है कि इस मामले को निपटाने के प्रयत्न किये जायें। कोटा थर्मल के संबंध में निवेदन इतना ही करना है कि इसे जितना जल्दी कर सकें, उतना ही राजस्थान को लाभ होगा।

अब मैं राजस्थान के बाहर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगे हुए हैं। वहां राजस्थान का आदमी जाना पसन्द नहीं करता, क्योंकि बहुत दूर घर से रहना पड़ता है। इसलिये निवेदन है कि जिसे भी भेजा जाय, उसको एक ग्रेड इंक्रीमेंट या कुछ ऐसे इन्सेंटिव्स देकर या पदोन्नति देकर भेजा जाय, ताकि इस लालच से वे वहां जाकर काम कर सकें।

चूंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग काम करते हैं, वे हिमाचल और पंजाब के निवासी हैं। वह राजस्थान के निवासी होने चाहिये, ताकि राजस्थान के पर्सनल इंट्रेस्ट को वाच कर सकें। मैं वहां गया था और मुझे यह देखने का मौका मिला था कि वहां पंजाब के या पंजाब की सरहद पर रहने वाले राजस्थान के लोग एम्प्लायड हो जाते हैं। वह यह पसन्द करते हैं कि वहां पर उनको डेप्यूट किया जाय। उनको डेप्यूट करने के बाद चूंकि उनकी हमदर्दी पंजाब और हरियाणा के साथ हो सकती है, तो वे हमारी राजस्थान स्टेट का इन्ट्रेस्ट वाच नहीं करते। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां लगने वाले आदमी का इंट्रेस्ट क्रिएट किया जाय और उनको इंसेंटिव दिये जायें। वहां राजस्थान के रहने वाले लोगों को लगाया जाय।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बहुत अर्से तक भी उन्हें नहीं रहना चाहिये और रखा भी नहीं जाना चाहिये, बल्कि कुछ रोटेशन फिक्स कर देना चाहिये, ताकि कुछ अर्से तक के लिये जायें, और वापस चले आवें। इससे एक तो उनको तजुर्बा हो जायेगा, दूसरे उनको कुछ एतराज भी नहीं होगा। वह यह मान कर चलेंगे कि थोड़े समय तक उनको वहां रहना है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता था कि आर.एस.ई.बी. के जिन अधिकारियों को व, एक्स.ई.एन., एस.ई. वगैरह को वहां भेजते हैं, वे वहां जाकर राजस्थान की नुमाइन्दगी करेंगे, उनको बी.बी.एम.बी. वाले यह कह कर मना कर देते हैं कि ये आफिसर हमारे योग्य नहीं है। योग्यता है, या नहीं है, यह देखना राजस्थान सरकार का काम है, क्योंकि वह अपने आफिसर.....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अभी तो शुरू ही नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसलिये बी.बी एम.बी. के साथ मीटिंग करके समझौता कर लिया जाना चाहिये कि जिस किसी को भेजें उसको लेना ही होगा। उनकी चोइस नहीं चलेगी। मैंने पर्सनल देखा, पिछली बार एक अधिकारी को वहां भेजा गया, जिसे उन्होंने जोइन न करा कर वापस लौटा दिया, यह कहते हुए कि वहां पर जगह खाली नहीं है। उसके बाद वहां पंजाब या हरियाणा के आदमी को एडहाक पर रख लेते हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार को लिखते हैं चूंकि आपका आदमी उपलब्ध नहीं था, इसलिये हमने लगा लिया। तो वह अधिकारी वहां पर रहते हुए भी, जिसका पेमेन्ट हम करते हैं, वह हमारे इंट्रेस्ट को वाच नहीं करना चाहते। वह हरियाणा और पंजाब के इंट्रेस्ट को वाच करते हैं।

इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहता था कि व्यास परियोजना पर जो हमारा स्टाफ रहता है, उसको 20 प्रतिशत भत्ता मिलता था 14-9-72 से। उसको इसलिये बन्द कर दिया कि पंजाब सरकार ने कहा कि भत्ता नहीं मिलना चाहिये। मेरा निवेदन करना यह है कि यह राजस्थान सरकार का लुकआउट था कि भत्ता मिलना चाहिये या नहीं? पंजाब सरकार को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिये था। लेकिन चूंकि इसमें यह हो गया कि 14-9-72 से पहले का जो स्टाफ लगा हुआ है, उन्हें तो 20 प्र.श. तक भत्ता मिल रहा है और बाद में जो भर्ती हुए उनको नहीं मिलता है। हमारे बोर्ड को सोचना चाहिये कि या तो पूर्व में जो भत्ता मिलता था, उसको बन्द कर दिया जाय जाय और तनख्वाह इन्क्रीज कर दी जाय या जो बाद में लगे उनको भत्ता देकर समान व्यवस्था कर देनी चाहिये।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि व्यास परियोजना में कार्य 1-10-80 को पूरा हो गया था। यह एम.बी.बी.एम. को सुपुर्द कर दी लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई टर्म्स एण्ड कंडीशन्स तय नहीं की गई हैं कि हमारा स्टाफ वहां पर किस प्रपोर्शन में, किस रेश्यो से रहेगा? जब तक यह तय नहीं हो जाता, तब तक इस बात का निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि वहां पर कितना स्टाफ रखा जाये, कौन कितना रखेगा। इसी तरह किसी प्रकार से एतराज होता रहता है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसको गहराई से देखा जाय।

राजस्थान के संबन्ध में मेरा निवेदन है, चूंकि समय बहुत कम है, जो दिक्कतें किसानों को आती हैं, उसके संबंध में निवेदन है कि किसान बिजली चाहता है, उपभोक्ता तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है और दस रुपये जमा कराता है। उसके बाद ए. ई. एन. जाकर फिजेबिलिटी देखता है कि यह फिजेबल है या नहीं? इस संबंध में यह निवेदन है कि ए. ई. एन. अगर चाहे कि इसको तंग करना है, तो लिख देता है कि "नान-फिजेबल है, इसलिए इसको बिजली नहीं दी जा सकती" या उनकी डिमान्ड बड़ी बना देता है। इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें चाहे छोटे मोटे ट्रांसफार्मर चेंज कर बिजली बनानी पड़े। साथ ही मेरा निवेदन है कि डिमाण्ड नोटिस दे देते हैं, तो डिमाण्ड नोटिस पहले वाली एप्लीकेशन के बाद में और बाद वाली के पहले दे देंगे। जब कि होना यह चाहिये कि

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जो आदमी पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसी प्रायोरिटी के आधार पर डिमाण्ड नोटिस निकलना चाहिये, ताकि उसमें किसी प्रकार का अन्तर या गड़बड़ी पैदा होने का अन्देशा न हो।

इसके साथ साथ मैं एल. फार्म के लिए भी निवेदन करना चाहता था कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के यहां से लाइसेंस होल्डर व्यक्ति ही एल-फार्म दिया करते हैं। इसमें किसानों को जायज और नाजायज तरीके से पैसा देकर एल-फार्म प्राप्त करना होता है, जब कि बिजली की फिटिंग कोई भी बिजली का जानकार कर देता है। इस व्यवस्था में उसे काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद जब एल.-फार्म ए. ई. एन. के आफिस में जमा कराया जाता है, तो उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। मैंने यह मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था और पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं।

मेरा एक सुझाव है कि एल-फार्म के साथ कुछ फीस नामिनल ले ली जाय चाहे वह 5 या 10 रुपये ही हो, उससे विद्युत बोर्ड को तो आय होगी और जो काश्तकार एल-फार्म जमा कराने जायेंगे, उनको रसीद मिल जायेगी फीस जमा कराने के नाते, कि उसने फलां तारीख को एल.-फार्म जमा कराया। क्योंकि विद्युत कनेक्शन के लिए प्रायोरिटी एल.-फार्म से बनती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि नामिनल पैसा तय कर दिया जाय, जिससे जब पैसा जमा होगा तो उसकी रसीद तो काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसा देने पर कोई व्यक्ति रसीद देने से मना नहीं कर सकता। इसके साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायोरिटी जब एल-फार्म पर फिक्स हो जाय, तो सूचना पट्ट पर प्रायोरिटी लगा दी जानी चाहिए कि इन-इन आदमियों को विद्युत इस क्रम से दी जायेगी। नहीं तो क्या होता है कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को

(5.15 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत,

सभापति, पदासीन)

पहले विद्युत देने की बड़ी गड़बड़ी होती है। ए. ई. एन. और जे.ई.एन. इस तरह से भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार अगर सूचना पट्ट पर लगा दिया जाय कि बिजली इस क्रम से मिलेगी तो कोई भी काश्तकार निश्चित हो सकता है कि उसे अपने नम्बर पर बिजली मिल जायेगी, मैं मीटर के संबंध में निवेदन करना चाहता था

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो-तीन मिनट

श्री सभापति: कम से कम, बहुत से बोलने वाले हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी: मीटर के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता था कि मीटर के ऊपर कोई ऐसा बाक्स लगा दिया जाय, जिसमें बिजली बोर्ड की और कंज्यूमर का ताला लगा हो. नहीं तो कई बार मीटर रीडर ही या तो सील तोड़ते हैं या दूसरी गड़बड़ी करते हैं। जब बोक्स लगा होगा, तो न तो काश्तकार और न बिजली वाला गड़बड़ी करेगा। इस व्यवस्था से यह तो हो ही सकता है कि मीटर में

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गड़बड़ी करने की सम्भावना न हो। मीटर रीडर जब जाय तो वहां पर उपभोक्ता को हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि एवरेज बिल, मिनिमम चार्जेज 180 घन्टे प्रति माह के हिसाब से केलकुलेट करके बनाये जाते हैं। अगर 24 घन्टे बिजली मिलती है तो सोचा जा सकता है कि 180 घन्टे एवरेज काश्तकार यूज करता है। लेकिन जब हम बिजली उपलब्ध नहीं है और 180 घंटे टोटल नहीं मिलती है, तो फिर मिनिमम चार्जेज लेना भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए मिनिमम चार्जेज का रेश्यो घटाया जाना चाहिये।

मैं यह निवेदन और करना चाहता था कि जिन गांवों के बीच में से बिजली के खंभे नहीं गये हैं या जिन गांवों से एक किलो मीटर बिजली दूर है, वहां प्रायोरिटी से विद्युत दे दी जानी चाहिये।

मैं कुछ कमियों की वजह से बोर्ड को जो घाटा हुआ उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। स्टील के सम्बन्ध में निवेदन है कि 80-81 में सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से विद्युत बोर्ड राजस्थान को 13 हजार मैट्रिक टन स्टील अलाट हुआ, जिसमें से 3 हजार टन उठाया और जो बाकी था, उसे उठा नहीं सके। उसके बाद 700 रुपये प्रति टन कीमत बढ़ गई, जिससे विद्युत बोर्ड को उस स्टील को खरीदने के लिए 70 लाख रुपये अलग से देने पड़े। यह एक बहुत बड़ा घाटा इसलिए हुआ कि समय पर स्टील उठा नहीं सके। इसी तरह जिंक स्मेल्टर, उदयपुर ने 1500 टन जस्ते का आवंटन किया गया। जिसमें से 250 टन जस्ता ही उठा और अब उसकी दो हजार रुपये टन के हिसाब से कीमत बढ़ गई। अब वह बाकी जस्ता उठाने के लिए विद्युत बोर्ड को 28 लाख और अलग से देने पड़ेंगे।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत बोर्ड के पास जितने ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, उनकी यदि एप्रोक्सीमेटली कीमत आंकी जाय, तो 25 करोड़ की होती है। 25 करोड़ के ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, चाहे वह जलने के कारण से हो चाहे किसी अन्य कारण से। चाहिए तो यह था कि जलने वाले ट्रांसफार्मरों की जांच करवाते और किसी पर जिम्मेदारी डालते लेकिन यह अलग मसला है। मेरा निवेदन तो यह है कि उनको उठा कर गांवों में ले जाया जा सकता है। जो ठीक होने वाले न हों, उनको बेचा जाय, तो भी कम से कम 25-30 करोड़ रुपये की जगह 2-3 करोड़ रुपये मिलेंगे, तो उनका भी कुछ और उपयोग किया जा सकेगा।

इसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने किर्लोस्कर ट्रेक्टर 65 हार्स पावर के 11 खरीदे हैं। एक ट्रेक्टर की कीमत 1 लाख 95 हजार है। पहले इसकी जगह हिन्दुस्तान ट्रेक्टर 50 हार्स पावर के खरीदे जाते थे और खरीदे जा रहे हैं। यह ट्रेक्टर बड़ी लाइनों को खींचने में काम में लिये जाते हैं। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आया कि किर्लोस्कर के 65 हार्स पावर और हिन्दुस्तान के 50 हार्स पावर ट्रेक्टर में क्या अन्तर है? जबकि इनकी कीमतों में काफी अन्तर है; किर्लोस्कर की कीमत 1 लाख 95 हजार

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

है और हिन्दुस्तान ट्रेक्टर की 65 हजार रुपये है। इससे स्पष्ट है कि इसमें किसी न किसी का इन्ट्रेस्ट है। इसकी जांच कराई जानी चाहिये। यह 65 हजार का ट्रेक्टर ज्यादा उपयोगी हो सकता था, तो फिर 1 लाख 95 हजार का ट्रेक्टर क्यों खरीदा गया? अगर एक ट्रेक्टर से काम नहीं चल पाता, तो दो ट्रेक्टर लिये जा सकते थे। लेकिन यह तीन ट्रेक्टर की कॉस्ट का एक ट्रेक्टर खरीदा गया है, इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है।

श्री रामसिंह विश्नोई : 1 लाख 95 हजार का कोई ट्रेक्टर नहीं है, हिन्दुस्तान में।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : पेमेन्ट हुआ है। आप इसका पता लगा लें, जांच करा लें। 1 लाख 95 हजार प्रति ट्रेक्टर के हिसाब से किर्लोस्कर के 65 हार्सपावर ट्रेक्टर का पेमेन्ट किया गया है। मैं जांच के लिये निवेदन कर रहा हूं।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्सुलेटर 1 करोड़ 30 लाख रुपये के खरीदे गये हैं। यह इन्सुलेटर कोटा, भीलवाड़ा और ब्यावर लाइन पर जो 220 के. वी. लाइन है, उसमें लगाये गये हैं। लगने के तार खींचे गये, तो यह इन्सुलेटर टूट गये। टूटने के बाद इन इन्सुलेटर को रिप्लेस किया गया। लेकिन वही इन्सुलेटर अब भी खरीदे जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो इन्सुलेटर फेल हो चुके हैं, उन्हें आज पुनः खरीदने की क्या आवश्यकता है? यह इन्सुलेटर 1 करोड़ 20 लाख के खरीदे गये हैं। क्या उनका पेमेन्ट कम्पनी को कर दिया गया है और कर दिया गया है, तो रिफण्ड लेने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सिर्फ एक मिनट।

अंत में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कन्डक्टर में साढ़े तीन किलोमीटर तार लाइन खींचने के लिये आफिसर को देते हैं, लेकिन उसमें तीन किलोमीटर से अधिक तार नहीं होता है। इसलिये जो एक्स.ई.एन. और एस. ई. को अलाट किये गये हैं, जहां पर ये तार खींचते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसका फिजीकल वेरीफिकेशन किया गया है? कितना तार उनको ऐलाट किया गया और जो लाइन खींची गयी है, वह कितनी लाइन खींची गयी है और कितना तार शार्टेज है? अगर आप यह देखें, तो राजस्थान में जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उसका फिजीकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। हजारों किलोमीटर तार गायब है। इसकी जांच कराई जाकर किसी की जिम्मेदारी ठहरायी जानी चाहिये। यह घोटाला किस तरह से हुआ है?

मैं, अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोक्योरमेन्ट और पर्चेज आपके बोर्ड का एक महत्वपूर्ण विभाग है...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे क्षमा करें। एक एक करके आप कहते जा रहे हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो ऑफिसर जे. ई. एन. बनकर गये थे, वे वहां पर आज एस. ई. बन गये हैं। दस-पन्द्रह साल से वे प्रोक्योरमेन्ट और पर्चेज में बैठे हैं। क्या आपके लिये वे इतने इम्पार्टेन्ट हैं? वहां पर जो आदमी आता है, वह वहां से हटना नहीं चाहता है। बोर्ड इन आदमियों को क्यों रखना चाहता है? क्या उनकी ईमानदारी में विश्वास है? मेरा ऐसा निवेदन है कि ऐसे बहुत से ऑफिसर हो सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिये जितने पुराने अधिकारी लगे हुए हैं, उनको हटा कर अच्छे नये अधिकारी वहां लगायें, ताकि वे प्रोक्योरमेन्ट में ठीक तरह से काम कर सकें। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आपके प्रोक्योरमेन्ट में 4 लाख 200 मैट्रिक टन लोहा खरीदा गया, जब कि आपको अलाटमेन्ट किया हुआ लोहा था। जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी यह बिना आवश्यकता के खरीदा गया है। एस. ई. की रिपोर्ट है, उसके बाद ही यह खरीदा गया है। समय नहीं है, इसलिये मैं मंत्री महोदय को इस बारे में अलग से निवेदन कर दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जितने भी एक दो साल में रिटायर होने वाले ऑफिसर हैं, उनको प्रोक्योरमेंट में नहीं लगाया जाय क्योंकि उनको वहां पर लगाया जाता है, तो वे जायज, नाजायज तरीके से प्रोक्योर करते हैं और उससे घोटाला होता है। घोटाला करके वे रिटायर हो जाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को सख्ती से देखा जाये और इसकी जांच की जाये। आइन्दा के लिये इस प्रक्रिया को बदला जाय, तो मेरे ख्याल से इससे बिजली बोर्ड को करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है।

श्री सभापति : श्री फतेसिंह!

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदया, राजस्थान में आज विद्युत की सप्लाई के बारे में अगर किसी से भी पूछा जाये, चाहे किसान से, चाहे उद्योगपति से, चाहे छोटे मोटे धंधे करने वाले से, चाहे कोई भी हो, वह कोई भी बिजली की व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं है।

सभापति महोदया, यह संकट आज नहीं आया है। यह विद्युत संकट तो पिछले काफी अर्से से चला आ रहा है। इसके बारे में न तो आर. एस. ई. बी. ने और न किसी सरकार ने सोचा कि इस समस्या का हमेशा के लिये कैसे निदान हो सकता है? कैसे तो नये साधन जुटाये जाएं, कैसे बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाये, कैसे आम कन्जूमर को, किसान को और उद्योगपति को समय पर बिजली मिलती रहे। इसके लिये कतई योजना नहीं बनी है। सरकारें आईं, चली गईं, फिर आयेंगी और चली जायेंगी। अगर विद्युत का संकट इसी प्रकार रहा, सभापति महोदया, तो यह सरकार भी टिकने वाली नहीं है।

सभापति महोदया, मेरे बीकानेर जिले में विशेषतौर से दूर दराज के गांवों में जल प्रदाय योजनाएं हैं। इन जल प्रदाय योजनाओं में एक-एक योजना से 15-20 गांव पानी लेते हैं। इन जल प्रदाय योजनाओं को आधे घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। इसके लिये कोई समय निश्चित

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं है कि कब बिजली की सप्लाई की जाएगी। उनके पास एक लिमिटेड केपेसिटी का रिजर्वायर है। उससे ज्यादा उनकी केपेसिटी नही है। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे दूर दराज के जो गांव हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये अलग से लाइन डाली जाये। हमारी जहां-जहां जल प्रदाय योजनाएं हैं, उनके विकास से हमारा सारा है, वह धीरे-धीरे खतम हो गया, तो कुए चलना बंद हो जाएंगे।

श्री सभापति : समय का ख्याल अवश्य रखिये।

श्री देवीसिंह भाटी : समय तो पूरा लूंगा। मेरी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है।

श्री सभापति : पार्टी का कोई समय नहीं है। 5-6 मिनिट में समाप्त करें। बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : तो मैं लिखित में दे दूंगा।

श्री सभापति : आप अपनी बात संक्षेप में कह दें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं, कोई लम्बी चौड़ी बात या भाषण नहीं दे रहा हूं। कोई आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : अपने अपने क्षेत्र की बात और माननीय सदस्यों को भी कहनी है। काफी लम्बी लिस्ट है। इसलिये मजबूर होकर निवेदन करना पड़ रहा है। कोशिश कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, ग्रामीण जल प्रदाय योजना के बारे में दुबारा निवेदन करूंगा कि उनके लिए अलग से लाइन डाली जाये, जिससे हमारे जो लोग इस पर आश्रित हैं, उनको प्यासा न रहना पड़े। हजारों की तादाद में वहां का पशुधन इस पर निर्भर है। वहां की मानव संख्या इस पर निर्भर है। इसलिये उनके लिये अलग से लाइन डाला जाना आवश्यक है। इसके ऊपर सरकार विचार करे।

सभापति महोदया, इसी प्रकार मेरा दूसरा निवेदन है जैसा माननीय सदस्य श्री राम रघुनाथजी ने कहा है, जिन गांवों में होकर बिजली की लाइन जा रही है, उन गांवों को भी बिजली की आवश्यकता होती है। यदि कोई छोटे-उद्योग लगाते तो उनको प्रायोरिटी में लेकर बिजली के कनेक्शन मिलने चाहिये। कुआ सामने है और प्यासे रहें, यह हालत नहीं रहनी चाहिये।

सभापति महोदया, बीकानेर शहर में बिजली के कन्जूमर हैं, उनको प्राब्लम्स हैं, जिले की और भी छोटी-छोटी प्राब्लम्स हैं, वे बराबर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं पर उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया जाता है। कभी ए. एन. तो कभी एक्स ई. एन. के चक्कर काटने पड़ते है।

(5.31 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा निवेदन है कि कन्जूमर्स की जो तकलीफें हैं, उनके लिए विशेष ध्यान दिया जायें। उनसे छोटे-छोटे कामों के लिए बगैर

Page No 142

(142)

(श्री देवीसिंह भाटी)

मतलब के दफ्तर के चक्कर नहीं कटवाये जायें। इन सब समस्याओं के लिए, मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली का बहुत बड़ा संकट राजस्थान के अन्दर है। उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत का उत्पादन और बढ़ावे, नई योजनाएं लागू की जायें। इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि बीकानेर के पलाना थर्मल प्लांट के कामों के लिए बराबर भाषण दिये गये कि हम इसको शीघ्र चालू करेंगे। इसके लिए एक चीफ इन्जीनियर की पोस्ट भी क्रियेट कर दी गई है। एक एस. ई. की पोस्ट भी क्रियेट कर दी गई है पर क्या हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं है। सरकार का स्टेटमेंट आता है कि इसको हाथ में ले रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ने इसको मंजूर कर दिया है और मन्जूरी भी मिल गई है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो कुछ नहीं हो पा रहा है। लास्ट सेशन में भी मैंने प्रश्न पूछा था, तो जवाब पाया था कि जब भी इसका काम चालू होगा, 54 महीनों में पूरा काम हो जायेगा। जवाब में प्रश्न को टाल दिया था, आखिर वे 54 महीने कब आयेंगे?

सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि पलाना थर्मल पावर प्लांट के लिए सुझाव आया तामिलनाडु के एक माननीय सदस्य हरिचन्द से, उन्होंने राज्य सभा में यह मामला उठाया। बड़े शर्म की बात है तामिलनाडु के लोगों को राजस्थान के संकट की चिन्ता है, पर यहां की सरकार को, यहां के लोगों को चिन्ता नहीं है कि आज पलाना थर्मल प्लांट को शीघ्र चालू किया जाय। उसका काम हाथ में लिया जाये। अगर यह प्लांट आ जाय, तो सबसे पहले हमारे उस जिले में, पास के 8 हजार लोगों को रोजगार मिल जायेगा। उसके बाद में आज अगर यह प्लांट चालू हो जाता है और उसमें विद्युत उत्पादन शुरू हो जाता है, तो बीकानेर को ही नहीं, बीकानेर डिवीजन के आसपास के क्षेत्रों की बिजली की समस्या का समाधान हो जायेगा। मेरी सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने अलग से इसके लिए कोई बजट नहीं रखा है इसको प्रायोरिटी दी जाये, जिससे उस क्षेत्र के लोगों की और राजस्थान की काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यहां पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि सन् 81 में इस परियोजना को हाथ में लेकर लिग्नाइट कोयले के खनन कार्य को चालू कर देंगे, और उस पर शीघ्र काम शुरू होगा परन्तु हाल ही में लोक सभा में जब प्रश्न उठाया गया था, तो केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने जवाब दिया था कि राजस्थान सरकार सरकार ने लिगनाइट खनन परियोजना का वित्तीय प्रावधान अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण वित्तीय प्रावधानों पर आगे कार्यवाही रुकी पड़ी है तो सरकार की तरफ से कोई इनीशियेटिव लिया गया नहीं है, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि आजकल जो विद्युत का संकट है, उसका समाधान किया जाये। आज अगर पलाना की योजना हाथ में ले लें, उसको प्रायोरिटी दे दी जाये, तो इससे राजस्थान के आधे हिस्से की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे गंगानगर जिले की हालत देखिये, या तो बिजली मिलती नहीं या मिलती, तो रात को मिलेगी या लोग अधिकारियों के पास रोते फिरते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों के पास आकर रोते हैं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रार्थना करते हैं पर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कोई गौर नहीं किया गया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं बीकानेर के लिए आर. एस. ई. बोर्ड से विशेषतौर से मांग करता हूं कि बीकानेर के साथ पक्षपात नहीं किया जाये। आज बीकानेर में पोल है, तो कन्डक्टर नहीं है। पोल लगाये हुए 2-3 साल हो गये हैं पर गांवों में और शहरों में कन्डक्टर नहीं हैं। इनके नहीं होने से वहां पर बिजली नहीं जा पा रही है। बिजली की लाइन नहीं खिच पा रही है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए बीकानेर का ध्यान रखते हुए विशेषरूप से कन्डक्टर आदि सामान की सप्लाई की जाये।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आखिर में यह निवेदन करना है कि पलाना थर्मल पावर प्लांट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देकर चलना चाहिये। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह घोषणा की थी कि चार हजार गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी। एक तरफ कहते हैं विद्युतीकरण कर दिया जायेगा और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि राजस्थान में बिजली की कमी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हमारे पास बिजली नहीं है, मैं तो इस बात पर जोर देता हूं कि हमारे पास बिजली है, लेकिन इसका सही मायने में डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से बराबर मांग करता हूं, वे काफी अनुभवी है और पुराने हैं। मैं समझता हूं कि मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं, उस पर गौर करके एक्शन लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की सरकार को 28 करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उसका सही मायने में अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। उस फण्ड का सही उपयोग नहीं हो पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने जिन गांवों को बिजली देने का वायदा किया है उन गांवों को सूची में नहीं लिया है। मनमाने तरीके से दूसरे गांवों को सूची में लेकर कहां से कहां, इधर-उधर से विद्युतीकरण के आंकड़े प्राप्त किये है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्युत बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ एक आरोप है, जो कि सही मायने में कोटा में जो प्लांट है, वह हमारे हाथ में नहीं है। वह विदेशी ताकतों के हाथ में है। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार उनके खिलाफ आरोप लगाये गये। उनकी सी. बी. आई. से जांच कराने को लिखा गया, सी.बी.आई. से जांच की गई लेकिन क्या कारण है कि आज तक उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और उसी अधिकारी को बैठा रखा है?

(श्री मेघराज तावड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसके लिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन पर जब आरोप सिद्ध हो चुके हैं तो फिर इन आई.ए.एस. अधिकारियों को बैठा क्यों रखा है? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हिम्मत के साथ ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के घोटाले इस सी. आई. के द्वारा बताये गये है विद्युत बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कोटा का प्लॉट जान बूझ कर बंद किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को हटाया जाय। यह प्रमाण है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि मिस्टर दवे जो अधिकारी चेयर मैन हैं और मिस्टर मेहता जो इंजीनियर हैं वहां पर उनको हटाया जाना चाहिए तभी डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हो सकता है, तभी बिजली पूरी तरह से मिल सकेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के किसान को बिजली दे सकते है, एक घंटे में 9 लाख यूनिट बिजली खर्च होती है। 9 लाख यूनिट से किसानों को पाँच घंटे बिजली दे सकते हैं। इससे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। राजस्थान के किसानों को रात को बिजली दी जाती है। वह किसान मर जाता है, ठंड से ठिठुर जाता है लेकिन हमारे चेयरमैन साहब जो आर. एस. ई. बी., के हैं, उनके कान नहीं खुलते हैं। वह इस बात को नहीं समझते हैं कि किसान को तकलीफ होती है। वह किसान की तकलीफ को नहीं समझते हैं। किसानों को कौन से समय में बिजली दी जानी चाहिये? इसके बारे में उनको कोई नालेज नहीं है कतई जानकारी नहीं है बोर्ड की बात करेंगे, लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यह टेक्निकल कमजोरी है। इतने घंटे ही केवल किसानों को बिजली दे पाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल वितरण की व्यवस्था के कारण ही किसानों को बिजली नहीं दी जाती है।

अगर किसान का एक भी रुपया बाकी रह जाये, तो उसकी कुर्की हो जाती है. जबकि आज बिड़ला, टाटा के लाखों रुपया बकाया होते हैं, परन्तु उनकी कुर्की नहीं होती, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है नहीं की जा सकती है और छोटे किसानों से एक एक रुपया वसूल किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को अफसोस के साथ कहता हूं वह इस पर गौर फर्मा करके इस व्यवस्था को सुधारेंगे।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार कहती है कि हम 80-81 में विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है, उसको पूरा कर पायेंगे। मै कहता हूं, कदापि नहीं कर पायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज एक साल से आर.एस.ई.बी. ने सामान खरीदना बन्द कर दिया है, न उनके पास कण्डक्टर है, न उसके पास ट्रान्सफार्मर्स है और न हेल्पर और इलेक्ट्रिशियन हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यह काम कैसे पूरा कर पायेंगे? काम शुरू करने के लिये सामान एक साल पहले खरीदना पड़ता है, तब एक साल बाद में जाकर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो बिजली की चोरी होती है उसमें कौन-कौन शामिल हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज 36 पर्सेन्ट की चोरी होती है, जिनमें आर.एस.ई.बी.

(श्री मेघराज तावड़)

बिजली विभाग के अधिकारी के हैं। चोरी की जा रही है, आपके यहां भी पकड़ी गई। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मगर जयपुर में दो लाख रुपये की चोरी हमारे राजनेता, उनके अधिकारी तथा सत्ताधारी राजनेताओं के यहां पकड़ी गई किन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, आप स्पष्टवादी हैं, मैं उम्मीद करता हूं चाहे सत्ताधारी मंत्री हों, चाहें विधायक हों और चाहे कोई भी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही के आदेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो छापे मारे गये..

श्री भंवरलाल शर्मा : किसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : जो 77 छापे मारे गये हैं, उनमें ज. के. सिन्थेटिक्स है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं का गई है। वह पूरी की जानी चाहिये। उसके खिलाफ कार्यवाही कर सजा दी जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार किसानों के ऊपर फ्लेट रेट में संशोधन करने जा रही है। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फ्लेट रेट कायम करने से उन किसानों को ज्यादा नुकसान होगा जो छोटे किसान हैं, मंझले किसान हैं। उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसका फायदा बड़े-बड़े किसानों को होगा। छोटे किसानों के साथ यह एक मखौल है। उनको कोई लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि संशोधित फ्लेट रेट करने जा रहे हैं वह नहीं करें, जिससे छोटे किसानों को नुकसान नहीं हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हमारे 132 और 120 के. वी. ई. एस. की लाइन लगाई जा रही है। यह गांवों में दी जाती है, जो नाकाफी है। इससे गांवों में बिजली नहीं दी जा सकती। बिजली का पूरा वजन नहीं उठा सकती है, इसलिए यह लाइन डबल होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो कारखाने चलाये जाते हैं, वहां लगने वाले प्रमुख लोगों को बिजली के खंभे दे रखे हैं। आज आपको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर तहसील में 9 करोड़ का घोटाला किया गया। क्या सरकार जागरूक नहीं है ? 9 करोड़ का घोटाला हुआ जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई, मुकदमे दर्ज किये गये। मैं माननीय मन्त्री महोदय का आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां भी घोटाले करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे। आप सदन को आश्वस्त करें और बयान दें कि वे इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो भी इन्जीनियर, अधिकारी हों उनको इमिजिएट टर्मिनेट किया जाना चाहिए।

मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से मांग करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जावर में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इनके लिए कटौती कर दी गई है, जिससे वहां के हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज बड़े-बड़े टाटा और बिड़ला हैं, उनके साथ जो पक्षपात किया जा रहा है, वह नहीं करें। छोटे-छोटे

(श्री मेघराज तावड़)

उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनको बिजली दी जानी चाहिये ताकि वे अपना धन्धा चालू रख सकें, छोटे उद्योगों को बिजली दी जानी चाहिये जिससे जो मजदूर वहां लगे हुए हैं, बेरोजगार नहीं हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं अपने इलाके की बात कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो काम 79 से चल रहा था, अभी डेढ़ साल से बन्द पड़ा है। सरकार के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास आदेश नहीं हैं। जब आदेश आयेंगे तब लाइन शुरू करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पहाड़ी इलाका है वहां जो पहाड़ी जमीन है वह इलाका विद्युतीकरण से वंचित रह गया। आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची है। मैं मन्त्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके को प्राथमिकता दें। उदयपुर की गिरवा तहसील है। उस तहसील में जो गांव शहर के नजदीक हैं, उनको बिजली मिल गई है। मेरा गांव जावर है, माइन्स में बिजली है, लेकिन जावर और पंचायत समिति को विद्युतीकरण से वंचित रखा गया है। मैंने लिखित में दिया है कि इसका सर्वे कराया जाकर उसको बिजली दी जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये जावर में बिजली दी जाने के लिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि एक छोटा सा माइन्स भी है, दो किलोमीटर की दूरी पर गांव है जिसमें लाइन है, लेकिन उसको वंचित रखा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा, इससे पहले मैं समझता हूं कि सरकार की नई नीति, समझौते हुए हैं, उससे हमारे राजस्थान को बहुत बिजली मिलने वाली है। उसके लिये मेरी ओर से तथा अपने डिस्ट्रिक्ट की बीस लाख जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र गंगानगर जिले की जो समस्यायें हैं, जो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जिले में पिछले दो सालों से बिजली का अभाव इतना था कि मेरे ख्याल से गंगानगर जिला ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले बोल चुके हैं, दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री राधेश्याम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले नहीं बोला हूं, पिछली विधान सभा में जरूर बोला हूं।

(व्यवधान)

यह समस्या अलग तरह की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर जैसा आपने आदेश दिया है दो मिनट में निवेदन करूंगा। ऐसा निवेदन है कि हमारे यहां दो साल से बिजली का इतना भारी अभाव था कि मेरे ख्याल से गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा बीस लाख की जनता का डिस्ट्रिक्ट

(श्री राधेश्याम)

है, जैसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में नहीं है। यह सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान को इन्कम देने वाला डिस्ट्रिक्ट है। नक्शे में भी सबसे ऊपर है लेकिन उसके बावजूद भी हमें सबसे नीचे रखा जाता है। 25 डिस्ट्रिक्ट बिजली से जुड़े हुए थे, लेकिन एक मात्र गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऐसा था, जो बिजली से जुड़ा हुआ नहीं था।

हमने बार बार निवेदन किया, 11 विधायकों ने कई बार मिनिस्टर से निवेदन किया, आपके माध्यम से निवेदन किया। वहां मन्त्री गण गये, हमने निवेदन किया और अधिकारियों ने कई बार मीटिंग की। उसका फायदा यह हुआ कि हमारे यहां 132 के. वी. लाइन रतनगढ़ से पहुंची है। इसके लिए सरकार का और हमारे अधिकारीगण का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, लेकिन साथ ही दुःख भी होता है कि लाइन डाले जाने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। कुछ सुधार जरूर हुआ है, जैसे पहले 15 दिन बिजली नहीं मिलती थी। अब सप्ताह में कभी दो दिन, कभी तीन दिन नहीं रहती है। हमारे साथ इतना अन्याय है, बिजली की लाइन मिली, 132 के. वी. की लाइन मिल गई उसके बावजूद भी हमें बिजली न मिले, तो इसकी छानबीन के लिए सरकार से निवेदन करूंगा कि बिजली का डिफैक्ट है, या और कोई डिफिकल्टी है, क्या कारण है लाइन जाने में, यह बतायें। हमने जनता से प्रामिस किया है। सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आये, एप्लीकेशन आयीं। कई बार सरकार से निवेदन किया, कई बार अधिकारियों से भी कहा गया, लेकिन यह लाइन युद्ध स्तर पर लगाने के बावजूद हमें उनका लाभ नहीं मिला। सरकार का इतना पैसा गया और सब लोगों ने इतनी मेहनत की, लेकिन उसका फल कहां गया?

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर जो कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है या और किसी प्रकार के कारण हों तो उसकी पूरी जानकारी करवाई जाये, ताकि वहां के लोगों को उससे लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा हमारे जो ट्यूबवेल हैं, उनके लिये बिजली बन्द कर दी गयी है। किसानों को ट्यूबवैल के बिना खेती में भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले विधान सभा सत्र में भी यह बात आयी थी कि हरिजन मोहल्लों चाहे वह शहर में हों या देहात में हो, जहां हरिजन मोहल्लों में बिजली की सुविधा होती है, वहां वह लाइन बन्द कर दी जाती है। हरिजन मोहल्लों में बिजली का बड़ा भारी अभाव है, जबकि हमारी नीति है कि हम हरिजनों, गरीबों को बिजली की सुविधा देंगे। इसके साथ मैं दुबारा यह निवेदन करूंगा कि जो भी कमी है लाइन में, उसको जल्दी से जल्दी दूर करवा कर हमें इस से राहत दिलायी जाये।

श्री उपाध्यक्षः श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की समस्या का समाधान और उनके सुझाव जो सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचारों के रूप में रखे हैं, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री नन्दलाल मीणा)

राजस्थान में लगभग प्रतिदिन 200 से 250 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता है, हमारे राजस्थान का उत्पादन राज्य के स्रोतों से और बाहर के स्रोतों से 178 लाख यूनिट है । 72 लाख यूनिट की कमी प्रतिदिन राजस्थान में होती हैं। इस कमी की पूर्ति के लिये समय-समय पर राज्य के प्रभारी मंत्रियों ने और मुख्य मंत्रियों ने प्रयास किये। वर्तमान में श्री माथुर साहब मुख्य मंत्री हैं, इन्होंने भी इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा है। भगवान इन्हें सफलता दे, परन्तु जो विद्युत मन्त्री हैं, वह पुराने हैं, अनुभवी है। वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आप साहस कर रहे हैं, जिस रूप में उस साहस को परिणत करने वाले हैं। आप जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए प्रशासनतंत्र का कारगर सिद्ध होना चाहते हैं, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की जो बिजली हैं, आपका जो सिद्धांत हैं, राज्य के गांवों में बिजली के साधन जुटाने का लेकिन राज्य में विद्युत की जो कमी है, इसलिये जिन गांवों के लिये अब तक आपने प्रयास किये हैं, उनको आप बिजली नहीं दे पाये हैं । उसके पीछे कारण हो सकता है कि 133–220 के. वी. लाइन्स है, उस पर अत्यधिक भार है। राजस्थान में जो 70 ग्रिड सब स्टेशन हैं, वे सब ओवरलोडेड हैं, उपाध्यक्ष महोदय, क्षमता से अधिक जिस लाइन में बिजली होगी, तो वहां की क्या स्थिति होगी ?

अभी गंगानगर से आने वाले सदस्य ने यह बताया कि गंगानगर में बिजली की क्या स्थिति है ? चोमूं से जो सीकर तक बिजली लाइन जाती है, उसी के परिणाम स्वरूप वह पिघल गयी और लाइन खराब हो गयी। यही स्थिति यहां पर राजस्थान की है । जो बिजली मिलनी चाहिये किसानों को, उद्यमियों को वह बिजली नहीं मिल पा रही है। राज्य के मुख्य मंत्री इस कुतंत्र को सुधारना चाहते है, प्रयास कर रहे हैं उनको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह इसके लिये प्रयास कर रहे है। परन्तु इसके साथ साथ बिजली विभाग की एक दूसरी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिये प्रभारी मंत्री कहां तक कदम उठा पायेंगे ? वह खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य में जो बिजली उत्पादित हो रही है, उसमें कितने प्रकार की चोरी होती है ?

कई माननीय सदस्यों ने अपने विचारों में स्पष्ट कहा है कि राज्य में भारी मात्रा में चोरी होती है। राज्य में बिजली उत्पन्न हो रही है उसका 36 प्रतिशत भाग चोरी में चला जाता है। उसकी लागत 26 24 करोड़ है मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं ? इसके साथ ही साथ इन्जीनियर्स एसोसिएशन, ने कुछ दिन पहले एक समिति बनाई और समिति बनाकर उन्होंने यह जांच की कि राजस्थान में इस प्रकार की जो 36 प्रतिशत बिजली चोरी हो रही है उसको किस प्रकार से पकड़ा जाए ? कई लोग पकड़े गये। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ नाम भी गिनाये हैं, परन्तु मैं राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया का आभारी

(श्री नन्दलाल मीणा)

हूं कि उन्होंने इस चोरी को मिटाने के लिए, चोरी पर प्रशासन का शिकंजा बढ़ाने की हिम्मत दिखाई ।

हमारी विधान सभा के सदस्य नाम नहीं बता पाये थे, परन्तु मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके माध्यम से मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया ने यह हिम्मत की और जयपुर के विधायक, जो मंत्रिमण्डल में उच्चपद पर पदासीन हैं, श्री राम गोटेवाला में लाख रुपये का बकाया निकलता है, उन्होंने कई चोरों के माध्यम से चोरी की । मंत्री महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस पर कार्यवाही करें, अगर विधानसभा में उन पर विचार किया जाये तो वह इस जिम्मेदार पद पर पदासीन होने के अधिकारी नहीं, कटघरे में खड़े होने के अधिकारी हैं । राजस्थान के ग्रामीण लम्बे समय से आश लगाये बैठे हैं कि हमारे राज्य में खुशहाली होगी, हमारे बाल बच्चे भर पेट भोजन नहीं करते उनको भोजन मिलेगा । उन्हें सज़ा देने की आवश्यकता है । मैं इसके साथ ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि सतर्कता प्रकोष्ठ ने विद्युत मण्डल के अन्दर, विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार कहां से आता है, इसके बारे में समय-समय पर जांच की और जांच के दौरान लगभग 42 हजार के मामले पकड़े गये । उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर सारे अधिकारी, इन्जीनियर्स तकनीकी लोग हैं ।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आडिट के मामले पेंडिंग हैं, आप उन पर कार्यवाही करें । जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक जो चोरी बिजली की होती जा रही है और जिसकी वजह से राजस्थान का पैसा जा रहा है, उसको रोक नहीं पायेंगे । राजस्थान की जनता आपसे बड़ी आशा रखती है, गांवों में बिजली जायेगी और उसके अलावा उन लोगों को सुविधा मिलेगी उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । भ्रष्टाचार के बारे में यहां पर कहा गया है । कि खम्भा काण्ड के बारे में भी चर्चा हुई । मैं उस खम्भा काण्ड की ओर नहीं जाना चाहता ।

मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कई इस प्रकार के खम्भा काण्ड और अन्य केसेज सामने आये । क्या मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं, कि उनको निलम्बित करें और निलम्बित कर निष्पक्षता से जांच की व्यवस्था करें? यह तभी सम्भव होगा जब आप थोड़ा धैर्य के साथ कार्य करें । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कारण है कि जो अधिकारी उसकी जांच के लिए लगाये हुऐ थे उन अधिकारियों को एक तो सेवा से मुक्त कर दिया, दूसरे; उनको धमकियां दी जा रही हैं । जिन मांग कर्त्ताओं ने यह शिकायत की उसके ऊपर उचित कार्यवाही होनी चाहिये । उन लोगों को अपने स्थान से दूर स्थान पर लगाया जाये । जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन पर आरोप लगाया जाता है उन्हें सजा मिलेगी यह जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, इस अड्डे को किस प्रकार मिटाया जाये ?

मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रांसमीटर चोरी

(श्री नन्दलाल मीणा)

हुए, खम्भे चोरी हुए, तार चोरी हुए उसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट जिस व्यक्ति के माध्यम से ये चोरी हुई उसकी निगम के विद्युत अधिकारी द्वारा रिपोर्ट देने के लिए कहा गया । सीमेंट नहीं पहुंचा, खम्भे सप्लाई नहीं हुए । सभापति महोदय, वह टेस्ट करने वाले अधिकारी किस बात का टेस्ट करेंगे ? यह अहम प्रश्न है इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है । इसी के परिणामस्वरूप राजस्थान की जनता में त्राहि-त्राहि हो रही है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1980–81 में एक भी गांव में बिजली नहीं दी गई । जो गांव इलेक्ट्रिफाइड घोषित थे, उन गांवों में एक में भी बिजली नहीं पहुंचाई गई । उसके पीछे कारण एक ही था, उपाध्यक्ष महोदय, जो 3750 गांव हैं, उनको बिजली नहीं दी जा रही है । इसके अतिरिक्त बोर्ड ने नयी नियुक्तियां और नया सामान खरीदने पर पाबन्दी लगा दी है । परिणामस्वरूप जो 28 करोड़ रुपये की लागत से 3750 गांवों का 80-81 की योजना में विद्युतीकरण किया जाना चाहिए था । उन पर अब 70 करोड़ रुपया खर्च होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि जो 28 करोड़ रुपये की लागत का काम 70 करोड़ में होगा, मंत्री महोदय यह बतायें कि यह किसके माध्यम से होगा ? यह अहम मसला है और एक अहम प्रश्न बना हुआ है । इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, उसमें 132 के वी. लाइन डालने का काम सन् 71 से हुआ । मैंने इस विषय को समय-समय पर सदन में भी उठाया । मुझे यह आश्वासन दिया जा रहा है कि इसको वित्तीय वर्ष 80 में समाप्त कर दिया जायेगा, वित्तीय वर्ष 81 में समाप्त कर दिया जायेगा ।

परन्तु सभापति महोदय, आज दिन तक उसमें कोई प्रगति मुझे दिखायी नहीं दे रही है । क्योंकि वहां न तो किसी प्रकार के अधिकारी हैं, न वहां पर उनके पास कोई सामान है । इसके साथ प्रतापगढ़ में एक योजना 152 गांवों को बिजली देने के लिये बनायी गयी । वहां पर दो सहायक इन्जीनियरों के कार्यालय भी स्थापित किये पर, उपाध्यक्ष महोदय, उसको एक साल हो गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पैसा भी लिया गया, परन्तु वहां पर एक भी अधिकारी तैनात नहीं है । मुझे लगता है कि वह पैसा सारा का सारा कहां गया ? इसके बारे में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है । उस इलाके के लिये चूंकि वहां की जनता मांग करती है । हमने समाचार पत्रों में पढ़ा और सुना है कि वहां पर एक सहायक इन्जीनियर वेनीगोपाल गोयल है, वह आदमी बहुत ही मास्टर पीस है, सभापति महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष ।

श्री नन्दलाल मीणा : Sorry उपाध्यक्ष महोदय, उस गये सत्र में भी मैंने आरोप लगाये थे भ्रष्टाचार के । वह तो खुले आम बाजार में यह कहता घूम रहा है कि मैं चेयरमैन को हिस्सा देता हूं मैं यहां से जो कुछ भी बटोरता हूं, उसका हिस्सा चीफ इन्जीनियर और चेयरमैन को भी देता हूं । मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है । जिन-जिन काश्तकारों ने या उपभोक्ताओं ने उसकी शिकायत की, उनके

(श्री नन्दलाल मीणा)

उसने कनेक्शन काट दिये और उनके मीटर जला दिये। हालत आज यह है कि डिमान्ड नोटिस भरने के बावजूद तथा एल. फार्म भरने के बावजूद भी उन लोगों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने लगभग 6 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की है।

इसके साथ साथ सरकार ने जो उपभोक्ता कनेक्शन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा अन्य लोगों को नहीं देने का बैन लगाया हुआ है, उसके विपरीत सवर्ण लोगों को कनेक्शन्स दिये हैं। साथ साथ विलम्ब की भी शिकायत करने वाले के लिये किया है, इसके साथ रिश्वत की शिकायतें भी आई उनकी जांच के लिये यहां से, उपाध्यक्ष महोदय, चार अधिकारी नियुक्त किये गये। उन्होंने जांच की, उन अधिकारियों ने कहा कि तुम नहीं बच सकोगे। आज डेढ़ साल हो गया है, वह जांच रिपोर्ट निगम के पास पड़ी है. पर बोर्ड के उच्च अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से गरीबों का शोषण करते हैं, राज्य और राष्ट्र के उत्पादन क्षमता की कटौती करने का प्रयास करते हैं, के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी को गधों पर बैठाकर काला मुंह करके राजस्थान के बाहर किया जाय।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आपकी भावना है, आपकी नीयत है ग्रामीण विद्युतीकरण करने की, दुलाराम जी ठहरिये, अगर ग्रामीण विद्युतीकरण करने की आपकी नीयत है, तो आपको अपनी नीयत साफ रखनी पड़ेगी। आपके अधिकारियों को भी नीयत साफ रखनी पड़ेगी। आपके यहां के अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है। इसलिये तो राजस्थान का विकास आज दिन तक नहीं हुआ है और न ही भविष्य में हो सकेगा। आप यहां पर नाथपाभाकड़ी की बात करते हैं, हिमाचल की चर्चा करते हैं, मध्यप्रदेश की चर्चा करते हैं, हिमाचल प्रदेश की चर्चा करते हैं यह तो कोरी कल्पना है। जनता को गुमराह करने के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने विधान सभा की मीटिंग बुलाने के पहले ही राजस्थान विधान सभा के विधायकों को इस बात की खुशखबरी से अवगत कराया कि वह विद्युत के मामले में कितना गम्भीर रुख रखती हैं। यह बात ठीक है. जो हिमाचल प्रदेश से बिजली आने की बात हुई है, वहां से तो बिजली आने में समय लगेगा, परन्तु मैं किसान होने के नाते यह जानता हूं कि फसल बोने लिये और बीज बोकर बहुत लम्बे समय तक किसान को इन्तजार करना पड़ता है। उसकी तीमारदारी भी करनी पड़ती है, तब कहीं फसल आती है। पर यदि फसल बोई ही नहीं जाय, प्रयत्न ही नहीं किये जायें, तो मैं समझता हूं कि फल मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। इस सिलसिले में हम राजस्थान के लोग आगे भी बिजली

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

को योजनाओं के बारे में राजस्थान को सुरक्षित कर रहे हैं. यह एक उचित बात है। परन्तु मैं उन बातों पर चर्चा करूंगा जो कि मौजूदा हमारे विद्युत के स्रोत हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग जितना हो सके किया जाये, यह बहुत जरूरी है।

हमारे विद्युत मन्त्रीजी काफी अनुभवी मन्त्री हैं। बहुत से अधिकारी भी बहुत अनुभवी हैं, परन्तु इसके बावजूद जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने, मित्रों ने यहां पर कहा, इस बात को हमारे सामने रखा कि विद्युत वितरण और प्रसार में काफी भेदभाव बरता जा रहा है। मैं आपको जयपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिला राजधानी होते हुए भी कृषि के मामले में सभी परिस्थितियों के बावजूद इच्छित फल हमें नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था में यह जिला काफी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनायें अनेक जिलों में हैं, दूसरे जिलों में बनने आ रही हैं, पर जयपुर ही ऐसा जिला है, जिसमें बावजूद सभी बातों के कोई भी बड़ी योजना बनने की गुंजाइश नहीं है। मैं मन्त्री महोदय, जो कि विद्युत मन्त्री होने के साथ-साथ सौभाग्य से सिंचाई मन्त्री भी हैं, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में उन सारी सिंचाई योजनाओं के बदले आप पूर्णतया विद्युतीकरण करने की कृपा कीजिये।

जयपुर जिले के किसान जो केवल मात्र कुओं से ही खेती करते हैं उन्हें पानी निकालने के लिये पानी मिल सके। जयपुर जिले में बहुत सी तहसीलों में कुओं में बिजली लग भी गई है, परन्तु पास में जो कुछ गांव बिना विद्युत के रह गये हैं उनका बहुत जल्दी ही विद्युतीकरण होना चाहिये। जयपुर जिले का पूर्णतया विद्युतीकरण किया जाय, यह घोषित किया जाना चाहिये। जमुवा रामगढ़ तहसील, जो कि जयपुर जिले की एक बहुत पिछड़ी हुई तहसील है, में लगभग आज भी 71 गांव ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है। अभी 80 गांवों के लिए एक योजना स्वीकृत हुई है। मैं उसके लिये तो धन्यवाद देना चाहता हूं पर बाकी जो अब 42 गांव बच गये हैं, उनका भी विद्युतीकरण होना बहुत जरूरी है।

मैं यहां पर जिन लोगों के बिजली लगी हुई है, उनकी इस मौके पर खास तौर से वकालत करना चाहूंगा। क्योंकि किसान के के कुओं पर बिजली लग गयी है, वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वह लालटेन नहीं जला सकता है और न ही कोई दूसरे काम में ले सकता है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, किसान की पूरी जान ही विद्युत विभाग के हाथ में आ गई है। ऐसी स्थिति में बिजली की यदि कमी हो जाय, जैसी कि लगातार कई वर्षों से कमी चली आ रही है यदि वह इसी तरह चलती रही तो किसान की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जावेगी।

आगामी रबी की फसल के लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह गारन्टी चाहूंगा कि पहले रबी की फसल से आज तक जो हमारे साथ बड़ा अन्याय गुजरा है, वह भविष्य में नहीं गुजरे। समुचित रबी की फसल के लिये हमें कम से कम दिन में 10-12 घन्टे तक बिजली मिलना

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

बहुत जरूरी हैं। यदि बिजली की कमी अभी है, तो आप उसको पूरी कीजिये। वह कमी पूरी नहीं की गयी, तो यह कोई जवाब नहीं कि आप खेती के सिवाय दूसरे लोगों को बिजली देते हैं वह दें। विद्युत बोर्ड की कलाबाजी से, विद्युत बोर्ड के बड़े अधिकारियों की इस कलाबाजी से जयपुर के किसान तो खासतौर से अत्यन्त परेशान हैं। वह यह कह देते हैं कि हम खेती के लिये काफी बिजली दे रहे हैं। आज जब कि बड़े बड़े सेठों के कारखानों में मिलों में बिजली दी जाती है और खेतों के लिये बिजली में कटौती की जाती है खास-तौर से खेती के लिये पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिये और वह भी दिन में मिलनी चाहिये।

रात को जो बिजली आप देते हैं, बहुत ही बुरी बात है। उसका आखिर कब अन्त होगा। आज बिजली मन्त्रीजी जब जवाब दें, तब उन्हें इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिये। रात को बिजली आप उन कारखाने वालों को दीजिये, जो अपनी छत के अन्दर बैठ कर काम करते है। जो कारखाने और मिलों को चलाते हैं, उनको रात में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आप मेहर-बानी करके उनको भी बिजली दीजिये पर रात को उनको बिजली दीजिये और दिन की बिजली रबी के लिये दीजिये। किस प्रकार किसान सर्दी के दिनों में रवी की फसल का पालन करता है? उसकी क्या स्थिति होती होगी? रात में जब कि एक ओर पानी सारा टूट जाता है और एक तरफ सारा सूखा रह जाता है। उससे सारी फसल की बरबादी होती है। इससे किसान बीमार हो जाता है और उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। फिर भी उसकी फसल बरबाद की बरबाद हो जाती है। इसलिए मैं रबी की फसल की गारन्टी माननीय मंत्री से चाहूंगा। आप सदन को विश्वास दिलायें कि रबी की फसल में किसान को कम से कम कोई तकलीफ, बिजली की कमी से नहीं होगी।

विद्युत की लाइनें और ट्रान्सफार्मर्स लगे हैं, मैं अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महो-दय, जो मौजूदा लाइनें हैं, उनकी क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है। गांवों में लगा-तार कनेक्शन बढ़ाये जाते हैं और गांव भी बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ लाइन की क्षमता कमजोर है। मैं जमुवा-रामगढ़ के पूर्वी गांवों का उदाहरण देता हूं कि जहां दौसा से लाइन आती है, वह कभी पर्याप्त बिजली नहीं देती है। रबी की फसल पर सैकड़ों किसानों ने कृषि बोर्ड को शिकायत भी की थीं और कृषि बोर्ड ने उसकी तैयारी भी कर ली है। रबी की फसल आने वाली है और जयपुर से रामगढ़ बांध होते हुए पूर्व के इलाके को विद्युत लाइन देने की तैयारी अभी शुरू नहीं की गयी है। मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह लाइन रबी की फसल से पहले लगनी चाहिए ताकि उन पचास-साठ गांवों में जो हमेशा तकलीफ रहती है, वह मिट सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा · ·

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

Page No 154

(154)

(श्री बंसीलाल पटवा)

कोरम पूरा नहीं है। कोरम के अभाव में असेम्बली कैसे चल सकती है, आप स्वयं ही सोचिये !

(गण पूरक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष: श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बाढ़ग्रसित जयपुर जिले के अन्दर बाढ़ के कारण अनेक कुओं की बिजली की लाइनें खराब हो गयी है। साथ ही अधिकांश घरों के मीटर और लाइन खराब हो गयी हैं, मीटर जल गये हैं और सब जगह एक साथ नुकसान हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विद्युत बोर्ड बाढ़ग्रस्त इलाकों के अन्दर उन लाइनों को तुरन्त ठीक करें। जो मीटर जल गये हैं, उनके बारे में कई जगहों से शिकायतें आई हैं कि उपभोक्ताओं से मीटर के जलने की वसूली की जा रही है। नीचे के स्तर के अधिकारियों को आग्रह किया जाना चाहिए कि इस प्रकार जो बाढ़ की वजह से और पानी की वजह से मीटर खराब होकर जल गये हैं, उनसे उनका पैसा चार्ज नहीं किया जाये।

मैं न्यूनतम चार्ज लेने वाली बात के ऊपर भी माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप बिजली निरन्तर पूरी देने की गारन्टी नहीं देते, तो फिर मिनिमम चार्ज मांगने का आपके बोर्ड को क्या नैतिक अधिकार है? अगर आपने उपभोक्ता को बिजली दी है, तो यह आपके जिम्मे है, आपकी यह गारन्टी है कि इसके लिए आप पर्याप्त बिजली दें और साथ ही पूरा लोड दें। कभी 240 वोल्टेज बिजली उपभोक्ता को नहीं मिलती। यह बहुत कमी की बात है।

विद्युत बोर्ड अपनी कमी की पूर्ति नहीं करता। कभी 200 वोल्टेज देते हैं, तो कभी 300 वोल्टेज देते हैं। इससे मीटर जलते हैं, मोटरें जलती हैं और निरन्तर बिजली भी नहीं मिलती है। इसकी वजह से फसलें जलती हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद दृढ़ता से वसूली की जाती है, मिनिमम चार्ज की बात को बन्द नहीं किया जाता। आप अपनी कमी दूर नहीं करते और दूसरों से कहते हैं कि आपने पर्याप्त बिजली नहीं बरती। यह बुद्धि का दिवालियापन है मांगने वालों का।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब आपकी गांठ में पूरा माल नहीं है, तो फिर आप ग्राहक को कैसे कहते हैं कि आपने पर्याप्त माल नहीं खरीदा? इसलिए मिनिमम चार्ज तुरन्त बन्द होना चाहिए।

साथ ही फ्लेट रेट वाली बात है। इसके बारे में भी खुसर फुसर चल रही है। किसान की आज स्थिति बहुत खराब है। वह अपना सारा माल खेत में तैयार करता है, पैदा करता है। उसका मूल्य बाजार में क्या है? वह जो भी चीज खरीदता है, उसकी हालत क्या है? यह आपको पता है। ऐसी स्थिति में किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। फ्लेट रेट बढ़ाने की बात की जाती है, तो उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फ्लेट रेट को बढ़ाने की बात नहीं की जानी चाहिए बल्कि छोटे

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

किसानों को फ्लेट रेट से लाभ पूरा नहीं मिलता है। इसलिये उनके लिए कोई और व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जो लाइनें जा रही हैं उनके पास में बिजली के लिए गांव बिना स्वीकृति के रह गये हैं, उनको बिना किसी लम्बी चौड़ी बात के बिजली देने के लिए तुरन्त ही एक योजना बनाई जाय। बिना मांग के ही जिधर से बिजली जा रही है, उनका विद्युतीकरण कर दिया जाये। उनका विद्युतीकरण होना बहुत जरूरी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कई गांवों में बिजली पहुंच गयी है पर उनमें बहुत से किसान बिजली से महरूम रह चुके हैं। गांवों के किसान वर्षों से अपना नम्बर लगाये बैठे हैं, मैं समझता हूं कि जिस गांव में बिजली पहुंच गयी है, उसका पूर्ण विद्युतीकरण होना बहुत जरूरी है। नहीं, तो यह भेदभाव जो अन्य किसानों के साथ होता है, इससे उनको बहुत भारी शिकायत है। इसको मिटाया जाना बहुत जरूरी है।

मैंने आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को, बिजली बोर्ड की जो-जो कमियां हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मैं आशा करता हूं कि उनका जल्दी ही सुधार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत विद्युत की व्यवस्था और अव्यवस्था के सन्दर्भ में सरकार का और संबंधित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सन्दर्भ में पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से अपनी सारी समस्याओं को सदन में रखा। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और थोड़ी सी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारे सवाई माधोपुर जिले में बिजली जब दी जा रही थी, उसका समय निश्चित कर दिया गया था, किन्तु दुर्भाग्य इस बात का रहा कि काश्तकारों को समय निश्चित करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दी गई। यदि कहीं कभी कभी थोड़ी बहुत मिली, तो वह रात्रि के समय मिली।

जब काश्तकारों के पास फसलों में पानी देने का समय था, उस समय उनको पानी नहीं दिया गया। बिजली की खुशी में काश्तकारों ने मोटरें लगाई, नया-नया खाद डाला, नये-नये बीज डाले, लेकिन काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिली और पैसा खर्च करके काश्तकार भूखे प्यासे हो गये। काश्तकारों को यदि कभी बिजली दी भी गई, तो वह रात्रि को दो से छः बजे तक, कभी 3 बजे से 6 बजे तक और वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी गई। सिंचाई विभाग को बिजली की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कड़ाके का सर्दी में कई काश्तकारों का अपने जीवन से सदा के लिए हाथ धोना पड़ा है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सवाई माधोपुर में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बिजली नहीं दी जाय

(श्री हंसराज शर्मा)

हम यह नहीं कहते, उनको भी दी जाय, लेकिन जिन लोगों ने विद्युत विभाग से ऋण ले रखा है, उनको भी कनेक्शन दिये जायं। आज की स्थिति तो यह है कि उनके अलावा किसी को कनेक्शन नहीं दिये जायं। विद्युत विभाग के पास काफी इस प्रकार की फाइलें पड़ी हुई हैं। छोटे-छोटे लोगों ने कर्जा लिया है और उस रकम पर ब्याज दे रहे हैं। राज्य सरकार से जो लोन लिया है, उसकी किश्ते मांगी जा रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनको बिजली नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का बेन लगाकर आप काश्तकार का क्या भला करना चाहते हैं? काश्तकारों पर छोटे उद्योगों से सम्बन्धित जो भी बिजली विभाग ने बेन लगाया है, उसे तुरन्त समाप्त किया जाय और जो पेन्डिंग फाइलें पड़ी हैं, उनका तुरन्त निपटारा किया जाय। निपटारा करके उनको बिजली का कनेक्शन देने का कष्ट करें।

सवाई माधोपुर जिला प्रकृति के प्रकोप से काफी प्रभावित हुआ है। हजारों काश्तकारों के कुए बरबाद हो गये हैं। बिजली के खम्भे डूब गये हैं। लाइनों का पता नहीं है। मोटरों का पता नहीं है। खम्भों का पता नहीं है। फिर भी वहां के काश्तकारों से पैसा वसूल किया जा रहा है और जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन पर पैनल्टी लगाई जा रही है। इस प्रकार का घोर अत्याचार बिजली विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसके लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको कनेक्शन देने की अविलम्ब कार्यवाही करें और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वे अपना जीवनयापन कर सकें।

बिजली विभाग यह भी तय करे कि काश्तकारों को कितने समय बिजली मिलनी चाहिये और कितने दिन मिलनी चाहिये? उसका भी ब्योरा लिया जाय। एक निवेदन यह भी है कि जितना तय कर रखा है, फ्लेट रेट पर उसी हिसाब से पैसा वसूल किया जा रहा है, तो इससे काफी जुर्म बढ़ेंगे क्योंकि किसानों की बिजली जितनी खर्च नहीं होती है, उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इससे उनमें आक्रोश है। इतना मेरा आग्रह है कि इस व्यवस्था को भी ठीक किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, वे इस विषय में अविलम्ब कार्यवाही करें। हमारा सवाई माधोपुर जिला बहुत बड़ा जिला है और इसमें काफी संख्या में काश्तकार लोग रहते हैं। बाढ़ की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है। बिजली के काफी खम्भे टूट गये हैं। इस साल बिजली की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां बिजली का काफी नुकसान हुआ है, वहां अधिक से अधिक बिजली के कनेक्शन दिलाने की व्यवस्था करें।

साथ ही यह भी निवेदन है कि सवाई माधोपुर बहुत बड़ा जिला है। बिजली की छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के लिये काश्तकारों को कोटा और जयपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारे जिले के लोगों ने आग्रह किया था कि अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय जिले में खोला जाय। जनता पार्टी के शासन में यह

(श्री हंसराज शर्मा)

आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन उसको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। विद्युत मंत्री जी भी गये थे, उनसे तब भी निवेदन किया था कि संवाई माधोपुर जिला बहुत बड़ा जिला है और काश्तकारों की बहुत बड़ी आबादी है, इसलिये अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोला जाय। उन्होंने एक बात बताई कि यदि प्रपोजल रखा था, तो मैं जयपुर जाऊंगा, तब देखूंगा और सर्वे कराऊंगा। अब मुझे पता नहीं, वे किस बात का सर्वे कराना चाहते हैं? जब यह पहले ही स्वीकृत हो गया था, तो अब सर्वे किस बात का रह गया है? मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आपके समय में यह कार्यालय खुल जायगा, तो काश्तकारों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायगा। विश्वास के साथ मैं पुन: निवेदन करूंगा हमारे जिले की जो समस्याएं हैं, वे काश्तकारों की विशेष समस्याएं हैं। उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में एक प्रश्न के माध्यम से पंचायत समिति धोरीमना में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रश्न पूछा था। तब सरकार ने स्वीकार किया था कि सरकार की ढिलाई की वजह से जो योजना स्वीकृत हुई है, उस पर कोई काम नहीं हो पाया है, लेकिन अब यह दूसरा सत्र शुरू हो गया है और जो वहां की प्रगति है, वह अभी वहीं की वहीं है। कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने स्वयं ने इस बात को माना है कि प्रगति सरकार की गलती की वजह से नहीं हुई है। सरकार अब पुन: इस पर ध्यान दे। आज दिन तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, सामान भी नहीं पहुंचाया है। यह योजना तो स्वीकृत हो गई है, लेकिन उसका काम नहीं किया जाय और सामान नहीं पहुंचाया जाय तो इस हिसाब से तो यह प्रगति सन् 1985 तक भी नहीं हो सकती है।

पंचायत समिति धोरीमना में सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करना है। आज तक धोरीमना पंचायत समिति के एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पंचायत समिति का जो मुख्यालय है, वहां भी अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसलिये मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान दें। कुल 138 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। एक भी गांव ऐसा नहीं है, जहां बिजली पहुंची हो। इस प्रकार की वहां की बिजली की स्थिति है। इसलिये मैं बिजली की समस्याओं के बारे में तो क्या जिक्र करूं? जब बिजली ही नहीं आई मेरे क्षेत्र में, तो बिजली की समस्याएं भी क्या होंगी? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे क्षेत्र में बिजली पहुंचायें और बिजली से जो हमारे बाड़मेर क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, उसको भी प्राथमिकता दें। बिना बिजली के पीने का पानी भी सम्भव नहीं हो सकता है। धोरीमना पंचायत समिति में कई जगह मीठे पानी के कुए हैं। उनको गहरा खोदकर पानी को दूसरी

(श्री हेमाराम चौधरी)

जगह भी पहुँचाया जा सकता है। बिजली पहुँचाना नितान्त आवश्यक है। पेयजल की जो समस्या है, वह मनुष्य की मूलभूत समस्या है।

मैं मंत्री महोदय से इसलिये पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि जन स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है इसलिये पानी की समस्या का हल भी आप ही को करना चाहिये। ट्यूब वैल्स पर बिजली लगेगी, तभी पानी की समस्या हल होगी। इरिगेशन की बात तो दूर रही। जहां जहां ट्यूब वैल खुद जायेंगे उन पर बिजली दे दी जायेगी, तो पीने के पानी की काफी समस्या हल हो सकती है।

हमारे क्षेत्र में 3-4 साल से बराबर अकाल पड़ रहा है, उस से पानी की समस्या और भी काफी विकट हो चुकी है। बरसात के दिनों में लोग कुण्डों में पानी इकट्ठा करके रखते थे, लेकिन पिछले सालों में बरसात नहीं होने के कारण उनमें भी पानी नहीं रहा। अब यदि बिजली की व्यवस्था भी नहीं की गई, तो पानी की भयंकर समस्या खड़ी हो जायगी। मवेशियों के पीने के लिये भी पानी की बड़ी समस्या हो जायेगी। मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, यदि वहां के लोगों को और मवेशियों को पानी पिलाना चाहते है तो कुओं पर अवश्य ही बिजली पहुंचायें ताकि वहां के कुए पीने के पानी के काम में आ सकें। मेरा निवेदन है इस ओर आप विशेष ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेसिंह।

श्री महाराम चौधरी : फतेसिंह तो नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का है. इसलिए मुझे मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री महाराम चौधरी : मैं तो पिछली अक्षम सरकार के सामने बोला था और संभावित प्रशिक्षित सरकार के सामने मेरी कोई बिजली की बात हो····

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजपाल यादव।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्षजी आपने मुझे समय दिया, पर काफी विचार के बाद आपने दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज बिजली का हमारे देश के लिए, विशेषकर राजस्थान के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। यह एक जीवन का प्रश्न है, जिन्दा रहने का प्रश्न है, पेट पालने का प्रश्न है, भूख मिटाने का प्रश्न है, लेकिन यह बिजली आयेगी कब, कब किसानों को भर पेट अनाज मिलेगा, यह ईश्वर ही जानता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने जो स्टेप उठाये हैं और जो अन्तर-राज्यीय बिजली और पानी के समझौते किये हैं, हमारा हक था, उसके लिए कोशिश कर के ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए प्रयत्न किये हैं। नये-नये प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं। योजनाएं बन रही हैं। वे इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। गांव के जो लाखों किसान हैं, वे आज अपनी फसल को बचाने के लिए अपना पेट पालने के लिए बड़े भयभीत हैं। उनको आशा की किरण बंधती है।

मैं बिजली की समस्या को 3 भागों में बांटना चाहता हूं बिजली उत्पादन, बिजली वितरण और बोर्ड प्रशासन।

(श्री तेजपाल यादव)

बिजली उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि इस को युद्ध स्तर पर लिया है, इसको बहुत गहराई से महसूस किया है। हमारे विद्युत मन्त्री हैं, वे किसान होने के नाते किसानों की समस्याएं, किसानों की परेशानियां, किसानों की आर्थिक स्थिति को भली प्रकार जानते हैं। इस बारे में मुझे कुछ आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कई साथियों ने इस मामले में काफी प्रकाश डाला है।

बिजली वितरण के सम्बन्ध में जो विरोधी पार्टी वाले है, उनका किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल क्रोकोडाइल वाले आंसू बहाते हैं। उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर कुछ बात कहें, तो केवल विधान सभा में बात कहने के लिए और अखबारों में नाम देने के लिए है कि हम भी किसानों के शुभचिन्तक है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, नाम के लिये गरीब किसानों को कभी इसको चर्चा का विषय नहीं बनायें। बिजली की बात, किसानों की बात जितनी हम यहां करेंगे, एक कहावत है, कि पंचों की राय सर माथे लेकिन परनाला वहीं पड़ेगा, जहां अधिकारी और बोर्ड प्रशासन चाहे।

आज तक किसानों के नाम से जो कटौती होती है, तो बिजली की कटौती होती है और किसी की कटौती नहीं होती। दूसरे जो उद्योगों की कटौती का नाम लिया जाता है, बिना पैसे उद्योगों को बिजली देते हैं। आज एक लोड सैटिंग के लिये मन्त्री जी को विशेष करके निवेदन करूंगा, लोड सैटिंग जो इन्होंने चालू किया है उसके नाम से अगर कटौती की जाती है, तो किसानों की कटौती की जाती है। अगर गला काटा जाता है, तो किसानों का काटा जाता है। अगर पेट काटा जाता है, तो किसानों का काटा जाता है। उद्योगपतियों की कटौती के नाम से उनको कह दिया गया, किसानों के सामने पाव भर दूध रख दिया है, इसको पूरा पी लो। इतनी कोई कटौती नहीं है, तुम्हें छूट है, और उद्योगपति व्यापारी के पास, शहर वालों के पास पांच किलो का एक दूध का बरतन रखा जाता है कि इसमें 30 पर्सेन्ट ही पीना, अगर वह 30 पर्सेन्ट पियेगा, पियेगा ज्यादा लेकिन उसके 30 पर्सेन्ट के पैसे लगेंगे, बाकी के पैसे नहीं लगेंगे, यह सिर्फ पैसा बचाने वाली बात है।

आज हीरापुरा की लाइन का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। जिस लाइन पर इण्डस्ट्रियल लोड ज्यादा है उसका लोड सैटिंग कभी नहीं होता और जिसमें एग्रीकल्चर लोड ज्यादा है, उसका लोड सैटिंग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। रींगस और चौमूं लाइन की 132 के. वी. अव्वल तो उसकी क्षमता ही नहीं है, एग्रीकल्चर का अगर पूरा लोड दिया जाय, तो लाइन पिघल कर गिर जायेगी। एक तो यह बात करते हैं कि हम किसानों को कटौती नहीं करते हैं, तो यह इनके हिसाब से ही साबित हो जायेगा कि यह कटौती कर रहे हैं। दूसरी बात लोड सैटिंग में जितनी भी टैपिंग है, रिकार्ड में देखा जा सकता है कि जिन फीडरों पर एग्रीकल्चर लोड ज्यादा है, उसको ज्यादा बार बन्द किया जाता है। अगर यह बात गलत है, तो हीरापुरा का रिकार्ड सारा जी. एस. एस. का रिकार्ड

(श्री तेजपाल यादव)

मंगाकर देखा जा सकता है । किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है ? अघोषित कटौती है, लोड शैडिंग का मतलब घोषित कटौती नहीं है । अखबारों में है, उद्योगपति की कटौती की जायेगी जब कि वास्तव में किसानों की कटौती की जायेगी, उसका नाम है, लोड सैडिंग । दूसरी बात बोर्ड प्रशासन की वितरण प्रणाली की है । बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है, ये बोर्ड–

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

शुरू में किसान विरोधी बैठे हैं । मैं तो यह मान कर चलता हूं, इसमें सरकार कितनी ही घोषणा करे, कितने ही जाकर अधिकारियों को निर्देश दें यह कभी किसानों को भला चाहने वाले नहीं हैं । अगर सरकार किसानों का भला चाहती है, सदन किसानों की बात करता है और यह मन्त्री जी किसान है, तो उन्हें किसानों के हितों का सेफगार्ड करना चाहिये । उस बोर्ड में आई. ए. एस. अधिकारी आपको हुकम-हुकम सर सर तो कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए दया इनके दिल में कतई नहीं है. यह मेरा दावा है । यह आई. ए. एस हुकम-हुकम, सर सर तो कर सकते हैं डण्डे बरसा सकते हैं, लेकिन किसानों की आवाज को, किसानों के दुःख को किसानों के दर्द को नहीं सुन सकते । तो मेरी आपसे पुरजोर शब्दों में मांग है कि इस बोर्ड प्रशासन को बदलिये और जो इसमें बड़े–बड़े हाथी बैठा रखे हैं, किसानों की कटौती के लिए, किसानों के बच्चों का गला काटने के लिए ईश्वर के नाम पर उनको बचाइये ।

दूसरी बात आज पैसा नहीं है, मेरा निवेदन है कि चाहे स्कूल मत खोलिये, अस्पताल भी मत खोलिये, सड़कें मत बनाइये, लेकिन किसानों के खेत पर बिजली पहुंचाइये यह मेरी मांग है । इसमें कोई बात नहीं है इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा भूखा आदमी क्या पढ़ेगा, क्या इलाज करायेगा और क्या कपड़ा पहनेगा ? मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि युद्ध-स्तर पर अन्य हैडों में कटौती करके बिजली में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय दूसरा यह सारा गड़बड़ घोटाला—खोलों का समझिये, स्टील का समझिये, जितनी लाइनें बेकार पड़ी हैं, चौमू से रींगस तक तीन लाइनें बेकार पड़ी हैं और वहां खड़ी हैं । ट्रान्सफार्मर्स इतने पड़े ... ...

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

हैं, जैसे अपना कोई बरतन चूल्हा छीन करके फेंक देता है वैसे ही इन्होंने फेंक रखे हैं । उनको कोई पूछने वाला नहीं है । डीजल की जीपें, पैट्रोल की जीपें, गाड़ियां और अन्य चीजें, आदि का कोई हिसाब किताब ही नहीं है उनको कोई पूछने वाला नहीं है । जैसे यह कोई सुप्रीम हों, कोई राजा हों, बादशाह हों, यह सोचते हैं, हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री तेजपाल यादव : मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा कटौती एग्रीकल्चर की होती है । उसके रिकार्ड की बात नहीं है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में किसानों की सबसे मुख्यतः लाइन चौमू रींगस लाइन है उसमें पूरा एग्रीकल्चर का लोड है । उसमें क्या अन्याय हो रहा है ? क्या हमको राहत दिला सकते ?

(श्री तेजपाल यादव)

हमारा बचाव हो सकता है ? मेरा ख्याल है मैं निवेदन करूंगा कि वह कार्यवाही करने की अपने जवाब में घोषणा करेंगे। दूसरे जो लाइनमैन हैं वह इनके यहां 80-80 साल के बैठे हैं। यह फ्लेट रेट बढ़ायेंगे तो फ्लेट रेट पहले ही सबसे ज्यादा जनता सरकार ने की थी, जिसका सारा मूवमेंन्ट ही किसान विरोधी था। जनता सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी, मतलब किसानों के खिलाफ, किसानों की विरोधी संस्था का नाम रहा है। उन्होंने पहले ही डबल कर दी थी। अब तो फिर भी इसको बढ़ाया जाता है या इसको तोड़ा जाता है, तो भ्रष्टाचार की उन अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट मिलती है। एक को तोड़ने से हजार रुपये महीने की या हजार रुपये साल की जो ......

(व्यवधान)

(6.40 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री तेजपाल यादव : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंह उधर करके भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे हैं। सरकार इनकी हैं, राज इनका है, कर ये रहे हैं, सफलता इनको मिल सकती नहीं, काम करने की शक्ति नहीं, सोचने की पावर नहीं और नाम हमारा बदनाम करें। पता नहीं क्या मोनिया हो गया है ? बी. जे. पी., बी.जे.पी., बी.जे.पी., बी.जे.पी.!

श्री तेजपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : यह अफसर तो आपने बिगाड़ दिये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपने मन पसन्द पैदा कर लो ! करें तो सही अपने मन पसन्द।

एक माननीय सदस्य : टाइम तो लगेगा करने में।

श्री तेजपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर एल. टी. लाइन बढ़ी है, बोर्ड में स्टाफ है, लेकिन गांवों में जहां-जहां ट्रांसफार्मर्स हैं, कोई नहीं रहता हैं। एक भी नहीं रहता है। दो-दो दिनों तक फ्यूज बांधने के लिए काश्तकार पीछे-पीछे रोते फिरते हैं। एल. टी. लाइनों की यह हालत है कि कोई पोल इधर झूल रहा है, कोई उधर झूल रहा है. लेकिन कोई ठीक करने वाला नहीं है। लाइनें झूलती रहती हैं और जरा सी हवा आती है कि गिर जाती हैं। कोई सम्भालने वाला नहीं है। अस्सी-अस्सी साल के आदमी तनख्वाह ले रहे हैं, बोर्ड के कागजों में पचास साल के बता रखे हैं। डाक्टर से सर्टिफिकेट ले आओ और लिए जाओ तनख्वाह।

इस तरह से इतनी बोर्ड में बेईमानी, अनियमिततायें और लालफीताशाही है। यह जो इतना मैटीरियल डाल रखा है,

(श्री तेजपाल यादव)

जगह-जगह पर, जंगलों में पड़ा है। मामूली ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने से चालू हो सकते है। जगह नहीं है. ए ई एन. के जो सर्किल हैं, उनके पास जगह नहीं है रखने के लिए। इतने ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं ग्रौर बिजली के ग्रन्दर धांधली है। लोड शैडिंग के नाम पर किसानों की कटौती की जाती है। किसानों को समय पर बिजली नहीं दी जाती है ग्रौर समय पर बिजली में जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको ठीक नहीं किया जाता है। उनके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को ग्रापके माध्यम से ग्रनुरोध करूंगा कि कम से कम यह बोर्ड प्रशासन से राहत दिलावें। बोर्ड प्रशासन जो हमारे साथ, किसानों के साथ अन्याय कर रहा है, ग्रौर बोर्ड प्रशासन कुठाराघात कर रहा है, उससे बचाने की स्पष्ट घोषणा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीराम गोटेवाला, राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन): ग्रान पाइन्ट ग्राफ पर्सनल क्लेरिफिकेशन, सर। इजाजत है?

श्री ग्रध्यक्ष : कहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी थोड़ी देर पहले श्री नन्दलाल जी मीणा ने मेरे ऊपर एक नामवद ग्रारोप लगाया था ग्रौर ...

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुतों ने लगाये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुतों ने लगाये तो उनको ग्रौर हवामहल से ग्राने वाले सम्माननीय सदस्य को जवाब देने की स्थिति में हूं ग्रौर कई जगह पहले भी जवाब दिया है। वह दुबारा ग्रगर ग्राज भी जवाब चाहेंगे, तो मैं उनको भी जवाब देने की स्थिति में हूं।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे पर माननीय नन्दलाल जी मीणा ने चार्ज लगाया। मुझे उसके बारे में बताया गया है, उन्होंने यह कहा बताया कि मैंने कहीं कोई बिजली की चोरी की है। मेरा ग्रापसे ग्रनुरोध है कि ग्राप इस बारे में जांच करवायें। माननीय सदस्य, जो इस प्रकार के ग्रनर्गल ग्रारोप लगाते हैं, इस बारे में क्षमा चाहने के लिए कहें। मैं ग्राप से इस बारे में तथ्य सहित ग्रनुरोध कर रहा हूं कि जनता पार्टी का जब शासन था, तब जनता पार्टी सरकार ने भी शायद सन 76 की बात है, मेरे जो भाई हैं, मैं भाई का मतलब साफ निवेदन कर दूं कि मैं ग्रलग रहता हूं, ग्रलग परिवार है, मैं ग्रलग गोद हूं शुरू से लेकिन फिर भी मैं यह मान कर चलता हूं क्योंकि वह मेरे भाई हैं, इसलिए पोलिटिकल विद्वेषता के कारण उस समय हमारी फैक्ट्री तथा हमारे भाइयों की फैक्ट्री की जांच करवाई। उस समय उसका यह सारी बातें कही गई कि ये बिजली की चोरी करते हैं। इसके बारे में बिल भी भेजा गया। तुरन्त उसी समय उन्होंने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा ग्रौर खुद ने कहा बताया कि ग्राप इसकी जांच करवा लें, कहीं पर भी कोई निकले, तो ग्राप इसके बारे में उनसे बात कर लें। उसके काफी बरसों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

यदि एक बार कोई घटना घटी। उस घटना के बारे में मैं तो क्या कहूं, उसको कौनसी भाषा में कहूं, कौनसा विद्वेष कहूं, क्या बताऊं उसके बारे में निवेदन नहीं करूंगा। मैं आपसे निश्चित रूप से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे न तो जयपुर रोलिंग मिल से आज तक कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है, न मेरा कोई सम्बन्ध है। उनके खिलाफ जो भी, जिन्होंने निकाला है, वह अदालत में गए हुए है। अदालत में मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है। अदालत ने उनको उसके ऊपर स्टे दे रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस की चोरी और किन के नाम पर, कहां पर बता रहे हैं।

अगर यही अपराध हो कि मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार या मेरे अन्य लोग कहीं पर कोई काम ही नहीं करें या उनके कार्यों की चारा जोई कोई करें तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ जाय, यह मैं समझ नहीं पाता। फिर भी मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप चाहे किसी भी सूत्र से जांच करा लें। मेरे पर व्यक्तिगत रूप से कहीं पर कोई भी आरोप प्रमाणित हो जावे, तो जो आप कहेंगे वह मैं सजा भोगूंगा, अन्यथा मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, जैसा हवामहल से आने वाले सम्माननीय सदस्य अभी कह रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं इस बात के लिए, जब से मैं सन् 69 में जयपुर नगरपरिषद का सदस्य बना उसके बाद में आज तक कोई बिजनेस का काम बता दें। मैं उनसे इस फ्लोर के द्वारा अनुरोध कर रहा हूं कि वे सार्वजनिक रूप से चुनौती स्वीकार करें। पहले 72 में भी चुनौती स्वीकार कर चुका हूं उसके बाद भी मैं चुनौतियां, राजनैतिक स्तर पर चुनौतियां स्वीकार कर चुका हूं। आगे भी मैं इस स्थिति में हूं कि अगर एक भी कहीं पर मेरे खिलाफ, मेरे व्यक्तिगत आचरण के खिलाफ, मेरे और मेरी पत्नी, मेरे पिता या मेरे बच्चों के खिलाफ कोई बात प्रमाणित कर दें तो जो आप दण्ड देंगे, वह मैं भोगूंगा।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय–व्ययक पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर सरकार की तरफ से अवहेलना हो रही है और आज दिन तक कोई काम-काज नहीं हो रहा है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धे नहीं लगाये जावेंगे, तब तक बिजली वहां नहीं पहुंचेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांवों के अन्दर पिछले दो सालों से बिजली की योजना बनी हुई है, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी काम काज शुरू नहीं हुआ है। अभी थोड़े ही दिनों पहले खम्भे लगाना शुरू हुआ। मौके पर देखा कि चावंडिया के पास में मैटीरियल भी पड़ा था और 20-25 काम करने वाले भी वहां पर थे लेकिन वहां पर कोई सुपरवाइजरी काम करने वाला या काम कराने वाला आदमी नहीं था। लगातार दो दिन वहां से गुजरा लेकिन ज्यों का त्यों काम पड़ा हुआ है।

(श्री महाराम चौधरी)

जहां तक काश्तकारों को बिजली देने का प्रश्न है, अब रवी की फसल बोने का समय आ गया है और काश्तकार अपनी खेती वाड़ी तैयार करने लग गए हैं। अभी से काश्तकारों को मालूम हो जावे कि सरकार खेती करने के लिए कितनी बिजली देगी ? कितने बीघा खेतों को तैयार करें जिससे अपनी बुवाई कर सकें। मैं ज्यादा समय नहीं ले करके सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल समस्या भयंकर है उस समस्या का निराकरण करने के लिए बिजली की समस्या खड़ी हुई है। पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के अन्दर बिजली की योजना भी है, गांवों के अन्दर बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम है, लेकिन वहां पर बिजली नहीं पहुंचने की वजह से जल प्रदाय योजनायें भी अटकी हुई हैं। मैं सरकार से वह निवेदन करता हूं कि समस्याग्रस्त गांव और अकाल-ग्रस्त गांव हैं, उन गांवों में बिजली की योजना बनी हुई है, बहुत से गांव हैं उनमें आने वाले सालों के अन्दर बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम भी है, उन गांवों के अन्दर अगर युद्धस्तर पर काम किया जावे, तो इस आने वाले भयंकर अकाल के अन्दर पेय-जल की समस्या भी सुलझाई जा सकती है।

हमारे क्षेत्र के अन्दर बिजली की योजनाओं की गांवों की जो नई लिस्ट ग्रामीण विद्युतीकरण के द्वारा बनाई गई है, उन गांवों के अन्दर मील डेढ़-डेढ़ मील पर जो गांव हैं, उन गांवों को पास से छोड़ दिया गया है और पड़ोसी गांव से बिजली निकल कर चली गई है जब कि उन गांवों के अन्दर भी पानी की समस्या बड़ी भयंकर है। अतः मैं विद्युत मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने का प्रबन्ध किया जावे। राज्य सरकार की ओर से विद्युत मण्डल को यह भी कहा गया है कि हरिजन बस्तियों के अन्दर बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जावे, लेकिन इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अधिकारियों की भावना कतई नहीं है और न उनके पास में जाकर अप्रोच करते हैं, न लोगों को इस तरह का कोई सुझाव देते हैं। बिजली वालों की यह भावना सी बनी हुई है कि कोई हमारी आकर गरज करे हमारे चारों तरफ पीछे-पीछे फिरे, तब ये बिजली वाले योजनायें लागू करते हैं या उनको फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब कच्ची बस्तियों वालों को सरकार विद्युत पहुंचाने का वायदा करती है, पर शायद पहुंचाने की मन में है, या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन सरकार के अधिकारियों के मन में विजली पहुंचाने की भावना कतई नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिये, उद्योग धंधे चलाने के लिये, सरकार जो बिजली की योजना बना रही है वह कहां तक सफल होगी ? इस सफलता के लिये आप में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ में आत्मीयता की भावना नहीं है इन अधिकारियों के भरोसे तो यह बिजली का काम कतई सफलता-पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह निवेदन कर सकता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदमी, या उनमें जो टैक्निकल आदमी हैं, उनको यदि इस कार्यक्रम के

(श्री महाराम चौधरी)

अन्दर लगाया जाये, तो शायद वे ज्यादा भावना से काम करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, जो मंत्री भी है, एक बात कही और अपना स्पष्टीकरण देकर हाउस को समझाने की कोशिश की कि उनका चरित्र बहुत अच्छा है.......

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण नहीं.......

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : हुआ करता है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। मेरे स्पष्टीकरण का तो सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस पर वाद विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, साहब । मैं समस्या रख रहा हूं जो उन्होंने पैदा की । पहले चार्ज लगाया माननीय दीपेन्द्रसिंहजी ने, फिर लगाया मेघराजजी तावड़ ने, फिर लगाया नन्दलाल जी मीणा ने । जब वे तीनों यहां पर उपस्थित थे, तब तक तो यह बोले नहीं...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो यहीं था, उन्होंने लर्न ही नहीं किया। आपकी ही पार्टी के मेम्बर ने नाम लिया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रोसिडिंग हैं । तीनों माननीय सदस्यों ने, किसी ने नाम से, किसी ने इशारे से आरोप लगाया, जब तक वे सदन में रहे तब तक तो आप बोले नहीं और जब वे सदन के बाहर चले गये तब आकर आप बोले । मेरा निवेदन है कि कल जब वे तीनों सदस्य यहां रहें, तब माननीय मंत्रीजी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह रखा जाये । उनको भी यह मौका दिया जाये कि वे इस बात को प्रमाणित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है । उनको यहां रहना चाहिये था। वह क्यों चले गये ? झूठा चार्ज था, इसलिये भाग गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर ये सही थे, तो उनके सामने बोलना चाहिये था ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने बिजली के विस्तार के बारे में, उत्पादन के बारे में सदन में प्रकाश डाला । पिछले वर्षों से बिजली का जरूर विस्तार हुआ है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता । लेकिन जिस प्रकार से बिजली का विस्तार किया गया है, उस अनुपात में बिजली का जो उत्पादन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ । इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है इस कारण से हमारे सामने आज बिजली का संकट है । वैसे किसानों को पिछले

(श्री अमराराम चौधरी)

तीन सालों से बिजली का बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली जब एक घंटा आती है और उसके बाद चली जाती है, तो उस समय किसान की क्या हालत होती है? अपने कुए से अपने क्यारी तक, खेत के जहां फसल बोई हुई है, वहां तक पानी जाकर रुक जाता है। जब बिजली का करंट चला जाता है, उस समय वह बहुत चिन्तित होता है। वह दास बना हुआ है, है विज्ञान का।

इंजीनियरों ने बिजली के लिये योजना बनायी, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? हम अंधाधुंध आगे बिजली दे रहे हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। जगह जगह हम अपनी पोस्टें बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी उन्नति करते जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को आलरेडी बिजली दी जा चुकी है, उन को बिजली मिल रही है या नहीं, इस बात की कोई चिन्ता नहीं की। सरकार को भी इन इंजीनियरों ने बिलकुल अंधेरे में रखा। आज पिछले तीन सालों से मेरे क्षेत्र में बिजली की जो हालत रही है, वह बहुत ही किसानों के लिये एक दुःख की कहानी रही है। क्योंकि पहले साल 71 के अन्दर बिजली की कमी हुई, फिर 79 में बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण क्या हुआ कि सारे तार, खम्भे नष्ट हो गये। उसके बाद में जब बिजली की लाइन वापस लगाई गई, तो बिजली में कटौती हो गई। किसानों को जो बिजली मिलनी चाहिये थी वह उनको नहीं दी गई और उनसे मिनिमम चार्ज वसूल किया जा रहा है। यहां से कई बार आदेश दिये गये हैं। मिनिमम चार्ज के बारे में मैंने अपने परगना बालोतरा के बारे में कहा, वहां अकाल पड़ा और दूसरी बाढ़ आई, और बिजली का पूरा नहीं मिली इन तीन कारणों से मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाये।

बिजली आती हो, और काश्तकार उपयोग नहीं कर रहे हों, उस समय मिनिमम चार्ज लिया जाये, तो न्यायसंगत होगा। लेकिन बिजली ही नहीं आ रही है। एक तरफ बाढ़ से खंभे गिर गये, तार नहीं लगा रहे हैं, मीटर खराब हो गये हैं। दूसरी तरफ भयंकर अकाल है। वैसे ही किसानों की हालत खराब है, बिगड़ी हुई, हालत है उस समय भी मिनिमम चार्ज वसूल करते हैं। मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिये, हमारे यहां अभी भी काश्तकारों के खेत बाढ़ से नष्ट हुए हैं। यहां भयंकर बाढ़ आई। जयपुर में जितने अखबार थे सबने लिखा कि इतनी जबर्दस्त बाढ़ आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की बाढ आई होती, तो यहां जयपुर और आस पास के गांवों में खम्भे ठीक किये गये है किन्तु वहां आज तो क्या सैंकड़ों वर्ष तक ठीक नहीं हो सकते हैं।

हमारे किसानों की हालत खराब है उनके सैंकड़ों वर्ष तक खेत नहीं सुधरेंगे। सौ बीघा करीब में एक मन अनाज, दो मन अनाज पैदा होता है लेकिन कुएं से वह अपना कनेक्शन नहीं कटा रहे हैं, क्योंकि मवेशी को भी पानी पिलाना पड़ता है। आदमी जमीन छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं। जायें तो कहां जाय, दूसरा कोई उनके लिये सहारा नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उनको दूसरी जगह एस्टेब्लिश करते

(श्री अमराराम चौधरी)

हैं। लेकिन वहां पर किसानों की ऐसी हालत है कि उनकी जमीन खराब हो गई है, फिर भी उनसे मिनिमम चार्ज वसूल किया जा रहा है। अब दूसरी कठिनाई आ गई, एवरेज चार्ज की। अभी बिजली आई नहीं। हमारे मार्च के महीने में 100 रुपये की बिजली खर्च हुई, दिसम्बर में दो सौ रुपये की खर्च हुई और जनवरी में तीन सौ की खर्च की है, तो एवरेज चार्ज निकालकर भेज देते हैं। अभी बिजली आयी नहीं, बिजली पूरी दी नहीं और आप एवरेज चार्ज लगा रहे हो। जब गर्मियों में हमारे वहां काम नहीं होता है, चार रुपये के चार्जेज आते हैं तो वही आपके तीन सौ के हिसाब से एवरेज चार्ज उस महीने में आयेंगे। इस प्रकार के सैकड़ों केसेज हैं, उनसे रिकवरी हो रही है। उनका अविलम्ब रोका जाये।

मैं यह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मिनिमम चार्ज की समस्या है, दूसरी एवरेज चार्ज की है, इनको वसूल नहीं किया जाये। मिनिमम चार्ज के बारे यहां के मुख्य मंत्री ने 27-6-81 को एक आदेश दिया था मुख्य सचिव को कि मिनिमम चार्ज अग्रिम आदेश तक वसूल नहीं किये जायें। उसके बाद काश्तकारों से मिनिमम चार्ज वसूल किया जा रहा है। अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो लाख रुपये की बात है, कोई ज्यादा नहीं है, बाढ़ से गांवों में कुएं बिल्कुल नष्ट हो गये हैं। 17 गांव कुल ऐसे हैं, जहां मिनिमम चार्ज माफ करने के लिये मैंने कहा था। आप पूरे परगना में नहीं करें, कम से कम 17 गांवों में तो मिनिमम चार्ज फेमिन और फ्लड अफेक्टेड हैं, उनमें माफ कीजिये। लेकिन अभी तक ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

दूसरी डिवीजन वाइज हमारी मीटिंग होती है। पिछले साल में एक बार मीटिंग हुई है। जोधपुर डिवीजन के इंजीनियरों और विधायकों की एक बार मीटिंग थी उसके बाद कहा कि हर तीसरे महीने मीटिंग बुलायेंगे लेकिन वे जान बूझकर के मीटिंग नहीं बुलाते हैं। काश्तकार अपनी बात रखेंगे और हमारी खामियां बतायेंगे। अपनी खामियों को छुपाने के लिये साल भर से मीटिंग नहीं बुलायी है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मीटिंग हर दूसरे महीने, हर डिवीजन की बिजली अधिकारियों की और विधायकों के होनी चाहिये, ताकि ग्राम जनता के दुःख दर्द हैं, बिजली के बारे में कठिनाइयां हैं, उनका निराकरण किया जा सके।

वर्तमान समय में मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल है। वहां लोगों ने एल-फार्म भर दिये हैं, सिक्योरिटी जमा करवा दी है, खम्भे खड़े हैं, तार लगे हुए हैं और सीमान्त कृषक, कुछ बड़े काश्तकार हैं, तीन साल हो गये, बाढ़ के कारण मोटर खरीद नहीं सकते थे। अब मोटरें भी फिट कर रखी हैं। उनकी वर्षा के अभाव के कारण फसलें जल रही हैं। यदि आज ही जनरल आदेश न करें, तो जिन काश्तकारों ने एल-फार्म जमा करा दिये हैं, जहां तार लगे हुऐ हैं, मोटरें लगाने की जरूरत नहीं है, जिनकी फसलें जल रही है, घास नहीं है, वे वहां हरा चारा पैदा कर सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज ही आदेश जारी करें ताकि उनको कनेक्शन मिल सके। धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का दसवां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15–9–81 को मध्याह्नोत्तर 4 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 16 सितम्बर, 1981 से 25 सितम्बर 1981 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

बुधवार	16 सितम्बर, 1981	राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति पर विचार।
गुरुवार	17 सितम्बर, 1981	
शुक्रवार	18 सितम्बर, 1981	1. वर्ष 81–82 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) पर विचार व पारण। 2. उपरोक्त मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार व पारण।
शनिवार	19 सितम्बर, 1981	बैठक नहीं होगी।
रविवार	20 सितम्बर, 1981	
सोमवार	21 सितम्बर, 1981	1. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981। 2. राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981। 3. राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार और इनका पारण।
मंगलवार	22 सितम्बर, 1981	राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 पर विचार व उसका पारण।
बुधवार	23 सितम्बर, 1981	1. जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981। 2. उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं इनका पारण।
गुरुवार	24 सितम्बर, 1981	1. राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981। 2. राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं इनका पारण।
शुक्रवार	25 सितम्बर, 1981	गैर सरकारी सदस्य कार्य (संकल्प)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा। इसके बाद मन्त्री महोदय का उत्तर होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह जो विद्युत का संकट है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी तरह से जो कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं वे दे दिये जायं। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ कर कहना चाहूंगी कि आगामी 10-15 वर्षों में हमारी विद्युत की क्या गति रहेगी, इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनना चाहिये। यह विद्युत की दिक्कत कोई आज ही समाप्त हो जाय, या इसके लिये चिन्तन न किया जाय, यह बात तो है नहीं। इसके लिए विस्तार से सोचना पड़ेगा। एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिये। आने वाले 15–20 वर्षों में कितने कंज्यूमर बढ़ेंगे, कितने कनेक्शन नये बढ़ेंगे, किस तरह से विद्युत का उत्पादन बढ़ायें, किस तरह से कनेक्शन दें ताकि वर्तमान में और आने वाले समय में उपभोक्ता को कष्ट न हो। मैं आग्रह करना चाहूंगी, पूरे राजस्थान के लिए योजना बननी चाहिये, जिलेवार बननी चाहिये, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मेरा यह भी आग्रह है कि इस समय कार्यवाहक विद्युत मंत्री और सिंचाई मंत्री आप ही हैं। हमारे जयपुर जिले में जो बाढ़ आई, बिजली के खम्भे गिरे पड़े है, तार टूटे पड़े है, उनको दो महीनों से लगाया नहीं गया है। लेकिन दुःख की बात तो यह रही है कि जो कुएं बुर गये जिनमें मिट्टी भर गई, जहां पीने को पानी नहीं है, लोगों ने बैल, चरस बेच दिये, अपने पास कोई साधन ऐसा नहीं रखा जिससे बाकी बचे कुओं से भी निकाल कर पानी पी सकें। उस बाढ़ के क्षेत्र में मैं गई, वहां खम्भे अभी तक ठीक नहीं हुए। बार बार कंट्रोल रूम तक से जब बाढ़ आई उस समय कहना शुरू किया था कि इस तरह की अवस्था है। इसका सर्वे करवायें। कहां—कहां बाढ़ के क्षेत्र में खम्भे टूटे हुए हैं। उनको ठीक करवाने की कृपा करें, ताकि लोग अपनी रही सही, बची हुई खेती में सिंचाई कर सकें। यदि यह नहीं हुआ, वैसे ही खेती सूख गई, तो मैं समझती हूं कि बाहर से धान मंगाना पड़ेगा। इससे कोई अच्छी तस्वीर हिन्दुस्तान की, राजस्थान की बनेगी नहीं। जो शस्य श्यामला धरती के देश वाले लोग हैं वे दूसरों के आगे हाथ पसारें, यह अच्छी बात नहीं लगती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस योजना के लिये कह रही हूं, उसमें दो बातें हैं। आज हमारे मजदूर बेकार हैं, धान के लिये तरस रहे हैं, कुछ नहीं है खाने को। उनके लिये जयपुर में तो राशन ही नहीं पहुंचता। जयपुर के बाहर के क्षेत्रों में जो गेहूं बांटा जाता है, लेकिन जिनका कुछ भी नहीं बचा उनके बारे में भी सोचें। वे क्या करें? कुछ काम शुरू करवाये ताकि उनको रोजगार मिले।

दूसरी तरफ कारखाने बन्द कर दिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आपने अध्यादेश लगा कर कह दिया हड़ताल नहीं करें लेकिन यह कब कहा कि काम देंगे ? आप कुछ तो सोचें, कुछ तो चिन्तन करें। दोनों तरफ से मजदूरों की बुरी हालत है। किसान परेशान हैं मजदूर परेशान है। उधर उद्योगों के मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। हड़ताल कर नहीं सकते। एक बात आपने कर दी, जो बिल्कुल गलत की है। दूसरी तरफ उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। कितने ही कारखाने वाले भी बैठे हैं। अगर उत्पादन नहीं हुआ, तो यह बात भी निश्चित है कि चीजों के दाम बढ़ेंगे। एक ओर मंहगाई बढ़ रही है खाद्यान्नों पर, उपयोगी चीजों दूसरी अन्य प्रकार की हमारे काम में आने वाली चीजों, जो उपकरण मशीनों से बनते हैं, उनके दाम बढ़ेंगे और परेशानी होगी। मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें।

एक बात और कहना चाहूंगी, हनुमानगढ़ और गंगानगर में दूसरी तरह की परेशानी है। वहां जो नहर है, उसमें पूरा पानी उनको नहीं मिल रहा। पंजाब वाले भाखरा का पानी ले जाते हैं। हमारा हरिके बांध और घग्घर डेम है, उससे पानी नहीं मिल रहा। मैं कहना चाहती हूं कि पानी यदि नहीं मिल रहा तो अगर हमने यह काम कर लिया, जो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से बरसात का पानी आता है, उसके संचय की प्रवृत्ति हमने बनाई तो हम अपने यहां बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक के अधिक उत्पादन कर सकते हैं। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस पानी की सुरक्षा के लिये कुछ करें।

इससे कई तरह के लाभ हैं। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूंगी। कोई योजना बनावे, यह मेरा आग्रह है। एक मेरी परिस्थिति है। सदन में बिजली की स्वीकृति ली गई। पास में एक कुआ था, मालपुर डूंगर में। उसने बैल गिरवी रखे और सब कुछ बेच कर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए "एल" फार्म जमा करा दिया। दो साल हो गये हैं परन्तु विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है। इस तरह के कई बेरे हैं जिनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि कुछ लोग बेईमान हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर अधिकारी ईमानदार हैं। जो बेईमान हैं, उनकी जाच कर के सजा दें। लेकिन ईमानदार अधिकारी के साथ मिल कर अच्छे अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, उनके सहयोग से विद्युत के संकट को दूर करें। यही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम सहाय।

श्री रामसहाय सोनड (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील लालसोट में बिजली का अधिक अभाव है। तहसील लालसोट में किसानों के खेत में बिजली के खम्भे दिखते हैं। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है। कितने ही किसानों ने कनेक्शन लेने के लिए सैंकड़ों की धनराशि जमा करा दी है पांच-छः साल से, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं मिले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील लालसोट के पश्चिमी क्षेत्र में जमीन में इतना पानी है कि एक-एक कुए पर दो-दो पम्प लगा दें, तो भी पानी नहीं टूटता है। इन ग्रामों में, इस इलाके में यदि बिजली लगा दी जाये, तो वहां की

(श्री रामसहाय सोनड़)

जमीन गंगानगर और पंजाब से अधिक पैदावार देने वाली है। मेरी प्रार्थना है कि बिजली के अभाव में सम्पूर्ण इलाका पिछड़ा हुआ है। इन इलाकों में सर्वे करवा कर इस साल बिजली के कनेक्शन दिए जायें। तहसील लालसोट में इस साल बाढ़ और अतिवृष्टि से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय ने मोके पर जाकर उन गरीब किसानों को सम्भाला है, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूं और भविष्य में आशा है कि वे लालसोट तहसील में बिजली लगाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और विशेषकर जालोर जिले में जो आज किसानों को विद्युत के बारे में शिकायत है, उस ओर आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारे रानीवाड़ा में आर.ई.सी. में काफी गांवों में विद्युत के कनेक्शन दिये गये और उन गांवों में एस.पी स्कीम लागू की है। इन गांवों में कनेक्शन हो रहे हैं, परन्तु आर.ई.सी. स्कीम चल रही है, वहां कनेक्शन देने पर पाबन्दी लगा दी है। उन पाबन्दियों को तुरन्त हटावें। रानीवाड़ा में 600-700 फार्म्स ए.ई.एन. आफिस में जमा है। डिमांड नोटिस का पैसा जमा है। एल. फार्म जमा हो चुके हैं। अगर सरकार उनको बिजली देने में सक्षम नहीं थी, तो सरकार को "एल" फार्म और डिमांड नोटिस के पैसे जमा नहीं करने चाहिये थे। किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं हमारे विद्युत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों की और जिले के किसानों को जो बिजली की प्राब्लम होती है, उसकी ओर ध्यान देवें। किसानों के डिमांड नोटिस का पैसा जमा है, 'एल' फार्म जमा है इसलिए जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलवाने की कृपा करें। जालोर जिला ऐसा जिला है, जहां पहले कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था उस समय जालोर जिले में राजस्थान के पचास प्रतिशत डीजल क्रूड खपत होती थी। उस हिसाब से जालोर जिले में बहुत वैरे हैं, ट्यूब वैल्स हैं परन्तु बिजली के अभाव में, बिजली के समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। किसान आज सरकार से और कुछ नहीं चाहते हैं. किसान की एकमात्र, सबसे पहले इस सरकार से यह आशा है कि वहां पर बिजली के कनेक्शन दिये जायें और बिजली पूरे समय तक मिले।

आपको मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रबी की फसल बोने का समय नजदीक आ गया है। किसान को इस वर्ष भयंकर अकाल का सामना करना है। इस साल किसान को बचाना है। देश का उत्पादन बढ़ाना है और गरीब का पेट पालना है, यह सब किसान पर निर्भर है। सरकार को चाहिए पूरे समय तक किसानों को अपने पशुधन को बचाने के लिये, बच्चों को पालने के लिए बिजली दे, क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया है। एक ड्रम डीजल की कीमत 800/- रुपये है। इतना रुपया खर्च करके वह किसान पम्पिंग सैट नहीं चला सकता है। इसलिए किसान का एकमात्र जरिया जो रहा है, वह बिजली है। आप

(श्री रतनाराम चौधरी)

उन किसानों जिनके पैसे जमा हैं डिमांड नोटिस के, एल फार्म जमा है, को तो तत्काल कनेक्शन दिलाने की कृपा करें।

हमारे राजस्थान के विद्युत मंत्री और मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश से जो समझौता कर के 1250 मेगावाट बिजली प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिये मैं क्या राजस्थान की पूरी जनता आपको धन्यवाद देती है। आपकी यह सबसे बड़ी सफलता होगी कि किसानों को जरूरत के मुताबिक बिजली दिलवाने की कृपा करें।

हमारे रानीवाड़ा में आर.ई.सी. में करीब 75 गांव है। उसमें से 55 गांव तो आर.ई.सी. से जुड़ गये है, परन्तु शेष करीब 20 गांव ऐसे है, जहां पर्याप्त मात्रा में बेरे हैं, उनको आर.ई.सी. में नहीं जोड़ा गया है। अब जो एक स्कीम लागू की है, उनको जो आदेश दिये हुए हैं, बिजली की लाइन खींच कर इन शेष बचे हुए गांवों का भी जल्दी से जल्दी जोड़ने और कनेक्शन देने का आदेश प्रदान करें।

जसवन्तपुरा पंचायत समिति हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में है। इसमें भी वही हालत है, जो रानीवाड़ा में है। इसलिये कृपा करके आप गांवों में किसानों को जरूरत मुताबिक कम से कम इस वर्ष अकाल की स्थिति में बिजली देने की व्यवस्था करावें। विद्युत मंत्रीजी, आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आप एक किसान होने के नाते किसानों की जो समस्या है वह अच्छी तरह से जानते हैं। किसान को आप पूरी तरह से उनकी खपत के अनुसार बिजली नहीं दे सकते हैं, तो आपको उनसे मिनिमम चार्जेज लेने का हक नहीं है। 160 घंटे एक महीने में बिजली दें। पर 160 घंटे जब बिजली नहीं देते हैं, तो फिर मिनिमम चार्ज लेने का अधिकार नहीं है, इसलिये उससे मिनिमम चार्ज वसूल नहीं करें। यही निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन करना यह है कि मेरे निवेदन पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान कराने की कृपा करें। बिजली की खपत राजस्थान में ही नहीं, देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर उसकी उपलब्धि ठीक से नहीं हो पायी, उत्पादन ठीक से नहीं हो पाया, तो सन्तुलन अपने आप बिगड़ जायेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा (विद्युत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वित्तीय प्रावधान प्रस्तुत किया गया है बिजली बोर्ड का, 80-81 और 81-82 का, उसके संबंध में अब तक 16 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मैं ऐसा मानता हूं बहुत से माननीय सदस्य बोलने के बाद सदन में उपस्थित नहीं है। इसलिये जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, उन सबका उत्तर देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन मोटे तौर पर बातें कही गयी हैं, बिजली की व्यवस्था के संबंध में। लोग आज कठिनाई महसूस कर रहे हैं, कि लोगों के सामने आज कई प्रकार की

(श्री परसराम मदेरणा)

दिक्कतें आ रही हैं. हरएक के संबंध में बहुत चर्चा उठी, उनके संबंध में निवेदन करूंगा।

आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं बिजली उत्पादन का मुख्य साधन है। राजस्थान की ही नहीं बल्कि केन्द्र की अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक उत्पादन व कृषि उत्पादन का यह मुख्य आधार है। बिजली की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, यह भी स्पष्ट है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि जब यह राजस्थान बना था, तो हमारा बिजली का उत्पादन, कुल जनरेशन 6 मेगावाट था, 33 के.वी लाइन भूतपूर्व रियासत बीकानेर में बीकानेर से लेकर रतनगढ़ तक थी। उसके बाद बड़ी हाई टेन्शन लाइन राजस्थान में दूसरी नहीं थी। शनैः शनै इन बिजली के स्रोतों को बढ़ाया और स्रोत बढ़ाने के बाद बिजली उत्पादन का प्रयास किया। विकास के साथ हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर आज स्थिति यह है, आज कहना चाहिए कि राजस्थान में 15 हजार गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। पिछले एक दशक के अन्दर हमने कुओं को बिजली देने का एक प्रोग्राम द्रुतगति से संचालित किया। इसका समर्थन किया है और कहा है कि नर्दन इन्डिया में एक सर्वे किया गया था सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। उन्होंने इस बात को माना है कि राजस्थान में जहां तक कुओं का प्रश्न है, एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर खास तौर से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से हुआ है जैसा कि नर्दन इण्डिया की और किसी स्टेट में नहीं हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपको जो पुस्तिका वितरित की गई है मिली है, उसमें आपने देखा होगा कि हमने अभी 10 करोड़ का प्रावधान इसके लिए रखा था। जहां 81-82 में 1100 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था, उसको बढ़ाकर हमने 1500 किया है। जहां 11 हजार कुओं को बिजली देने का लक्ष्य तय किया था अब बढ़ा करके 25 हजार रखा है ताकि एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई जाकर कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके और जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। इन सब कामों को करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं, बिजली को जैनरेट करने की आवश्यकता होगी। अभी जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या --

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर से ! जयपुर ग्रामीण से।

श्री परसराम मदेरणा : हां जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आप लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए। आने वाले वर्षों में बिजली की कितनी मांग बढ़ती चली जायेगी, बिजली की डिमाण्ड ग्रोथ कितनी होगी। इस के साथ साथ आप बिजली के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें; आपको योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य सरकार बिजली की उपलब्धि के सम्बन्ध में, बिजली के ट्रांसमिशन के संबंध में और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध

(श्री परसराम मदेरणा)

में, लोकेलिटीज में एनरजाइज करने के संबंध में जो समाज के पिछड़े हुए तबके हैं, उनको खास तौर से प्राथमिक तौर पर बिजली उपलब्ध कराई जाये, यह सब योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। अगर यह योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता, तो मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कोल और पार्वती के आंकड़े देने की बात कही जा रही है, जो एक एग्रीमेंट अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किया है, वह बिजली दो तीन साल में आने वाली है कोई अभी आने वाली नहीं है। आने वाले समय में बिजली की मांग कितनी बढ़ जायेगी उस समय को लेकर और हमने तो यहां तक सोचा है कि सन् 2000 तक बिजली की कितनी मांग होगी और उसकी सप्लाई करने के लिये आज हमको क्या कुछ कदम उठा लेने चाहिये।

बिजली के मामले में कोई आदमी छोटे नजरिये या शॉर्ट पर्सपेक्टिव में आज नहीं पड़ सकता है। क्योंकि यह परसिस्टेण्ट और कन्सिस्टेण्ट डिमाण्ड रहती हुई चली जायेगी। आज लोग कह रहे हैं जैसे बारां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब आपके पास बिजली की कमी है और आप व्यवस्था ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो आप कुओं को एनरजाइज क्यों कर रहे हैं। अभी मैं जोधपुर गया था। किसान मुझसे मिले थे। जिन्होंने अपने पैसे जमा करा रखे हैं, डिमाण्ड नोटिस के बाद में बिजली की कुछ कमी दिख रही है। जब तक यह नहीं हो जाता ट्रांसमिशन लाइन नहीं लग जाती, वोल्टेज ठीक नहीं हो जाता है, तब तक आप नहीं लें। जब यह सब है फिर भी आप बराबर मांग करते चले जा रहे हो, तो कहने लगे कि आप 2 घण्टे ही बिजली दे दो हमें 2 घण्टे ही बिजली मिल जाये, कोई बात नहीं है, बिजली का कनेक्शन तो दिलायें।

बिजली की भूख, बिजली की मांग किसान में बढ़ रही है। किसान इस बात को नहीं समझता है कि आपके 200 के.वी. का क्या ट्रांसमिशन लोड है। 68 के.वी. का क्या ट्रांसमिशन लोड है। 132 के.वी. का क्या है और 11 के.वी. का क्या और एल टी में क्या फर्क है। वह यह समझता है कि बिजली मिलनी चाहिये। वह यह नहीं समझता है कि बिजली कहां से आती है? खासतौर से हमारे जो बिजली के काम्प्लेक्स हैं, चाहे वह चम्बल काम्प्लेक्स हो, भाखरा का सिस्टम हो, चाहे हमारा एटोमिक प्लांट का सिस्टम हो, बिजली बहुत दूर से सुदूर गांवों तक 400-400 मील तक लम्बी लाइन खींचकर दे रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही है। यह स्थिति दूसरे राज्यों की नहीं है, कोई न कोई ऐसी बिजली की व्यवस्था है, ऐसा बिजली का स्रोत है जो राज्य के बीच में उपलब्ध है, यह स्थिति दूसरे राज्यों की है। हमारे यहां पर एक बहुत भारी मुश्किल यह है कि लम्बी ट्रांसमिशन लाइन खींचनी पड़ती है। उस कारण से हमारा खर्चा, केपीटल इन्वेस्टमेंट दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। राजस्थान जोगराफिकली भी बहुत बड़ा राज्य है उसके बिजली के स्रोत राज्य के बाहर या सुदूर स्थानों पर होने के कारण उसका इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि बिजली के राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा वर्षों के

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रांकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन 59 से लेकर 68 तक हमारे पास में 220 के. वी. लाइन एक किलोमीटर भी नहीं थी, 132 के. वी. लाइन एक किलोमीटर भी नहीं थी। 33 के. वी.की लाइन 1958 से शुरू हुयी है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हाई ट्रान्समिशन लाइन के ग्रलावा दूसरी जो एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन हैं, दूसरी जो एक्स्ट्रा है, उनकी वोल्टेज लाईन हैं 220 की 132 की, 66 के. वी. की ग्रौर उसके बाद में हाई ट्रांसमिशन लाइन 33 ग्रौर 11 के. वी. लाइन कुल मिलाकर ग्राज राजस्थान सर्किट में 74 हजार किलोमीटर है। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन, जिसको कि हम एल. टी. कहते हैं, 76-77 हजार किलोमीटर हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन ग्रौर डिस्ट्रिब्यूशन इन तीनों का इस प्रकार का मिलाजुला कार्यक्रम है कि जो व्यवस्था है, वह ठीक तरह से रहनी चाहिए। इसमें यदि कोई ग्रव्यवस्था रहती है, तो वह जल्दी से जल्दी व्यवस्थित की जाये। मैं ऐसा मानकर चलता हूं, कि हम कई बातों में ग्राज देखेंगे कि दूसरों पर निर्भर करते हैं। यह बात निश्चित है कि ग्राज हमारे यहां एटमिक पावर प्लान्ट है, कई जगहों पर ग्राउटरेज होते हैं। एक नई टेक्नालॉजी है। ग्रमेरिका में जहां पर ग्राज एटमिक पावर प्लान्ट सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, वहां पर भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ साल पहले, शायद मालूम है सदन के माननीय सदस्य को जो जोधपुर संभाग से ग्राने वाले हैं, जोधपुर की लोकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी मैंने उसको पढ़कर सुनाया था कि वहां पर भी बराबर ग्राउट रेजेज होते हुए चले जा रहे हैं। यह टेक्नालाजी ग्रभी डवलप नहीं हुई है जिससे उसमें कमी रह जाती है। किसी वक्त भी ग्राउट रेज हो जाता है। ग्राज हमको ग्रास पास जो बिजली ग्रवेलेबल हो रही है, वह 150 लाख यूनिट के ग्रासपास है। 150 लाख यूनिट में से हम ग्राउट लोड भी कर रहे हैं कल की स्थिति को देखते हुए, लेकिन कल की स्थिति में ग्राउट लोड कर रहे थे। ग्रार. एस. ई. बी. ग्राउटरेज होते ही, बन्द होते ही बिजली की डिमाण्ड ग्रौर सप्लाई ग्रवेलेबिलटी के ग्रन्दर बहुत बड़ा गेप खड़ा हो जाता है। उस गेप के सम्बन्ध में कभी-कभी कट्स भी करने पड़ते हैं। कट करने के ग्रन्दर एक ब्लाक के हिसाब से जो ग्राज व्यवस्था रखी है, उसमें ग्राज जो बिजली हमारे पास उपलब्ध है, उसमें तीन ब्लाक्स बना रखे हैं।

जहां तक एग्रीकल्चर में बिजली देने का प्रश्न है, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर लोड टोटल लोड की पर्सेन्टेज का करीबन तीस पर्सेन्ट के ग्रासपास है। तीस पर्सेन्ट की बढ़ोतरी भी काफी द्रुतगति से हुई है। बहुत सी जगह पर के.वी. सबिस स्टेशन, जी. एस. एस. ग्रौर दूसरी बड़ी लाइने खींचने से वोल्टेज ठीक तरह से रह सकता है, उसमें भी कुछ कमियां रह रही हैं। लेकिन यह सब देख रहे हैं ग्रौर हम ऐसा समझते हैं कि ग्राने वाले समय के ग्रन्दर जो कमियां रही हैं, उनका निश्चित तौर से हम समाधान करेंगे, निदान करेंगे।

यहां पर यह कहना इतना ही ग्रावश्यक

(श्री परसराम मदेरणा)

होगा कि बिजली के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आज जो प्रोग्राम हाथ में लिया हुआ है, उस प्रोग्राम के अन्तर्गत चाहें एस. टी.ए.का प्रोग्राम हो, चाहे वह आर.ई.सी. का प्रोग्राम हो और चाहे वह मिनिमम नीड के अन्तर्गत प्लान के अन्तर्गत लोकेलिटीज जिन्हें कहना चाहिये उनका मामला हो यह बात निश्चित है कि बहुत सी जगह अभी जो प्रोग्राम लिया गया है, उसमें कुछ ऐसे गांव और कुछ गांवों के ऐसे ऐसे कन्ज्यूमर है जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस के बाद में पैसे जमा करा दिये हैं और जमा कराने के बाद में पहले जो फेज प्रोग्राम है, प्रोग्राम के पहले जो फेज के अन्दर उन गांवों को या उन लोगों को नहीं लिया गया है। हमने तथा बोर्ड ने निश्चित तौर पर यह निर्णय लिया है कि जिन 15 हजार लोगों ने राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डिमाण्ड नोटिस के बाद में पैसे और रकम जमा करा दी है उनको हम इसी वित्तीय वर्ष में बिजली के कनेक्शन देंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि धोरीमन्ना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर कही कि राजस्थान में कुछ ही ऐसी पंचायत समितियां होंगी, जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनकी पंचायत समिति के एक ही गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह बात सही है। राजस्थान के अन्दर 196 तहसील मुख्यालय हैं। इसी प्रकार राज्य में पंचायत समितियों के मुख्यालय 232 हैं। 228 मुख्यालयों में तो बिजली चली गई है, लेकिन चार ऐसी पंचायत समितियां हैं, जिनके मुख्यालयों पर अभी तक बिजली नहीं गई है। बांसवाड़ा जिले की भूतिया पंचायत समिति है, जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति है, अध्यक्ष महोदय, जहां से आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से धोरीमन्ना से आने वाले माननीय सदस्य की पंचायत समिति रह गई है। इसी तरह एक बायतु पंचायत समिति रह गई है। ये चार पंचायत समितियां हैं। इनकी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं और मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूं, बोर्ड के अधिकारी भी यहां पर बैठे हुए हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में बाप और धोरीमन्ना को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जायगा।

उसके बाद विकास का कार्यक्रम एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा क्योंकि आर.ई.सी. की की जो योजनायें बनती हैं, वह तीन साल की कालावधि की है, एक पांच साल की कालावधि की है। उसके विस्तार और डिटेल्स की तो जानकारी नहीं है। वह स्कीम तीन साल और पांच साल में पूरी होगी। लेकिन यह बात निश्चित है, आपके यहां पर इस साल काम प्रारम्भ कर दिया गया है। जो कमी रहेगी, वह बोर्ड के अधिकारी यहां पर बैठे हुए है, वे यह देखेंगे कि जो कुछ भी मैं राज्य सरकार और बोर्ड की तरफ से बात कह रहा हूं, उस अस्योरेन्स की अनुपालना निश्चित तौर से होनी चाहिये।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता था अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं, कुछ बात हैं, कुछ आरोप भी लगाये और कुछ अन्य बातें भी कहीं। सबसे पहले तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि यहां पर जोधपुर की 132 के.वी. लाइन की बात कही भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने लेकिन उन्होंने जो

(श्री परसराम मदेरणा)

टार्गेट डेट बताई दिसम्बर, 80, वह दिसम्बर 80 नहीं है सैप्टेम्बर 83 है। अब हम इस बात की कोशिश करेंगे कि 220 के.वी. लाइन जो जोधपुर की है, वह जल्दी से जल्दी पूरी हो और वहां का वाल्टेज सिस्टम इम्प्रूव हो। उन्होंने यहां पर यह भी बात कही कि बहुत सी लाइन ओवर लोडेड थी। इसी तरह से उनके यहां पर सब स्टेशन बनना चाहिये। भीनमाल को सब स्टेशन बनाने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है और मैं ऐसा समझता हूं कि जल्दी ही उस सब स्टेशन को दिसम्बर या जनवरी में पूरा कर दिया जायगा।

इस बात के साथ ही साथ यहां पर पलाना और अनूपगढ़ के सम्बन्ध में बात कही। अनूपगढ़ के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्कीम भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। अब इसके टेण्डर मांग लिये हैं। टेण्डर लोकल होंगे और टेण्डर आने के बाद में इसका काम भी हाथ में लिया जायगा। पलाना के अंदर हमको टैक्निकल सैंक्शन तो मिल गई है लेकिन इसके साथ में, किसके साथ ? पी.डी. आर. के साथ में, कोलोबोरेशन करेंगे या इसके साथ में करेंगे। हम यह मानकर चलते हैं कि पलाना के अंदर थर्मल पावर लगाने के लिए जल्दी ही प्रयास किया जाना चाहिये। उस ओर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।

कोटा के थर्मल के सम्बन्ध में टार्गेट डेट मार्च, 82 की रखी है। दूसरी ओर बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर 15 करोड़ रुपये की डिमान्ड कर रहे हैं। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी धनराशि हमको कोटा के लिए अवेलेबल होगी, मैं समझता हूं प्रधान मन्त्रीजी आई थीं और उन्होंने राजस्थान की बिजली की मांग और अवेलेबिलिटी के बीच के गेप को देखकर इस प्रकार से हमको यह आश्वासन दिया है कि कोटा के थर्मल प्रोजक्ट को जल्दी से जल्दी कमीशन किया जाय। साथ ही फर्स्ट यूनिट यदि कमीशन नहीं होती है, तो राजस्थान के अन्दर बिजली का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

आप लोग जानते हैं, आज जो प्रातः काल के अखबार आये थे, अंग्रेजी के अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा होगा कि यू.पी. के अन्दर बहुत ही बड़ा बिजली का क्राइसिस आया हुआ है उनको बहुत बड़े कट लगाने पड़े हैं और कट ही नहीं, कई जगह वायरलेस सेट लगा करके उन्होंने बिजली के अन्दर 6 घन्टे और 7 घन्टे की बात रखी है। राजस्थान में हम काश्तकार को जो बिजली दे रहे हैं, उसको इस प्रकार से कट सप्लाई की बिजली उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। रात को 10 बजे से 5 बजे तक तमाम काश्तकारों को बिजली दी जा रही है। उसमें किसी प्रकार का शेडिंग, जिसको आप लोड शेडिंग कह रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे कि लोड शेडिंग के नाम से काफी लोग उनको परेशान कर रहे हैं। उसी तरह से यह तरीका अख्तियार कर लेगी। उसके बाद जो दिन को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक 50 फीसदी काश्तकारों को, तथा उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है, 12 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो 50 फीसदी काश्तकारों को मिल रही है।

श्री तेजपाल यादव : 4–5 घण्टे से ज्यादा नहीं मिल रही है।

श्री हंसराज शर्मा : 5 बजे तक ही दी जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात ठीक है, कई बार फ्यूज उड़ जाता है, कहीं ट्रिपिंग होता है, कहीं लोड की कमी हो जाती है। मैं यह बात निश्चित तौर से, कह रहा हूं बिल्कुल मिल रही है, कहीं न कहीं तो फाल्ट आ जाता है, यह बात ठीक है। कहीं पर फ्यूज उड जाता है, कहीं पर ट्रिपिंग होता है कहीं लोड की कमी, कहीं न कहीं फाल्ट आ ही जाता है, किसी प्रकार की कोई चीज हो, उसको हम सुधारने के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे है। जो बातें आपने कही कमी की, यह बात नहीं है कि हमारे पास बिजली की कमी है। हम 6 घण्टे की बात आपसे कहेंगे, नेशनल एवरेज 6 घण्टे का करीब-करीब आ रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मेरे बारे इस प्रकार की मान्यता है कि जब डिबेट का जवाब देने के लिये खड़े होते हैं, तो करीबन एक डेढ़ घण्टे का समय लेते हैं। आप पहले ही थके होंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हम 6 घण्टे देंगे या 8 घण्टे देंगे, हम इस बात को इनश्योर करेंगे कि निश्चित बिजली उस पीरियड के लिये, उस समय के लिये दी जाय।

श्री हंसराज शर्मा : 10 और 5 बजे का समय गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत उतावले हो रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : दुखी हूं, उतावला नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो दुखी हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ न कुछ डिबेट की मान्यतायें रखनी पड़ेंगी। जब मैं कुछ बात कह रहा हूं, तो आप सुनिये। जब आप कुछ कह रहे थे, तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जिस तरह से आपको चिंता थी, मेरे पर असर पड़ रहा था। जो कुछ मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो बाद में पूछ सकते है। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि बिजली योजनाबद्ध तरीके से चले। इस साल के बजट में प्रावधान था, उसमें भी हम करीबन एक साल में 24 करोड़ की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। टोटल छठी पंच वर्षीय योजना में 2025 करोड़ की है। उसमें 650 करोड़ रखा गया है। हम मानकर चलते हैं कि और सैक्टर में धन उपलब्ध करा सकें या नहीं, प्रावधान रख सकें या नहीं लेकिन बिजली पर 32.33 परसेंट आता है पूरे प्लान का, बिजली में हमको और बढ़ाना पड़ेगा। इस साल 24 करोड़ के आसपास बढ़ाया है आप देख सकते है कि बिजली को सरकार योजनाओं के अन्दर किन प्राथमिकताओं के अन्दर लेकर चला रही हैं।

यहां पर कुछ बातें मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। सी. आई. ए. के एजेन्ट वाल्टर यहां बोर्ड आफिस में आये और बहुत बड़े सीक्रेट कागजात और नक्शे वगैरह अधिकारियों ने दे दिये। इस तरह से बोर्ड के अधिकारी सी आई.ए. के एजेन्ट है। जैसी मुझे जानकारी मिली है, मिस्टर वाल्टर जरूर आये

(श्री परसराम मदेरणा)

थे, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सैक्रेटरी से मिले थे। उनके पास तीन और अधिकारी बैठे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई इन्फार्मेशन नहीं है, आप चीफ इंजीनियर के पास चले जाइए। चीफ इन्जीनियर ओ. एन्ड एम., जिसके पास उनको डाइरेक्ट किया हुआ था, के वहां पहुंचे नहीं। वह बोर्ड के टैक्निकल मेम्बर और दूसरे चीफ इन्जीनियर के पास गए। उन्होंने कहा, मेरे पास यह इन्फार्मेशन नहीं है, नहीं दे सकता। आप मेहरबानी करके फिर बोर्ड में जायें, बोर्ड में मानीटरिंग का डिप्टी चीफ इन्जीनियर है। आप उससे कहिये वह उनसे मिले। मानीटरिंग के डिप्टी चीफ इन्जीनियर ने कहा यहां कोई इन्फार्मेशन हम नहीं दे सकते, न हमारे पास लिट्रेचर है। न तो कोई लिट्रेचर दिया, न नक्शा दिया और न वह कोई सी. आई. ए. का एजेन्ट है। सदन में किसी को सी. आई. ए. एजेन्ट बता देना या दूसरी बात कहना अलग है। किसी माननीय सदस्य के पास यदि पुख्ता इन्फार्मेशन है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र द्रोह का कार्य कर रहा है और राष्ट्र के साथ में, हमारे देश के किसी भी हित पर कुठाराघात करने के लिये इस प्रकार के षड़यंत्र में अगर वह शामिल है, तो निश्चित तौर से राज्य सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। लेकिन छोटी सी बात को लेकर सी.आई.ए. की बात कही गई है। मिलने पर शिष्टाचार के नाते बात करनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सचिवालय में मैं बैठा था। एक अमरीका के कोरस्पोंडेंट जरनलिस्ट मेरे पास आये। फलड और फेमिन के बारे में कुछ बातें पूछीं। मैं तो उसको जरनलिस्ट मानता था। हो सकता है सी.आई.ए. का एजेंट हो? मिलने के लिए शिष्टाचार के नाते आज कोई आदमी आता है, क्योंकि उसका रंग गोरा है, इसलिये उसको बाहर निकाल दें? क्या हर गोरे रंग का आदमी सी. आई. ए. का एजेन्ट है? इस प्रकार की धारणा से काम चलने वाला नहीं है। इसलिये जो कुछ जानकारी मुझे मिली है, जो जांच की गई है, पहले भी आरोप लगा है, यह निराधार आरोप है। इस प्रकार वाइल्ड चार्जेज किसी को डिमोरेलाइज करने के लिये यहां पर नहीं लगानी चाहिये जब तक पुख्ता सबूत नहीं है। थर्ड पर्सन के खिलाफ सदन के प्रांगण में आरोप लगाते हैं, आप निश्चित-तौर से जानते हैं, सदन के प्रांगण में इम्यूनिटी है, बाहर नहीं है। माननीय सदस्यों को संविधान में इस बात की स्वतंत्रता है, वे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कहनी चाहिये। यह माननीय सदस्यों के विवेक पर मैं छोड़ता हूं।

इसी प्रकार बानसूर खंभा कांड की बात कही गई है। जो कुछ कम्पलेंट्स आई है बोर्ड के पास, बोर्ड ने जांच कराई है। इस बात के लिये बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड के सदस्य या ऊर्जा मंत्री इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेकर तो नहीं चल सकते कि हर आदमी जो नीचे की लेवल पर बैठा हुआ है, जूनियर इन्जीनियर से लेकर सुपरवाइजर तक, सब के सब ईमानदार होंगे। जो कोई बेईमान होंगे निश्चित तौर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। बोर्ड की प्रिलिमिनरी जांच कराने के बाद में जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि फलां व्यक्ति ने गड़बड़ी की है, तो पुलिस को केस दे दिया गया है और कई लोगों को सस्पेंड किया गया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ताकि इसका डेटरेंट इफेक्ट हो।

यहां पर ट्रांसमिशन लोसेज की बात कही गई। यह निश्चित बात है कि आल इन्डिया से 2 पर्सेन्ट हमारे ट्रांसमिशन लोसेज ज्यादा हैं, इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के बारे में हम यहां पर सोच रहे है।

डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने आज के वाद विवाद के अन्दर काफी बातें कही खास तौर से बहुत सी बातें तो वे हैं, जिनका उल्लेख स्टेट एन्टरप्राइजेज कमेटी, जो कि सदन की है में उल्लेख किया गया है. उसमें शायद माननीय सदस्य भी होंगे। उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही करनी है, हम कर रहे हैं। आपसे भी विचार विमर्श करेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिये। यह सौभाग्य की बात है कि आप के वक्त में जो चेयरमैन थे, वह आज राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं।

अब जो इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनमें राजस्थान का क्या स्टैंड है, क्या कानूनी स्थिति है, और उसके साथ ही साथ वह कहां पर सिचूएटेड है, कौनसा क्षेत्र है और उसमें हम कितना कर रहे हैं, हमारे क्या एग्रीमेंट्स हैं, इसको हमने देखा भी है और देखने के बाद हमने कुछ प्रयास किया है। गांधी सागर केचमेंट एरिया की बात आपने कही। यह बात सही है, कुछ केचमेंट एरिया में उन्होंने इन्टर-सेप्शन किया है। अभी भोपाल में 18 तारीख को मुख्य मंत्री और मैं गया था। वहां मुख्य मन्त्री के सामने हमने इस प्रश्न को जोर से उठाया था। उसके बाद में यह फैसला किया गया कि दोनों राज्यों के चीफ इन्जीनियर्स जाकर कौन कौन से केचमेंट एरियाज में कितना पानी रोका गया है, इस सम्बन्ध में टैक्निकल रिपोर्ट देकर इन्टर स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, उसके समक्ष रखेंगे। वहां पर वह भी सदस्य हैं और मुख्य मन्त्री भी सदस्य हैं। पहले वही चेयरमैन थे, लेकिन एक सितम्बर के बाद मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री इस बोर्ड के चेयरमैन हो गये हैं। मैं भी उसका सदस्य हूं। यह स्थिति निश्चित तौर से हमारे सामने आ गयी क्योंकि अभी तक तो सुनी सुनाई बात है। हमने इन्फार्मेशन ली है, उसके आधार पर पहले केचमेंट एरिया में जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन अब यह हो गया है कि हमारे इन्जीनियर्स दोनों तरफ के जो अधिकारी है इन्जीनियरिंग उनके साथ रहकर कैचमेंट एरिया की रिपोर्ट कन्ट्रोल बोर्ड को देंगे। उसके बाद में उस पर विचार करेगा कि आगे क्या कार्यवाही करनी है।

एल फार्म की रसीद के सम्बन्ध में मैं समझता हूं, वह नहीं दी जाती है, या दी होगी, दी जानी चाहिये। बोर्ड ऐसे आदेश निकाल देगा कि एल फार्म जो जमा कराते हैं चाहें जूनियर इंजीनियर या असिस्टेन्ट इंजीनियर के पास, तो उसकी रसीद दी जानी चाहिये, ताकि प्रायोरिटी के आधार पर बिजली का कनेक्शन दिया जा सके।

यहां पर डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने 13 हजार टन स्टील की बात कही कि फिर रिफ्यूज कर लिया। उसके साथ में किर्लोस्कर से ट्रेक्टर खरीदे गये 65 हार्स

(श्री परसराम मदेरणा)

पावर के जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बोर्ड को घाटा हुआ और साथ ही कोटा भीलवाड़ा लाइन के इन्सूलेटर्स खराब हो गये। खराब होने के बावजूद उनको दूसरे इनसूलेटर्स से रिप्लेस किया जा रहा है। इन सब की जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद में जो आपने पाइंट्स उठाये हैं, उनके तथ्य मेरे पास नहीं हैं। तथ्य इकट्ठे करके मैं इस सम्बन्ध में अपनी राय दे सकता हूं परन्तु यह निश्चित बात है कि मैं जांच कराऊंगा और जांच के जो परिणाम होंगे, उनकी निश्चित तौर से जानकारी दूंगा। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पेयजल योजनायें और ट्यूब वैल को प्राथमिकता के आधार पर बिजली का कनेक्शन दिया जाना चाहिये। बोर्ड ने इस प्रकार की प्राथमिकता देने की बात सोची है, लेकिन एक ट्यूब वैल काफी दूर है। बिजली का जो विस्तार किया जायगा वह उस हिसाब से किया जा सकता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि जहां पर ट्यूब वैल की जो रीजनल पाइप लाइन इस प्रकार ही है, जो इस योजना के अन्तर्गत है, उसमें यह योजना है। इसी प्रकार से पानी की, पेयजल की योजनाओं को कनेक्शन दिये जाने की ओर हम और भी प्रयास करेंगे। राजस्थान में जो आज की किल्लत है वह बहुत बड़ी किल्लत खड़ी हो रही है। उस किल्लत से निपटने के लिये चाहे बिजली विभाग को सक्रिय होना पड़े चाहे पी. एच. ई. डी. को, आने वाले समय में राजस्थान के सम्मुख बहुत बड़ी पानी की किल्लत खड़ी होने वाली है उस चुनौती का हम को वार फुटिंग पर सामना करना होगा। यहां पर जो वादविवाद हो रहा है, जो फेमिन पर चर्चा होगी, उस वक्त इस संबन्ध में, मैं जानकारी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा हूं जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर जो सुझाव दिये है, वह काफी महत्वपूर्ण सुझाव है। आपके सुझावों पर विचार कर बिजली की व्यवस्था में यदि कहीं पर भी कोई कमी रह गई, तो उस कमी को निश्चित तौर पर इम्प्रूव करने के प्रयास करेंगे।

यहां पर एक बात यह भी कही गई, आज वह नहीं है, जयपुर के माननीय सदस्य, बिजली के हमारे यहां पर धन्धे वगैरह नहीं बन सकते, यह बात सही है। राजस्थान के अन्दर अलग अलग जिले हैं, जहां पर प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो सीकर जिला पहले नम्बर पर है। वहां पर करीब 90 प्रतिशत लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड हैं और जयपुर दूसरे नम्बर पर आता हैं। बान्ध काफी है, उनको देखने हुए हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो कुछ किया जा सकता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि अब तो हमारे रूल्स भी अमेन्ड हो गये हैं। उनमें भी इस बात का प्रावधान रख दिया है कि प्रति वर्ष हमारे बोर्ड की रिपोर्ट आयेगी। आज हमने बजट के सम्बन्ध में चर्चा की है। वह भी आपके सामने आयेगी और प्रति वर्ष आपको इस बात का अवसर भी मिलेगा। पहले दो तीन साल तक बिजली के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा नहीं हुआ करती थी, लेकिन रूल्स जो एक सितम्बर से प्रकाशित हुए है और प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम में इस बात का प्रावधान कर दिया है कि प्रति वर्ष

Page No 182

(182)

(श्री परसराम मदेरणा)

बिजली बोर्ड की रिपोर्ट और उसके अनुदानों पर निश्चित तौर पर बहस हुआ करेगी। मैं समझता हूं जल्दी ही एक अवसर मिलेगा, उस वक्त जो समस्यायें सामने होंगी और जो कुछ हम बिजली की व्यवस्था को ठीक करने में कर सकेंगे उसकी आपको जानकारी देंगे। आज आपने जो मुद्दे उठाये हैं और सुझाव दिये हैं, उन सुझावों के सम्बन्ध में भी निश्चित-तौर पर कुछ एक्शन लेंगे। आज आप लोगों को कनेक्शन की डिफिकल्टी है और कई समस्या का अनुभव करते हैं उनका समाधान करने के अन्दर आज भी डिफिकल्टी हमारे सामने रहती है चाहे वह के.वी. लाइन की हो, चाहे स्टेशन की हो या दूसरी हो, उनको स्ट्रेन्थन करने का जो भी सिस्टम है, आने वाले समय में निश्चित तौर से मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट निश्चित तौर पर करेंगे। जब आप वापस इस सदन के अन्दर आयेंगे, तो आपको कहने के लिए यह नहीं रहेगा। आज जो कुछ भी हमारे पास उपलब्धि है, इस एवेलेबिलिटी को मुहैया कराने के अन्दर निश्चित तौर पर निगरानी रखी है। निगरानी ही नहीं, इफेक्टिव तौर से हम आज एक ब्लाक, जो हमारे यहां होता है, एक अवेलेबिलिटी के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, पूरे समय समय के अन्दर अन्दर।

एग्रीकल्चर क्रोप के बारे में भी यहां पर बात कही, उन लोगों को बिजली मिले, ताकि कृषि का उत्पादन प्रतिकूल तरह से प्रभावित नहीं हो सके। इतनी ही बात इस मौके पर अर्ज करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मैंने भाग तो नहीं लिया था, पर एक दो प्रश्नों के बारे में जानना चाहता हूं। एक शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए 10 रुपये में कनेक्शन दिया जाय, जगह-जगह पर बोर्ड लगाये हैं। ऐसे बोर्ड पर्टीक्यूलरली पाली जिले में लगाये हैं। उसके बारे में, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख तक ऐसे बोर्ड लगाने के बाद कितने लोगों को कनेक्शन दिया है? मेरी जानकारी में पाली जिले में कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। केवल बोर्ड लगाये हुए हैं, कनेक्शन नहीं दिये हैं। दूसरा आप पावर जनरेट करने के लिए यह कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी फेक्ट्रीज स्वयं पावर को जनरेट करें, उस बारे में आपका विचार चल रहा है। इस बारे में भी आप सोच रहे हैं कि वह फैक्ट्री स्वयं पावर जनरेट करे; उसके लिये आप स्वीकृति देने जा रहे हैं। तो क्या आप यह नहीं मानेंगे, कि एक आपके पेरेलल इस प्रकार की एजेन्सी क्रियेट करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह सभी टेम्परेरी फेज है कि आज पावर शार्टेज है। आप उसमें राहत चाहते हैं लेकिन भविष्य में आगे चल कर कहीं यह किसी दूसरे रास्ते पर न चला जाय इस बारे में मन्त्री महोदय का क्या सुझाव है?

श्री परसराम मदेरणा : शिड्यूल्ड कास्ट के स्माल और मार्जीनल फार्मर्स हैं। उनसे दस रुपये लेकर कनेक्शन दिये जाने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। बोर्ड के पास इसके लिये अलग धनराशि का प्रावधान रखा हुआ है। मैं पाली के विषय में तो अभी आप से नहीं कह सकता हूं। यहां पर केवल बोर्ड लगा है। बिजली नहीं मिली है जैसा कि

(श्री परसराम मदेरणा)

आप सूचना दे रहे हैं। अगर पाली के अन्दर डिमाण्ड है तो निश्चित तौर पर ऐसी केटेगरी के लोगों को बिजली जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दी जायेगी, यह मेरा आश्वासन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो 20 लाख रुपये समाज कल्याण विभाग द्वारा अलाट किया गया, वह बिजली विभाग को नहीं मिला। विभाग का यह कहना है कि यह 20 लाख रुपये की राशि, जो समाज कल्याण विभाग ने अलोट की है, उन तक नहीं पहुंची, इसकारण से हमने यह कनेक्शन नहीं दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह राशि बिजली बोर्ड के पास नहीं आने के कारण अगर आदेश नहीं दिये, तो आगे आदेश दे दिये जायेंगे। बोर्ड आगे क्लीयर आदेश दे देगा कि राशि पहुंच गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो बताया है, और मैंने जो पूछा है, उसमें विषमता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैंने इसमें जो सुझाव दिया है, गौर करने के लिये प्रस्तुत किया है। इसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं, यह दोहरा रहा हूं, मैंने यह निवेदन किया था कि 'एल' फार्म की रसीद के आदेश निकालने के बाद भी यह शिकायतें आ सकती हैं, यह सम्भावना है। इसलिये मेरा निवेदन था कि 'एल' फार्म के साथ में कुछ मिनिमम फीस 5–10 रुपये लागू कर दी जाय, ताकि एक तरह पैसे लेकर आपका आफिस बाध्य होगा इसके लिये, कि पैसे जमा कराने पर रसीद उसको देनी ही है इसमें किसी तरह की कमी रहेगी आदेश निकालने के बाद, इसलिए नहीं रहेगी कि आदेश तो आपके निकाले हुए हैं कि 'एल' फार्म जमा कराने के बाद रसीद मिल जानी चाहिए। पर उसके बाद भी ऐसा नहीं होता।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यही तो कह रहा था। आपने यही प्रश्न उठाया था कि पहले से यह व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार 'एल' फार्म की रसीद नहीं दी जाती है, या इस प्रकार का कोई है, वह नहीं दिया जाता है। तो दुबारा इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। आप कह रहे हैं कि पांच रुपये साथ के साथ जमा हों, ताकि वह रसीद मिल जाय। मैं यह समझता हूं कि काश्तकार आज तो काश्तकारों की तरफ से यह बात कह रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन के भी दस रुपये लगायें तो फिर कहेंगे कि एप्लीकेशन के दस रुपये, 'एल' फार्म के दस रुपये लेकर बिजली दी जा रही है। दूसरी कैटगरीज में बिजली दी है, उसके मुकाबले ही आज एग्रीकल्चर को बिजली दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सबसे कम चार्ज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल। माननीय सदस्य, समय समाप्त हो रहा है। अब ज्यादा लम्बी चर्चा नहीं होगी। 8 बजे समय समाप्त हो जायेगा। जितना पूछना हो, वह पूछ लें।

Page No 184

(१८४)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मन्त्रीजी, आपने हाउस में कहा था कि कुछ आरोप यहां लगाये थे। उनके बारे में आपने उत्तर नहीं दिया। इस सदन के कई फर्मों के बारे में आपने उत्तर नहीं दिया। इस सदन में कई फर्मों के बारे में और कई व्यक्तिगत लोगों के बारे में आरोप लगाये कि उन्होंने बिजली की चोरी की है, इस संबंध में कोई जांच करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस बारे में आप कोई जांच करायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हैं ढाई साल तक, आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं कि जांच करायेंगे। यह कोई जांच पूल नहीं है। यह ओम्बुड्समेन सदन है। यह हाउस है। इस समय मेरे पास जो जवाब होगा, उसकी जानकारी होगी, तो उसका उत्तर देने के लिए किसी भी मिनिस्टर, जो ट्रेजरी बेन्चेज पर हो, कोई माननीय सदस्य, बाध्य नहीं कर सकता।

आप इसलिए उतावले हो गये हैं कि इसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था। उनके स्पष्टीकरण के बाद में कोई बात होगी, तो मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। समय समाप्त हो रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह, एक मिनट में जवाब आ जाये, ऐसा सवाल पूछें।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी है और आगे लम्बे समय तक रहने वाली है। प्रोग्रेस जिस देश और राज्य में होगी, वहां बिजली प्रोग्रेस का द्योतक भी है लेकिन नान-प्रोडक्टिव इन्डस्ट्रीज के लिए बिजली है क्या उसमें विशेष कटौती करके प्रोडक्टिव इन्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए बिजली ज्यादा मुहैया कराने के लिए अलग से सोचने का विचार रखते हैं ? लग्जरी गुड्स की कोई इन्डस्ट्री है, उस पर विशेष कटौती, ज्यादा कटौती करें क्योंकि वह जरूरी नहीं है। प्रोग्रेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा अलग से बिजली दें, क्या इसका अलग से विचार रखते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी अवेलेबिलिटी और डिमाण्ड के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। कोई बड़ी आउटरेज होगी, किसी जगह पर बिजली की सप्लाई में ज्यादा गैप बढ़ गया तो उस समय निर्णय लेंगे। आपका विचार मैं जान गया।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.2 बजे बुधवार दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 31 का पत्र)

पश्चिमी रेलवे

प्रधान कार्यालय : चर्च गेट, बम्बई--20

क्रमांक : डब्ल्यू 420/5/5 (डब्ल्यू) 3 21-8-80

सेवा में,

सम्पादक जी,

हिन्दू/ग्राधुनिक राजस्थान,

पोस्ट बाक्स नं. 83,

खारी कुई, ग्रजमेर।

विषय:--ग्रजमेर (तोपदड़ा) में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

सन्दर्भ:--रेल मन्त्री को सम्बोधित ग्रापका दि. 2-7-80 का पत्र सं. ग्रा/हि वि/80/871.

प्रिय महोदय,

ग्रापके सन्दर्भाधीन पत्र में उठाये गये निम्नलिखित रिमार्क्स दिए जाते हैं:-- ग्रजमेर शहर में ग्रजमेर-दिल्ली लाइन पर 3 समपार फाटक सं. 45, 46 ग्रौर 48 है। इनमें से समपार फाटक नं. 48 तोपदड़ा की ग्रोर जाने के लिये बनाया गया है जो कि बिल्कुल ग्रावासीय है ग्रौर टेकड़ी पर स्थित है। रेल्वे लाइनों के ग्रारपार स्थल पर कोई खास वाहन यातायात नहीं है। इस पत्र के साथ नत्थी किये स्केच से भी यह देखा जा सकता है कि ग्रजमेर-दिल्ली रेल्वे लाइन ग्रजमेर से गुजरते समय एक गोल चक्कर काटती है। ग्रत: इस पर बहुत से समपारों की व्यवस्था की गयी है तथा सभी सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समपार फाटकों के ग्रलावा ग्रजमेर स्टेशन के दक्षिण में एक ऊपरी पुल भी बना हुग्रा है। जिसका नाम है मार्टिन्डल जो कि रेल्वे लाइन के दोनों ग्रोर के क्षेत्रों को भलीभांति जोड़ता है।

ये सभी समपार फाटक ग्रंतर्पाशित हैं। ये फाटक सामान्यत: सड़कों के लिये खुले रहते हैं। गाड़ियों के ग्रावागमन पर ही ये समपार फाटक बन्द रहते हैं। ग्रजमेर बाहर ग्रौर ग्रजमेर तबीजी तथा ग्रजमेर-चित्तौड़गढ़ के बीच रेल संचालन 1965 से काफी घट गया है। क्योंकि ग्रजमेर उत्तर से दिल्ली की तरफ से ग्रजमेर की दक्षिण (ग्रहमदाबाद) की ग्रोर के लिये सीधी मालगाड़ी सेवाएं ग्रजमेर स्टेशन से नहीं गुजरती हैं क्योंकि इस यातायात के लिये ग्रहमदाबाद वाली दिशा में ग्रजमेर स्टेशन से परे एक बाई पास लाइन दिल्ली तरफ से मदार तथा ग्रहमदाबाद साइड से तबीजी को जोड़ते हुए शुरू की गई है। 1978 में फिर से एक बाई पास लाइन ग्रजमेर चित्तौड़गढ़ से ग्रजमेर उत्तर या दक्षिण की ग्रोर जाने वाली सीधी मालगाड़ियों के लिये शुरू की गई है। इन बाई पास लाइनों के कारण मदार-ग्रजमेर-तबीजी लाइनों पर गाड़ी यातायात काफी घट गया है जिसके कारण ग्रजमेर क्षेत्र के इन दो समपार फाटकों पर सड़क यातायात रहने की वारदातें भी घट गई हैं।

(186)

इन समपार फाटकों का निर्माण मूलतः रेल्वे ने ही किया तथा इसके अलावा रख-रखाव भी रेल्वे द्वारा ही किया जाता है। प्रचलित नियमों के अनुसार रेल्वे द्वारा मूलतः निर्माण किए गये समपार फाटकों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुला/नीचले पुल बनाने के खर्चे को राज्य सरकार तथा रेल्वे को वहन करना होता है। इस तरह का निर्माण कार्य का कार्यक्रम तथा निर्माण राज्य सरकार द्वारा कहने पर ही किया जाता है तथा राज्य सरकार ही इन कार्यों के लिये आवश्यक प्राथमिकताएं तैयार करते हैं।

राजस्थान राज्य सरकार ने पहले पहले सन् 1962 में तोपदड़ा की ओर जाने वाले समपार फाटक नं. 48 के बदले एक-एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया था लेकिन बाद में राजस्थान राज्य सरकार ने इस कार्य को भविष्य में समपार फाटकों के बदले में ऊपरी/निचले सड़क पुल की व्यवस्था करने की सूची में निकाल दिया। जब अजमेर नगरपालिका यहां एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिये रेल्वे पर दबाव डालने लगी तथा 1971 में रेल्वे ने फिर से राजस्थान सरकार के साथ यह मसला उठाया। फिर भी, मुख्य इन्जीनियर (सड़क) राजस्थान सरकार ने सन् 1972 में यह दोहराया कि उनके पास ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है। अतः उनके द्वारा इस विषय में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिये इस समपार फाटक के बदले यदि ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की कोई जरूरत है, तो यह मसला राज्य सरकार अथवा स्थानीय नगर पालिका के साथ उठाना पड़ेगा। उनमें से एक को ऊपरी पुल के निर्माण के खर्चे को वहन करना होगा।

इस सम्बन्ध में यह बतलाया जाता है कि स्थानीय लोगों तथा नगर पालिका की आवश्यकताओं और मांगों को मद्देनजर रखते हुए रेल्वे ने पुल सं. 346, जो कि समपार फाटक 48 के सिर्फ 30 मीटर दूर स्थित है, को उप रास्ते के रूप में अच्छे मौसम के दौरान उपयोग में लाने के लिए खोल दिया है। वास्तव में समपार फाटक नं. 48 पर सड़क से पहुंचने के लिए इस पुल तक पहुंचने हेतु एक नियमित पहुंच सड़क भी है तथा सार्वजनिक वाहन इसका उपयोग एक उप रास्ते के रूप में भी कर रहे हैं। इसके अलावा रेल्वे ने एक एक विशेष प्रकरण के रूप में निकलने तथा कचहरी रोड तक पहुंचने के लिए एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था कर दी है। अतः आपसे अनुरोध है कि समपार फाटक सं. 48 के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने बाबत आप राजस्थान सरकार और स्थायी नगरपालिका से सम्पर्क स्थापित करें ताकि जब वे रेल्वे के पास ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का यह मामला उठाये तथा अपने हिस्से की खर्चे की राशि अदा करने को सहमत हों, तो रेल्वे ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर सकती है।

भवदीय
ह०/–
(के. आर. वेंकट कृष्ण,
कृते महाप्रबन्धक

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूचना)

तालिका 'क'

पिछले 4 वित्तीय वर्षों के अन्त में रहे ओवर-ड्राफ्ट से संबंधित सूचना :-

वर्ष	(आंकड़े करोड़ रुपयों मे) ओवर-ड्राफ्ट । बचत की राशि (-) (+) (मार्गोपाय अग्रिम सहित)
1977-78	(-) 14.89
1978-79	(+) 5.62
1979-80	(-) 34.10
1980-81	(-)155.27

तालिका 'ख'

प्रश्न के भाग 2 से सम्बन्धित सूचना

वर्ष	आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार अनुमानित घाटा	भारतीय रिजर्व बैंक के लेखे के अनुसार वास्तविक घाटा (-) बचत (+) (रिजर्व बैंक के साथ राज्य के खाते के अनुसार)	(आंकड़े करोड़ रुपयों में) अन्तर	
1977-78	(-) 64.73	(-) 14.89	(+)	49.84
1978-79	(-) 34.59	(+) 5.62	(+)	40.21
1979-80	(-) 38.43	(-) 34.10	(+)	4.33
1980-81	(-) 64.76	(-)155.27	(-)	90.51

(189)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची)

परिशिष्ट 1 (रुपये लाखों में)

क्र.सं.	योजनायें	1975–76		1976–77		1977–78		1978–79		1979–80		1980–81	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	कृषि एवं अन्य सेवायें	331.93	331.25	484.89	471.84	533.34	493.02	503.60	645.34	804.94	786.70	975.09	726.78
2.	सहकारिता	49.74	49.74	148.96	149.17	43.22	34.87	61.85	22.52	65.28	31.49	76.54	47.29
3.	सिंचाई एवं विद्युत	367.69	367.69	470.97	470.97	504.64	583.14	2245.00	1915.79	2241.00	2147.46	2030.00	1730.34
4.	उद्योग एवं खनन	6.08	4.00	34.23	29.83	12.97	14.84	35.45	148.42	346.97	105.68	250.51	230.34
5.	यातायात एवं संचार	293.76	293.76	16.91	16.91	112.55	97.54	224.00	212.84	190.00	156.60	201.00	180.37
6.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	156.49	137.53	203.51	200.22	289.99	246.93	368.57	336.74	394.01	391.60	551.65	389.01
7.	आर्थिक सेवाएं	—	—	0.69	0.65	0.83	0.88	1.26	0.58	1.35	1.51	1.88	1.83
8.	सामान्य सेवाएं	3.49	3.49	5.40	5.40	18.50	25.96	46.30	46.36	39.86	24.49	61.01	49.47
	महा योग	1209.18	1187.86	1365.56	1341.99	1516.04	1497.18	3486.03	3328.59	4083.41	3645.53	4147.68	3355.43

परिशिष्ट–II

वर्ष 1980-81 में आदिवासियों के उत्थान के लिये स्वीकृत नयी योजनाएं

1. आदिवासी लघु व सीमान्त काश्तकारों के पड़त सिंचाई कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा शत प्रतिशत अनुदान देकर गहरे करवाने की योजना।

2. आदिवासियों को खातेदारी भूमि के अवैध हस्तान्तरण के मामलों की छान-बीन कर सूचियां तैयार करवाकर कोर्ट में प्रार्थना-पत्र पेश करवाने हेतु एवं संरक्षण प्रदान करवाने हेतु जिलों में विशेष राजस्व इकाइयों की स्थापना व भूमिहीनों को आवंटन करवाना।

3. आदिवासियों को गैर आदिवासियों के खिलाफ दीवानी व राजस्व मुकदमों की पैरवी हेतु वकील की फीस आदि के भुगतान हेतु 250/– रुपये तक की सीमा तक सहायता का प्रावधान।

4. आदिवासी क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति के 2 आदिवासी बालक, बालिकाओं हेतु मेधावी छात्रवृत्ति की स्वीकृति।

5. छात्राओं की उपस्थिति के लिये 5/– मासिक उपस्थिति प्रोत्साहन।

6. विकलांग आदिवासियों को कृत्रिम अंग लगवाने हेतु चिकित्सालय तक जाने एवं परिचारक के आने जाने का पूरा व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता से दिये जाने की योजना।

7. आदिवासी प्रशिक्षणार्थियों को 150/–रुपये कारीगरी औजार हेतु प्रशिक्षण के पश्चात् दिये जाने का प्रावधान।

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जयपुर नगर के रूट संख्या 9 व 10 पर चलने वाली सिटी बसेज

41. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में रूट नं० 9 एवं 10 की बसेज उनके गन्तव्य स्थान की बजाय सचिवालय एवं अन्य स्थानों को तथा कई बसें किन्हीं शिक्षण संस्थाओं के निमित प्रात: एवं सायं लगा दी जाती हैं जिनके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को घंटों प्रतीक्षा में खड़ा रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार सचिवालय, ए. जी. ऑफिस आदि जाने वाली बसों की व्यवस्था हेतु दो अतिरिक्त बसेज लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि प्रस्थान स्थल पर अनेकों बार बसेज विलम्ब से पहुंचती हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में शहर के मध्य भाग से होकर 2 अतिरिक्त वाहनें महालेखाकार कार्यालय व सचिवालय होते हुए ज्योति नगर तक संचालित की जा रही हैं।

(3) जी नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ वाहनों को यांत्रिक खराबी के कारण तथा मार्गों पर यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण प्रस्थान स्थल पर पहुंचने में विलम्ब हो जाता है।

रेवदर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी दूर करना

42. **श्री छोगाराम बकोलिया** (रेवदर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या रेवदर माध्यमिक विद्यालय जिला सिरोही में विज्ञान विषय पिछले वर्ष खोल दिया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या विज्ञान, गणित व भौतिक शास्त्र के लिये वरिष्ठ अध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान वर्ग खोलने पर रसायन विज्ञान, गणित व भौतिक शास्त्र के लिये वरिष्ठ अध्यापक के पद सृजित नहीं किये जाते हैं। अतः इनकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मोतीराम कमीशन की सिफारिशें

43. **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मोतीराम कमीशन की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है ?

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि मोतीराम कमीशन की सिफारिशों से भाखड़ा, राजस्थान नहर, गंगनहर सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में सिंचन सघनता समान रूप से 80% कर दी जायेगी ?

(3) क्या मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट पर अमल शुरू कर दिया गया है ? इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा ?

(4) भाखरा की अमर सिंह ब्रांच एवं जसाना सिस्टम पर मोतीराम कमीशन की सिफारिशों की क्रियान्विति पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) गंग व भाखड़ा परियोजना हेतु सिंचाई सघनता 80 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी । राजस्थान नहर की सिंचाई सघनता 110 प्रतिशत है ।

(3) गंग कैनाल तथा भाखड़ा प्रोजेक्ट के बहुत सारे क्षेत्र में सिंचाई की सघनता 80% या उससे भी अधिक है । भाखरा के कुछ क्षेत्र में सिंचाई की सघनता अभी भी 65% के लगभग है । इस क्षेत्र में सिंचाई की सघनता बढ़ाने के लिए भाखरा क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना बना ली गई है । उपरोक्त योजना केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है । कार्य योजना की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात हाथ में लिया जा सकेगा ।

(4) अमरसिंह व जसाना सिस्टम पर मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई क्षमता 80 प्रतिशत करने हेतु लगभग 606.00 लाख रु. की धनराशि व्यय होने की संभावना है ।

हनुमानगढ़ सहकारी मिल

44. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

हनुमानगढ़ की सहकारी मिल का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा और उत्पादन कब तक चालू हो जावेगा ?

उत्तर

गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि, हनुमानगढ़ जंक्शन का भवन निर्माण कार्य दिनांक 31-12-81 तक पूर्ण होने की संभावना है तथा परीक्षण उत्पादन जनवरी, 1982 एवं व्यापारिक उत्पादन जून, 1982 तक शुरू होने की आशा है ।

बहरोड़ से नारनौल सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

45. श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ से नारनोल सड़क निर्माण में काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो किन किन की ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(193)

(श्री सुजानसिंह यादव)

(3) उक्त मुआवजा अब कब तक प्रदान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि के काश्तकारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) व (3) काश्तकारों की अवाप्त भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर ने चैक नं. 124257 दिनांक 28-3-68 तादादी रुपये 15166.80 उनके पत्र क्रमांक 325 दिनांक 20-4-68 द्वारा जिलाधीश कार्यालय में भेज दिया था व जिलाधीश अलवर ने उक्त चैक को संबंधित काश्तकारान को भुगतान करने हेतु दिनांक 29-4-68 को तहसीलदार बहरोड़ को भेज दिया था।

क्रमांक	गांव का नाम	काश्तकार का नाम
1	2	3
1	मकराना कलां	मोटली बेवा तोताराम अहीर
2	,,	जय दयाल वल्द जाधा वल्द ताथा अहीर
3	,,	मातादीन पुत्र निना अहीर
4	,,	सोमदत्त बनवारी पि. बला
	,,	काशीराम पुत्र बीरबल ब्राह्मण
5	,,	जगदीश वल्द खेमा नन्दा
6	,,	सोहन बनवारी पि. बदली
7	,,	चुना वल्द जोरा अहीर
8	,,	पूसा पि. रिछपाल अहीर
9	,,	जयदयाल वल्द धर्मचन्द अहीर
	मकराना खुर्द	
10	,,	रामवतर सोमदत्त पि. लालजी पूसा बृज हटला
11	,,	जयपाल पुत्र धर्मचन्द अहीर
12	,,	जौहरी श्याम छाजू सरदारा कोम जोगी
13	,,	काना पि. श्रीराम नोपा अहीर
14	,,	दयाकिशन वल्द गोपाल अहीर
15	,,	मु. चमेली बाई साहेब खतेदार
16	,,	हरिसिंह वल्द भला प्रभु खुशीराम महेशचन्द अहीर

1	2	3
17	महराना खुर्द	त्रिखीवल्द हटलाल मीठाराम नारायण अहीर
18	,,	ओमकर वल्द हालोराम
19	,,	पूसा वल्द रिछपाल अहीर
20	,,	चन्दा ओकर पि. हेता अहीर
21	,,	सुआ भूप रामदा कुन्दन मेहरा मातादीन नथू अहीर
22	,,	श्याम सुन्दर वल्द रामदयाल फूलचन्द वल्द विसाला अहीर
23	,,	जयपदयाल पुत्र नानगा वल्द मोहन हस्ती बेवा रामदयाल
24	,,	जयदयाल पुत्र बानो घीसा हरिसिंह पुत्र घासी
25	,,	बख्तावर गिरधारी दयाल पन्ना पुत्र मामराज अहीर
	मातपुरा	
26	,,	श्योनारायण वल्द नानगा अहीर
27	,,	वात्या पुत्र करण अहीर
	बिभोर	
28	,,	मु. चावली बेवा मु. नाथ वल्द खाली हरनारायण हसा मोधे सुखपाल पि. जिवुखा गूजर
29	,,	हजारी बनवारीलाल रामचन्द्र रामोवतर पि छजू ब्राह्मण
30	विभोर	लादू पुत्र रामसुखा शंकर पुत्र भगत हेतराम पुत्र शामोलाल गूजर
31	,,	सरदारा पुत्र श्योनारायण हेतराम दयाकिशन पि. श्यालाल गूजर
32	,,	सूरजा पुत्र गंगासहाय गूजर
	गोयलाबास	
33	,,	लादू हन्दर ब. हि. तोता अहीर
34	,,	तुला अहीर
35	,,	नानगा वल्द भूरु अहीर
36	,,	गेडा ठाकुरसिंह पि. भीबा अहीर जयनारायण वल्द गोपाल

Page No 194

(195)

1	2	3
37	गढ़ला वास	पीरतया वल्द घीसा सालगा वल्द घीसा अहीर
38	,,	ओमुख श्योजा पि, लालन अहीर
39	,,	होरा अहीर
40	,,	मिरचा इत्यादि अहीर
41	,,	नाहर पुत्र रामू खातेदार
42	,,	रामदेव इत्यादि
43	,,	जीमुख पुत्र जालम अहीर
	बीजोगवास	
44	,,	तोता जवीर लछमन अहीर
45	,,	तारा वल्द लछमण सुन्डा वल्द लछमण अहीर
46	,,	ओकार पुत्र गुगडा अहीर
47	,,	गोगड पुत्र लाला अहीर
48	,,	डब्बू सुरजासिह
49	,,	सुखा नवीरा लछमन अहीर
50	,,	भूला नवीरा लछमन डब्बू सुरजसिह पि. पलटा सुन्डा पुत्र लच्छा अहीर
51	,,	बलबीरसिह पि. मु. हंसराज अहीर
52	,,	श्योनारायण भदराम पि. घन्सी अहीर मामराज वल्द हेतराम हरकरन वल्द देबा अहीर
53	,,	रामजीलाल पि. नानगा नारायण वल्द लछमन अहीर
54	,,	देसराज पि. भूधर अहीर
55	,,	उमरा पुत्र दुर्जन अहीर
56	,,	मोजी वल्द भुरू रामजीलाल पि. नानगा अहीर
57	,,	जगता वल्द परसा अहीर
58	,,	चन्द्र पुत्र रामस्वरूप बलबीर पुत्र मांगी सहाय
59	,,	जुगला पुत्र परसा उमराव पुत्र दुर्जन मदीया पुत्र मुकन्दा अहीर
60	,,	उमराव पुत्र दुर्जन जुगत्या पुत्र परसा हरीया जो सुंदा पि. आलम अहीर

1	2	3
61	बीगोरा बास	लछमन वल्द नेतराम सोराम वल्द घड़सी बलवीर पि. हेमराज तेजी वल्द पुरू नारायण वल्द लछमन रामजीलाल पि. नजमा अहीर
62	,,	भरतिया पुत्र मुकन्दा अमराव पुत्र दुर्जन अहीर
63	,,	चन्द्र वल्द रामशरण अहीर नारायण पुत्र लछमन रामजीलाल पि. नानगा रिछपाल वल्द नेतराम श्योराम
64	,,	घड़सी बलवीर पि. हेमराज हरकरण पुत्र देवा पूसा वल्द चिरंजी भगबत वल्द चूनया सोहन वल्द नानग अहीर
65	,,	नारायण वल्द लछमन मोजी वल्द पुरु अहीर
66	,,	ओमकार पुत्र सुगड़ा अहीर
	सागलो	
67	,,	रेवता पुत्र ओंकार कंवर सेन पुत्र दुलीचन्द अहीर
68	,,	कालू पुत्र ओंकार अहीर
69	,,	चूनया पुत्र मान्या पूरन पुत्र जोरा अहीर
70	,,	जयनारायण सुरजा पिता कान्हा अहीर
71	,,	पन्ना पुत्र रामनारायण रामदेवा घीमा अहीर
72	,,	कुन्दन पुत्र किशन सहाय अहीर
73	,,	दुल्या पुत्र जेठू अहीर
74	,,	नेतराम गोपीचन्द रामसूरज विश्वंभर बलवीर पिता वेल्या अहीर
75	सागली	सूरजभान रामचन्द पि. गणेश्या अहीर
76	,,	प्रहलाद बिशन सहाय जयपुनारायण सूरजा पि. काना अहीर
77	,,	प्रहलाद पुत्र ओंकार अहीर
78	,,	मोडा पुत्र फूसा अहीर
79	,,	कुन्दन पुत्र किशना अहीर
80	,,	रामदेव पुत्र काना कन्हीराम पुत्र गोविन्द अहीर

(197)

1	2	3
81	सागली	छोटोलाल मूलचन्द पिता पूसा अहीर
82	,,	भीखा पुत्र लछीराम अहीर
83	,,	घीसा पुत्र सेवा अहीर
84	,,	सागा पुत्र पुरखा अहीर
85	,,	हलसा वल्द नाथा अहीर
86	,,	माता इत्यादि
87	,,	श्रीया पुत्र दोला अहीर
88	,,	बनवारी इत्यादि
	तारापुर	
89	,,	हरजारी मुखिया परसादी महादेव पि. मातादी अहीर
90	,,	चुन्ना मगला पि. गोपाल अहीर
91	,,	श्योनारायण पुत्र तुला अहीर
	तारेडा कला	
92	,,	परभाती पुत्र रूपराम अहीर
93	,,	केदारनाथ भागोर पिता ओंकार सातलखेड़ी
94	,,	सत्यनारायण दतक पुत्र हरवान सादेह छोटेलाल पुत्र शिवलाल रामकंवर वल्द महादेव सोमदत पुत्र गेन्दालाल बं.
95	,,	कुशल पुत्र ठाकुरसिंह
96	,,	बंकी पुत्र हरि विलास ओम ब्राह्मण
97	,,	शिव सहाय पुत्र गोपाल लाल
98	,,	घड़स्या किराता महीसिंह पुत्र अवतार अहीर
99	,,	बुद्धा पुत्र बन्दा
100	,,	महादेव पुत्र कन्हैया ब्राह्मण
101	,,	गोकल प्रसाद पुत्र सोवतराम ब्राह्मण
102	,,	जगदीश चन्द पुत्र राका राम ब्रा.
103	,,	जगदीश चन्द पुत्र सेवगराम ब्रा.
104	,,	गोकल पुत्र सेवाराम ब्रा.
105	,,	बनवारी पि. लक्ष्मीनारायण बीहारी हरिनारायण पि. मुखा
106	,,	बीसता वल्द लालराम अहीर
107	,,	महादेव वल्द जुगल ब्रा.

1	2	3
108	तोरेडा कलां	बन्सीधर वल्द लक्ष्मीनारायण ब्रा.
109	,,	नानगा पुत्र सालगा अहीर
110	,,	विशनी वेवा गोविन्दराम ब्रा.
111	,,	जगदीश प्रसाद पुत्र मोहराम ब्रा.
112	,,	रामस्वरूप पुत्र विशेश्वर दयाल
	मंवडो	
113	,,	जवाहर सुरजभान पि. खुबराम प्रहलाद दिलीप पि. गणपत अहीर
114	,,	सावत वल्द नाथां अहीर
115	,,	भगवान ओंकार पि. दत्ता अहीर
116	,,	गोविन्दा वल्द बन्शी पि. रेखा अहीर
117	,,	मंगल ख्याली पि. सोहन मामराज पि. ईसरे
	बहरोड़	
118	,,	रामस्वरूप पुत्र मोहत अहीर
119	,,	रामस्वरूप रामप्रताप गोपाल लक्ष्मीनारायण पि. मोहन शम्भू वितया वल्द पि. तुमाराम रामअवतार पुत्र गोविन्दा अहीर
120	,,	नारायण पुत्र नन्दा अहीर
121	,,	बूना पुत्र नाथा अहीर
	बहरोड़	
122	,,	लालसिंह प्रभातीराम जो लाल विशमवर पि. गोपाल अहीर
123	,,	श्योचन्द पुत्र नाथा अहीर
124	,,	भूपाल बनवारी पि. सालगा अहीर
125	,,	राम कंवर सूरजभान बिहारी लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीलाल अहीर पुत्र मोहसिंह भूप पुत्र सालु
126	,,	मुन्ना पुत्र महासिंह भूप पुत्र सासा अहीर
127	,,	नन्दा पुत्र ओंकार अहीर

Page No 198

(१९९)

1	2	3
128	बहरोड	राम प्रताप पुत्र प्रभाती अहीर
129	,,	विशम्भर राम रामलाल पुत्र मंगला राम सन्तरा बेवा शम्भू अहीर
130	,,	रामकंवार राम निवास पि पन्ना अहीर
131	,,	प्रभूदयाल पुत्र मेहर अहीर
132	मारोडा	परभाती पुत्र सालगराम अहीर
133	,,	रूडा पुत्र दीपा अहीर
134	,,	रामपाल पुत्र भगवान अहीर
135	,,	नत्थूराम पुत्र गोपाल ओंकार सूरजमल राम स्वरूप मोहन भूपसिंह पी मोडा अहीर
136	,,	ब्रह्म प्रकाश महेन्द्र विजयसिंह पि. अभीलाल अहीर
137	,,	मोहन पुत्र नाथूराम ब्राह्मण
138	,,	रघुवीर पुत्र श्रीराम अहीर
139	,,	हरिसिंह रणजितसिंह भीमसिंह अमर सिंह पि. माता दी अहीर
140	,,	शिवदयाल पुत्र बिहारीलाल ब्राह्मण
141	,,	भैरूलाल पुत्र रामचन्द प्रभूदयाल गंगादीन पि रामदेव ब्राह्मण
142	,,	नथूराम पुत्र गोपाल अहीर
143	,,	सूसन रामकवार पि. गोपाल अहीर
144	,,	चिरंजी पुत्र कैलाश चमार रामदेव गोपाल धानका
145	,,	रामकंवार पुत्र गोपा अहीर
146	,,	चिरंजी पुत्र केला
147	,,	रामदेव पुत्र सुखा धानका
148	,,	प्रहलाद पुत्र मातादीन अहीर
149	,,	मू चन्द पुत्र माना चमार

नाथद्वारा में बस स्टेण्ड हेतु भूमि का अधिग्रहण

46. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा बस स्टेण्ड निर्माण हेतु राज्य सरकार ने 90 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बस स्टेण्ड निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण में विभाग की तरफ से विलम्ब हो रहा है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्तावित भूमि का अविलम्ब अधिग्रहण हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु निगम की ओर से कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

(3) उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश हो चुका है। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जोधपुर, पाली एवं अजमेर में सिंचाई विभाग के बांध

47. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर, पाली व अजमेर जिले में सिंचाई विभाग के तहत कुल कितने बांध हैं और प्रत्येक की क्षमता क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने बांधों में 31 अगस्त, 1981 तक कितना-कितना पानी आया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

जोधपुर, अजमेर व पाली जिलों में सिंचाई विभाग के अधीन बांधों की सूची

क्र.सं.	टैंक का नाम	भराव क्षमता एम. सी. एफ. टी.	31 अगस्त, 1981 तक उपयोगी भराव एम. सी. एफ. टी.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	जसवन्त सागर	1428	138.35	
2	बिराई बांध	98.14	—	
3	नेवरा बांध	1.403	—	

(209)

1	2	3	4	5
4	कास्ती बांध	6.295	—	
5	डावरा बांध	3.510	—	
6	नादीया कधा	0.10	—	
7	घटियाला बांध	28.94	—	
8	डरदानी बांध	4.257	—	
9	लवेरा कलां बांध	0.8418	—	
10	भादलिया बांध	15.88	—	
11	पीपाड़ सिटी टैंक	6.94	—	
12	सांडपाली बांध	14.656	—	
13	बोरुन्दा बांध	6.21	—	
14	बेनन गांव बांध	6.378	—	
15	ताम्बरिया बांध	4.40	—	
16	बाला बांध	12.85	—	
17	सुरपुरा बांध	764.67	—	
18	नाहर सागर बांध	--	—	
19	पोपावास बांध	5.25	—	
20	केरू बांध	11.52	—	
21	सालोरी बांध	17.00	—	
22	गुलजोर बांध	35.00	—	
23	लोरडिया खडीन	4.47	—	
24	कान्जी की सीड़ खडीन	2.95	—	
25	नाइयों वाला खडीन शेखसर	2.456	—	
26	बाप खडीन	3.00	—	
27	भदरवा खडीन	3.40	—	
28	रानेरी खडीन	4.70	—	
29	लोरडिया खडीन	0.887	—	
30	शखासर खडीन	2.504	—	
31	ढाढनिया बांध	3.36	—	
		जिला अजमेर		
1	बिजोलाव, नरवार	15.90	4.80 (27-8-81 तक)	

1	2	3	4	5
2	उटडा प्रोजेक्ट	100.00	30.34	27-8-81 को मोरी खोल दी गई।
3	पुल सागर कायड	151.48	23.51	
4	माकडवाली टैंक	19.70	0.18	
5	चोरसीयावास टैंक	7.80	3.54	
6	घूघरा टैंक	12.00	2.07	
7	फूलसागर गवाड़ी	201.75	4.53 (26-8-81 तक)	26-8-81 को मोरी खोली गई
8	मोहमी टैंक	12.45	4.86	
9	राम सागर नारेली	20.32	3.76	
10	बड़लिडा टैंक	23.47	7.95	
11	श्रीनगर	276.10	160.00	
12	बालासागर फारकिया	131. 5	66.62 (29-8-81 तक)	29-8-81 को मोरी खोली गई।
13	हाथी भाटा फारकिया	271.30	—	-
14	बरवाला टैंक ,,	71.70	11.71	,,
15	नया तालाब जिलावडा	288.20	110.78	
16	रानीसागर जिलावडा	56.0	--	
17	फूलसागर बीर	117.12	24.89 (27-8-81 तक)	27-8-81 को मोरी खोली गई।
18	तिलोरा बांध	72.17	62.18	
19	पम्बा प्रोजेक्ट	9.54	5.36	
20	खानपुरा टैंक	39.65	15.94	
21	राजोशी टैंक	26.42	12.84	
22	कानपुरा टैंक	87.10	19.65 (27-8-81 तक)	,,
23	भीम सागर तिहारी	60.59	28.44 (26-8-81 तक)	26-8-81 को मोरी खोली गई।

1	2	3	4	5
24	बलवन्तोया टैंक (बलवन्ता)	197.00	--	
25	राजगढ़	19.70	0.03	
26	गणेश सागर कटसूरा	22.97	10 82	28-8-81 को मोरी खोल दी गई।
27	किशन सागर मागुन्डा	63.58	52.12	
28	सुरक्षेली सागर अराई	51.00	45.17	26-8-81 को मोरी खोली गई।
29	सुख सागर सिरोज	50.49	6.06	,,
30	जवाहर सागर सिरोज	55.00	48.86	27-8-81 को मोरी खोली गई।
31	भवानी सागर कटसूरा	40.10	24.25	,,
32	कोडिया सागर अराई	100.00	65.01	26-8-81 को मोरी खोली गई।
33	थान सागर डाडिया	46.90	5.63	27-8-81 को मोरी खोली गई।
34	विजय सागर लाम्बा	56.00	36.50	25-8-81 को मोरी खोली गई।
35	सेडा सागर सेडा	8.00	0.57	27-8-81 को मोरी खोली गई।
36	मदन सागर आकोडिया	32.60	11.64	29-8-81 को मोरी खोली गई।
37	विजय सागर आकोडिया	55.00	14.87	28-8-81 को मोरी खोली गई।
38	नारायण सागर डसूक	19.38	17.56	
39	केरिया सागर केरिया	11.30	2.16	26-8-81 को मोरी खोली गई।
40	नया तालाब किरोटा	43.69	25.53	
41	बाला सागर बालापुरा	70.50	63.14	
42	गोडावास प्रोजेक्ट	61.41	7.87	
43	हनुमान सागर रलावता	6.00	0.48	
44	तिलोनिया	12.00	7.73	27-8-81 को मोरी खोली गई।
45	जुगली सागर मन्डोती	9.33	—	

1	2	3	4	5
46	राम सागर रामपुरा	25.29	28.91	27–8–81 को मोरी खोली गई।
47	खातोलाई बान्दर सिन्दरी	21.15	11.89	28–8–81 को मोरी खोली गई।
48	धोबी घाटा बान्दर सिंदरी	16.96	--	
49	राम सरोवर बांदर सिंदरी	28.43	16.21	27–8–81 को मोरी खोली गई।
50	चांगोलाई टैंक गणेशपुरा	23.10	--	29–8–81 को मोरी खोली गई।
51	उम्मेदसागर नोरिया	28.77	19.69	29–8–81 को मोरी खोली गई।
52	रणसमन्द नया गांव	41.18	11.81	27–8–81 को मोरी खोली गई।
53	लाम्बासागर सरगांव	26.44	12.92	,,
54	जयसागर डीडवारा	27.12	18.83	,,
55	करनीसागर कवानिया	7.00	4.84	26–8–81 को मोरी खोली गई।
56	मदनसागर डीडवारा	59.16	49.29	28–8–81 को मोरी खोली गई।
57	करनीसागर रारी	9.00	3.51	25–8–81 को मोरी खोली गई।
58	परवतसागर सरगांव	9.57	5.06	27–8–81 को मोरी खोली गई।
59	जल धम्ब टैंक	5.71	0.86	
60	जोडलासागर कावरिया	78.50	23.07	,,
61	नया तालाब बरना	32.96	16.70	26–8–81 को मोरी खोली गई।
62	हनुमानसागर बरना	28.80	12.39	26–8–81 को मोरी खोली गई।
63	गोरधनसागर बरना	21.37	7.91	28–8–81 को मोरी खोली गई।
64	दाईजी का नाडा बरना	--	--	--
65	रायसागर टिकाउडा	9.80	2.69	,,
66	भरसागर बालापुरा	--	--	

(205)

1	2	3	4	5
67	फूलसागर भतानीखेड़ा	14.50	—	
68	जगपुरा तालाब	21.08	3.22	26-8-81 को मोरी खोली गई
69	घाट टैंक	57.75	13.02	27-8-81 को मोरी खोली गई
70	बृजानिया टैंक	15.00	—	
71	वरवाला टैंक बायपुरी	8.50	0.05	
72	गांव तालाब बायपुरी	7.50	—	
73	बुद्धसागर बायपुरी	50.00	—	
74	रसूलपुरा तालाब	10.00	—	
75	बड़ातालाब भड़वाला	25.00	1.81	
76	छोटा तालाब भड़वाला	15.00	—	
77	शिवसागर न्यारा	157.00	60.12	26-8-81 को मोरी खोली गई
78	रामबारी तालाब	55.20	22.81	29-8-81 को मोरी खोली गई
79	डण्डतालाब रामसर	265.30	77.72	27-8-81 को मोरी खोली गई
80	डण्डतालाब सम्प्रोदा	150.70	47.68	26-8-81 को मोरी खोली गई
81	सुरजपुरा तालाब	73.79	31.90	27-8-81 को मोरी खोली गई
82	खीर समन्द तालाब	132.00	24.40	27-8-81 को मोरी खोली गई
83	बड़ातालाब रामसर	508.70	22.82	,,
84	सनोद टैंक	15.80	5.17	26-8-81 को मोरी खोली गई
85	रताखेड़ा टैंक	109.82	—	
86	शिवसागर लोहनाडा	43.66	—	
87	भवामिया टैंक	44.30	15.61	,,
88	लक्ष्मीपुरा टैंक	107.40	10.77	,,
89	केसपुरा टैंक	163.50	17.18	,,
90	कल्याणीपुरा तालाब	92.10	12.95	,,

1	2	3	4	5
91	परमानन्द सागर जसवन्तपुरा	7.25	--	
92	लाडेलाव हनुवन्तीया	30.69	6.04	27.8.81 को मोरी खोली गई
93	रामसागर कुमारिया	32.90	4.05	28.8.81 को मोरी खोली गई
94	मूडिया तालाब अमरगढ़	15.10	--	26.8.81 को मोरी खोली गई
95	रुपासागर रुपपुरा	5.01	0.03	,,
96	अरयेता गरवान्दनाडा	13.00	0.07	27.8.81 को मोरी खोली गई
97	बरखाली टैंक सुरजपुरा	11.20	2.53	28.8.81 को मोरी खोली गई
98	शैलसागर क्रियाप	48.60	2.87	—
99	बड़ा तालाब खेदरिया	7.22	--	
100	बड़ा तालाब बन्दवाड़ा	18.10	2.82	28.8.81 को मोरी खोली गई
101	सूरतसागर बन्दवाडा	10.00	0.43	,,
102	बड़ा तालाब छिपीया	5.10	0.03	27.8.81 को मोरी खोली गई
103	बडा तालाब पडगा	8.10	0.14	,,
104	कैलासागर धातौल	9.60	--	
105	उम्मेदसागर सरगांव	18.00	4.50	21.8.81 को मोरी खोली गई
106	रणजीत सागर कैरोट	15.00	1.98	22.8.81 को मोरी खोली गई
107	दूडिया तालाब रानांकोट	10.00	2.19	26-8-81 को मोरी खोली गई
108	विलभेड़ा तालाब	8.50	—	,,
109	बड़ा तालब मयानिया	10.10	8.43	27-8-81 को मोरी खोली गई
110	मूडिया तालाब सियाबल	15.00	—	,,
111	करणीसागर डिनालिया	22.80	1.35	,,
112	नया तालाब तियावत	10.0	—	,,
113	चावन्डसा गरवचावडिया (भिनाय)	7.5	4.57	,,

(207)

1	2	3	4	5
114	सातोल टैंक एकलसिंगा	16.33	—	27-8-81 को मोरी खोली गई
115	नयातालाब एकेलसिंगा	16.0	—	
116	मोहब्बतया गरदेवलिया कलां	6.40	—	
117	देवसागर बड़सी	105.0	—	
118	देसासागर भगवनिया	7.0	—	
119	पंचा पनिया देवलिया कलां	20.0	—	
120	विजयसागर रामालिया	11.25	—	
121	भैरसागर रामलिया	5.30	—	
122	बलवन्तसागर कृष्णपुरा	8.10	—	
123	श्यामसागर रघुनाथगढ़	8.60	—	
124	रानीसागर गुजरवाड़ा	24.70	—	
125	श्यामसागर	10.30	—	
126	कालातालाब केरिया	6.00	—	
127	पोवनिया तालाब केरिया	19.50	8.97	22-8-81 को मोरी खोली गई
128	दन्ना तालाब बड़ला	20.00	2.12	
129	बड़ा तालाब सानीखेड़ा	7.0	—	
130	काना तालाब रघुनाथपुरा	7.0	—	
131	नयातालाब रघुनाथपुरा	10.0	6.02	
132	बाकड़ा तालाब बड़गांव	24.75	—	
133	बालासागर नागेलाव	9.50	—	
134	लाडकिया तालाब नागेलाव	8.44	—	
135	बड़ातालाब पीपलिया	9.83	—	
136	सादुलसागर खायेड़ा	10.50	—	
137	करनीसागर खायेड़ा	7.60	—	
138	देवसागर नागेलाव	5.20	—	
139	बड़ातालाब बिलिया	7.50	0.09	
140	नयातालाब कनाई कलां	5.00	0.10	
141	बड़ातालाब निमेला	12.0	—	
142	सादूलसागर पालुडिया	7.25	—	
143	बड़ातालाब पालुडिया	16.00	8.83	
144	शिवसागर पापानेरी	22.54	0.04	
145	बड़ातालाब पापानेरी	5.71	—	
146	इन्डतालाब पापानेरी	12.50	—	

1	2	3	4	5
147	गोपालसागर मुडियाखेड़ा	16.50	1.64	
148	देवासागर जैतपुरा	15.20	—	
149	देवासागर कावरिया	6.30	—	
150	किसनसागर जैतपुरा	19.30	0.07	
151	मोतीसागर केरोट	35.00	—	
152	नयातालाब केरोट	30.13	—	
153	सूरजसागर भिनाय	22.40	2.15	23-8-81 को मोरी खोली गई
154	सेमधा तालाब केरोट	21.70	—	
155	वलवन्त सागर सांवटी	28.50	—	
156	रघुनाथसागर बडला खेडा	10.89	4.58	
157	अस्टेसागर बनराई	14.00	0.28	
158	मानसागर नानती	16.90	1.43	
159	रणजीतसागर नानती	25.50	1.22	
160	गोविन्द सागर मुरथल	24.75	—	
161	वड़ातालाब गुढ़ा खुर्द	8.9	8.09	
162	विजयसागर खेडी	10.15	—	
163	बड़ा तालाब नेलाडा	11.50	—	
164	लापता टैंक बन्धली	22.00	0.85	30.8.81 को मोरी खोली गई।
165	नयातालाब बागेश	32.00	16.01	28.8.81 को मोरी खोली गई।
166	रामसागर रामसिंहपुरा	24.00	7.18	3.9.81 को मोरी खोली गई।
167	सदापुरा टैंक	07.03	3.04	29-8-81 को मोरी खोली गई।
168	मदनसरोवर धानवा	311.00	44.40	30-8-81 को मोरी खोली गई।
169	चान्दोलाई तालाब चांदोलाई	9.15	2.50	2-9-81 को मोरी खोली गई।
170	गणेशपुरा तालाब गणेशपुरा	24.00	—	
171	विजयसागर फतेहगढ़	90.00	22.50	29-8-81 को मोरी खोला गई।

1	2	3	4	5
172	कलारवाड़ा तालाब बड़ला	16. 0	3.66	28-8-81 को मोरी खोली गई ।
173	नया तालाब बडला	32. 0	4.00	,,
174	आनासागर फतेहगढ़	12. 0	—	
175	सुरासूरी फतेहगढ	12. 0	—	
176	नयातालाब पीपरोली	16. 0	—	
177	बालासागर बिलावरीया	32. 0	—	
178	प्रम्बोलाव तालाव हिंगोनिया	24. 0	11.34	29-8-81 को मोरी खोली गई ।
179	बड़ा तालाब शोकलिया	10.40	2.17	
180	छोटा तालाब शोकलिया	11.50	0.49	
181	भेरोसागर शोकली	10.80	2.57	
182	करनीसागर पीपरोली	20.10	4.36	
183	पृथ्वीसागर गुदालिया	15. 0	0.05	
184	गोपालसागर तराना	17.20	5.55	28-8-81 को मोरी खोली गई ।
185	बड़ा तालाव खराना	11.30	3.83	
186	बड़ा तालाब जावला	25.20	—	
187	आनन्दसागर टाटोती	9.33	—	
188	सुरजसागर कल्याणपुरा	12. 0	—	
189	इन्दुसागर कल्याणपुरा	7.60	—	
190	शेलासागर टाटोती	13.40	—	
191	नया तालाब चान्दमा	9·40	—	
192	मुडीयातालाब जावला	6.10	—	
193	भैरूसागर भेरूखेड़ा	9.00	—	
194	पीपनीया तालाब जीताया	6.10	—	
195	दण्ड तालाब सनोदिया	9.50	--	
196	मानसागर खोताया	63.63	1.65	
197	धोला तालाब खोताया	6.10	--	
198	काला तालाब खातोलाव	13. 0	--	
199	नया तालाब खातोलाव	26.00	3.41	27-8-81 को मोरी खोली गई
200	मानसागर जड़ाना	15. 9	1.17	28-8-81 को मोरी खोली गई
201	बहादुर सागर जड़ाना	5.50	3.18	,,

1	2	3	4	5
202	पधोलिया टैंक खण्डेरा	5.80	1.32	28-8-81को मोरी खोली गई
203	बहेरन तालाब	13.14	1.56	27-8-81को मोरी खोली गई
204	जहेरन तालाब	34.60	8.65	,,
205	न्यूबरोल	71.25	19.82	,,
206	ग्रोल्ड बरोल	16.19	1.29	,,
207	डबरेला टैंक	41.91	5.99	,,
208	सोयला टैंक	8.42	4.90	,,
209	केरिया तालाब	9.00	0.89	,,
210	भगवानपुरा टैंक	12.03	0.53	,,
211	जसवन्त सागर रोटगढ़	12.30	2.89	28-8-81को ,,
212	देवी सागर शेरगढ़	6. 0	0.33	,,
213	सागर टैंक बावड़ी	5.10	--	27-8-81को ,,
214	ग्रमृत सागर शेरगढ़	9. 0	4.23	28-8-81को ,,
215	बड़ा तालाब ग्रखंड	6.90	0.94	,,
216	दण्ड तालाब गोयला नया	6.00	3.03	,,
217	ग्रमरतिया तालाब गोयला	6.40	2.57	,,
218	बड़ा तालाब गोयला	9.40	--	,,
219	गुडपे-लाव टैंक केकड़ी	3.58	—	,,
220	चावण्ड सागर सरसरी	5. 0	—	,,
221	नील की नाडी केकड़ी	5.36	0.20	,,
222	छोटा तालाब बड़ा	49.25	3.41	,,
223	कन्दोलाई तालाब नाईखोड़ा	12.30	—	
224	शिवसागर उगनखेड़ा	10.00	—	
225	गुडालिया मेवदा खुर्द	8.00	0.04	28.8.81 से मोरी खोली गई।
226	मोटा लाल टैंक केकड़ी	11.10	0.45	
227	बन्डीवा टैंक नाई खेड़ा	9.00	—	
228	छोटा तालाब मोलकिया	11.00	2.34	
229	बड़ा तालाब मोलकिया	9.50	—	
230	नया तालाब कालेड़ा	15.0	4.10	28.8.81 से मोरी खोली गई।
231	बड़ा तालाब मोडा	11.50	0.79	

1	2	3	4	5
232	बारा बांध प्रथम	157.00	36.62	26.8.81 से मोरी खोली गई।
233	चक तालाब सालेरी	11.10	5.24	
234	पारा बांध द्वितीय	142.70	11.[illegible]2	27.8.81 को मोरी खोली गई।
235	प्रजगरा प्रोजेक्ट	125.0	30.60	28.8.81 को मोरी खोली गई।
236	धोलाई टैंक धोलाई	10.0	9.52	
237	देवसागर देवगांव	18.0	13.12	
238	छापरिया टैंक देवगांव	23.0	21 69	
239	जाजोडला टैंक जूनिया	16.0	0.69	
240	भगत सागर जूनिया	30.0	0.17	
241	बूडीया तालाब जलकाखेड़ा	8.0	2.82	
242	धुबलिया टैंक जूनिया	10.00	7.26	
243	ललाडया प्रोजेक्ट	3.76	6.99	
244	कल्याण सागर धुबालिया	11.0	6.37	
245	रामसागर धुबालिया	7.00	3.80	
246	शिवसागर एकलिंगा	7.00	4.38	
247	नानंगा-टैंक बगेरा	11.00	2.02	
248	बड़ा तालाब नाईकी	12.00	2.84	
249	नया ताला मेवदा कलां	8.40	5.20	
250	खालोलाव टैंक मेवदा कलां	13.00	2.09	
251	धोला तलाव नाईकी	6.00	0.33	
252	निचला तालाब निमोद	9.00	3.66	27-8-81 को मोरी खोली गई।
253	कल्याण सागर बारकिया	28.00	0.13	
254	मोडा सागर काचरिया	10.6	0.00	
255	शिव सागर खवाल	22.0	2.44	26-8-81 को मोरी खोली गई।
256	बादोला ईटेंकमी मरावास	22.0	0.70	
257	नया तलाब गुलगांव	7.00	—	
258	खातोलाब टैंक कावरिया	15.00	6.66	23-8-81 को मोरी खोली गई।

1	2	3	4	5
259	मगन सागर सयाल	23.00	10.22	26-8-81 को मोरी खोली गई।
260	किशन सागर खयाल	10.00	2.50	27-8-81 को नालियी खोली गई।
261	जडज़ोडला सागर कोरड़ा	6.50	—	
262	बड़ा तालाब जलोली	25.00	0.42	28-8-81 को मोरी खोली गई।
263	काकरीया तालाब घटियाली	14.00	6.40	,, ,,
264	चोरोलाव टैंक साबर	10.00	0.63	,, ,,
265	दण्ड तालाब पीपलाज	13.00	—	
266	लोडकिया टैंक मोधी	7.00	0 55	,, ,,
267	मोटोलाब टैंक मोटोलाव	15.00	—	
268	बड़ा तालाब चोताबास	8.00	—	
269	बिल दूनी प्रोजेक्ट	255.00	—	
270	रणजीत सागर हेडा	40.00	8.71	
271	नया तालाब सदारा	12.50	—	
272	सूरजसागर जैतपुरा	16.00	2.56	30-8-81 को मोर खोली गई।
273	गोविन्द सागर सरबाड़	53.00	—	
274	भगवन्तिया टैंक खरवाड़े	16.00	3.44	30-8-81 को मोर खोली गई।
275	जड जोडला सरवाड़	10.0	0.40	,, ,,
276	गज सागर सरवाड़	69.0	5.63	29-8-81 को मोरी खोली गई।
277	बालासागर माटोलाव (सरवाड)	30.00	6.00	,, ,,
278	सिन्दूर सागर सरवाड	67.00	15 87	30-8-81 को मोरी खोली गई।
279	भवानी सागर भगवानपुरा	49.00	—	
280	अम्बोलाव टैंक छेलाबाई	24.00	—	
281	बांके सागर सरवाड़	61.00	27.68	29-8-81 को मोरी खोली गई।

(213)

1	2	3	4	5
282	गम्भीर सागर मदनपुरा	12.00	—	
283	गोपाल सागर जालिया गोपालपुरा	24.00	7.50	
284	मोती सागर सांपला	24.00	2.66	27-8-81 को मोरी खोली गई।
285	भैरवा सागर सांपला	6.50	2.53	27-8-81 को मोरी खोली गई।
286	बांके सागर सांपला	8.00	—	
287	गोपाल सागर सांपला	24.00	0.64	
288	हनुमान सागर सांपला	8.00	—	
289	ताज सरोवर अरनिया	192.00	83.63	28 8.81 को मोरी खोली गई।
290	तिलोरा बांध	72.17	62.22	
291	गाड सागर सेठन	26.18	10.98	
292	शिव सागर रिछमालिया	18.50	14.74	27-8-81 को मोरी खोली गई।
293	गोवरधन सागर पगारा	33.00	3.37	29-8 81 को मोरी खोली गई।
294	जोहला तालाब केसरपुरा	10.00	—	
295	नया तालाब नाड़	25.00	—	
296	हनुमान सागर कालेतरा	26.18	10 29	
297	मोरा सागर भयसूरी	50.00	2.96	26-8-81 को मोरी खोली गई।
298	करनोल तालाब	10.58	6.98	27-8-81 को मोरी खोली गई।
299	फूल सागर नागेलाव	19.60	0.31	29-8-81 को मोरी खोली गई।
300	पिछोला तालाब (बिड़कचियांबास)	12.17	0.03	
301	बलुण्डिया तालाब	12.16	0.87	27-8-81 को मोरी खोली गई।
302	शक्ति सागर खरबा	26.04	—	

1	2	3	4	5
303	कुण्डिया तालाब कुण्डियां	6.0	—	—
304	जवासिया टैंक श्यामगढ़	9.98	00.3	22-8-81 को मोरी खोली गई।
305	नया तालाब प्रन्धेरी देवरी	48.26	0.27	29-8-81 -यू-
306	पुराना तालाब ,, ,,	30.25	—	,,
307	डण्ड तालाब ,, ,,	29.26	—	,,
308	मकरेडा टैंक	126.0	8.30	,,
309	लाखौला टैंक	14.16	4.91	,,
310	देलवाड़ा टैंक	86.20	2.89	,,
311	दौलतगढ़ सिंघा	5.88	—	,,
312	ढोसला टैंक	5.98	—	,,
313	नया तालाब ब्लाड	122.93	25.48	23-8-81 को मोरी खोली गई।
314	पुराना तालाब ब्लाड	33.15	0.77	,,
315	सेदरिया तालाब	3.89	—	,,
316	परबस्ती टैंक गणेशपुरा	18.00	—	,,
317	गुण्डों का वाला	214.8	—	,,
318	बायला टैंक	4.42	—	,,
319	नरबत खेड़ा टैंक	13.93	0.19	23-8-81 को मोरी खोली गई।
320	गोहेना तालाब	34.12	3.92	,,
321	खतील मन्द तालाब	22.00	0.09	,,
322	खासतालाब भगवानपुरा	19.30	1.31	,,
323	गोपाल सागर जालिया	344.00	—	,,
324	किसनपुरा तालाब	7.00	—	,,
325	काली कंकर तालाब	56.93	0.66	27-8-81 को मोरी खोली गई।
326	राजियाबास तालाब	104.47	1.87	25-8-81 ,,
327	प्रेमसागर काजिन्जर	8.07	—	
328	रोहूर खेड़ा टैंक	8.76	—	
329	कारला खेड़ा टैंक	2.15	—	
330	काबरा टैंक	9.80	—	

1	2	3	4		5
331	नाहरपुरा टैंक	5.35	0.03	23-8-81	को मोरी खोली गई
332	सरवीना टैंक	17.32	—	,,	,,
333	देवाता टैंक	37.71	9.20	27-8-81	,,
334	बयाजा टैंक	79.30	6.09	26-8-81	,,
335	जालिया चौथावास	14.78	—	—	,,
336	राजाभाटा तालाब	6.09	0.41	23-8-81	,,
337	लोटियाना तालाब	12.0	0.09	,,	,,
338	लखानी तालाब	31.69	7.46	,,	,,
339	शेरोकावाला	19.63	—	,,	,,
340	रूप सागर अरनाली	21.73	—	,,	,,
341	बाडा बगड़ तालाब	6.00	—	,,	,,
342	लाखेलाब तालाब	5.00	0.24	,,	,,
343	लाबूरी तालाब	11.67	—	,,	,,
344	बन्जारी तालाब	6.70	0.01	,,	,,
345	बड़ुका तालाब	8.00	0.04	,,	,,
346	कालाटोना भागमान	8.00	0.10	,,	,,
347	बाराबाल टैंक	5.50	—	,,	,,
348	खेन्जा टैंक	5.50	—	,,	,,
349	रिछवा टैंक	10.00	—	,,	,,
350	भीम गंगेलाब	6.50	0.25	,,	,,
351	इन्द्रलेश्वर महादेव	5.00	1.08	,,	,,
352	खारोट फीडर				
353	करनी सागर नाखून	12.50	5.38	22-8-81	,,
354	बड़ा तालाब माकना	9.00	3.99	,,	,,
355	मामा घाटी किराम	15.20	2.19	,,	,,
356	बड़ा तालाब खतवारिया	10.10	3.43	26-8-81	,,
357	देवी सागर खेमपुरा	6.00	0.37	23-8-81	,,
358	खातोलाब टैंक श्यामगढ़	9.64	0.60	,,	,,
359	रतन सागर मसूदा	12.70	—	,,	,,
360	गोपाल सागर मसूदा	6.00	—	,,	,,
361	मुगालिया तालाब फतेहगढ़	10.00	—	,,	,,

1	2	3	4	5
362	काका तालाब गणगाड़	36.00	1.76	—
363	बख्तावर तालाब शेरगढ़	8.50	1.42	27-8-81 को मोरी खोली गई।
364	नया तालाब मावानपुरा खेड़ा	15.00	0.08	23-8-81
365	शिव सागर लाम्बा	11.00	0.04	
366	विजय सागर शिवपुरी	14.00	—	
367	नन्द सागर नन्दवाड़ा	44.53	—	
368	लोरडी बान्ध	157.50	—	
369	रूप सागर रूपपुरा	12.00	0.08	26-8-81
370	लाम्बा तालाब कल्याणपुरा	6.00	—	
371	प्रताप सागर केलू	7.00	0.12	
372	स्वरूप सागर शिवपुरी	12.00	0.58	28-8-81 ,,
373	नीम सागर	25.00	—	
374	नया तालाब जीवाणा	6.90	—	
375	समेला टैंक देवाला	13.10	—	
376	बहादुर सागर रूप मगढ़	10.00	—	
377	देवी सागर रामगढ़	20.00	—	
378	भैरू सागर सबाना	15.00	—	
379	बड़ा वाला तालाब सबाना	12.50	—	
380	रायसागर बिसरानी	15.20	—	
381	नारायण सागर प्रोजेक्ट	700.00	—	
382	शिव सागर शिवनगर	11.00	—	
383	बाला सागर दौलतपुरा	10.50	—	
384	बड़ा तालाब दौलतपुरा	10.70	0.03	
385	बड़ा तालाब सबाना	5.10	—	
386	बहादुर सागर बहादुरपुरा (कल्याणपुरा)	10.00	—	

जिला पाली

क्र.सं.	टैंक का नाम	भराव क्षमता एम.सी.एफ.टी.	10 सितम्बर, 1981 तक उपयोगी भराव एम.सी.एफ.टी.
1	2	3	4
1	हेमावास बांध	2209.00	33.81
2	बोनिया बांध	215.00	--
3	ऐंडला बांध	213.00	—
4	लोडिया बांध	43.59	0.59
5	मनिहारी बांध	46.00	—
6	मम्बलिया बांध	7.00	—
7	सारडा बांध	664.00	—
8	सोनिया बांध	22.9	—
9	निमली बांध	24.56	—
10	खांडी बांध	14.36	—
11	वायद बांध	66.00	—
12	गिरोलिया बांध	150.00	—
13	जोगणावास बांध	96.00	---
14	जोगणावास बांध नं० 2	19.36	—
15	रणिया बांध	15.72	9.5
16	फूलाद बांध	123.62	65.30
17	डिगोर बांध	34.35	30.35
18	सरण बांध	60.00	19.85
19	चिरपटिया बांध	89.53	--
20	भूमादडा पिकअप वियर	43.00	--
21	मोठडी बांध	293.00	61.5
22	सोमलाद सागर	23.96	10.80
23	रघुनाथपुरा बांध	45.00	25.10
24	वेलार बांध	--	3.00
25	सोनगिरी वाला पी 1	22.10	--
26	सोनगिरी वाला पी 2	8.70	--
27	सोनगिरी वाला पी 3	1.95	2.35
28	घांतीवाड़ा बांध	93.00	23.86
29	ऊंगटी बांध	30.60	9.21

1	2	3	4
30	पुटेलाव बांध	4.80	3.50
31	लटाडा बांध	43.73	10.18
32	सादड़ी बांध	185.00	25.04
33	जुनामालारी बांध	59.51	20.80
34	चौकी का नाला	23.96	10.80
35	काना बांध	109.67	9.40
36	मूथाना बांध	96 00	45.00
37	राजपुरा	78.95	18.62
38	मांडीगढ़ बांध	16.00	4.50
39	सैजी की नाल बांध	80.38	—
40	खेतमाजी बांध	13.695	6.50
41	गिरादडा बांध	84.00	25.10
42	केसूली बांध	76.00	40.50
43	वागोल बांध	9.20	3.30
44	मगर तालाब	10.00	2.50
45	कोलर बांध	25. 3	12 50
46	गूढ़ा गोपीनाथ बांध	9.00	1.52
47	दांदिया बांध	47 28	—
48	सोनवा बांध	29.36	25.50
49	कापोती बांध	7.39	1.25
50	गुलाब सागर बांध	15.76	—
51	बीराठिया बांध	11.05	3.90
52	फुटिया बांध	9.80	—
53	मीरां कुडी बांध	29.52	25.05
54	सरदार समन्द बांध	3115.64	7.11
55	चोपड़ा बांध	284.04	0.53
56	बोरीनाड़ा बांध	60.07	—
57	पोटलिया बांध	9.87	—
58	दालड़ी बांध	20.44	—
59	मालपुरिया बांध	130.00	—
60	गोदेवाल बांध	41.87	—
61	भामावास	9.42	--
62	देवली हुल्ला बांध	15.00	—

Page No 218

(219)

1	2	3	4
63	टुंटिया बांध	30.00	—
64	रायपुर बांध	387.05	61.00
65	बर बांध	58.72	—
66	गिरी बांध	197.27	37.32
67	कुम्बलिया बांध	15. 4	—
68	सालमाडी बांध	20.22	—
69	खोखरा बांध	21.07	—
70	झापत बांध	13.33	—
71	ऐपडाबास बांध	11.19	—
72	सिवान्दी बांकली बांध	197.70	—
73	पालरी बांध	22.87	—
74	मुकन्द सागर बांध	36.10	—
75	गोबिन्द सागर	—	—
76	मवाई	7.000	11.30 पीने के लिये सुरक्षित
77	सिन्वरू	2041.67	32.84
78	तख्तगढ	69.45	11.17
79	सेडा	1092.00	398.00 पीने के लिये सुरक्षित
		19432	2148.00

राजस्थान को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी की जयपुर में कच्ची बस्तियों को बसाने की योजना

48. **श्री छीतर लाल आर्य** (भटरू), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री दाऊ-दयाल जोशी** (दोगोद):—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी ने जयपुर में पांच कच्ची बस्तियां बसाने का निर्णय लिया है ?

(2) यदि हां, तो ये बस्तियां कौन-कौन सी हैं तथा इनका चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चुनाव में पक्षपात किया गया है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 219

(220)

बगरू में महाविद्यालय खोलना

50. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बगरू नगरपालिका में राजकीय उ.मा विद्यालयों के स्थान पर कॉलेज खोलने की उचित व्यवस्था है ? यदि हां, तो सरकार कब तक खोलने को तैयार है ?

(2 क्या राजकीय उ.मा. विद्यालय, बगरू में अध्यापकों की संख्या विषय के अनुसार पूर्ण है ? यदि अध्यापकों की संख्या अपूर्ण है तो कब तक पूरी कर दी जायेगी तथा स्कूल में कितनी-कितनी शिफ्ट चलती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बगरू नगर पालिका राजकीय उ.मा. विद्यालय के छात्रों का परीक्षा परिणाम कम है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? ये विद्यालय कब से खुले हैं ? वर्षवार परीक्षा परिणाम क्या रहा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू में कॉलेज खोलने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में बगरू में कॉलेज खोलने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू में केवल दो पद द्वितीय वेतन श्रृंखला के खाली हैं जिनकी पूर्ति की जा रही है। यह विद्यालय दो पारियों में चलता है।

(3) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू बोर्ड के सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी परीक्षा के परिणाम सामान्यतया सन्तोषजनक रहे हैं। यह उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1960 में खुला था। इस विद्यालय के सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी परीक्षा के वर्ष 1962–63 से 1980–81 तक के बोर्ड परीक्षा परिणामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरू के बोर्ड के परीक्षा परिणामों की सूची

सत्र	सैकण्डरी परीक्षा के परिणामों का प्रतिशत	हायर सैकण्डरी परीक्षा के परिणामों का प्रतिशत
1	2	3
1962–63	—	58
1963–64	—	55
1964–65	—	60
1965–66	50	62
1966–67	57	82
1967–68	46.3	71
1968–69	66	71

1	2	3
1969–70	48.4	66
1970–71	48	68
1971–72	45	65
1972–73	58	70
1973–74	44	42
1974–75	48.4	42.2
1975–76	67.7	71 1
1976–77	64	83.7
1977–78	56.8	58.5
1978–79	50	85
1979–80	50	67.8
1980-81	62	63.9

राई का बाग बस स्टेण्ड, जोधपुर पर आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करना

51. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राई का बाग बस स्टेण्ड, जोधपुर पर कम से कम एक से दो हजार व्यक्तियों का नित्य प्रति आवागमन रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नित्य-प्रति आने वाले मुसाफिरों के लिये इस बस स्टेन्ड पर शौचालय की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ? क्या केवल 4 शौचालय हैं जिनमें से दो ही काम में आते हैं ?

(3) क्या विभाग के पास उक्त स्थल पर शौचालय की समुचित व्यवस्था करने की कोई योजना है ?

(4) यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित करवा लेने की आशा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जोधपुर बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिये वर्तमान में 5 शौचालयों की व्यवस्था की हुई है इनमें से तीन पुरुषों के लिये एवं दो महिलाओं के लिये है जो चालू हालत में है।

(3) जी हां।

(4) अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है आवश्यकतानुसार शीघ्र बना दिये जावेंगे।

मद्य निषेध समाप्ति से आय

52. **श्री हरि सिंह** (कुम्हेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में शराबबंदी हटाने से दिनांक 31-7-81 तक कुल कितनी आय सरकार को हुई है और इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी आय होने का अनुमान है ?

उत्तर

राजस्थान में मद्यनिषेध की समाप्ति दिनांक 11/8/81 से की गई है, इसलिए शराब बन्दी से दिनांक 31/7/81 तक की आय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 38.55 करोड़ की आबकारी तथा मदिरा पर बिक्री कर से आय होने का अनुमान है।

अजमेर जल समस्या का समाधान

53. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने अजमेर जल समस्या के स्थाई हल के लिये 40 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की थी? यदि हां, तो द्वितीय चरण की उपरोक्त योजना अजमेर जिले को राहत दिलाने के लिये कब तक पूरी की जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के वर्षा के पानी को रोकने के बारे में उपरोक्त विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा चुकी है? यदि हां, तो यह कब तक पूरी होगी? कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय की इस सम्बन्ध में घोषणा की विभाग में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बनास नदी से 32 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त करने का 4.92 करोड़ रुपये की योजना निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर की 20.42 करोड़ रु. की पुनर्गठित योजना बनास पर पिक अप वीयर बनाकर 100 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त करने हेतु विचाराधीन है।

(2) नगर के वर्षा के पानी को रोकने की कोई योजना इस विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान स्टेट लॉटरीज की प्रणाली में परिवर्तन

54. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट लॉटरीज टिकट की प्रारम्भ में कितनी कीमती थी? प्रथम व अन्य इनाम कितनी राशि का था तथा प्रथम इनाम के अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े कितने इनाम दिये जाते थे? लॉटरी टिकट की बिक्री से कितने लोगों को रोजगार मिलता है?

(2) अब टिकट की कीमत और प्रथम टिकट की इनाम की राशि क्या है? प्रथम इनाम के अतिरिक्त और कितने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तथा अन्य इनाम हैं? कितनी कितनी राशि के हैं?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य में टिकटों की बढ़ती हुई कीमत, इनामों की बढ़ती हुई राशि एवं इनामों की घटती हुई संख्या के कारण अधिक लोगों को थोड़ा थोड़ा लाभ मिलने के स्थान पर कम लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने वाली वर्तमान प्रक्रिया हमारी समाजवादी आर्थिक प्रणाली से विपरीत जाने का रास्ता है?

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

(4) क्या सरकार वर्तमान प्रणाली को बदलकर अधिक लोगों को लाभान्वित करने वाली प्रणाली जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) प्रथम ड्रा में प्रत्येक टिकट की कीमत दो रुपये थी।

प्रथम—एक इनाम रु. 100,000/- रु. का दो द्वितीय इनाम रु. 50,000/- 50,000/- एक के, चार तृतीय इनाम 25,000/- 25,000/ रुपये के एवं 100 चतुर्थ इनाम प्रत्येक रु 2,000/-2,000/- रुपये के थे। राजस्थान स्टेट लाटरीज के इस समय कुल 384 एजेन्ट हैं। इनके कितने सब एजेन्ट हैं और वे सब एजेन्ट कितने व्यक्तियों से टिकट बेचने का काम कराते हैं, यह विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) 80वें ड्रा के टिकट की कीमत 5/-रुपये हैं। प्रथम इनाम की राशि 55.00 लाख रुपये है। प्रथम इनाम के अतिरिक्त द्वितीय इनाम (एक) 5.00 लाख रुपये की राशि का तृतीय इनाम (आठ) प्रत्येक एक एक लाख रुपये का, चतुर्थ इनाम (आठ) प्रत्येक 50-50 हजार रुपये का तथा (160) सान्त्वना पुरस्कार प्रत्येक एक एक हजार रुपये की राशि के रखे गये हैं। फाइनल ड्रा के इनामों के अतिरिक्त 8 मिनी ड्रा भी खोले जाने का प्रावधान है। प्रत्येक मिनी ड्रा का पहला पुरस्कार (एक) 1.00 लाख रुपये की राशि का, दूसरा पुरस्कार (एक) 10,000/- रुपये की राशि का, तीसरा एक-एक हजार रुपये के 5 इनाम होंगे।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

पथ परिवहन की सड़क राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति

55. श्री राजबहादुर (भरतपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य सरकार की पथ परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में निश्चित नीति क्या है ?

(2) यदि कोई निश्चित नीति है तो क्या राष्ट्रीयकरण के क्रियान्वयन में कुछ जिलों में निजी बस सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और कुछ जिलों में अधिकांश निजी बस चालकों को राष्ट्रीयकरण से मुक्त रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? किस उद्देश्य और नीति के अन्तर्गत ?

(3) अब तक किन-किन जिलों में राष्ट्रीयकरण पूरा हो चुका है और किन-किन जिलों में अपूर्ण, आंशिक या नगण्य है ? कृपया प्रत्येक जिले की स्थिति विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) एक प्रदेश में विभिन्न जिलों में पथ परिवहन के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में इतना भेद क्यों है ?

(5) प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने कितने प्रतिशत मार्गों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की राष्ट्रीयकरण की मुख्य नीति राजस्थान के समस्त जिलों के "अ" श्रेणी के मार्गों पर मितव्ययी, समन्वित, दक्ष एवं समुचित यात्री परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(2) प्रश्न (1) में दर्शाई नीति के अनुसार राष्ट्रीयकरण हेतु 'अ' श्रेणी के मार्गों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः जिन जिलों में 'अ' श्रेणी के मार्ग कम हैं वहां मार्गों का कम राष्ट्रीयकरण हुआ है।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) "अ" श्रेणी के मार्गों को राष्ट्रीयकरण हेतु प्राथमिकता देने के कारण उक्त भेद है।

(5) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

225

जिलेवार राष्ट्रीयकृत के प्रतिशत की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सड़कों की लम्बाई 31-3-80 को (सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार) 'ए' श्रणी	'बी' श्रणी	'सी' श्रणी	कुल कि०मी०	दिनांक 15-3-81 को राष्ट्रीयकृत कि०मी० 'ए' श्रेणी	'बी' श्रणी	'सी' श्रणी	कुल किलोमीटर	प्रतिशत 'ए' श्रेणी	'बी' श्रणी	'सी' श्रेणी	कुल किलोमीटर
1	अजमेर	1170	172	334	1676	627	—	—	627	53.59	—	—	37.51
2	अलवर	1305	175	81	1561	820	—	—	820	62.83	—	—	52.52
3	बांसवाड़ा	553	70	119	742	400	31	—	431	72.33	44.28	—	58.09
4	बाड़मेर	1530	257	908	2695	524	—	87	611	34.05	—	09.58	22.67
5	भरतपुर	1229	183	78	1490	426	—	—	426	34.65	—	—	28.59
6	भीलवाड़ा	848	241	319	1408	461	—	—	461	54.36	—	—	32.74
7	बीकानेर	1140	81	145	1366	646	—	—	646	56.67	—	—	47.29
8	बूंदी	542	47	296	886	300	—	—	300	55.35	—	—	33.86
9	चित्तौड़गढ़	856	185	285	1326	297	—	—	297	34.69	—	—	22.40
10	चूरू	979	84	297	1860	606	84	—	690	70.48	—	—	50.74
11	डूंगरपुर	531	81	306	918	294	—	—	294	55.37	—	—	32.03
12	जयपुर	1971	02	50	2023	1428	—	—	1428	72.45	—	—	70.53
13	गंगानगर	1760	236	33	2029	1054	—	—	1054	59.89	—	—	51.95
14	जैसलमेर	1094	100	782	1976	235	—	—	235	21.48	—	—	12.80
15	जालोर	491	134	611	1236	300	—	170	470	61.10	—	27.82	38.03
16	झालावाड़	493	172	76	741	436	172	76	684	80.60	—	—	89.03
17	झुंझुनू	592	29	105	726	295	—	—	295	49.83	—	—	40.63
18	जोधपुर	2038	280	1622	3940	859	—	—	869	42.64	—	—	22.66
19	कोटा	1102	165	176	1443	756	—	—	756	68.60	—	—	52.39
20	नागौर	963	52	1102	2117	760	—	—	760	78.92	—	—	35.90
21	पाली	773	332	718	1823	438	—	—	438	56.66	—	—	24.03
22	सवाई माधोपुर	844	133	78	1055	157	—	—	157	18.60	—	—	14.83
23	सीकर	754	69	165	988	522	69	—	591	66.31	—	—	59.82
24	सिरोही	511	166	190	867	316	—	—	316	61.84	—	—	36.45
25	टौंक	431	132	165	728	324	—	—	324	75.10	—	—	44.51
26	उदयपुर	1753	257	1270	3280	682	50	—	732	41.76	19.46	—	22.32
	कुल योग....	26253	3855	10311	40399	13973	406	333	14712	53.22	10.52	3.23	36.41

(226)

विकलांगों का पंजीकरण एवं सरकारी सेवा संख्या

56. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने विकलांग हैं ?

(2) क्या विकलांगों के पंजीकरण हेतु कोई राजकीय एजेन्सी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विकलांग वर्ष में कुल कितने विकलांग राजकीय सेवा में लिये गये हैं ? कृपया विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।—

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका के अनुसार जुलाई, 81 के अन्त तक 3803 विकलांग आशार्थी पंजीकृत थे।

(2) विकलांग आशार्थियों के रोजगार हेतु पंजीकरण सभी नियोजन कार्यालयों में किया जाता है। इसके अलावा विकलांग आशार्थियों के पंजीकरण हेतु जयपुर में विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग) स्थापित है जिसमें भी ऐसे आशार्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था है।

(3) इस विभाग के माध्यम से विकलांग वर्ष में जुलाई, 81 तक 362 विकलांग आशार्थियों को रोजगार दिलाया गया है लेकिन विभागवार सूचना उपलब्ध नहीं होने के वजह से विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है।

नेशनल परमिट देने का प्रकरण

57. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नेशनल परमिट के लिए आवेदन-पत्र मांगने के बाद भी अभी तक परमिट क्यों नहीं दिये गये हैं ?

(2) क्या यातायात कमिश्नर को इसमें कोई राजनैतिक भ्रष्टाचार का आभास हुआ था जिससे उन्हें एक ऐसा विज्ञापन देना पड़ा कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि इसमें बड़े पैमाने पर राजनैतिक भ्रष्टाचार हुआ है? क्या पूर्व में भी ऐसे विज्ञापन दिये गये हैं ?

(3) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है कि जिसके तहत 10 किलोमीटर के स्थान पर 25 किलोमीटर ओवरलेपिंग प्राइवेट सैक्टर को देने की बात थी ?

उत्तर

(1) नेशनल परमिटों के आवेदन-पत्र मांगने के बाद निर्णय सम्बन्धी मामले पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण परमिट नहीं दिये गये।

(2) यातायात आयुक्त को उसमें कोई राजनैतिक भ्रष्टाचार का आभास नहीं हुआ था परन्तु आपरेटर्स में ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ असामाजिक एवं शरारती तत्व अपने आपको विशिष्ट व्यक्तियों के नजदीक बताते थे और उनके नाम से तथा रैली के नाम से परमिट दिलाने का आश्वासन देकर नाजायज पैसे एकत्रित कर रहे थे। ऐस आभास होने पर इन अफवाहों के प्रति

227

(यातायात मन्त्री)

जनता को सचेत करने के उद्देश्य से एवं उन्हें असामाजिक तत्वों के बहकावे में आने से बचाने के उद्देश्य से यह विज्ञप्ति निकलवाई गई है। यातायात विभाग द्वारा पूर्व में ऐसे विज्ञापन नहीं दिये गये हैं।

(3) अब सरकार के विचाराधीन ऐसी योजना नहीं है।

मद्यनिषेध अवधि में दिये गये परमिट्स से आय

59. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अप्रेल, 1980 में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के बाद कुल कितने लाइसेंस दिये गये हैं? शराब पीने वाले लाइसेंसेज की जिलेवार संख्या की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में परमिट्स से आबकारी विभाग को कुल कितनी आय हुई? कृपया वर्षवार आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) किन नियमों के तहत उक्त परमिट जारी किये गये थे? कृपया नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) शराबबंदी मण्डल की ओर से शराबबंदी की सफलता के लिये क्या क्या सुझाव कब-कब राज्य सरकार को दिये गये और क्या उनकी पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अप्रेल, 80 के बाद स्वास्थ्य परमिटधारियों को मदिरा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कुल 1,26,642 अनुज्ञा-पत्र दिये गये। पीने वाले परमिटधारियों की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) परमिटधारियों से वर्ष 1980-81 में रुपये 11,54,62,435 (रुपये ग्यारह करोड़ चौवन लाख बासठ हजार चार सौ पैंतीस) एवं वर्ष 1981-82 में रु. 5,18,30,560/ (रुपये पांच करोड़ अठारह लाख तीस हजार पांच सौ साठ) की आय हुई।

(3) राजस्थान लिकर प्रोहिबिशन रूल्स, 1967 के नियम 4 के अन्तर्गत किये गये है। तालिका सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) नशाबन्दी मण्डल द्वारा दिये गये सुझावों को व्यावहारिक नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई। अब नीति में परिवर्तन किया जा चुका है।

CONSOLIDATED STATEMENT OF HEALTH PERMITS IN RAJASTHAN

S. No.	Name of Districts	Name of year	Total	Name of year	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Jaipur City	1980-81	22477	1981-82	23590
2.	Jaipur (Rural)	-do-	3542	-do-	1895

228

1	2	3	4	5	6
3.	Ajmer	1980-81	17439	1981-82	9606
4.	Bharatpur	-do-	2241	-do	3308
5.	Shri Ganganagar	-dc-	52578	-do-	17740
6.	Jodhpur	-do-	12864	-do-	7452
7.	Bikaner	-do-	6482	-do-	3060
8.	Kota	-do-	9204	-do-	6230
9.	Udaipur	-do-	12174	-do-	5208
10.	Prohibition	-do-	7640	-do-	4408
	Total...		126642		82497

4. Permits and licences for possession etc. of liquor :- Notwithstanding anything contained in rule 3 :-

(a) Any person on application may obtain foreign liquor on the authority of a permit in Form R. Pn. 1 granted by the District Excise Officer or Assistant Excise Officer for his bona fide medicinal use on the production of a medical certificate in Form R. Pn. 2:

Provided that no permit in Form R. Pn. 1 shall be granted to a minor, a person who is less than 30 years of age and that the quantity to be prescribed by a registered medical practitioner for bona fide medicinal use shall not exceed:—

(i) two units at a time or six units in the aggregate during a month in the case of a person residing in the prohibition area;

(ii) two units at a time or six units in the aggregate during a month in the case of a person who has to travel frequently in the prohibition area;

(iii) one and a half unit at a time during a week or part thereof for a maximum period not exceeding one month in the case of a person coming from non prohibition area of the state or from other states:

Provided further that a person having obtained certificate in form R. Pn. 2 shall be required to pay permit fee of Rs.15/-per year or part thereof, for obtaining permit in form R. Pn. 1.

No fee shall, however, be charged from the members of the Armed Forces of the Union of India, who are stationed in the prohibition area or who visit the prohibition area on leave or otherwise.

Explanation.—A unit means one quart bottle of spirit or liquor or three quart bottles of wines or vermouth or six quart bottles of malt liquor.

(b) A medical practitioner in managing and supervising charge of Govt.' Local Fund Railway or charitable hospital or dispensary, may possess foreign liquor not exceeding the requirement of such hospital or dispensary for twelve months under a permit issued by the District Excise Officer.

ग्राम भूतेल की गोचर भूमि

60. **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूणी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत देवड़ा के ग्राम भूतेल की गोचर जमीन खसरा नंबर 262 में से 175 बीघा भूमि सिवाय चक में परिवर्तित कर उसमें से बिना पंचायत की सहमति के 150 बीघा भूमि प्रति परिवार 50 बीघा के हिसाब से तीन पाक शरणार्थियों को कलेक्टर, जालोर द्वारा प्रावंटित कर दी गई थी? यदि हां, तो कब एवं किस किसको एवं क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सिवाय चक में शेष भूमि पड़त है?

(3) क्या सरकार ग्राम जनता एवं पंचायत की मांग पर उक्त सिवाय चक में परिवर्तित भूमि को वापस गोचर करना उचित समझेगी? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पाक शरणार्थियों को नागरिकता देने के पश्चात् उन्हें बसाये जाने के प्रयोजन से निम्न व्यक्तियों को 50 बीघा प्रति व्यक्ति के हिसाब से सन् 1978 में भू-प्रावंटन किया गया :—

1) श्री भारसिंह पुत्र बीजराजसिंह

2) श्री बीजराज सिंह पुत्र मोहब्बतसिंह

3) श्री जैमसिंह पुत्र अनाड़सिंह

(2) जी हां, 25 बीघा सिवाय चक भूमि पड़त शेष है।

(3) ग्राम जनता की धारणा को मद्दे-नजर रखते हुए प्रतिरिक्त उपलब्ध सिवया चक भूमि को चरागाह दर्ज करने के निर्देश जिलाधीश को प्रदान किये जा चुके हैं।

230

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूचना

क्र.सं.	जिला	सन् 1978-79			सन् 1979-80			सन् 1980-81		
		प्रावि	उप्रावि	मावि	प्रावि	उप्रावि	मावि	प्रावि	उप्रावि	मावि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अजमेर	30	12	8	33	7	11	35	10	12
2	भरतपुर	137	23	11	72	12	15	66	21	31
3	अलवर	132	14	8	66	11	16	29	14	13
4	जयपुर	140	20	18	117	21	19	55	22	26
5	झुंझुनू	26	10	13	38	7	8	36	10	13
6	बीकानेर	15	8	57	32	4	5	16	5	4
7	सीकर	37	18	14	43	11	8	40	11	9
8	चूरू	29	7	4	17	3	5	20	6	8
9	गंगानगर	63	24	29	54	9	9	55	19	14
10	कोटा	36	10	9	63	12	13	31	4	6
11	बून्दी	9	5	3	24	5	4	13	3	4

(231)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	जालौर	8	12	8	17	4	2	17	3	5
13	झालावाड़	30	6	1	39	5	6	6	3	3
14	सवाई माधोपुर	63	11	11	77	14	11	30	14	14
15	टोंक	14	15	3	33	6	5	15	5	4
16	जोधपुर	10	17	30	22	3	2	34	11	9
17	पाली	19	9	17	17	4	3	30	9	7
18	नागौर	35	13	14	40	5	9	38	15	10
19	सिरोही	4	6	5	8	2	2	8	4	5
20	बाड़मेर	22	17	11	34	2	1	61	7	6
21	जैसलमेर	16	9	5	5	—	2	2	—	—
22	बांसवाड़ा	92	7	3	24	1	1	14	3	6
23	भीलवाड़ा	33	6	5	48	7	7	37	10	10
24	डूंगरपुर	13	12	5	20	1	1	22	5	6
25	चित्तौड़गढ़	38	5	2	63	6	5	26	8	7
26	उदयपुर	128	26	17	119	15	14	64	21	20
	कुल योग...	1192	312	259	1128	180	185	800	250	252

232

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूचना

परिशिष्ट "अ"

माह का नाम—

माह	निर्धारित		संचालित परिचक्र	कार्यशाला के कारण	निरस्त परिचक्र			रिमार्क्स
	समय	परिचकों की संख्या			परिचालक के कारण	यात. के कारण	विविध	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जुलाई, 80	0600	31	31	—	—	—	—	
	0730	31	11	20	—	—	—	
	0900	31	31	—	—	—	—	
	1200	31	22	9	—	—	—	
	1300	31	14	17	—	—	—	
योग...		155	109	46				
अगस्त, 80	0600	31	28	3	—	—	—	
	0730	31	निरस्त पूर्ण माह 31					
	0900	31	29	2	—	—	—	
	1200	31	11	20	—	—	—	
	1300	31	—	31	—	—	—	
योग...		155	68	87				
सितम्बर, 80	0600	30	28	2	—	—	—	
	0730	30	—	30	—	—	—	
	0900	30	30	—	—	—	—	
	1030	20	20	—	—	—	—	दि. 10-8-80 से चालू की गई
	1200	30	3	27	—	—	—	
	1300	30	4	26	—	—	—	
	1730	30	28	2	—	—	—	
योग...		200	113	87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अक्टूबर, 80	0600	31	31	—	—	—	—	
	0700	31	30	1	—	—	—	
	0900	31	31	—	—	—	—	दि. 21-10-80 से
	1030	31	31	—	—	—	—	केयूरा 13.00
	1200	31	31	—	—	—	—	बजे आरम्भ की
	1300	20	20	—	—	—	—	गई जो गुडला मार्ग
	1730	31	30	1	—	—	—	पर है।
योग..		206	204	2				
नवम्बर, 80	0600	30	30	—	—	—	—	
	0730	26	24	2	—	—	—	
	0900	30	29	1	—	—	—	
	1030	30	29	1	—	—	—	
	1200	19	19	—	दि. 20-11-80 से खातोली बन्द कर पीपल्दा चलाई गई			दि. 20-11-80 गुडला 17.30 बजे चलाई गई
	1730	30	27	3	—	—	—	
योग..		165	158	7	—	—	—	
दिसम्बर, 80	0600	31	29	2	—	—	—	सुल्तानपुर पर
	0900	31	30	1	—	—	—	ब्रेक डाउन होने
	1038	31	30	—	1	—	—	से मार्ग निरस्त
	1730	31	31	—	—	—	—	
योग..		124	120	3	1	—	—	
जनवरी, 81	0600	31	31	—	—	—	—	—
	0900	31	31	—	—	—	—	
	1030	31	31	—	—	—	—	
	1730	31	31	—	—	—	—	
योग..		124	124	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फरवरी,	0600	28	27	1	1	1	1	दि. 15-2-81 से
81	0900	28	28	—	—	—	—	17-2-81 तक
	1030	28	23	4	1	—	—	वाहन किसान
	1730	28	28	—	—	—	—	रैली गई
योग...				5	1	—	—	
मार्च,	0600	31	30	1	—	—	—	
81	0900	31	29	2	—	—	—	
	1030	31	30	1	—	—	—	
	1730	31	28	3	—	—	—	
योग...		124	117	7	—	—	—	
अप्रेल,	0600	30	28	2	—	—	—	दि. 18 व 18-
81	0900	30	28	2	—	—	—	4-81 को कोटा
	1030	30	25	5	—	—	—	संभाग में हड़ताल
	1730	30	28	2	—	—	—	के कारण वाहनें
								मार्ग पर नहीं गई
मई,	0600	4	4	—	—	—	—	दि. 5-5-81 से
81	0900	4	4	—	—	—	—	6.00 बजे जाने
	1030	4	3	1	—	—	—	वाली वाहन को
	1500	27	24	3	—	—	—	टाइमटेबल, के
	1730	31	30	1	—	—	—	अनुसार तक
								बढ़ाया गया तथा
								1030 व 1230
								बजे वाहन बूंदी
								आगार संचालित
								करने हेतु दी,
								कोटा आगार द्वारा
								5-5-81 से
								15.00 बजे
								खातोली वाहन
								आरम्भ की गई
योग...		70	65	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जून, 81	1500	30	28	2	—	—	—	
	1730	30	29	1	—	—	—	
योग...		60	57	3	—	—	—	

ग्रीष्मकालीन समय सारणी 81 के अनुसार बूंदी आगार भाग द्वारा संचालित कोटा-खातोली मार्ग की वाहनें।

मई, 81	0730	31	29	2	—	—	—	
	0900	31	26	5	—	—	—	ब्रेक डाऊन
	1030	31	—	31	—	—	—	
योग...		93	55	38	—	—	—	
जून, 81	0730	30	29	1	—	—	—	
	0900	30	29	1	—	—	—	
	1030	30	23	7	—	—	—	
योग...		90	81	9	—	—	—	

कोटा-कैथोदा गुडला मार्ग :

जुलाई, 80 से सितम्बर, 80 तक कोटा-कैथूदा-गुडला मार्ग पर कोई वाहन संचालित नहीं की गई क्योंकि माह अक्टूबर में उक्त मार्ग का परमिट प्राप्त किया गया था।

अक्टूबर, 80	20 अक्टुबर, 80 से कोटा-कैथूदा-गुडला मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ हुआ							
	1300	11	11	—	—	—	—	
	17[illegible]0	7	7	—	—	—	—	दि. 25.10.80 से प्रारम्भ की गई।
योग...		18	18	—	—	—	—	
नवम्बर, 80	1300	30	30	—	—	—	—	दि. 27.11.80से
	0730	4	4	—	—	—	—	प्रातः 0730 बजे कैथूदा-गुडलाव प्रारम्भ की गई।
योग...		34	34	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिसम्बर, 80	0730	31	29	2	—	—	—	
	1300	31	28	3	—	—	—	
योग...		62	57	5	—	—	—	
जनवरी, 81	0730	31	31	—	—	—	—	
	1300	31	31	—	—	—	—	
योग...		62	62	—	—	—	—	
फरवरी, 81	0730	28	25	3	—	—	—	वाहनें दि. 15.2.81 से 18.2.81 तक किसान रैली में गईं जिस कारण वाहन सेवा अस्तव्यस्त रही
	1300	28	27	1	—	—	—	
मार्च, 81	0730	31	26	5	—	—	—	
	1300	31	29	2	—	—	—	
योग...		62	55	7	—	—	—	
अप्रेल, 81	0730	30	28	2	कोटा संभाग में हड़ताल दि. 17 व 18.4.81 को होने के कारण 2 दिन संचालन बन्द रहा।			
	1300	30	28	2				
योग...		60	56	4	—	—	—	
मई, 81	0730	31	31	—	—	—	—	
	1300	31	31	—	—	—	—	
योग...		62	62	—	—	—	—	
जून, 81	0730	30	30	—	—	—	—	
	1300	30	30	—	—	—	—	

(ग) बारां-खातोली मार्ग—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जुलाई, 80	0730	31	30	1	—	—	—	—
	0930	31	28	3	—	—	—	—
	1140	31	26	5	—	—	—	—
	1330	31	22	9	—	—	—	—
	1530	31	37	64	—	—	—	—
	1830	31	29	2	—	—	—	—
योग...		186	162	84				
अगस्त, 80	0730	31	23	3	—	—	—	—
	0930	31	27	4	—	—	—	—
	1130	31	29	2	—	—	—	—
	1330	31	26	5	—	—	—	—
	1530	31	28	3	—	—	—	—
	1830	31	30	1	—	—	—	—
योग...		186	168	18				
सितम्बर, 80	0730	30	28	2	—	—	—	—
	0930	30	24	6	—	—	—	—
	1130	30	22	8	—	—	—	—
	1330	30	23	7	—	—	—	—
	1530	30	28	2	—	—	—	—
	1830	30	30	—	—	—	—	—
योग...		180	155	25				
अक्टूबर, 80	0630	31	30	1	—	—	—	—
	0830	31	31	—	—	—	—	—
	1150	31	30	1	—	—	—	—
	1300	31	31	—	—	—	—	—
	1530	31	29	2	—	—	—	—
	1730	31	31	—	—	—	—	—
योग...		186	182	4				

Page No 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर, 80	0630	30	28	2	—	—	—	—
	0830	30	27	3	—	—	—	—
	1030	30	12	18	—	—	—	—
	1130	30	22	8	—	—	—	—
	1330	30	16	14	—	—	—	—
	1530	30	29	1	—	—	—	—
	1730	30	27	3	—	—	—	—
योग...		210	161	49				
(ग) बारी-खातौली मार्ग								
दिसम्बर, 80	0630	31	27	4	—	—	—	
	0830	31	29	2	—	—	—	
	1030	31	23	8	—	—	—	
	1300	31	21	10	—	—	—	
	1500	31	25	6	—	—	—	
	1730	31	27	4	—	—	—	
योग...		186	152	36				
जनवरी, 81	0630	31	31	—	—	—	—	
	0830	31	31	—	—	—	—	
	1030	31	28	3	—	—	—	
	1300	31	31	—	—	—	—	
	1500	31	29	2	—	—	—	
	1700	31	30	1	—	—	—	
योग...		186	180	6	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फरवरी, 81	0630	28	26	2	—	—	—	
	0830	28	24	4	—	—	—	
	1030	28	26	2	—	—	—	
	1300	28	22	6	—	—	—	
	1500	28	25	3	—	—	—	2 वाहनें
	1700	28	22	6	—	—	—	ब्रेक डाउन
योग...		168	145	23				
मार्च, 81	0630	31	29	2	—	—	—	
	0830	31	30	1	—	—	—	
	1030	31	26	3	—	—	—	
	1300	31	30	1	—	—	—	एक ब्रेक डाउन
	1500	31	29	2	—	—	—	
	1700	31	27	4	—	—	—	2 ब्रेक डाउन
योग...		186	173	13				3 वाहनें ब्रेक डाउन
अप्रेल, 81	0630	30	24	6	—	—	—	
	0830	30	23	7	—	—	—	
	1030	30	21	9	—	—	—	
	1300	30	18	12	—	—	—	
	1500	30	14	16	—	—	—	
	1700	30	29	1	—	—	—	
योग...		180	129	51	—			
मई, 81	1315	31	30	1				बाकी परिचक्र 1-5-81 से झालावाड़ व बूंदी आगार को ग्रीष्मकालीन समय-सारणी में आवंटित किये गये थे।
जून, 81	1315	30	27	3				

(२५०)

(घ) कोटा–गेंता मार्ग :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जुलाई, 80 से माह अक्टूबर, 80 तक उक्त मार्गों पर प्राइवेट वाहनें संचालित की जाती थी माह नवम्बर, 81 में कोटा गेंता मार्ग के अनुज्ञापत्र प्राप्त होने पर 6 नवम्बर, 81 से वाहन सेवा आरम्भ की गई:—								
नवम्बर, 80	1800	24	23	1	—	—	—	
दिसम्बर, 81	0700	29	26	3	—	—	—	3 दिसम्बर से गेंता
	1800	31	27	4	—	—	—	प्रातः 0700 बजे प्रारंभ की गई
योग...		60	53	7	—	—	—	
जनवरी, 81	0700	31	31	—	—	—	—	
	1800	31	26	3	—	2	—	
योग...		62	57	3	—	2	—	
मार्च, 81	0700	31	29	2	—	—	—	
	1800	31	30	1	—	—	—	
योग...		62	59	3				
अप्रेल, 81	0700	30	28	2	—	—	—	
	1800	30	28	2	—	—	—	
योग...		60	56	4	—	—	—	
मई, 81	0700	31	31	—	—	—	—	
	1800	31	26	5	—	—	—	
योग...		62	57	5				
जून, 81	0700	30	26	4	—	—	—	
	1800	30	30	—	—	—	—	
योग...		60	56	4				

कोटा–पीपल्दा–करवड मार्ग :

1	2	3	4	5	6	7	8	9

माह जुलाई, 80 से अक्टूबर, 80 तक उक्त मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा संचालित की जाती थी। 6 नवम्बर, 80 में कोटा–पीपल्दा 16.00 बजे का अनुज्ञापत्र मिलने पर ही वाहनें संचालित की गई तथा 7 नवम्बर, 80 से 06.30 बजे भी संचालित की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर, 80	0630	23	21	2				पीपल्दा वाहन को करवाड तक बढाई गई।
	1600	24	19	5				
योग....		47	40	7				
दिसम्बर, 80	1230	28	24	4				माह दिसम्बर, 80 में प्रत्येक गेंता जाने वाली वाहन करवाड तथा करवाड जाने वाली वाहन गेंता होकर संचालित की गई।
	1600	31	26	5				
योग....		59	50	9				
जनवरी, 81	1200	31	31	–	—	—	—	
	1430	31	30	1	—	—	—	
योग....		62	61	1				
फरवरी, 81	1200	28	23	5				किसान रैली देहली में 15-2-81 से 18-2-81 तक वाहनें जाने के कारण संचालन व्यवस्था छिन्न-भिन्न रही।
	1400	28	24	4				
योग....		56	47	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च, 81	1200	31	27	4	—	—	—	
	1500	31	29	2	—	—	—	
योग...		62	56	6				
अप्रैल, 81	0630	30	5	25	—	—	—	
	1200	30	25	5	—	—	—	
	1500	30	26	4	—	—	—	
योग...		90	56	34				
मई, 81	0630	31	26	5	—	—	—	ग्रीष्मकालीन समय सारिणी, 81 में उक्त परिचक्र बून्दी आगार को आवंटित किया गया व दि. 5-5-81 से ही बून्दी आगार द्वारा वाहन नहीं भेजा गया।
	1200	31	3	28				
	1500	31	24	7				
योग...		93	53	40				
जून, 81	0630	30	30	—	—	—	—	
	1200	30	—	30	—	—	—	
	1600	30	25	5	—	—	—	
योग...		90	55	35	—	—	—	

कोटा–लुहावद–गणेशखोडा मार्गः--

कोटा–लुहावद मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहन सेवाएं दिनांक 3 दिसम्बर, 80 से अनुज्ञापत्र मिलने पर संचालित की गई।

दिसम्बर, 80	0630	28	24	4	—	—	—
	1330	28	26	2	—	—	—
योग...		56	50	6			

243

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनवरी, 81	0630	31	23	8	—	—	—	—
	1330	31	28	3	—	—	—	—
योग...		62	51	11				
फरवरी, 81	0630	माह फरवरी 81 में लुहावद 06.30 को बन्द की गई						
	1330	28	21	7	माह फरवरी में वाहनें किसान रैली में जाने के कारण वाहन संचालन अस्त-व्यस्त रहा।			
योग...		28	21	7				
मार्च, 81	1330	31	29	2	—	—	—	
अप्रेल, 81	1330	.50	25	3	—	—	—	
मई 81	1330	31	23	8	—	—	—	
योग...			77	13	—	—	—	

बारां-पीपल्दा

जुलाई, 80	1730	31	--	31	—	--	--
अगस्त, 80	1730	31	—	31	—	—	—
सितम्बर, 80	1730	31	—	31	—	—	—
अक्टूबर, 80	1730	31	—	31	—	—	—
नवम्बर, 80	1730	30	—	30	—	—	—
दिसम्बर, 80	1730	31	—	31	—	—	—
जनवरी, 81	1730	31	—	28	—	—	—
फरवरी, 81	1730	28	—	28	—	—	—
मार्च, 81	1730	31	—	31	—	—	—
अप्रेल, 81	1730	30	15	15	—	—	—
मई, 81	1730	31	8	23	—	—	—
जून, 81	1730	30	17	13	—	—	—

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची

इनेक्सचर 'ए'

जिन उपभोक्ताओं ने बाढ़ आने के बाद राशि जमा कराकर मीटर लगाये हैं वे निम्न हैं :-

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	जमा की गई राशि
1	श्री प्रभूलाल पुत्र सुन्दरलाल बड़ा कुआं, टोंक	132.00
2	श्री मस्जिद सराय सिंधी की टाल के पास, टोंक	132.00
3	श्री अमीरुजमा पुत्र मोहम्मद जमा मोहम्मद रजबन	132.00
4	श्री मदन मोहन गुप्ता तख्ता, टोंक	132.00
5	श्री खेमचन्द मेधूमल सिंधी काफला, टोंक	132.00
6	श्री राधेश्याम पुत्र हरिनारायण तेलियों की गली	132.00
7	श्री रामबाबू पुत्र कन्हैयालाल मालियों की गली	132.00
8	श्री सूरजकरण पुत्र किशन गोपाल वजीरपुरा टोंक	275.00
9	श्री लेखमल पुत्र आशाराम सिंधी खादी भण्डार	275.00
10	श्री कुदरतुल्ला अमानतुल्ला पुरानी, टोंक	275.00
11	श्री मोहम्मद इशाक मोहम्मद यासीन	132.00
12	श्री द्वारका प्रसाद अशोक कुमार	132.00

निम्नांकित उपभोक्ताओं के मीटर बाढ़ग्रस्त में मकान/दीवार ढ़ह जाने के कारण बन्द है :—

क्रम सं. 1	नाम उपभोक्ता 2	ग्राम 3	मीटर 4	सर्विस लाइन 5
1	श्री रामकरण/भूरा माली ए.एस.	गोलीपुरा	3पी.एच.	—
2	,, चान्द अली/बरकत अली ए.एस.	मालपुरा	3पी.एच.	—
3	,, कल्याण/जुवारा ए.एस.	अम्बापुरा (टोरडी)	3पी.एच.	6एमएम एलसी/9एम
4	,, ओंकार/लादू माली ए.एस.	मालपुरा	,,	—
5	,, प्रहलाद ए.एस.	चान्दसेन	,,	—
6	,, रामदेव/प्रताप ए.एस.	मालपुरा	,,	—
7	,, नारायण/भूरा ए.एस.	चान्दसेन	,,	—
8	,, अ.सलाम/रहमान ए.एस.	मालपुरा	,,	—
9	,, सुखदेव/नानगा ए.एस.	,,	,,	—

Page No 244

(245)

1	2	3	4	5
10	श्री रामस्वरूप/ श्योजीराम ए.एस.	डिग्गी	,,	—
11	,, गोकलचन्द/ छोगालाल	मालपुरा	1पी.एच.	—
12	,, शराफत अली	,,	,,	—
13	,, बजरंग लाल/ मोदी	,,	,,	—
14	,, रामनारायण/ शंकरलाल	,,	,,	—
15	,, सीता रामजी की दुकान गंगू सिंधी	,,	,,	2.5एमएम.
16	,, मन्दिर तेरापंथीयान	,,	,,	12एम.
17	,, चन्दन मल सवारिया	,,	,,	—
18	,, दिगम्बर जैन मन्दिर	लाबा	,,	—
19	,, चमन गोड़ ब्राह्मण सी/ओ. रामगोपाल	मालपुरा	,,	—
20	,, सरपंच ग्राम पंचायत	सोडा	,,	2.5एम.एम
21	,, लादू/ श्री वक्ष	डिग्गी	,,	एम.एम.30
22	,, मोहनसिंह/कल्याणसिंह	,,	,,	—
23	,, हीरा/ पन्ना	,,	,,	—
24	,, द्वारका प्रसाद शर्मा	,,	,,	—
25	,, इलाही बख्श/ मोला बख्श	,,	,,	—
26	,, जैन मन्दिर की दुकान सी.ओ. श्री सत्यनारायण शर्मा	,,	,,	—
27	,, धाभाई फ्लोर मिल आई.पी.	,,	3पी.एच.	
28	,, गोपाल/ दुला नाई एन.डी.एस.	,,	1पी.एच.	
29	,, महेश चन्द शर्मा एन.डी.एस.	,,	,,	
30	,, महेश चन्द शर्मा डी.एल.	,,	,,	
31	,, अम्बालाल/सीताराम डी.एल.	,,	,,	
32	,, छोटू /रामेश्वर एन.डी.एस.	,,	,,	
33	,, भगवान सहाय डी.एल.	,,	,,	
34	,, महावीर गारनेट एन.डी.एस.	,,	,,	
35	,, पवन गारनेट एन डी.एस.	,,	,,	
36	,, रामा चन्द्र बारागाव एन.डी.एस.	,,	,,	
37	,, फजलू गारनेट	,,	,,	
38	,, दातारसिंह/ रघुनाथसिंह	,,	,,	
39	,, सत्यनारायण/ बजरंगलाल एन.डी.एस.	,,	,,	
40	,, माधोसिंह ,,	,,	,,	
41	,, घनश्याम/रोड़ू डी.एल.	,,	,,	

बाढ़ के कारण मीटर खराब हुए उपभोक्ताओं को सूची

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम
1	श्री राम कुंवार	हिंगोनिया बुजुर्ग
2	,, मूल्या	,,
3	,, रामदेवा	,,
4	,, मूल्या	,,
5	,, गोगा राम	,,
6	,, अमरा	,,
7	,, रामप्रसाद	,,
8	,, भंवर लाल	,,
9	,, गंगा राम	,,
10	,, लालू	,,
11	,, कालू	,,
12	,, मूल्या	,,
13	,, अम्बा लाल	,,
14	,, हनुमान जी का मन्दिर	,,
15	,, पांचू/कालू	नांगल ईशर
16	,, मेवा	,,
17	,, लादू	,,
18	,, कल्याण पुत्र चन्द्रा	सुरेली
19	,, चेनसुख पुत्र बालू राम	रूपवास

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल टौंक बाढ़ के कारण मीटर आदि खराब हुए उपभोक्ताओं को सूची

क्र सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम
1	2	3
1	श्री जगदीशनारायण पुत्र श्री राजूलाल	टौंक
2	,, जगदीश पुत्र ईश्वरलाल	,,
3	,, भंवरलाल पुत्र नन्दराम	,,
4	,, मो. मिया पुत्र मो. शफीखां	,,
5	,, मो. यूसफ पुत्र नसरतखां	,,
6	,, रामगोपाल पुत्र किशनलाल	,,

1		2	3
7	श्री	ओमप्रकाश पुत्र नाथूलाल	टौंक
8	,,	अब्दुल मजीद पुत्र रमजान	,,
9	,,	तेजमान पुत्र नेताराम	,,
10	,,	बन्दा खां पुत्र मुनीर	,,
11	,,	मो. सलीम पुत्र मो. अमीन	,,
12	,,	मो. हुसैन पुत्र अल्लानूर	,,
13	,,	जमील अहम्मद पुत्र हबीब आलम	,,
14	,,	रामेश्वर मेहरा	,,
15	,,	सईदुल्ला खां पुत्र मजीदुल्ला खां	,,
16	,,	जमीलशेर खां पुत्र सआदत हुसैन	,,
17	,,	मो. असलम पुत्र रशीद अहमद	,,
18	,,	अब्दुल हकीम पुत्र मसीता खां	,,
19	,,	अहमद	,,
20	,,	असलम अली पुत्र नाशेर खां	,,
21	,,	छम्मू पुत्र अतिकुमिया	,,
22	,,	कालू पुत्र काक	,,
23	,,	हाफिज पुत्र नजीर खां	,,
24	,,	अब्दुल कादर	,,
25	,,	नन्हे खां पुत्र कालू	,,
26	,,	रामस्वरूप	,,
27	,,	सुबराती	,,
28	,,	सुल्तान पुत्र मो. खां	,,
29	,,	नन्हा पुत्र वजीर मो.	,,
30	,,	सलामतउल्ला खां	,,
31	,,	गंगाराम पुत्र शिवलाल	,,
32	,,	मो. अतीक पुत्र अवहीद	,,
33	,,	मुन्ना खां पुत्र नजीर खां	,,
34	,,	इब्राहीम पुत्र रहमान	,,
35	,,	अब्दुल रहीम पुत्र अ. वहीद	,,
36	,,	बन्ने खां पुत्र अब्दुल कादर	,,
37	,,	प्रभुलाल बैरवा	,,
38	,,	हजारीलाल पुत्र चमनलाल	,,
39	,,	छोटा पुत्र मदन	,,
40	,,	शंकरलाल पुत्र भंवरलाल	,,

1		2	3
41	श्री	रामचन्द्र पुत्र सुखलाल	टौंक
42	,,	बशीर पुत्र शुभराती खां	,,
43	,,	महमूद पुत्र हाफिज ग्रहमद	,,
44	,,	रहीम बख्श पुत्र काजी बख्श	,,
45	,,	खलीलमियां पुत्र ग्रजीजुर्रहमान	,,
46	,,	कैलाशचन्द्र पुत्र दुलीचन्द	,,
47	,,	ग्रहमदमियां पुत्र साबिर हुसेन	,,
48	,,	ग्र. बशीर पुत्र सिद्धीकी	,,
49	,,	ग्र. मजीद पुत्र ग्र. वहीद	,,
50	,,	राधेश्याम पुत्र मूलचन्द	,,
51	,,	ग्रहमदअली पुत्र याकूब	,,
52	,,	श्रवण पुत्र सुखदेव	,,
53	,,	मो. ग्रतीक पुत्र मो. रफीक	,,
54	,,	रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ	,,
55	,,	वलीउल्ला खां	,,
56	,,	बाल्या पुत्र रघुनाथ लहन	,,
57	,,	फकीर मो.	,,
58	,,	चान्दमल	,,
59	,,	शांतीलाल पुत्र नन्दराम माली	,,
60	,,	ग्रब्दुल ग्रजीज	,,
61	,,	नेमीचन्द पुत्र कालू	,,
62	,,	सरकार मो. पुत्र नासर खां	,,
63	,,	भंवरलाल सक्सेना पुत्र राजबहादुर सक्सेना	,,
64	,,	मोतीलाल पुत्र कालूराम	,,
65	,,	महबूबग्रली पुत्र महइशहाक	,,
66	,,	गोपाल पुत्र ग्यारसीलाल	,,
67	,,	जावेद खां पुत्र ग्रजीज खां	,,
68	,,	विशमन हतेरी पुत्र मंगेश	,,
69	,,	भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल	,,
70	,,	उमरमिया पुत्र नन्हे खां	,,
71	,,	देवालाल पुत्र लक्ष्मण	,,
72	,,	युसूफ पुत्र मजीद खां	,,
73	,,	मन्नू पुत्र भानू	,,

Page No 248

(249)

1		2	3
74	श्री	सरजेवो मो. पुत्र सइदुदीन	टौंक
75	,,	माचखां पुत्र इब्राहीमखां	,,
76	,,	रामनाथ	,,
77	,,	अदुल हमीद पुत्र अ. रशीद	,,
78	,,	घासीलाल पुत्र किशनलाल	,,
79	,,	जगदीश पुत्र रामरख कोठारी	,,
80	,	लच्छुमल पुत्र जगदीश	,,
81	,,	दाऊलाल पुत्र भंवरलाल	,,
82	,,	सैयद अजीज खां पुत्र मजीदुद्दीन खां	,,
83	,,	अनवर मो. पुत्र गल मो.	,,
84	,,	गुलशन कुमार	,,
85	,,	श्याम बिहारी सक्सेना	,,
86	,,	शफीक खां पुत्र अहमद	,,
87	,,	बन्ने खां	,,
88	,,	चतुरभुज	,,
89	,,	रघुनाथ	,,
90	,,	पीरूलाल	,,
91	,,	राजेशलाल	,,
92	,,	खुदाबक्श	,,
93	,,	रामेश्वर	,,
94	,,	सरदार बुलन्द खां	,,
95	,,	मो. शमीम	,,
96	,,	लाला पुत्र श्रीमललाल	,,
97	,,	जगदीश प्रसाद	,,
98	,,	नवनामी टौंक	,,
99	,,	मो. अतीक	,,
100	,,	मसूद अली	,,
101	,,	अब्दुल मियां	,,
102	,,	नारायन	,,
103	,,	अर्जीजकल्ला	,,
104	,,	जमील अहमद	,,
105	,,	सूरजमल	,,
106	,,	अजीज मो.	,,

1	2		3
107	श्रीमती	रईसा बेगम	टोंक
108	श्री	खलील	,,
109	,,	सैयद मुमताज	,,
110	,,	अख्तर	,,
111	,,	अजीज भाई	,,
112	,,	समी उल्ला	,,
113	,,	नैहराम	,,
114	,,	रहमतशाह	,,
115	,,	महमूद	,,
116	,,	मो. मुस्तफा	,,
117	,,	कालमेहरा	,,
118	,,	मन्ती रमजानी	,,
119	,,	कन्हैयालाल	,,
120	,,	छुट्टू खां	,,
121	,,	पूरनमल	,,
122	,,	इरफान	,,
123	,,	देवालाल	,,
124	,,	शहजादा	,,
125	,,	अमीउल्ला	,,
126	,,	फारूकशाह	,,
127	,,	मोतीलाल	,,
128	,,	भैरूलाल	,,
129	,,	अमीर मो.	,,
130	,,	कल्याण पुत्र प्रताप	,,
131	,,	कल्ला थालवारी	,,
132	,,	क्वासी बेगम	,,
133	,,	मुन्ना केशरी	,,
134	,,	अ. मजीद	,,
135	,,	रईसा आमरक	,,
136	,,	भंवरीलाल	,,
137	,,	छोटेखां	,,
138	,,	कालेखां	,,
139	,,	मो. फैज	,,

1	2	3
140	श्री इनामूल्ला	टोंक
141	,, प्यारेमियां	,,
142	,, अल्लादिया	,,
143	,, नोशा	,,
144	श्रीमती पारवती	,,
145	श्री भैंरूलाल	,,
146	,, तेजमल हुसैन	,,
147	,, मो. शहीद	,,
148	,, बन्ने खाँ	,,
149	,, बानू पुत्र कालू	,,
150	,, हा. मो.	,,
151	,, बाबूखान	,,
152	,, हालचन्द	,,
153	,, कन्हैयालाल	,,
154	,, अ. शहीद	,,
155	,, मो. अजीज	,,
156	,, मो. उस्मान	,,
157	,, सुलेमानखां	,,
158	,, उसमान हैदरी	,,
159	,, मुबारक अली	,,
160	,, अ. लतीफ	,,
161	,, अहमद पुत्र अ. रहीम	,,
162	,, मो. उमर फ्लोर मिल	,,
163	,, जावेद खां	,,
164	,, नन्हा पुत्र सादुल्ला	,,
165	,, सै. मन्जूर अली	,,
166	,, अ. करीम	,,
167	,, हमीद अली	,,
168	,, छोटूखान	,,
169	,, मो. खान	,,
170	,, मो. उस्मान	,,
171	,, ओम प्रकाश	,,
172	,, बाबू बाजा	,,
173	,, केसरीलाल	,,

1	2	3
174	श्री मो. जाकिर	ठीक
175	,, मो. युसुफ	,,
176	,, जावेद अली	,,
177	,, रामनाथ पुत्र कालू	,,
178	,, अ. रशीद	,,
179	,, सै. असगरअली	,,
180	,, मो. सादिक	,,
181	,, अ. हफीज पुत्र मैयाखां	,,
182	,, मो. सलीक	,,
183	,, फैज मोहम्मद	,,
184	,, मो. इरफान	,,
185	श्रीमती शफी निसा	,,
186	श्री मो. मियां	,,
187	,, मो. जाकिर	,,
188	,, शफी मो.	,,
189	,, कालू मियां	,,
190	,, कूली पुत्र भूरा	,,
191	,, मो. फैयाज	,,
192	,, मो. हबीब	,,
193	,, मो. मियां पुत्र युसुफ	,,
194	,, अ. मजीद	,,
195	,, मो. अहमदखां	,,
196	,, मो. उस्मानउल्ला	,,
197	,, अ. रहमान	,,
198	,, छोटा पुत्र भूरा	,,
199	,, राजूमियां	,,
200	,, मो. इकबाल	,,
201	,, मो. इस्माइल	,,
202	,, मो. सुफिया पुत्र अयूब	,,
203	,, कैलाश पुत्र चन्दा	,,
204	श्रीमती फातिमा	,,
205	श्री मो. अनवर खां	,,
206	,, जाहिद खां	,,

Page No 252

(253)

1		2	3
207	श्री	मो. अनीस	टोंक
208	,,	इसहाक मियां	,,
209	,,	इसहाक पुत्र गल्ला	,,
210	,,	सुलतान मो.	,,
211	,,	परसराम	,,
212	,,	भैरूलाल	,,
213	,,	परसराम	,,
214	,,	मो. असलम	,,
215	,,	मो. इब्राहीम	,,
216	,,	प्रभुलाल पुत्र रामचन्द्र	,,
217	,,	खलीलमियां	,,
218	,,	मो. मियां	,,
219	,,	भैरूअली	,,
220	,,	इब्राहीम पुत्र अब्दुल रहमान	,,
221	,,	निसार अहमद	,,
222	,,	बन्नाखान	,,
223	,,	अ. रहीम	,,
224	,,	फाजुलहक	,,
225	,,	सईदुलरहमान	,,
226	,,	जगदीश पुत्र रामरख	,,
227	,,	घीसूलाल पुत्र रामरख	,,
228	,,	मांगीलाल	,,
229	,,	अजीज अहमद खान	,,
230	,,	मो. इब्राहीम	,,
231	,,	भैरूलाल पुत्र रामनाथ	,,
232	,,	मो. पुत्र उल्ला	,,
233	,,	हरीदास खारिया	,,
234	,,	मो. मियां पुत्र मो. शफी	,,
235	,,	राधेश्याम शर्मा	,,
236	,,	राधाकिशन पुत्र पन्ना	,,
237	,,	कुदरतुल्ला	,,
238	,,	ताहिरमियां	,,
239	,,	जाहिरुद्दीन	,,
240	,,	मो. इमरान	,,

1	2	3
241	श्री जैना फता	टोंक
242	,, ग्यारसीलाल	,,
243	,, रतनलाल	,,
244	,, जगदीशनारायण	,,
245	,, गुलाबचन्द	,,
246	,, सईदुल रहमान	,,
247	,, मुबारकअली	,,
248	,, खालिक पुत्र सानी	,,
249	,, कालू लुहार	,,
250	,, भैरूलाल पुत्र रामनाथ	,,
251	,, अभयकुमार टाक	,,
252	,, हफीज फैज मो.	,,
253	,, भूरालाल	,,
254	,, तपनदास	,,
255	,, हरीदास	,,
256	,, अ. लतीफ	,,
257	,, अ. रशीद	,,
258	,, भंवरलाल पुत्र मोहनलाल	,,
259	,, डालूराम पुत्र लखमा	,,
260	,, कल्याण पुत्र मासूमअली	,,
261	,, मुल्ला पहलवान	,,
262	,, भूरा खां	,,
263	,, अमीरा पुत्र अली मो.	,,
264	,, मो. इब्राहीम पुत्र मो. अमर	,,
265	,, मो. जाकिर/शब्जू टाक	,,
266	,, याकूब/छोटा	,,
267	,, मो. ईनाम/नजरखां	,,
268	,, फिरोज हामीद	,,
269	,, बशीर पुत्र सुबराती	,,
270	,, मो. युसूफ	,,
271	,, अहमदअली/याकूब	,,
272	,, राधेश्याम पुत्र मोहनचन्द	,,
273	,, मो. अजीज	,,
274	,, अहमदमियां	,,

(255)

1	2	3
275	श्री कल्लन पुत्र सुभान	टौंक
276	,, रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ	,,
277	,, वलीउल्लाह	,,
278	,, मो. अतीक पुत्र नफीस खां	,,
279	,, बशीर खां	,,
280	,, शंकरलाल पुत्र भंवरलाल	,,
281	,, ताहिर मोहम्मद	,,
282	,, रहीम बख्श	,,
283	,, जेता फीमा	,,
284	,, मो. उस्मान पुत्र वली	,,
285	,, बनारसीलाल पुत्र चन्द्रालाल गुजर	,,
286	,, निसार अहमद पुत्र मो. शफीक	,,
287	,, फैज मो.	,,
288	,, हजारीलाल पुत्र चमनलाल	,,
289	,, काजिमउल्ला	,,
290	,, जगदीशनारायन	,,
291	,, भेरूंलाल पुत्र फतेहमल	,,
292	,, इकबाल हुसैन	,,
293	,, अजीजअहमद पुत्र मो. रमजानी	,,
294	,, फजोड़मल	,,
295	,, सीताराम	,,
296	,, घोलचन्द/ बाबूलाल	,,
297	,, अजीज मो.	,,
298	,, रामेश्वर	,,
299	,, सुलेमान बाजेवाला	,,
300	,, कालेखां	,,
301	,, अ. करीम	,,
302	,, उदा पुत्र जवारिया	,,
303	,, मुस्तफा/रमजानी	,,
304	,, इरफान/कालु	,,
305	,, अ. रसीद पुत्र अ. वहीद	,,
306	,, फातमा/रईसमियां	,,
307	श्रीमती रशीदा पत्नी अल्लादिया	,,

Page No 255

1	2	3
308	श्री सं. मुमताजअली	टोंक
309	,, छाटेखां पुत्र अ. रहीम	,,
310	,, अ. सईद/अ. समद	,,
311	,, इनामुल्ला खां/कालेखां	,,
312	,, अजी मुल्ला खां/कालेखां	,,
313	,, मो. यूसुफ/मो. करीम	,,
314	,, हाजि अल्लादिया	,,
315	,, मो. युसुफ/नसरत खां	,,
316	,, मो. मियां/युसुफ	,,
317	,, महमूदहसन/अ. हसन	,,
318	,, छुट्टीखां/मीरखां	,,
319	,, हा. निसारअहमद	,,
320	,, बरहानअली	,,
321	,, मो. इब्राहीम/मो. इस्माइल	,,
322	,, छोटा/मुन्दखां	,,
323	,, अ. रसीद/अ. अली	,,
324	,, अ. समद/अ. रहीम	,,
325	,, मो. मियां/अफीजुल्ला	,,
326	,, खुदाबख्श/भेरूखां	,,
327	,, फेज मो. पुत्र दोस्त मोहम्मद	,,
328	,, बशीर/कालु	,,
329	,, सुभान/अय्यूब	,,
330	,, रसीद पुत्र अहमद	,,
331	,, मो. अजीज	,,
332	,, फजलहक	,,
333	,, अल्लादिया/मो. हुसैन	,,
334	,, प्यारमियां/सादेखां	,,
335	,, मो. मियां पुत्र रफीकखां	,,
336	,, अमीरअली. बाई	,,
337	,, बाबूलाल सिंहल	,,
338	,, जुम्मी/अ. शकूर	,,
339	,, सहदुल हुसेन	
340	श्रीमती बतूल बेगम	
341	श्री भंवरसिंह/फतेहसिंह	

1	2	3
342	श्री भैयामियां इस्माइल	टोंक
343	,, बाबूलाल/माधोलाल	,,
344	,, मो. युनुस	,,
345	,, साबिर/समीउल्ला	,,
346	,, अ. हमीद पुत्र अ. सलीम	,,
347	,, नसीम पुत्र मुस्तफा	,,
348	,, मो. हबीबा	,,
349	,, मो. मियां/नियाज मो.	,,
350	,, ज्ञानचन्द	,,
351	,, खलील मियां	,,
352	,, बरुब खां	,,
353	,, रईस मियां	,,
354	,, भैरू पुत्र रामनाथ	,,
355	श्रीमती खुरशीद बेगम	,,
356	श्री फैज मोहम्मद	,,
357	,, मो. शाहिद	,,
358	,, अमीन	,,
359	,, कन्हैया/छीतर	,,
360	,, नन्हा/ बादुला	,,
361	,, सरदारा/बुलन्द खां	,,
362	,, राजमियां/इलामु	,,
363	,, हा. मो. शाह	,,
364	,, अ. मजीद पुत्र अकाराओ	,,
365	,, ओम प्रकाश	,,
366	,, वाहिद हुसैन	,,
367	,, मो. सिद्धीकी/ करीम	,,
368	,, निसार अहमदमो. शरीफ	,,
369	,, मो. इब्राहीमअ. रहीम	,,

ह.
कनिष्ठ अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.)
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल,
टोंक

ह. सहायक अभियन्ता (परि. एवं सेवा.)
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल टोंक
(राज.)

258

परिशिष्ट— 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची

सूची स्वीकृत राहत कार्य सं. 2036 (1979-80) जिला बून्दी

तह. पाटन :

भू-संरक्षण विभाग

उतराना तालाब 89,696/-

सा. नि. वि. :

1	लबान से ढगारिया	0.80 लाख
2	पापड़ी से बंसवाड़ा	12.60

पंचायत राहत का। शा. भ. :

1	मेनीली	24,000/-
2	छोड़ेदा	24,000/-
3	हान्डग्रा खोड़ा	24,000/-
4	धाटका बराना	24,000/-
5	फराईवा	24,000/-
6	फालाजी का बराना	24,000/-
7	हुरनिया	24,000/-
8	कोडक्या बालाजी	24,000/-

तहसील बून्दी :

वन विभाग :

रिकास्टींग ऑफ दी ग्रेड फोरेस्ट एवं पेन्ट्स एरिया

गुवार	2,25,000/-
,, खाडीबारा	30,000/-
,, लक्ष्मीपुरा	35,000/-

सिंचाई विभाग :

1	लोअर पलका टैंक	14,000/-
2	आमयून टैंक	42,000/-

सा. नि. वि. :

1	नमाना से गरडदा	1.18 लाख
2	बरूधन से सुतड़ा	0.80 लाख

पंचायत राहत कार्य :

1	कूप निर्माण पालका	15.81 लाख
2	कूप मरम्मत जलोदी	83.15
3	शा. भ. पीपल्दा हाडोका	10,273
4	,, करवटं पीपल्दा हाडोका	51.45
5	कूप मरम्मत खुलसी	1130/-
6	तालाब मर. तुलसी	5028/-
7	शा. भ. मेघा की, झो.	24,000/-
8	,, काटी	24,000/-
9	,, मोहन पुरा	24,000/-
10	,, देलुन्दा	24,000/-

तहसील नैनवा :

भू-संरक्षण विभाग

1	वम्बूली वाटर लेड	213,188/-

वन विभाग :

1	जेतपुर क्लोजर	15,000/-
2	वन खण्ड लाखोरी	55,000/-
3	जेतपुर चौकी निर्माण	20,000/-
4	रिकोस्टीग दी ग्रेड फोरेस्ट इन पेन्ट्स खानपुर डुगरी	80,000/-

289

सिचाई विभाग :

1	डाडून टैंक	34,000/-
2	देई गंगासागर	20,000/-

सा. निर्माण विभाग :

1	देई से करवर	80000/-
2	तलवास से करवर	18.90 लाख

पंचायत राहत कार्य :

1	शा. भ. सादेड़ा	14,000/-
2	,, कालानला	14,000/-
3	,, देई	17 600/-
4	प. भ. बालापुरा	14 000/-
5	बैरवों की तलाई	24,500/-
6	बड़ा तालाब करवर	24,500/-
7	बाजार खुरूजा करवर	24 500/-
8	खारूजा बड़ा बाजार करवर	46,300/-
9	हरियाली कूप करवर	4,260/-
10	नाली निर्माण बासी	8,661/-

तहसील हिण्डोली :

वन विभाग :

1	आकोदा चौकी	20,000/-
2	रिकोस्टीक आफ दी	30,000/-
	ग्रेड फो. इन पेपन्टस् भोजपुर	30,000/-
3	,, ओदन्धा	30,000/-
4	,, शिकार बुर्ज	22,500/-

सिंचाई विभाग :

1	देवा का खेड़ा तालाब	35,000/-
2	विजय गढ़ टैंक	30,000/-

सा. नि. वि. :

1	सथर से बयमोली सड़क	7.80 लाख
2	मेधारावत की भो. से खीन्या	0.80 लाख

पंचायत राहत कार्य :

1	प्रा. शा. भ. बीसनपुरा	24,000/-
2	,, इमलिया	13,920/-
3	,, ओदन्धा	13,920/-
4	,, काबरी	13,920/-
5	,, अशोक फैक्ट्री	24,000/-
6	,, मरडिया	18,375/-
7	,, सोरहण	13,920/-
8	,, हरमालीका खेड़ा	13,920/-
9	,, भवानीपरा	13,920/-
10	,, रघुनाथपुरा	13,920/-
11	,, अन्तन्त गुज	13,920/-
12	,, पपराला	13,920/-
13	,, नेहड़ी	13,920/-
14	प. भ. सावतगढ़	22,500/-
15	,, डाबेटा	22,500/-
16	,, सहसपरिया	22,580/-
17	,, विजयगढ़	24,000/-
18	कूप मरम्मत डा बेटा माता जी	7000/-
19	ओप. भ. उमर	13,920/-
20	,, मयगढ़	24,000/-

तहसील हिन्डोली :

21	ओष. भ. बासनी	13,920/-
22	कूप निर्माण वड़ा नया गांव ड्रोप	
23	प.भ. ठिकरदा बाउन्ड्री वाल	2960/-
24	प्रा. शा. भ. रिसन्दा	24,000/-
25	प्रा. शा. हरणा	24,000/-
26	प. भ. खीन्या	24,000/-
27	बा.शा. भ. गोडठा	24,000/-
28	शा.भ. बरामदा निर्माण गोडठा	9100/-

अभाव स्थिति सं० 2036 में पूर्ण हुए कार्यों का विवरण

क्र.	नाम कार्य	तहसील	कुल लागत अनुमानित	व्यय
1	2	3	4	5
1	शाला भवन देई	नैनवा	17,600/-	17,423/-
2	बैरओं की तलाई देई	,,	24,500/-	23,640/-
3	खावजा कार्य करवर	,,	24,540/-	23,623/-
4	खाडुजा बड़ा बाजार करवर	,,	46,380/-	43,685/-
5	बड़ा तालाब करवर	,,	24,500/-	24,271/-
6	हरियाली कूप करवर	,,	4260/-	4,059/-

ह./-

जिलाधीश, बून्दी

सूची स्वीकृत राहत कार्य अभाव स्थिति सं. 2037

जिला बून्दी

तहसील केशोरायपाटन :

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य की लागत
	सार्वजनिक निर्माण विभाग	
1	लबान से ढगारिया सड़क	11.00 लाख
2	पापड़ी से बसवाड़ा सड़क	13.00 ,,
3	पीलाई से भैसखेड़ा सड़क	2.50 ,,
4	ढगखेड़ा से मोखीदा सड़क	2.14 ,,
5	झाली जी का बराना से चौतरा का खेड़ा सड़क	1.42 ,,
	भू-संरक्षण विभाग :	
1	उतराना तालाब कार्य	66,733/-
2	गेण्डोली तालाब कार्य	166,820/-
3	धाजन्दा तालाब कार्य	40,502/-
4	पीलाई टैंक	50,600/-
5	गेण्डोली बड़ा तालाब	21,120/-
6	गूता तालाब	1,30,460/-
	पंचायत राहत कार्य	
1	कूप मरम्मत मोरखदुदा	3350/-
2	,, पीलाई	670/-
3	,, जगन्नाथपुरा	1660/-
4	,, भैसखेड़ा	15,410/-
5	,, कुआ गांव	7,375/-
6	,, पीलाई	11,900/-
7	नव कूप जहुरिना	22,800/-
8	,, लोहली	25,800/-
9	नव कूप खरायता	18,000/-
10	,, डपटा	9,970/-
11	शाला भवन कोडक्या बालाजी	24,000/-

1	2	3
12	शा. भ. मैनोली	24,000/-
13	नव कूप मैनोली	31,850/-
14	नव कूप बरानी	25,800/-
15	कूप मरम्मत करवाला झो.	5,100/-
16	शा. भ. छोड़ेदा	24,000/-
17	कूप मरम्मत करवाला	9,970/-
18	कूप मरम्मत गेण्डोली	9970/-
19	नव कूप भडेल	9860/-
20	,, हागा हेड़ी	9860/-
21	,, बसवाड़ा	35,500/-
22	,, करिरीया	44,925/-
23	शहनपुर तलाई कार्य	1690/-
24	कूप मरम्मत पीपल्दा थारा	9960/-
25	नव कूप माखीदा	48,750/-
26	,, बड़ गांव	44,925/-
27	भवपुरा बावड़ी मर.	6100/-
28	भावपुरा कूप मरम्मत	4400/-
29	नव कूप कोटा खुर्द	49130/-
30	कूप मरम्मत बिकोली	19190/-
31	नव कूप लक्ष्मीपुरा	20,735/-
	कुल 42 कार्य	

तहसील बून्दी :

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य की लागत
	सार्वजनिक निर्माण विभाग :	
1	नमाना से डरदा सड़क	20.60 लाख
2	बरूधन से सूतड़ा सड़क	40.00 लाख
3	बुन्दी से माटुन्दा सड़क	6.00 लाख
4	नरजुना से नीमा का खेड़ा सड़क	1.82 "
5	नमाना से बरूधर सड़क	1.82 ,,
6	जखाना से रायथल सड़क	1.53 ,,
7	गरड़ता से भोपतपुरा सड़क	2.52 ,,
8	एपरोच रोड़ रामनगर	2.27 ,,
9	एपरोज रोड़ कालपुरिया गोपालनिवा	2.41 ,,
	सिचाई विभाग :	
1	अपर पलका टैंक	7,061/-
2	आ मथून टैंक	28,490/-
3	राम नगर दौरा	6,000/-
4	घनेश्वर टैंक	7,061/-
5	अभय पुरा टैंक	75,92,000/-
6	डाबी टैंक	7,94,000/-
7	केवडिया पिकअपवियर	1,52,400/-
8	बून्दी तालाब	2,34,480/-
9	बड़दा केनाल	54,400/-
10	चांदा का तालाब	12,500/-
	वन विभाग :	
1	गुढा नीपा खेड़ा	1,20,000/-
2	खटकड कलोजर	40,000/-
	पंचायत राहत कार्य :	
1	पलका कूप मरम्मत	15,088/-
2	शा. भ. पीपल्दा हाड़ोका	10,273/-
3	करवंट पीपल्दा हाड़ोका	5,145/-
4	कूप मरम्मत तुलसी	1,130/-
5	तालाब कार्य तुलसी	5,028/-
6	शा. भ. मोहनपुरा	24,000/-
7	शा. भ. मेघारावत की झो.	24,000/-
8	शाला भवन देलुन्दा	24,000/-
9	नव कूप कोहली	15,870/-
10	कूप मरम्मत पटयाल	13,850/-
11	नव कूप करोन्दी	10,170/-
12	नव कूप खाडीपुर	19,470/-
13	जलोती कूप मरम्मत	8,315/-
14	कछालिया कूप मरम्मत	6,060/-
15	बिजाड़ी कूप मरम्मत	7,670/-
16	नव कूप डोरा	10,170/-
17	कूप मरम्मत लक्ष्मीपुरा	2,150/-
18	नव कूप भुनपुरिया	15,870/-

1	2	3
19	कूप मरम्मत बनजारी देवी मोलोकी	5770/–
20	कूप मरम्मत बाजोरी देवरिया बलाईयो की	3,530/–
21	कूप मरम्मत घनेश्वर	3,521/–
22	,, कंवरपुरा	10,940/–
23	,, चयनपुरिया	10,675/–
24	,, मसतोली	4,727/–
25	,, रामनगर कंजरको	1930/–
26	,, दौलतपुरा	1,618/–
27	,, लाम्बाखोह	1,877/–
28	,, प्रेमपुरा	1,664/–
29	,, गोपाल निवास	515/
30	, जवाहर नगर	1,950/–
31	,, पाकलपुरिया	3,800/–
32	,, डाबी (बेरी)	1,242/–
33	,, डाबो (बलाईयान)	819/–
34	,, डाबी (भीलान)	2,480/–
35	,, डाबी (बाजार)	680/–
36	,, सजपुरा	19,490/–
37	नव कूप डलालिया	10,170/–
38	नव कूप गुढ़ा	10,170/–
39	नव कूप दयालपुर	7,000/–
40	नव कूप जलोदी	10,725/–
41	कूप मरम्मत भेरूपुरा	4,300/–
42	,, मालासपुरा	10,250/–
43	,, मण्डावरी	12,120/–
44	,, मण्डावरा	1,950/–
45	,, मंगाल	3,130/–
46	,, मलसवा	9,945/–

(कुल 67 कार्य)

1	2	3
	तहसील नैनवा :	
	सार्वजनिक निर्माण विभाग :	
1	करवर से देई सड़क	25 लाख
2	तलवास से करवर	18.00 लाख
3	नैनवा से दगारी	13.30 लाख
4	भजनेरी से दबलाना	21.94 लाख
5	बाछोला से जजावर	1.73 लाख
6	नैनवा से सुवान्या	1.53 ,,
7	बबुली से गम्भीरा	2.50 ,,
8	बामन गांव से समीधि	2.23 ,,
9	समिधी से खातोली	2.37 ,,
10	गुरजन्या से बालापुरा	2.33 ,,
	सिंचाई विभाग:	
1	मोतीपुरा टैंक	9,450,00/– 39,200/–
2	देई गंगासागर	1,10,594/–
3	बांक्या नया गांव	93,500/–
4	दुगारी नहर	40,40,000/–
5	कोठी एव	9,53,000/–
6	ढाढून टक	21,360/–
7	बटाउवदी नहर	54,000/–
8	नैनवा तालाब	1,10,600/–
9	देई पिक अपवियर	26,500/–
	भू-संरक्षण विभाग :	
1	गुढा देवजी वाटर शेड नं.	1,92,063/–
2	,, नं. 4	49,122/–
3	,, नं. 3	74,715/–
4	बम्बूली वाटर शेड	210,965/–
5	बालापुरा तालाब	33,880/–
6	गुढा देवजी वाटर शेड नं. 1	74,976/–
	वन विभाग :	
1	जजावर प्लांटेशन	36,000/–
2	जेतपुर कलोजर	15,150/–
3	वनखण्ड लाखेरी कलोजर	60,500/–
4	आतरदा कलोजर	90,000/–

Page No 262

1	2	3
	पंचायत राहत कार्य :	
1	शा०भ०सावेडा	14,000/-
2	शा०भ०कालानला	14,000/-
3	कूप मरम्मत सादेडा	4580/-
4	कूप मरम्मत कालानला	3480/-
5	नव कूप पलासतूनी	9,920/-
6	नाली निर्माण बासी	8 661/-
7	कूप मरम्मत रामगंज	3,990/-
8	कूप मरम्मत नयागांव	3,406/-
	तहसील नैनवा :	
9	कूप मरम्मत सूरगली	2,241/-
10	तालाव कार्य बाछोला	9,882/-
11	पंचायत भवन बालापुरा	14 000/-
12	तालाब कार्य बालापुरा	9,892/-
13	कूप मरम्मत हीरापुरा	2,638/-
14	,, बालापुरा, बैर.	3,956/-
15	,, बालापुरा	3,612/-
16	,, कलश्यों	5,728/-
17	,, जरखोदा दण्डमाल	3,414/-
18	,, जरखोदा हेली	4,928/-
19	,, जरखोदा मेन्दोलाई	3,166/-
20	,, कलम्या बैरवा	3,375/-
21	,, तालाब कार्य जरखोदा	9,892/-
22	कूप मरम्मत भावपुरा	2,355/-
23	कूप मरम्मत धीरपुर (बैरवा)	830/-
24	कूप मरम्मत अरियाली	5,162/-
25	करवर स्कूल के पास कूप	3,024/-
26	कूप मरम्मत करवर खटीकान	3,640/-
27	,, करवर रेगरान	3,686/-
28	,, बागान हरियाली	3,774/-
29	,, लाम्बा बरड़ा वार्ड न. 4	3,830/-
30	,, जेतपुर वार्ड न.5	3,414/-
31	,, काकरिया	5,574/-
32	कूप मरम्मत सग्राम गंज	1,230/-
33	,, नया गांव	5,020/-
34	,, संग्राम गंज	4,210/-
35	,, आतरदा	1,355/-
36	,, अरनेठा वार्ड नं. 7	1,090/-
37	,, तलवास	2,547/-
38	,, नीम का खेड़ा	2,845/-
39	नव कूल केमला	9,920/-
40	कूप मरम्मत गुढा सदावर्तिया	860/
41	कूप मरम्मत पीपल्या	9,800/-
42	,, रजलावता भैरूजी	2,655/-
43	,, रजलावता बैरवा	4,678/-
44	,, बामन गांव बैरवा	4,043/-
45	,, बामनगांव खटीको का	3,719/-
46	तालाब कार्य बामनगांव	9,892/-
47	कूप मरम्मत रेढोदा	2,280/-
48	नव कूप भजनेरी	9,920/-
49	कूप मरम्मत दौलतपुरा	3,421/-
50	,, बम्बूली	1,496/-
51	तालाब कार्य बम्बूली	9,892/-
	तहसील हिण्डोली :	
	सार्वजनिक निर्माण विभाग :	
1	सथूर से बसोली सड़क	40.50 लाख
2	मेघारावत की झो. से थींया	18.50 ,,
3	एपरोचरोड बडानिया गांव	2.20 ,,
4	तालाब गांव से बडोदिया	2.42 ,,
5	पेचकीबावड़ी से टोकडा सड़क	1.58 ,,
6	एपरोच रोड ठीकरदा	1.89 ,,
7	रघुनाथ पुरा से विजयगढ़	2.04 ,,
8	नेगढ से बसोली	2.30 ,,
9	एपरोच रोड सावतगढ़	0.64 ,,
10	धनाव से दबलाना	2.45 ,,
11	एपरोच रोड खालीखेडा	1.046 ,,
12	फुलसागर से बोरखांडी	0.75 ,,

1	2	3
	सिंचाई विभाग :	
1	हनकाखाल	6213/-
		15,35,000/-
2	विजयगढ़	48,500/-
3	मरडिया टैंक	94,094/-
4	बाक्याखाल	15,90,000/-
5	पेचकी बावडी टैंक	53,850/-
6	बासनी टैंक	41,670/-
7	काछोला टैंक	27,333/-
8	खेरखटा एनीकट	2,18,227/-
9	सतखाना तालाव	17,995/-
	वन विभाग :	
1	दराका नया गांव से विषधारी वन सड़क	24,100/-
2	ग्रोदन्धा कलोजर	55,900/-
3	डाट्न्दा कलोजर	40,300/-
	पंचायत राहत कार्य :	
1	पंचायत भवन खीन्या	24,000/-
2	गाटेवाली वा. खीन्या	9,000/-
		5,800/-
3	नव कूप खीन्या	17,230/-
4	कूप मरम्मत खीन्या महा	7850/-
5	कूप मरम्मत डा बेटा	3,832/-
6	पंचायत भवन डा बेटा	22,580/-
7	नव कूप दरा का नया गांव	9,000/-
8	नव कूप साम्भरवाडी	9,870/-
9	कूप मरम्मत डा बेटा	4,975/-
10	कूप मरम्मत विषधारी	3,400/-
11	कूप मरम्मत डाबेटा (बैरवा)	3,110/-
12	ग्रोप. भ. बासनी	13,920/-
13	चि. भ. उमर	1,3920/-
14	नव कूप उमर	9,870/-
15	नवकूप बासनी	9,870/-
	तहसील हिण्डोली :	
16	कूप मर. बासनी	19,180/-
17	,, लखेश्वर	3,060/-
18	,, उमर	5,000/-
19	पंचायत भ. ठीकरदा बाउन्ड्री वाल	2960/-
20	कूप मर. ठीकरदा रेगरान	2,800/-
21	,, ,, मेघवाल	3,730/
22	,, ,, मालीयान	3,350/-
23	,, ,, गढ़ के पास	3,930/-
24	,, ,, पं. भ. के पास	3,250/-
25	शा. भ. ग्रोदन्धा	13,920/-
26	,, काबरी	13,920/-
27	,, हुआलिया	13,920/-
28	नवकूप ग्रोबन्धा	9,870/-
29	,, पगारा	17,230/-
30	पं. भ. सावतगढ़	22,580/-
31	शा. भ. सोहरण	13,920/-
32	,, हरमाली का खेड़ा	31,920/-
33	कूप मरम्मत सावंतगढ़	3,200/-
34	शा. भ. अशोक फैक्ट्री	24,000/
35	,, अन्तगंज	13,920/-
36	,, रोसुन्दा	24,000/-
37	,, हरणा	24,000/-
38	पं. भ. सहसपुरिया	22,580/-
39	नवकूप रघुनाथपुरा रेगरान	9,870/-
40	कूप मरम्मत सीगाडी	3,670/-
41	ग्रोप. भ. नेयगढ़	24,000/-
42	शा. भ. मरड्या	18,375/-
43	कूप मरम्मत नेयगढ़	3,450/-
44	कूप मरम्मत लादु	1,500/-
45	पाडल तलाई नेयगढ़	9,330/-
46	शा. भ. भवानीपुरा	13,920/-
47	नव कूप भवानीपुरा	17,530/-

1	2	3	1	2	3
48	कूप मरम्मत रेएा	1,740/-	70	नव कूप धारघड़ी	9870/-
49	पं.भ. विजयगढ़	24,000/-	71	,, पीपलवासा	17,230/-
50	शा.भ. नेड़ुदी	13,920/-	72	,, आकोदा	9870/-
51	कूप मरम्मत विजयगढ़ रेगरान	3,925/-	73	,, चैनपरिया	9870/-
			74	कूप मरम्मत टरडक्या	3130/-
52	कूप मरम्मत फालेन्डा	3125/-	75	,, ग्रा. की झो.	1725/-
53	कूप मरम्मत फतेहगढ़	2,200/-	76	,, मीणों की झो.	2430/-
54	कूप मरम्मत विजयगढ़	3,320--	77	नव कूप भवानीपुरा	9870/-
55	शा. भ. पपराला	13,920/-	78	कूप मरम्मत भ्रोण बाजार	1470/-
56	शा. भ. बीसनपुरा	24,000/-	79	कूप मर.भ्रोबण शाला पास	2245/-
57	कूप मरम्मत थाना	5180/-	80	,, बोवण खायाडोर	3970/-
58	कूप मर. खातीयोकी झो.	2840/-	81	,, खेरखटा	8325/-
59	कूप मर. टहूला	3875/-	82	,, कालाबाटा भ्रलोद	4275/-
60	खलावलिया तलाई कार्य	7900/-	83	नव कूप कासकीभ्रातरी	9870/-
61	नव कूप ईटोडा	17,230/-	84	कूप मर. बालोला	1400/-
62	नव कूप गोरधनपुरा	9870/-	85	,, भ्रमरतिया	875/-
63	शा.भ. गोठडा	9100/-	86	,, नथावा	6520/-
64	बालिका शा.भ. गोठडा	24,000/-	87	,, सथूर	605/-
65	नव कूप बसोली	14,860/-	88	नव कूप सथूर	6870/-
66	कूप मरम्मत बसोली नाढ़ा	3365/-	89	,, नारायणपुरा	17,230/-
67	नव कूप रूपपुरा	9870/-	90	,, गुढा	17,230/-
68	नवकूप रामीकी भों.ढाटून्दा	17,230/-	91	कूप मरम्मत रानीपुरा	2210/-
69	कुप मरस्मत ढाटून्दा	1800/-	92	शा. भ. रघुनाथपुरा	13,920/-

सची प्रभाव स्थिति स० 2037 में पूर्ण हुये कार्यो का विवरण

क्र.सं.	अभिकरण	नाम कार्य	तहसील	कार्य की लागत अनुमानित	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	वन विभाग	खेतपुर क्लोजर	नैनवा	15,150/-	10,785/- इस कार्य पर सं० 2036 में व्यय हुये 3969/-
2	,,	लाखोरी क्लोजर	पाटन	60,500/-	36,205/-
3	,,	गुढ़ा नीमा का खेड़ा	बून्दी	120,000/-	118,393/-
4	सिचाई विभाग	ग्राम यून टैंक	,,	28,490/-	58,306/-

Page No 265

(266)

1	2	3	4	5	6
5 कूप मरम्मत	रामनगर दौरा	,,	6,000/-	4,955/-	
6 ,,	पांदा का तालाब	,,	12,500/-	2,653/-	
7 भू-संरक्षण विभाग	उतराना तालाब कार्य	पाटन	66,733/-	56,248/-	
8 ,,	गेण्डोली तालाब	,,	166,820/-	81,201/-	
9 ,,	आजन्दा	,,	40,502/-	7,468/-	
10 ,,	गुता तालाब	,,	130,460/-	84,796/-	
11 ,,	पोलाई टेंक	,,	50,600/-	48,295/-	
12 ,,	गुढ़ा देवजी वाटर शेड नं. 2	नेनवा	92,063/-	72,208/-	
13 ,,	,, ,, नं. 3	,,	74,715/-	21,725/-	
14 ,,	,, ,, नं. 4	,,	49,122/-	37,748/-	
15 ,,	,, ,, नं. 1	,,	1,74 876/-	74,468/-	

नोट 1 :–आजन्दा तालाब कार्य विवादग्रस्त हो जाने से बन्द किया गया था इस वजह से इस कार्य को पूर्ण कार्य में शामिल किया गया है।

2 :–भू-संरक्षण विभाग के शेष कार्यों में वास्तविक व्यय राशि केवल मजदूरी भुगतान योग्य राशि की दिखाई गई है। सामग्री व्यय एवं अन्य व्यय राशि की सूचना विभाग से प्राप्त की जा रही है। जिससे शीघ्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

3–कोई सड़क कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं।

1 पंचायत समिति के० पाटन		कूप मरम्मत पौलाई	670/-	587/-
2	,,	कूप मरम्मत मोहरखोदना	3350/-	2477/-
3	,,	भैस खेड़ा	15410/-	7544/-
4	,,	जगन्नाथपुरा	1660/-	541/-
5	,,	कूप मरम्मत कुआ गांव	9960/-	4387/-
6	,,	सहनपुर तलाई	1690/-	515/-
7	,,	1:–शामार नं. 7 व 8 संबंधित सूचना विकास अधिकारी से प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी।		
8	,,	2:–वास्तविक व्यय राशि में मजदूरी के रूप में वितरण किये गये गेहूं की कीमत शामिल नहीं है।		

(267)

सूखा अभाव स्थिति सं. 2037 में पूर्ण हुए कार्यों का विवरण जिला बूंदी

1	पंचायत सं. तालेड़ा	शा. भ. बेलुन्दा	24,000/-
2	,,	कूप मरम्मत तुलसी	1130/-
3	,,	शा. भ. पीपल्दा हाड़ो का	10,273/-
4	,,	कलवर्ट पीपल्दा हाड़ोका	5145/-
5	,,	कूप मरम्मत जवाहरनगर	1950/-
6	,,	,, लक्ष्मीपुरा	2150/-
7	,,	,, डाबी बलाईयान	819/-
8	,,	,, अलोदी	8315/-
9	,,	,, रामनगर	1980/-
10	,,	,, कंवरपुरा	10,940/-
11	,,	,, मण्डावरा	1950/-
12	,,	,, मण्डावरी	12,120/-
13	,,	,, बन्जारी देवरिया भीलों की	5770/-

नोट:—उक्त कार्यों के वास्तविक व्यय की सूचना पं. स. से प्राप्त की जा रही है। जिससे प्राप्त होते ही शीघ्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

1	पंचायत सं. नैनवा	हरियाली कूप करवर	5162/-	4708/-
2	,,	कूप कार्य करवर स्कूल	3024/-	2975/-
3	,,	कूप मरम्मत करवर खटीका	3640/-	3605/-
4	,,	कूप ,, करवर रेगरान	3686/-	3426/-
5	,,	हरियाली कूप बागान करवर	3774/-	2321/-
6	,,	कलम्या कूप मरम्मत	5728/-	5925/-
7	,,	हेली कूप	4928/-	4548/-
8	,,	बेरवा कूप कलम्या	3375/-	3266/-
9	,,	मेन्दोबाई कूप	3166/-	1529/-
10	,,	तालाब कार्य जरखोदा	9892/-	8293/-
11	,,	कूप मरम्मत बालापुरा	3612/-	680/-
12	,,	तालाब कार्य बालापुरा	2892/-	8501/-
13	,,	पं. भ. बालापुरा	14,000/-	8159/-
14	,,	कूप मरम्मत बालापुरा	3956/-	
15	,,	कूप मरम्मत बामनगांव बैरवा	4043/-	4262/-
16	,,	खटीकान कूप बामनगांव	3719/-	3303/-

17	पंचायत सं० नैनवा	बामनगांव तालाब कार्य	9882/-	8660/-
18	,,	कूप सुनरली	2241/-	315/-
19	,,	कूप नया गांव	3406/-	566/-
20	,,	तालाब मरम्मत बाछोलो	5892/-	5834/-
21	,,	लालबाई कूप खादेड़ा	4580/-	1791/-
22	,,	खलियान कूप काला नला	3480/-	583/-
23	,,	खालास्तुनी कूप	9920/-	617/-
24	,,	दौलतपुरा कूप	3421/-	318/-
25	,,	कार्करिया कूप	5574/-	4408/-
26	,,	नीम का खेड़ा कूप	2845/-	113/-
27	,,	बेरवा कूप भोरपुर	830/-	297/-
29	,,	कूप मरम्मत पीपल्या	9800/-	6578/-
30	,,	कूप मरम्मत रजलावता भैरूजी	2680/-	620/-
31	,,	कूप मरम्मत रजलावता	4678/-	1178/-
32	,,	तालाब कार्य बम्बूली	9892/-	8474/-
33	,,	कूप लाम्बा बरड़ा वार्ड नं. 5	3414/-	961/-
34	,,	कूप गैसपुर वार्ड नं. 4	3030/-	1651/-
35	,,	कूप मरम्मत बण्डमाल जरखोदा	3414/-	812/-
36	,,	कूप मरम्मत जरखोदा	2280/-	882/-
37	,,	नाली निर्माण बासी	8661/-	8068/-
38	,,	कूप मरम्मत हीरापुरा	2688/-	
49	,,	,, भावपुरा	2355/-	
40	,,	,, नया गांव	5020/-	
41	,,	,, संग्राम गंज	4210/-	
42	,,	,, भातरदा	1356/-	
43	,,	,, अरनेठा वार्ड नं. 7	1090/-	
		,, नवकूप भजनेरी	9920/-	

नोट:—उक्त कार्यों में से कुछ कार्यों की सामग्री व्यय की सूचना प्राप्त नहीं होने से कुल व्यय सूचना पूर्ण रूप से नहीं दर्शाई गई है।

3.- शुमार नं. 37 से 43 एवं 14 के वास्तविक व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिसे एकत्रित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर शीघ्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

पंचायत समिति हिण्डोली :

पंचायत समिति हिण्डोली में कुल 92 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 41 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों के वास्तविक व्यय एवं विवरण पंचायत समिति से प्राप्त किया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर शीघ्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

स्वीकृत कार्यों का विवरण

नाम अभिकरण	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण हुये कार्य	अधूरे कार्य
1 सा. निर्माण वि.	36	–	34
2 सिंचाई विभाग	28	3	22
3 भू संरक्षण विभाग	12	9	3
4 वन विभाग	9	3	6
पंचायत राहत कार्य			
प.सं. के. पाटन	31	8	20
,, तालेड़ा	46	13	13
,, नैनवा	51	43	—
,, हिण्डोली	92	41	42
पं. स. योग ..	220	105	75
कुल योग ..	305	120	140

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की मूल रजिस्टर प्रति

AUGUST-SEPTEMBER, 1977

Sl. No.	Date	Sample Source	B. No. Bottle	Flavour	Colour	Moisture	F.F.A.I.	Dudian Test	R.M. Value	B.R. Value	Analyst	Remarks	Signature of S.O./TA
1	12-8-77	12 Cans	1	Normal	Normal	0.14	1.4	-ve			HNS		
2	16-8-77	37 Cans	2	Ranold	Sl. Dark	0.58	10.15	-do-			,,	Unfit for human consumption	
3	18-8-77	13 Cans	3	Normal	Normal	0.14	1.0	-do-			AKG		
4	,,	8 Cans	4	-do-	-do-	0.18	3.9	-do-			-do-		
5	,,	Ghee Pan	3+4	-do-	-do-	0.20	1.86	-do-			-do-		
6	,,	Ghee Pan	5	-do-	-do-	0.20	2.30	-do-			-do-		
7	22-8-77	12 Cans	6	-do-	-do-	—	1.10	-do-			-do-		
8	,,	8 Cans	7	Sl. Ranold	-do-	—	3.10	-do-			-do-	Blendid with 50cc-6	
9	,,	Ghee Pan	6+7	Normal	-do-	0.21	1.60	-do-			-do-		
10	3-9-77	-do-	8	Sl. Cocked	Sl. Dark	0.15	1.63	-do-			-do-	Sub-standard Ghee	
11	9-9-77	-do-	9	Normal	Normal	0.20	1.41	-do-			HNS		
12	13-9-77	-do-	10	-do-	-do-	0.20	1.83	-do-			-do-		
13	16-9-77	-do-	11	-do-	-do-	0.24	1.97	-do-			-do-		
14	18-9-77	-do-	12	-do-	-do-	0.22	2.39	-do-			-do-		
15	20-9-77	-do-	13	-do-	-do-	0.23	1.64	-do-			-do-		
16	22-9-77	-do-	—	-do-	-do-	0.28	1.41	-do-			AKS		
17	26-9-77	-do-	—	-do-	-do-	0.35	1.32	-do-			-do-		
18	27-9-77	-do-	—	V. Sl. Cocked	-do-	0.37	1.10	-do-			HNS		
19	,,	-do-	—	Normal	-do-	0.27	1.27	-do-			-do-		

272

OCTOBER, 1977

Sl. No.	Date	Sample Source	S. No.	Flavour	Colour	Moisture %	F.F.A. %	Dudian Test	R. M. value	B. R. value	Analyst	Remarks	Signature S.O./TA
1	7-10-77	Ghee Pan	-do-	Normal	Normal	0.20	0.60	-ive	-	-	ANS		
2	10-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.29	0.45	-ve	-	-	JPS/HNS		
3	10-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.22	0.34	-do-	-	-	-do-		
4	11-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.27	0.17	-do-	-	-	HNS		
5	14-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.29	0.87	-do-	-	-	HNS		
6	15-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0;26	0.84	-do-	-	-	HNS		
7	18-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.32	1.10	-do-	-	-	AKS		
8	20-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.29	0.89	-do-	-	-	AKS		
9	24-10-77	-do-	-do-	-do-	-do-	0.22	1.17	-do-	-	-	AKS		
10	29-10-77	-do-	-do-	-do.	-do-	0.26	1.10	-do-	-	-	HNS		

NOVEMBER, 1977

Sl. No.	Date	Sample Source	B.No.	Flavour	Colour	Moisture	F.F.A.I.	Dudain Test	R.M. value	B.R. value	Analyst	Remarks	Signature TA/S.O
1	1-11-77	Gheevat	-	Normal	Normal	0.32	1.35	-ve	-	-	HNS		
2	9-11-77	-do-	-	-do-	-do-	0.28	0.64	-do-	-	-	-do-		
3	13-11-77	(12-11-77)	-	-do-	-do-	0.28	1.10	-do-	-	-	-do-		
4	15-11-77	Gheevat	-	-do-	-do-	0.34	1.33	-do-	-	-	-do-		
5	17-11-77	-do-	-	-do-	-do-	0.30	1.10	-do-	-	-	-do-		
6	18-11-77	-do-	-	-do-	-do-	-	-	-do-	-	-	-do-		
7	19-11-77	-do-	-	-do-	-do-	0.26	1.10	-do-	-	-	-do-		
8	21-11-77	-do-	-	-do-	-do-	0.29	1.10	-do-	-	-	-do-		
9	19-11-77	-do-	-	-do-	-do-	0.28	1.16	-do-	-	-	-do-		
10	20-11-77	-do-	-	Cl. Scars	-do-	0.32	1.57	-do-	-	-	-do-		
11	26-11-77	D. Cam	-	Normal	-do-	0.27	1.42	-do-	-	-	-do-		
12	27-11-77	Ghee Pan	-	-do-	-do-	0.29	1.10	-do-	-	-	-do-		
13	29-11-77	Ghee Pan	-	-do-	-do-	0.20	1.17	-do-	-	-	ERV		

DECEMBER, 1977

Sl. No.	Date	Sample source	B.No.	Flavour	Colour	Moisture	FFAI	Dudian Test	R.M. value	B.R. value	Analyst	Remarks	Signature TA/S.O.
1	1-12-77	Gheevat		Normal	Normal	0.27	1.10	-ve	-	-	HNS		
2	5-12-77	-do-		-do-	-do-	0.23	1.41	-do-	-	-	-do-		
3	6-12-77	-do-		-do-	-do-	0.27	0.93	-do-	-	-	-do-		
4	9-12-77	-do-		-do-	-do-	0.25	0.71	-do-	-	-	-do-		
5	10-12-77	-do-		-do-	-do-	0.24	0.78	-do-	-	-	-do-		
6	12-12-77	-do-		-do-	-do-	0.29	0.65	-do-	-	-	-do-		
7	16-12-77	-do-		-do-	-do-	0.22	0.71	-do-	-	-	-do-		
1	10-1-78	Gheevat	1/78	Sl. colour	Normal	0.25	0.78	-ve	-	-	HNS	Recd. for Sale	
2	16-1-78	Gheevat	2/78	Normal	-do-	0.28	0.22	-do-	-	-	-do-	-do-	
1	1-2-78	Gheevat	3/78	Normal	Normal	0.20	0.42	-ve	-	-	HNS	Filed in 22 cans	
2	17-2-78	6 cans	4/78	-do-	-do-	0.30	0.39	-do-	-	-	-do-	-do-	
						MARCH, 1978							
1	8-3-78	6 Cans	5/78	V. 63. Col.	Normal	0.25	0.69	-ve	-	-	HNS		
2	20-3-78	11 Cans	6/78	Normal	-do-	0.22	0.81	-do-	-	-	-do-		
						APRIL, 1978							
1	18-4-78	11 Cans	7/78	V. Sl. Col.	Normal	0.20	0.90	-ve	-	-	HNS		
						MAY, 1978							
1	15-5-78	9 Cans	8/78	V. Sl. Col.	Normal	1.69	0.28	-ve	-	-	HNS		
2	25-5-78	4 Cans	9/78		-do-	0.21	0.25	-do-	-	-	-do-		
3	30-5-78	Gheevat	10/78		Sl. Dork	2.00	1.5	-do-	-	-	-do-		
1	2-6-78	Gheevat	11/78	Cocked	Normal	0.25	1.24	-ve	-	-	HNS		
2	16-6-78	Ghee-7	12/78	Normal	-do-	0.15	0.53	-do-	-	-	-do-		
3	28-6-78	Can-4	13/78	-do-	-do-	0.31	0.676	-do-	-	-	-do-		

SHARMA & SONI

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की प्रतियां

FORM No. XII

(See Rule 32)

Annual Return

1.	Name and address of the Industrial Premises	M/s Ram Singh Shanker Singh
2.	No. and date of Licence	1344
3.	Name of the employer	M/s Ram Singh Shanker Singh
4.	Name of the Principal Employer if the employer is working as Contractor for the principal employer	No

5. Average number of employees employed daily in the Industrial Premises :—

Men	9 (Nine)
Women	350
Young persons	Nil
Male	—
Female	--

6.	Average monthly No. of hours workers employed (i.e. who work in their homes).	—
7.	Normal hours worked per week in the Industrial Premises.	48 hours

275

8. Number of days worked in the year in the Industrial premises. 313 days

9. Number of employees who were granted leave during the calendar year :—

Young persons :	(a) employed in the industrial premises	No
	(b) employed in homes	No
Other than :—		
Young persons	(a) employed in the Industrial premises	No
	(b) employed in homes	No

10. No. of female employees, who were given Maternity benefit during the year :—

(a) employed in Industrial premises Nil

(b) employed in homes Nil

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Sd/-

(Signature of the employer)

FORM No. XII

(See Rule 32)

Annual Return

1.	Name & Address of the Industrial premises:	Thankumal Rewachand, Srinagar Road, Ajmer.
2.	No. & Date of licence	13/RACC/75
3.	Name of the employer	Thakumal Rewachand
4.	Name of the principal Employer, if the employer is working as contractor for the principal employer	Not Applicable
5.	Average number of employees employed daily in the industrial premises.	
	Men	2
	Women	NIL
6.	Average monthly No. of home workers employed (i. e. who work in their homes).	App. 85 to 90
7.	Normal hours worked per week in the industrial premises.	Two works, 48 hours.
8.	Number of days worked in the year in the industrial premises.	296 days.

9. Number of employees who were granted leave during the calendar year. Nil

Young persons (a) employed in the industrial premises.–Nil

(b) employed in homes. Nil.

Other than

Young persons (a) employed in the industrial premises.–Nil

(b) employed in homes–Nil

10. No. of female employees who were given maternity benefit during the year

(a) employed in industrial premises. Nil.

(b) employed in homes Nil.

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Sd/-

Signature of the employer.

FORM No. XII

(See Rule 32) Jan., 1980 to Dec., 1980

Annual Return

1.	Name & address of the Industrial premises.	Janta Bidi Factory
2.	No. & date of licence.	10/75 dt. 25-9-75
3.	Name of the employer.	Dayal Das
4.	Name of the principal employer, if the employer is working as contractor for the principal employer.	
5.	Average number of employees employed daily in the industrial premises :	4
	Men	
	Women	
	Young persons	
	Male	
	Female	
6.	Average monthly no. of hours workers employed (i.e. who work in their homes)	72
7.	Normal hours worked per week in the industrial premises.	48 hours per week
8.	No. of days worked in the year in the industrial premises.	295 days

9. Number of employees who were granted leave during the calendar year.

Young persons (a) employed in the industrial premises....

(b) employed in homes....

Other than—

Young persons (a) employed in the industrial premises...

(b) employed in homes....

10. No. of female employees, who were given maternity benefit during the year ...

(a) employed in industrial premises Nil

(b) employed in homes

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Sd/-

(Signature of the employer.)

FORM No. XII

(See Rule 32)

Annual Return

1.	Name & Address of the industrial premises.	Premchand Inder Singh Chouhan Srinagar Road, Ajmer
2.	No. & Date of licence.	12/RAU/75
3.	Name of the employer.	Premchand Inder Singh Chouhan
4.	Name of the principal Employer, if the employer is working as contractor for the principal employer.	Not Applicable
5.	Average number of employees employed daily in the industrial premises'	
	Men	5
	Women	1
6.	Average monthly No. of home workers employed (i.e. who work in their homes)	App. 100 to 125
7.	Normal hours worked per week in the industrial premises.	Six works, 48 hours
8.	Number of days worked in the year in the industrial premises.	296 days

9. Number of employees who were granted leave during the calendar year Nil

Young persons (a) employed in the industrial premises–Nil

(b) employed in homes–Nil

Other than

Young persons (a) employed in the industrial premises–Nil

(b) employed in homes–Nil

10. No. of female employees who were given maternity benefit during the year

(a) employed in industrial premises Nil

(b) employed in homes Nil.

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Sd/-

(Signature of the employer)

FORM No. XII

(See rule 32)

Annual Return

1.	Name & address of the Industrial premises.	Khandelwal Brothers Kaiserganj
2.	No. & date of licence	9/75/1323/ D. Ajmer
3.	Name of the employer	Mohan Lal Khandelwal
4.	Name of the principal employer, if the employer is working as contractor for the principal employer.	
5.	Average number of employees employed daily in the industrial premises :-	
	Men :	2
	Women :	
	Young persons :	
	Male :	
	Female :	
6.	Average monthly no. of hours workers employed (i. e. who work in their homes :	60
7.	Normal hours worked per week in the industrial premises :	48 hours in a week
8.	Number of days worked in the industrial premises.	305 days

2883

9. Number of employees who were granted leave during the calendar year Nil

Young persons (a) employed in the industrial premises :

(b) employed in homes :

other than:

Young persons (a) employed in the industrial premises :

(b) employed in homes :

10. No. of female employees, who were given maternity benefit during the year:- Nil

(a) Employed in industrial premises.

(b) Employed in homes

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Sd|-

(Signature of the employer)

284

FORM No. XII.

(See Rule 32)

Annual Return of 1980

1.	Name & address of the industrial premises :	Tilokchand Hansraj Cavauduspura, Ajmer
2.	No. and date of licence.	8/75, 25-9-75
3.	Name of the employer :	Sh. Tilokchand
4.	Name of the principal employer, if the employer is working as contractor for a principal employer.	Nil
5.	Average number of employees employed daily in the industrial premises :	Two only
	Men.	
	Women.	
	Young persons.	
	Male.	
	Female.	
6.	Average monthly number of home workers employed, (if who work in their homes).	Twenty only
7.	Normal hrs. worked per week in the industrial premises :	48 hrs.
8.	Number of days worked in the year in the industrial premises :	280 days Approxi.

9. No. of employees who were granted leave during the calendar year :

Young Persons : (a) Employed in the industrial premises:

(b) Employed in the homes :

Other than :

Young Persons : (a) Employed in the industrial premises :

(b) Employed in the homes ;

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Date :

For Tilokchand

For Kishanchand

Signature of the employer.

Note : Partial attendance for less the half a shift of working day shall be neglected and attendance for half shift or more shall be treated as full attendance.

The average daily number shall be calculated by dividing the aggregate number of attendance of working day by the number of the working days in the year. Attendance on separate shifts i.e. night and day shifts shall be counted separately.

The average shall be calculated by dividing the average number of workers on the home worker employment Register during each of the preceding 12 months by twelve.